Rahul's ✔
Topper's Voice

AS PER CBCS SYLLABUS

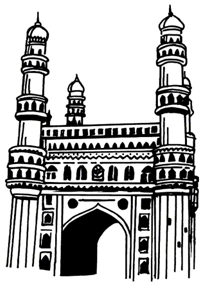

LATEST EDITION 2022

B.A., B.Sc., B.Com., B.B.A. and B.S.W

HINDI

III Year VI Sem

☞ **Study Manual**

☞ **Solved Model Papers**

- by -
Dr. SHIVHAR BIRADAR
M.A, M.Phil, Ph.D

Price `.149-00

Rahul Publications™
Hyderabad. Ph : 66550071, 9391018098

All disputes are subjects to Hyderabad Jurisdiction only

B.A., B.Sc., B.Com., B.B.A. and B.S.W

HINDI

III Year VI Sem

Inspite of many efforts taken to present this book without errors, some errors might have crept in. Therefore we do not take any legal responsibility for such errors and omissions. However, if they are brought to our notice, they will be corrected in the next edition.

© *No part of this publications should be reporduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording and/or otherwise without the prior written permission of the publisher*

Price ` 149-00

Sole Distributors : ☎ : **66550071, Cell : 9391018098**

VASU BOOK CENTRE

Shop No. 2, Beside Gokul Chat, Koti, Hyderabad.

Maternity Hospital Opp. Lane, Narayan Naik Complex, Koti, Hyderabad.
Near Andhra Bank, Subway, Sultan Bazar, Koti, Hyderabad -195.

हिन्दी साहित्य संगम

क्र.स.	विषय	पृष्ठ
Unit-I	**अनुवाद के सिद्धात**	**1 - 43**
1.	अनुवाद शब्द की व्युत्पत्ति, अर्थ, परिभाषाएँ एवं स्वरूप	1 - 13
2.	अनुवाद का महत्व	13 - 16
3.	अनुवाद के प्रकार	16 - 22
4.	अनुवाद के गुण	22 - 43
Unit-II	**पत्रकारिता**	**44 - 127**
1.	पत्रकारिता का अर्थ, परिभाषाएँ, स्वरूप तथा उद्देश्य	44 - 52
2.	पत्रकारिता का इतिहास	52 - 63
3.	पत्रकारिता का महत्व	63 - 79
4.	पत्रकारिता के प्रकार	79 - 107
5.	पत्रकार के गुण	107 - 120
6.	भारत के प्रमुख हिंदी समाचार पत्र	120 - 127
Unit-III	**हिंदी साहित्य के विविध आयाम**	**128 - 198**
1.	हिंदी में स्त्रीवादी साहित्य	128 - 144
2.	हिंदी में दलित साहित्य	144 - 175
3.	हिंदी में आदिवासी साहित्य	175 - 183
4.	हिंदी में अल्पसंख्यक साहित्य	183 - 198

नमूना प्रश्न पत्र

- **नमूना प्रश्न पत्र** - 1 199 - 200
- **नमूना प्रश्न पत्र** - 2 201 - 202
- **नमूना प्रश्न पत्र** - 3 203 - 204

पाठ्यक्रम

Unit-I अनुवाद के सिद्धात

1. अनुवाद शब्द की व्युत्पत्ति, अर्थ, परिभाषाएँ एवं स्वरूप
2. अनुवाद का महत्व
3. अनुवाद के प्रकार
4. अनुवाद के गुण

Unit-II पत्रकारिता

1. पत्रकारिता का अर्थ, परिभाषाएँ, स्वरूप तथा उद्देश्य
2. पत्रकारिता का इतिहास
3. पत्रकारिता का महत्व
4. पत्रकारिता के प्रकार
5. पत्रकार के गुण
6. भारत के प्रमुख हिंदी समाचार पत्र

Unit-III हिंदी साहित्य के विविध आयाम

1. हिंदी में स्त्रीवादी साहित्य
2. हिंदी में दलित साहित्य
3. हिंदी में आदिवासी साहित्य
4. हिंदी में अल्पसंख्यक साहित्य

अनुवाद के सिद्धांत

इस संसार में कई भाषा भाषी लोग रहते हैं। अलग-अलग देशों में कई अलग अलग भाषाओं का प्रयोग होता है। अतः विचारों के आदान-प्रदान के लिए अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है। एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा में कहना ही अनुवाद होता है। अनुवाद के लिए अंग्रेजी शब्द 'ट्रांसलेशन' का प्रयोग होता है।

अनुवाद वर्तमान में बहुत ही परिचित शब्द है। अनुवाद एक भाषिक प्रक्रिया है। भाषा एक प्रतीकात्मक व्यवस्था है। संप्रेषण या विचारों का आदान-प्रदान ही भाषा का उद्देश्य है। अनुवाद में अनुवादक को भाषाओं की व्यवस्था से जूझना पड़ता है। एक भाषा व्यवस्था में व्यक्त अर्थ को दूसरी भाषा व्यवस्था में परिवर्तित करता है । अतः हमें अनुवाद के स्वरूप को समझने के लिए एक ओर भाषा की संकल्पना को समझना आवश्यक है। अनुवाद दो भाषाओं के मध्य होने वाला भाषांतरण भी है।

1. अनुवाद शब्द की व्युत्पत्ति

अनुवाद शब्द का संबंध 'वद्' धातु में 'घञ्' प्रत्यय लगने से 'वाद' शब्द बनता है। वद् का अर्थ होता है कहना' । इस 'वद्' शब्द के आगे ‘अनु' उपसर्ग जुड़ने से ‘अनुवाद· शब्द की व्युत्पत्ति होती है।

व्युत्पत्तिमूलक अर्थ

संस्कृत के ' वद् ' धातु से अनुवाद शब्द का निर्माण हुआ है। वद् का अर्थ है बोलना । ‘वद्' धातु में ‘घञ्' प्रत्यय जोड़ देने पर भाववाचक संज्ञा में इसका परिवर्तित रूप है। 'वाद' जिसका अर्थ है कहने की प्रक्रिया' । 'अनुवाद' शब्द का व्युत्पत्तिमूलक अर्थ है 'पुनः कथन' एक बार कही गई बात को दूसरी बार कहना ही ‘अनुवाद' है।

अनुवाद शब्द का अर्थ

अनुवाद शब्द का मूल अर्थ है “किसी की कही हुई बात को दुबारा कहना ।” प्राचीन समय में लिखने पढ़ने की प्रक्रिया बहुत कम होती थी। उस समय गुरु द्वारा कहे गए वचनों को शिष्यों द्वारा दोहराया जाता था। इसी दोहराने को 'अनुवचन' कहा जाता था। यह भी देखा जाता है कि क्या अनुवाद और 'पुनरुक्ति' दोनों अलग अलग है। पुनरुक्ति निरर्थक होती है

और अनुवाद सार्थक होता है । अनुवाद प्रयोजन युक्त पुनः कथन होता है। अतः यह कहा जा सकता है कि अनुवाद का अर्थ 'शब्द' को सार्थक रूप में दुहराना होता है।

दूसरे शब्दों में इस प्रकार भी कहा जा सकता है अनुवाद शब्द 'अनु' उपसर्ग और वाद शब्द के संयोग से बना है अनु + वाद = अनुवाद । 'अनु' उपसर्ग का अर्थ होता है 'पीछे' । 'वाद' शब्द का संबंध है वद् धातु से, जिसका अर्थ होता है 'कहना एवं बोलना' । इस तरह 'अनुवाद' शब्द का अर्थ है किसी के कहने के बाद बोलना ।

वैदिक संस्कृति के महान आचार्य भर्तृहरि ने भी अनुवाद' को 'दुहराना' ही कहा है । संस्कृत साहित्य में भी 'अनुवाद' शब्द का प्रयोग 'गुरु के कहे जाने के बाद शिष्य द्वारा दुहराया जाना ही होता है। इसे स्पष्ट रूप से समझने के लिए यह भी कहा जा सकता है कि अनुवाद का अर्थ किसी एक भाषा में व्यक्त शब्दों को दूसरी भाषा में कहना होगा। जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है, उसे 'स्रोत भाषा' कहा जाता है और जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है, उसे 'लक्ष्य भाषा' कहा जाता है।

अनुवाद कार्य आसान नहीं होता। केवल उसके अर्थ मात्र को जानकर अनुवाद नहीं किया जा सकता। इसके लिए स्रोत और लक्ष्य भाषा की संपूर्ण जानकारी होना आवश्यक होता है। अनुवाद करना दोनों भाषाओं के मध्य एक समझौते वाला पुल बनाना आवश्यक होता है। संसार की सभी भाषाओं के सिद्धांत अलग-अलग होते हैं । प्रत्येक भाषा के शब्द, पद, वाक्य, मुहावरे, लोकोक्ति आदि अलग-अलग और स्वतंत्र होते हैं।

अनुवाद की परिभाषा

मूल (स्रोत) भाषा में कहे गए विचारों को दूसरी (लक्ष्य) भाषा में व्यक्त करना अनुवाद कहलाता है। अनुवाद की सटीक परिभाषा जानने के पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। किसी भी अनुवादक का सबसे पहले यही उद्देश्य होता है कि उसकी अनुवादित कृति या सामग्री स्रोत या मूल भाषा के अधिक समीप हो। इसीलिए वह सृजनकर्ता के सांचे में पूर्ण रूप से बैठने का प्रयास करेगा, क्योंकि मूल सृजनकर्ता के विचारों को वह अच्छी तरह से समझ ले। ऐसा करने पर ही वह लक्ष्य भाषा में उस मूल कृति को यथा संभव समान रुप प्रदान करने में सफल हो पाएगा। अनुदित सामग्री में एक प्रकार की सहजता भी दिखनी चाहिए। यह सहजता मूल कृति के

प्रवाह के अनुकूल और प्रासंगिक हो । अनुवाद को पूर्ण रूप से समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं का उल्लेख किया जा रहा है। मानक कोष के अनुसार- "पहले कहे गए अर्थ को फिर से कहना अनुवाद है।"

डॉ. कृष्ण कुमार गोस्वामी : "एक भाषा में व्यक्त भावों या विचारों को दूसरी भाषा में समान और सहज रूप में व्यक्त करने का प्रयास अनुवाद है।"

भोलानाथ तिवारी: किसी भाषा में प्राप्त सामग्री को दूसरी भाषा में भाषांतरण करना अनुवाद है।

देवेंद्रनाथ शर्मा: विचारों को एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरित करना अनुवाद है।रीतारानी पानीवालः स्रोत भाषा में व्यक्त प्रतीक व्यवस्था को लक्ष्य-भाषा की सहज प्रतीक व्यवस्था में रूपांतरित करने का कार्य अनुवाद है। कैटफोर्ड ने 1995 में कहा था कि "translation is the replacement of textual material from language by equivalent textual material in another language". (Page number 20, definition of translation/October 2017/ Translation Journal)

बोच के अनुसार-"Translation is the communication of the meaning of a source language text by means of an equivalent target language text". (https:hi.m. wikipedia.org.in)

ऊपर दी गई परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि "भाषा ध्वन्यात्मक प्रतीकों का व्यवस्थित रूप है। अनुवाद इन्हीं रूपों का पुनःस्थापना करता है। इसका अर्थ यह होगा कि स्रोत भाषा के प्रतीकों की स्थापना पर लक्ष्य भाषा के निकटतम या उसके समतुल्य प्रतीकों का प्रयोग किया जाना अनुवाद है। यह प्रतीक है सहज भी होना चाहिए। विषय की प्रासंगिकता बनी रहना भी आवश्यक होती है। यह कहना उचित होगा कि "किसी भी सामग्री को एक स्थान बिंदु से दूसरे स्थान बिंदु पर सार्थक रूप से ले जाने की प्रक्रिया को अनुवाद कहा जाता है।"

इस प्रकार कहा जा सकता है कि एक भाषा में व्यक्त विचारों को यथा संभव समान और अभिव्यक्ति द्वारा दूसरी भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयास अनुवाद है। अंत में इन्हें तीन बिंदुओं के अंतर्गत परिभाषित किया जा सकता है

- अनुवाद का मूल उद्देश्य होता है स्रोत भाषा की सामग्री को लक्ष्य भाषा में यथा संभव अपने मूल रूप में रखना।
- इसकी अधिक से अधिक निकटतम अभिव्यक्ति की खोज लक्ष्य भाषा में होनी चाहिए।
- इस अभिव्यक्ति की खोज लक्ष्य भाषा में सहज होनी चाहिए। वह उसके सहज प्रवाह या प्रयोग के अनुकूल होनी चाहिए। वह स्रोत भाषा की छाया से युक्त न हो । यह बात सही कही गई है कि अनुवाद एक कस्टम हाउस है जिसके माध्यम से स्रोत भाषा के प्रयोग का विदेशी माल लक्ष्य भाषा में अन्य स्रोतों की अपेक्षा अधिक हो जाता है। ऐसा तभी होता है जब अनुवादक सतर्क न रहे।

अनुवाद का स्वरूप

अनुवाद का अर्थ है स्रोत भाषा (Source Language) की पाठ्य सामग्री को लक्ष्य भाषा (Target Language) में रूपांतरित करना। यह रूपांतरण भाषा के माध्यम से होता है और भाषा यहाँ पर मुख्य भूमिका निभाती है । इन दोनों भाषाओं के बीच सेतु निर्माण कार्य अनुवादक की सृजन प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं की उपज होती है। जब कोई व्यक्ति अन्य भाषा को पढ़ नहीं पाता तब वह उसकी भाषा में उसे समझने का प्रयास करता है। इसी समस्या का निराकरण अनुवाद के माध्यम से होता है। अनुवाद मुख्यतः भाषा में व्यक्त अभिव्यक्तियों के माध्यम से स्पष्ट हो पाती है। अतः दोनों भाषाओं का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य हो जाता है। यह एक भाषिक प्रक्रिया है जिसमें भाषाई सामग्री की जानकारी होना परम आवश्यक है। दोनों भाषाओं में शब्द, रूप, वाक्य, भाषा वैज्ञानिक विश्लेषण से ही संभव है। इसी प्रक्रिया से उसके स्वरूप को निर्धारित किया जाता है। इसी कारण अनेक विद्वानों ने अनेक परिभाषाओं से इसे अपने-अपने ढंग से परिभाषित किया है। रूपांतरण की प्रक्रिया में मूल भाषा के सूक्ष्म अध्ययन, मनन, चिंतन की गहराई को समझकर भावार्थ और शब्दार्थ के साथ दूसरी भाषा में अभिव्यक्त करना पड़ता है या उसे दूसरी भाषा में पुनर्जन्म देना होता है । अनुवाद का स्वरूप बड़ा ही व्यापक है। कभी-कभी मूल अर्थ के साथ मूल शैली

को पकड़ पाना कठिन हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में समकक्ष अर्थ व शैली का प्रयोग कर अनुवाद कार्य संपन्न किया जाता है। इसलिए इसे कला भी कहा जाता है।

अनुवाद पूर्णतः भाषा पर आधारित होती है और भाषा किसी भी देश की सांस्कृतिक पहचान होती है। किसी दूसरे देश में रचित सांस्कृतिक साहित्यिक विरासत को अन्य भाषा में ले जाने से दोनों देशों के सांस्कृतिक संबंध सुदृढ़ बनते हैं और यह कार्य अनुवाद कर रहा है। भाषा आपकी प्रकृति में बहते हुए नीर के समान है और इस बहते हुए नीर को पकड़ कर उसे प्रांजल बनाना गागर में सागर भरने के समान है ।

वर्तमान युग में भाषाओं को जीवित बनाये रखने के लिए देश में एक-दूसरे को संपर्क साधना आवश्यक है। इसे प्राणवत्त करने के लिए और साहित्यिक क्षेत्र में अनुवाद अहम भूमिका निभा रही है। दूसरी ओर विश्व के अधिकांश देश बहुभाषिक है और आपस में सामंजस्य स्थापित करने के लिए अनुवाद सेतु का कार्य कर रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न राष्ट्रों के बीच राजनैतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक साहित्यिक एवं सांस्कृतिक स्तर पर बढ़ते हुए आपसी सहयोग के कारण अनुवाद कार्य की अनिवार्यता और महत्ता की नई चेतना विकसित हुई । इसे ही वैश्वीकरण की संज्ञा दी गई, इस वैश्वीकरण के युग में संपूर्ण विश्व एक परिवार की तरह आपस में जुड़ा हुआ है। परिवार के सदस्यों में जैसे आत्मीयता के भाव होते हैं ठीक वैसे ही विश्व के संपूर्ण देशों में आत्मीय भाव उत्पन्न करना भाषा का कार्य है । इस कारण वैश्विक ज्ञान से जुड़ना, तकनीकी, प्रौद्योगिक श्रेणी में प्रयुक्त भाषा से जुड़ना अनिवार्य एवं आवश्यक हो जाता है। जब वे परस्पर मिलते हैं तो उनमें संपर्क भाषा के रूप में अनुवाद अपना महत्व प्रदर्शित करती है। अन्य देशों की नागरिकता को समझने के लिए अनुवाद की उपादेयता को बढ़ाना आवश्यक है।

अनुवाद की आवश्यकता ने नये-नये शहरों को जन्म दिया जिससे दोनों भाषाओं के साहित्य समृद्ध हुए। वैचारिक पृष्ठभूमि के लिए अनुवाद परम आवश्यक अंग है । इसके द्वारा ही सभी देश की सूचनाओं और संप्रेषण का कार्य संभव हो सका है । इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में हिंदी का अनुवाद करते समय अनेक शब्द अलग-

अलग ढंग से प्रस्तुत हुए हैं उनका सही अर्थ लोगों तक पहुँचाने का कार्य अनुवाद से संभव है । सरकारी कार्यालयों में हिंदी के साथ अंग्रेजी दोनों में कार्य होता है। इससे रोजगार की संभावना बढ़ी है। बहुराष्ट्रीय व्यापारिक कंपनियों ने ग्राहकों की भाषा में जो आदान प्रदान होता है, उसे महत्व दिया जाता है। भारत से ऐसे व्यापारिक संबंध बढ़ाने के लिए यहाँ की भाषा को महत्व मिला, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय वर्ग हमसे व्यापार स्थापित करने के इच्छुक रहे । इसी इच्छा ने एक ओर अन्य भाषाओं के मध्य अनुवाद को जन्म दिया तो दूसरी ओर हमारी राजभाषा समृद्ध हुई और इसका महत्व भी बढ़ा । इस प्रकार अनुवाद आज राष्ट्रीय एकता ही नहीं अंतरराष्ट्रीय सामंजस्य स्थापित कर वसुदैव कुटुंभकम् की भावना को रूपायित कर रही है। विभिन्न विषयों की कृतियों के अनुवाद से साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक आदि अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त कर उनसे सामंजस्य स्थापित कर सके। अतः यह कहना उचित होगा कि वैश्वीकरण के इस दौड़ में मानव विकास के लिए अनुवाद सहायक सिद्ध हो रहा है। व्यापारीकरण का मुख्य स्रोत अनुवाद है, और इसकी सफलता-असफलता भाषा पर निर्भर होती है । भाषा का संबंध ग्राहकों से है और ग्राहकों का संबंध अनुवाद से है। अतः वैश्वीकरण के इस दौड़ में यह एक अहम भूमिका निभा रही है। इसके बहुमुखी विकास के कारण यह और भी सशक्त रूप धारण कर यह वर्तमान युग की महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गई है।

इस प्रकार अनुवाद के स्वरूप को दो भागों में बांटा जा सकता है।

1. अनुवाद का सीमित स्वरूप

2. अनुवाद का व्यापक स्वरूप

1. अनुवाद का सीमित स्वरूप

जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि अनुवाद एक भाषा के सार्थक अर्थ को दूसरी भाषा में व्यक्त किया जाना होता है। इनमें अनुवाद को दो भाषाओं के मध्य होने वाला भाषांतरण माना जाता है। सीमित स्वरूप में दो पहलू होते हैं-

a) पाठ धर्मी आयाम,

b) प्रभाव धर्मी आयाम

a) पाठ धर्मी आयाम

इसमें स्रोत भाषा पाठ सामग्री के मध्यस्थ में रहता है। यह तकनीकी और सूचना के क्षेत्र में लागू होता है। यही अनुवाद गंभीर विषयों में अधिक लाभकारी होताहै।

b) प्रभाव धर्मी पाठ

यह अनुवाद मूल संरचना और उसकी बनावट की बजाय उसमें निहित भाव या प्रभाव पर जोर देता है। यह प्रभाव स्रोत भाषा के पाठकों पर पहले से ही प्रभाव डालचुका होता है।यह अनुवाद मुख्य रूप से कविता के अनुवाद के समय प्रयोग किया जाता है।

2. अनुवाद का व्यापक स्वरूप

इसमें इसे दो भिन्न प्रतीक व्यवस्थाओं के बीच होने वाला अर्थ का अंतरण माना जाता है। इसे प्रतीकांतरण भी कहते हैं। इन्हें तीन भागों में बांटा गया है-

a) अंतः भाषिक अनुवाद

b) अंतर भाषिक अनुवाद

c) अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद

a) अंतः भाषिक का अर्थ होता है एक ही भाषा के अंतर्गत अनुवाद करना । इसका अर्थ होता है कि एक ही भाषा के मध्य विभिन्न प्रतीको के मध्य अनुवाद किया जाता है। किसी एक भाषा के पद्य का अनुवाद गद्य में करना होता है।

b) अंतर भाषिक को कृति की संरचना, प्रकृति, अनुवाद में अनुवादक परिस्थिति, विश्वास मान्यता, विचारधारा आदि की जानकारी प्राप्त करना आवश्यक होता है। ऐसा होने पर ही वह न्यायसंगत अनुवाद कर सकता है।

c) अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद में किसी भाषा की प्रतीक व्यवस्था को अन्यभाषा की प्रतीक योजना में डालना पड़ता है।

अनुवाद का इतिहास भारत में प्राचीन समय से चला आ रहा है । अनुवाद विशेष रूप से संस्कृत में होते थे। भारत ने प्राचीन समय से ही आदान-प्रदान की क्रिया को महत्व दिया है। यही कारण है कि भारत की साहित्य और संस्कृति इतनी समृद्ध है । भारतीय इतिहास में यह देखा गया है कि विज्ञान, भौतिक, वास्तु, ज्योतिष, तकनीक आदि विभिन्न क्षेत्रों में अनुवाद का कार्य हुआ है। संस्कृत अनुवाद के रूप प्राकृत भाषा में अधिक पाए गए हैं। कई प्राचीन नाटकों में संस्कृत और प्राकृत शब्दों का प्रयोग देखा गया है। “अनुवाद” को संस्कृत में 'छाया' के नाम से जाना जाता है। 15 वी शताब्दी में अनेक विषयों के संस्कृत ग्रंथों के हिंदी आदि भाषाओं में भाषांतरण मिलते हैं। जिसे 'भाषा टीका' कहा जाता था। इस प्रकार 'टीका' का अर्थ हुआ अनुवाद । आगे चलकर फारसी के शब्द 'तर्जुमा' का भी अनुवाद के लिए प्रयोग होने लगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अनुदित रचना 'रत्नावली' की भूमिका में इस शब्द का प्रयोग किया था । सन 1950 के आसपास अनुवाद शब्द का प्रचलन प्रारंभ हो गया। वैसे देखा गया है कि गुजराती, मराठी, असमिया, ओडिया, पंजाबी, तेलुगू आदि भाषाओं में भी अनुवाद शब्द का प्रयोग किया जाने लगा।

इस तरह परंपरागत रूप से कालक्रम के साथ छाया, टीका,भाषानुवाद, तर्जुमा शब्द अपने यहाँ चल रतहे थे।

प्र1. अनुवाद किसे कहते है ?

उत्तर :

इस संसार में कई भाषा भाषी लोग रहते हैं। अलग-अलग देशों में कई अलग अलग भाषाओं का प्रयोग होता है। अतः विचारों के आदान-प्रदान के लिए अनुवाद की आवश्यकता

पड़ती है। एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा में कहना ही अनुवाद होता है। अनुवाद के लिए अंग्रेजी शब्द 'ट्रांसलेशन' का प्रयोग होता है।अनुवाद वर्तमान में बहुतही परिचित शब्द है। अनुवाद एक भाषिक प्रक्रिया है। भाषा एक प्रतीकात्मक व्यवस्था है। संप्रेषण या विचारों का आदान-प्रदान ही भाषा का उद्देश्य है। अनुवाद में अनुवादक को भाषाओं की व्यवस्था से जूझना पड़ता है। एक भाषा व्यवस्था में व्यक्त अर्थ को दूसरी भाषा व्यवस्था में परिवर्तित करता है । अतः हमें अनुवाद के स्वरूप को समझने के लिए एक ओर भाषा की संकल्पना को समझना आवश्यक है। अनुवाद दो भाषाओं के मध्य होने वाला भाषांतरण भी है। इसी को अनुवाद कहते है ।

प्रश्न 2. अनुवाद शब्द का अर्थ क्या है लिखिए ?

उत्तर :

अनुवाद शब्द का मूल अर्थ है "किसी की कही हुई बात को दुबारा कहना ।" प्राचीन समय में लिखने पढ़ने की प्रक्रिया बहुतकम होती थी। उस समय गुरुद्वारा कहे गए वचनों को शिष्यों द्वारा दोहराया जाता था। इसी दोहराने को 'अनुवचन' कहा जाता था। यह भी देखा जाता है कि क्या अनुवाद और 'पुनरुक्ति' दोनों अलग अलग है। पुनरुक्ति निरर्थक होती है और अनुवाद सार्थक होता है । अनुवाद प्रयोजन युक्त पुनः कथन होता है। अतः यह कहा जा सकता है कि अनुवाद का अर्थ 'शब्द' को सार्थक रूप में दुहराना होता है।

दूसरे शब्दों में इस प्रकार भी कहा जा सकता है अनुवाद शब्द 'अनु' उपसर्ग और वाद शब्द के संयोग से बना है अनु + वाद = अनुवाद । 'अनु' उपसर्ग का अर्थ होता है 'पीछे' । 'वाद' शब्द का संबंध है वद् धातु से, जिसका अर्थ होता है 'कहना एवं बोलना' । इस तरह 'अनुवाद' शब्द का अर्थ है किसी के कहने के बाद बोलना ।

वैदिक संस्कृति के महान आचार्य भर्तृहरि ने भी अनुवाद' को 'दुहराना' ही कहा है । संस्कृत साहित्य में भी 'अनुवाद' शब्द का प्रयोग 'गुरु के कहे जाने के बाद शिष्य द्वारा दुहराया जाना ही होता है। इसे स्पष्ट रूप से समझने के लिए यह भी कहा जा सकता है कि अनुवाद का

अर्थ किसी एक भाषा में व्यक्त शब्दों को दूसरी भाषा में कहना होगा। जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है, उसे 'स्रोत भाषा' कहा जाता है और जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है, उसे 'लक्ष्य भाषा' कहा जाता है।

अनुवाद कार्य आसान नहीं होता। केवल उसके अर्थ मात्र को जानकर अनुवाद नहीं किया जा सकता। इसके लिए स्रोत और लक्ष्य भाषा की संपूर्ण जानकारी होना आवश्यक होता है। अनुवाद करना दोनों भाषाओं के मध्य एक समझौते वाला पुल बनाना आवश्यक होता है। संसार की सभी भाषाओं के सिद्धांत अलग-अलग होते हैं । प्रत्येक भाषा के शब्द, पद, वाक्य, मुहावरे, लोकोक्ति आदि अलग-अलग और स्वतंत्र होते हैं।

प्रश्न 3. अनुवाद की परिभाषाए लिखिए ?

उत्तर :

अनुवाद को पूर्ण रूप से समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं का उल्लेख किया जा रहा है। मानक कोष के अनुसार - “पहले कहे गए अर्थ को फिर से कहना अनुवाद है।”

डॉ. कृष्ण कुमार गोस्वामी के अनुसार :- “एक भाषा में व्यक्त भावों या विचारों को दूसरी भाषा में समान और सहज रूप में व्यक्त करने का प्रयास अनुवाद है।”

भोलानाथ तिवारी के अनुसार :- किसी भाषा में प्राप्त सामग्री को दूसरी भाषा में भाषांतरण करना अनुवाद है।

देवेंद्रनाथ शर्मा के अनुसार :- विचारों को एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरित करना अनुवाद है।

रीतारानी पानीवालः स्रोत भाषा में व्यक्त प्रतीक व्यवस्था को लक्ष्य-भाषा की सहज प्रतीक व्यवस्था में रूपांतरित करने का कार्य अनुवाद है।

कैटफोर्ड के अनुसार :- 1995 में कहा था कि "translation is the replacement of textual material from language by equivalent textual material in another language”. (Page number 20, definition of translation/October 2017/Translation Journal)

बोच के अनुसार :- "Translation is the communication of the meaning of a source language text by means of an equivalent target language text". (https:hi.m.wikipedia.org.in)

ऊपर दी गई परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि “भाषा ध्वन्यात्मक प्रतीकों का व्यवस्थित रूप है। अनुवाद इन्हीं रूपों का पुनःस्थापन करता है।

प्रश्न 4. अनुवाद के स्वरूप को समझाइए ?

उत्तर :-

इस प्रकार अनुवाद के स्वरूप को दो भागों में बांटा जा सकता है।

1. अनुवाद का सीमित स्वरूप

2. अनुवाद का व्यापक स्वरूप

1. अनुवाद का सीमित स्वरूप

जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि अनुवाद एक भाषा के सार्थक अर्थ को दूसरी भाषा में व्यक्त किया जाना होता है। इनमें अनुवाद को दो भाषाओं के मध्य होने वाला भाषांतरण माना जाता है। सीमित स्वरूप में दो पहलू होते हैं-

a) पाठ धर्मी आयाम,

b) प्रभाव धर्मी आयाम

a) पाठ धर्मी आयाम

इसमें स्रोत भाषा पाठ सामग्री के मध्यस्थ में रहता है। यह तकनीकी और सूचना के क्षेत्र में लागू होता है। यही अनुवाद गंभीर विषयों में अधिक लाभकारी होता है।

b) प्रभाव धर्मी पाठ

यह अनुवाद मूल संरचना और उसकी बनावट की बजाय उसमें निहित भाव या प्रभाव पर जोर देता है। यह प्रभाव स्रोत भाषा के पाठकों पर पहले से ही प्रभाव डालचुका होता है।यह अनुवाद मुख्य रूप से कविता के अनुवाद के समय प्रयोग किया जाता है।

1. **अनुवाद का व्यापक स्वरूप** इसमें दो भिन्न प्रतीक व्यवस्थाओं के बीच होने वाला अर्थ का अंतरण माना जाता है। इसे प्रतीकांतरण भी कहते हैं। इन्हें तीन भागों में बांटा गया है-

    1. अंतः भाषिक अनुवाद
    2. अंतर भाषिक अनुवाद
    3. अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद

1. अंतः भाषिक का अर्थ होता है एक ही भाषा के अंतर्गत अनुवाद करना । इसका अर्थ होता है कि एक ही भाषा के मध्य विभिन्न प्रतीको के मध्य अनुवाद किया जाता है। किसी एक भाषा के पद्‌य का अनुवाद गद्‌य में करना होता है।

2. अंतर भाषिक को कृति की संरचना, प्रकृति, अनुवाद में अनुवादक परिस्थिति, विश्वास मान्यता, विचारधारा आदि की जानकारी प्राप्त करना आवश्यक होता है। ऐसा होने पर ही वह न्याय संगत अनुवाद कर सकता है।

3. अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद में किसी भाषा की प्रतीक व्यवस्था को अन्यभाषा की प्रतीक योजना में ढालना पड़ता है।

अनुवाद का इतिहास भारत में प्राचीन समय से चला आ रहा है । अनुवाद विशेष रूप से संस्कृत में होते थे। भारत ने प्राचीन समय से ही आदान-प्रदान की क्रिया को महत्व दिया है। यही कारण है कि भारत की साहित्य और संस्कृति इतनी समृद्ध है । भारतीय इतिहास में यह देखा गया है कि विज्ञान, भौतिक, वास्तु, ज्योतिष, तकनीक आदि विभिन्न क्षेत्रों में अनुवाद का कार्य हुआ है। संस्कृत अनुवाद के रूप प्राकृत भाषा में अधिक पाए गए हैं। कई प्राचीन नाटकों में संस्कृत और प्राकृत शब्दों का प्रयोग देखा गया है। “अनुवाद” को संस्कृत में 'छाया' के नाम से जाना जाता है। 15 वी शताब्दी में अनेक विषयों के संस्कृत ग्रंथों के हिंदी आदि भाषाओं में भाषांतरण मिलते हैं। जिसे 'भाषा टीका' कहा जाता था। इस प्रकार 'टीका' का अर्थ हुआ अनुवाद । आगे चलकर फारसी के शब्द 'तर्जुमा' का भी अनुवाद के लिए प्रयोग होने लगा।

भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अनुदित रचना 'रत्नावली' की भूमिका में इस शब्द का प्रयोग किया था । सन 1950 के आसपास अनुवाद शब्द का प्रचलन प्रारंभ हो गया। वैसे देखा गया है कि गुजराती, मराठी, असमिया, ओडिया, पंजाबी, तेलुगू आदि भाषाओं में भी अनुवाद शब्द का प्रयोग किया जाने लगा।

इस तरह परंपरागत रूप से कालक्रम के साथ छाया, टीका, भाषानुवाद, तर्जुमा शब्द अपने यहाँ चल रत हे थे।

2. अनुवाद का महत्व

अनुवाद मानव जीवन की अत्यधिक आवश्यक प्रक्रिया है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इसकी आवश्यकता पड़ती है। इसी कारण अनुवाद का महत्व भी दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आज तीव्र गति से संसार के कार्य बढ़ते चले जा रहे हैं। संसार बड़ी ही तेज गति से प्रगति करता जा रहा है। यह प्रगति प्रत्येक देश के आपस में आदान प्रदान की प्रक्रिया के बिना संभव नहीं हो सकती। यह आदान-प्रदान अनुवाद के बिना संभव नहीं । अतः यूं कहा जा सकता है कि वर्तमान समय को अनुवाद की नितांत आवश्यकता है। संसार में व्यापार, वाणिज्य, शिक्षा, पर्यटन, संस्कृति, कला, साहित्य, अर्थ, राजनीति आदि सभी क्षेत्र परस्पर आपस में अपनी भागीदारी बढ़ाते चले जा रहे हैं। यह भागीदारी तभी संभव और सफल होगी जब हम आपस में एक-दूसरे के विचारों को अच्छी तरह से समझें । यह समझना अनुवाद से ही संभव हो सकता है क्योंकि संसार के लोग अनेक भाषाओं का प्रयोग करते हैं। सभी को सभी भाषाओं का ज्ञान होना तो संभव नहीं । ऐसी स्थिति में अनुवाद की भूमिका और महत्व और भी बढ़ जाता है।

अनुवाद का महत्व हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं

- भारत और अन्य विदेशी साहित्य का ज्ञान
- दूसरे देशों में हो रहे विभिन्न कार्यों का बोध
- कानूनी क्षेत्र में विभिन्न जानकारियां
- वाणिज्य, व्यापार जैसे विभिन्न क्षेत्रों की सटीक जानकारी

- संसार की सभी विशेष बातों का ज्ञान भारत के विभिन्न कार्यालयों के विचारों के आदान-प्रदान की सूचना
- यात्रा और पर्यटन के क्षेत्र में अनुवाद की महत्वपूर्ण आवश्यकता
- संसार के विभिन्न भाषाओं की महान कृतियों के प्रचार-प्रसार में सहायक
- संसार के विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सभाओं का ब्यौराप्राप्त करना
- सभी प्रकार की पत्रकारिता के क्षेत्र में तो जैसे अनुवाद आत्मा की भूमिका निभाता है
- विभिन्न देशों के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, राजनीतिक आदि सभी क्षेत्रों में अनुवाद अहम भूमिका निभाता है।

अतः अनुवाद के कारण किसी भी साहित्य का प्रचार-प्रसार का क्षेत्र बढ़ जाता है। इसका सबसे अच्छा आधुनिक उदाहरण 'गोदान' उपन्यास है। इसे पढ़ने के लिए विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया गया। इसी प्रकार वेद, पुराण, उपनिषद आदि का भी भारतीय और विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है। अनुवाद में विभिन्न भाषा भाषियों को एक साथ लाने की शक्ति होती है। यह भावनात्मक एकता की स्थापना करवाने का एक शक्तिशाली साधन है। दूसरे शहर या देश जाने पर यदि हमें हमारी भाषा प्रयोग करता हुआ कोई मिल जाए तो कितनी प्रसन्नता होती है। इसी प्रकार मनुष्य एक दूसरे की भाषा सीखने में रुचि रखता है। यही रुचि अनुवाद की बढ़ोतरी में सहायक होती है।

वर्तमान समय में अनुवाद ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इसने भारतीय संस्कृति और संस्कार को सारे विश्व के सामने लाकर रख दिया है। कोई भी देश या उसका साहित्य जब तक समृद्धि की वह शिखर प्राप्त नहीं कर सकता जब तक उसका प्रसार विभिन्न देशों और उसकी भाषाओं तक नहीं पहुंचाया जाता ।

सन् 1965 में भारतीय सरकार के कार्यालयों में भी द्विभाषा भाषा योजना का प्रयोग हो रहा है। वैश्विक स्तर पर भी अनुवाद की प्रक्रिया बढ़ती जा रही है। मनुष्य का जीवन बहुत छोटा है। अनुवाद उस छोटे जीवन में सब कुछ पा जाने की इच्छा

को साकार करता है । आज के वैज्ञानिक युग में अनुवाद एक सशक्त साधन है जो सारे विश्व में एकजुटता लाने का भरसक प्रयत्न कर रहा है।

प्रश्न उत्तर

प्रश्न 5. अनुवाद के महत्व को स्पष्ट रूप से समझाइए?

उत्तर :

संसार में सभी को सभी भाषाओं का ज्ञान होना तो संभव नहीं । ऐसी स्थिति में अनुवाद की भूमिका और महत्व और भी बढ़ जाता है। इसलिए अनुवाद का महत्व हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं

- भारत और अन्य विदेशी साहित्य का ज्ञान देना ।
- दूसरे देशों में हो रहे विभिन्न कार्यों का बोध कराना ।
- कानूनी क्षेत्र में विभिन्न जानकारियां देना ।
- वाणिज्य, व्यापार जैसे विभिन्न क्षेत्रों की सटीक जानकारी देना ।
- संसार की सभी विशेष बातों का ज्ञान भारत के विभिन्न कार्यालयों के विचारों के आदान-प्रदान की सूचना देना ।
- यात्रा और पर्यटन के क्षेत्र में अनुवाद की महत्वपूर्ण आवश्यकता को दर्शना ।
- संसार के विभिन्न भाषाओं की महान कृतियों के प्रचार-प्रसार में सहायक सिद्ध होना ।
- संसार के विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सभाओं का विवरण प्राप्त करना।
- सभी प्रकार की पत्रकारिता के क्षेत्र में तो जैसे अनुवाद आत्मा की भूमिका निभाता है।
- विभिन्न देशों के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक,

राजनीतिक आदि सभी क्षेत्रों में अनुवाद अहम भूमिका निभाता है।

अतः अनुवाद के कारण किसी भी साहित्य का प्रचार-प्रसार का क्षेत्र बढ़ जाता है। इसका सबसे अच्छा आधुनिक उदाहरण 'गोदान' उपन्यास है। इसे पढ़ने के लिए विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया गया। इसी प्रकार वेद, पुराण, उपनिषद आदि का

भी भारतीय और विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है। अनुवाद में विभिन्न भाषा भाषियों को एक साथ लाने की शक्ति होती है। यह भावनात्मक एकता की स्थापना करवाने का एक शक्तिशाली साधन है। दूसरे शहर या देश जाने पर यदि हमें हमारी भाषा प्रयोग करता हुआ कोई मिल जाए तो कितनी प्रसन्नता होती है। इसी प्रकार मनुष्य एक दूसरे की भाषा सीखने में रुचि रखता है। यही रुचि अनुवाद की बढ़ोतरी में सहायक होती है।

वर्तमान समय में अनुवाद ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इसने भारतीय संस्कृति और संस्कार को सारे विश्व के सामने लाकर रख दिया है। कोई भी देश या उसका साहित्य जब तक समृद्धि की वह शिखर प्राप्त नहीं कर सकता जब तक उसका प्रसार विभिन्न देशों और उसकी भाषाओं तक नहीं पहुंचाया जाता ।

सन् 1965 में भारतीय सरकार के कार्यालयों में भी द्विभाषा योजना का प्रयोग हो रहा है। वैश्विक स्तर पर भी अनुवाद की प्रक्रिया बढ़ती जा रही है। मनुष्य का जीवन बहुत छोटा है। अनुवाद उस छोटे जीवन में सब कुछ पा जाने की इच्छा को साकार करता है । आज के वैज्ञानिक युग में अनुवाद एक सशक्त साधन है जो सारे विश्व में एकजुटता लाने का भरसक प्रयत्न कर रहा है।

3. अनुवाद के प्रकार

अनुवाद एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। इसे अच्छी तरह समझने के लिए इसका वर्गीकरण करना आवश्यक हो जाता है। जिस प्रकार किसी भी विस्तृत विषय का अध्ययन बिना विभाजन के करना कठिन हो जाता है। उसी प्रकार अनुवाद को भी विद्वानों ने कई भागों में बांटने का प्रयास किया है। यहां पर हम अनुवाद के महत्वपूर्ण प्रकारों को समझने का प्रयास करेंगे।

1. काव्यानुवाद

किसी कविता का अनुवाद करना काव्यानुवाद कहलाता है। यह किसी एक पद्य भाग का भी हो सकता है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि

काव्यानुवाद को पद्यानुवाद कहा जाता है। काव्य का अनुवाद करना बहुत ही कठिन कार्य है । कविता को किसी और शैली में बदल कर लिखना सरल नहीं है।

2. नाटकानुवाद

काव्यानुवाद के समान ही नाटकानुवाद में कई कठिनाइयां आती हैं। साहित्य की सभी विधाओं जैसे कविता, कहानी, उपन्यास, एकांकी आदि का नाटक के रूप में अनुवाद करना आसान कार्य नहीं है। इसी प्रकार से नाटक को दूसरी विधाओं में रूपांतरण करके लिखना भी कठिन है। इस अनुवाद में विशेष रूप से रंगमंच के कारण में विशेष परेशानी होती है।

3. शब्दानुवाद

शब्दों के आधार पर अनुवाद करना ही शब्दानुवाद कहलाता है। यह अनुवाद प्राचीन काल में किया जाता था। यह अनुवाद त्रुटिपूर्ण हो सकता है परंतु यह तकनीक और पारिभाषिक शब्दावली में काफी कार्यरत सिद्ध होता है। उदाहरण के लिए विज्ञान, रक्षा, रसायन, बैंक, विधि आदि ।

4. भावानुवाद

स्त्रोत सामग्री में स्थित शब्दों पदों वाक्यों अनुच्छेदों आदि के परे उस सामग्री में व्यक्त भावों को समझकर अनुवाद करना भावानुवाद कहलाता है। इस अनुवाद में सृजनात्मकता की प्रतिभा का प्रभाव दिखाई देता है। इसमें केवल दो भाषाओं की जानकारी नहीं बल्कि मूल सामग्री और लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्ति की क्षमता का महत्व बढ़ जाता है ।

5. छायानुवाद

इसे समझने के लिए पहले इसके अर्थ को समझ लेना जरूरी है। "छाया" का अर्थ है धुंधला। इसे हम फीका या अपारदर्शी भी कह सकते हैं। अतः "छायानुवाद" में केवल मूल कृति के भावों को या शब्द के महत्व को अच्छी तरह से समझने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार के अनुवाद मूल के निकट नहीं होते।

6. व्याख्यानुवाद

अनुवादों के विभिन्न प्रकारों में यह अनुवाद सर्वश्रेष्ठ कहा जा सकता है। व्याख्या शब्द से ही इस बात की गंभीरता का पता चल जाता है। व्याख्या का अर्थ है दिए गए विषय को सफाई के साथ वाक्य-दर-वाक्य को समझाना। मूल सामग्री का संपूर्ण विश्लेषण करना और उदाहरण देते हुए समझाना ।

7. रूपांतरण

रूपांतरण का अर्थ है मूल कृति के परिवेश, वातावरण, विभिन्न परिस्थितियों, स्वरूप आदि को समकालीन समय अथवा आवश्यकतानुसार बदल देना। यदि मूल सामग्री का परिवेश वर्तमान समय से मेल नहीं खाता है तो रूपांतरण करना आवश्यक हो जाता है।

8. आशु अनुवाद

इसे अंग्रेजी में "shorthand" कहते हैं। यह अनुवाद गंभीर कार्यों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। राष्ट्रों, राजनेताओं, वैज्ञानिकों, व्याख्याकारों, अर्थशास्त्रियों, खिलाड़ियों आदि के महत्वपूर्ण भाषणों को तत्काल प्रसार करने के लिए इस प्रकार के अनुवाद विशेष लाभकारी सिद्ध होते हैं।

9. आदर्श अनुवाद

आदर्श अनुवाद भी कुछ-कुछ व्याख्यानुवाद के समान होता है। यह मूल सामग्री के निकट होता है। यहां पर अनुवाद अपने मन से मूल सामग्री में न कुछ जोड़ने का प्रयास करता है।

10. यांत्रिक अनुवाद

आज के युग में यांत्रिक अनुवाद की मांग बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है। तकनीकी, विज्ञान, औद्योगिकी आदि क्षेत्रों में यह कार्य तेजी पकड़ता जा रहा है। यांत्रिक अनुवाद साहित्य के क्षेत्र में उतना उपयोगी नहीं होता। इस अनुवाद में मनुष्य की भावनाएं प्रमुख नहीं होती हैं।

इस तरह समझा जा सकता है अनुवाद के कौन से प्रकार किन-किन क्षेत्रों में काम आते हैं। अनुवाद का क्षेत्र व्यापक है। अनुवाद सभी भाषाओं के मध्य एक सेतु का कार्य करता है। अनुवाद के कारण ही संसार के सारे देश एक दूसरे के निकट आते जा रहे हैं। इसी के कारण विश्व में आदान-प्रदान की प्रक्रिया मजबूत होती जा रही है।

प्रश्न उत्तर

प्रश्न 6. अनुवाद के विभिन्न प्रकारों के बारे में समझाइए?

उत्तर :

अनुवाद एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। इसे अच्छी तरह समझने के लिए इसका वर्गीकरण करना आवश्यक हो जाता है। जिस प्रकार किसी भी विस्तृत विषय का अध्ययन बिना विभाजन के करना कठिन हो जाता है। उसी प्रकार अनुवाद को भी विद्वानों ने कई भागों में बांटने का प्रयास किया है। यहां पर हम अनुवाद के महत्वपूर्ण प्रकारों को समझने का प्रयास करेंगे।

1. **काव्यानुवाद:** किसी कविता का अनुवाद करना काव्यानुवाद कहलाता है। यह किसी एक पद्य भाग का भी हो सकता है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि काव्यानुवाद को पद्यानुवाद कहा जाता है। काव्य का अनुवाद करना बहुत ही कठिन कार्य है । कविता को किसी और शैली में बदल कर लिखना सरल नहीं है।

2. **नाटकानुवाद:** काव्यानुवाद के समान ही नाटकानुवाद में कई कठिनाइयां आती हैं। साहित्य की सभी विधाओं जैसे कविता, कहानी, उपन्यास, एकांकी आदि का नाटक के रूप में अनुवाद करना आसान कार्य नहीं है। इसी प्रकार से नाटक को दूसरी विधाओं में रूपांतरण करके लिखना भी कठिन है। इस अनुवाद में विशेष रूप से रंगमंच के कारण में विशेष परेशानी होती है।

3. **शब्दानुवाद:** शब्दों के आधार पर अनुवाद करना ही शब्दानुवाद कहलाता है। यह अनुवाद प्राचीन काल में किया जाता था। यह अनुवाद त्रुटिपूर्ण हो सकता

है परंतु यह तकनीक और पारिभाषिक शब्दावली में काफी कार्यरत सिद्ध होता है। उदाहरण के लिए विज्ञान, रक्षा, रसायन, बैंक, विधि आदि ।

4. **भावानुवाद:** स्त्रोत सामग्री में स्थित शब्दों पदों वाक्यों अनुच्छेदों आदि के परे उस सामग्री में व्यक्त भावों को समझकर अनुवाद करना भावानुवाद कहलाता है। इस अनुवाद में सृजनात्मकता की प्रतिभा का प्रभाव दिखाई देता है। इसमें केवल दो भाषाओं की जानकारी नहीं बल्कि मूल सामग्री और लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्ति की क्षमता का महत्व बढ़ जाता है ।

5. **छायानुवाद:**-इसे समझने के लिए पहले इसके अर्थ को समझ लेना जरूरी है। "छाया" का अर्थ है धुंधला। इसे हम फीका या अपारदर्शी भी कह सकते हैं। अतः "छायानुवाद" में केवल मूल कृति के भावों को या शब्द के महत्व को अच्छी तरह से समझने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार के अनुवाद मूल के निकट नहीं होते।

6. **व्याख्यानुवाद:**- अनुवादों के विभिन्न प्रकारों में यह अनुवाद सर्वश्रेष्ठ कहा जा सकता है। व्याख्या शब्द से ही इस बात की गंभीरता का पता चल जाता है। व्याख्या का अर्थ है दिए गए विषय को सफाई के साथ वाक्य-दर-वाक्य को समझाना। मूल सामग्री का संपूर्ण विश्लेषण करना और उदाहरण देते हुए समझाना ।

7. **रूपांतरण:-** रूपांतरण का अर्थ है मूल कृति के परिवेश, वातावरण, विभिन्न परिस्थितियों, स्वरूप आदि को समकालीन समय अथवा आवश्यकतानुसार बदल देना। यदि मूल सामग्री का परिवेश वर्तमान समय से मेल नहीं खाता है तो रूपांतरण करना आवश्यक हो जाता है।

8. **आशु अनुवाद:-** इसे अंग्रेजी में "shorthand" कहते हैं। यह अनुवाद गंभीर कार्यों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। राष्ट्रों, राजनेताओं, वैज्ञानिकों, व्याख्याकारों, अर्थशास्त्रियों, खिलाड़ियों आदि के महत्वपूर्ण भाषणों को तत्काल प्रसार करने के लिए इस प्रकार के • अनुवाद विशेष लाभकारी सिद्ध होते हैं।

9. **आदर्श अनुवाद:-** आदर्श अनुवाद भी कुछ-कुछ व्याख्यानुवाद के समान होता है। यह मूल सामग्री के निकट होता है। यहां पर अनुवाद अपने मन से मूल सामग्री में न कुछ जोड़ने का प्रयास करता है।

10. **यांत्रिक अनुवाद:-** आज के युग में यांत्रिक अनुवाद की मांग बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है। तकनीकी, विज्ञान, औद्योगिकी आदि क्षेत्रों में यह कार्य तेजी पकड़ता जा रहा है। यांत्रिक अनुवाद साहित्य के क्षेत्र में उतना उपयोगी नहीं होता। इस अनुवाद में मनुष्य की भावनाएं प्रमुख नहीं होती हैं।

    इस तरह समझा जा सकता है अनुवाद के कौन से प्रकार किन-किन क्षेत्रों में काम आते हैं। अनुवाद का क्षेत्र व्यापक है। अनुवाद सभी भाषाओं के मध्य एक सेतु का कार्य करता है। अनुवाद के कारण ही संसार के सारे देश एक दूसरे के निकट आते जा रहे हैं। इसी के कारण विश्व में आदान-प्रदान की प्रक्रिया मजबूत होती जा रही है।

प्रश्न 7. आदर्श अनुवाद किसे कहते हैं?

उत्तर :

आदर्श अनुवाद भी कुछ-कुछ व्याख्यानुवाद के समान होता है। यह मूल सामग्री के निकट होता है। यहां पर अनुवाद अपने मन से मूल सामग्री में न कुछ जोड़ने का प्रयास करता है।आदर्श अनुवाद कहते है।

प्रश्न 8. आशु अनुवाद किसे कहते है ?

उत्तर :

इसे अंग्रेजी में “shorthand” कहते हैं। यह अनुवाद गंभीर कार्यों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। राष्ट्रों, राजनेताओं, वैज्ञानिकों, व्याख्याकारों, अर्थशास्त्रियों, खिलाड़ियों आदि के महत्वपूर्ण भाषणों को तत्काल प्रसार करने के लिए इस प्रकार के अनुवाद विशेष लाभकारी सिद्ध होते हैं।

प्रश्न 9. व्याख्यानुवाद से क्या तात्पर्य है ?

उत्तर :

अनुवादों के विभिन्न प्रकारों में यह अनुवाद सर्वश्रेष्ठ कहा जा सकता है। व्याख्या शब्द से ही इस बात की गंभीरता का पता चल जाता है। व्याख्या का अर्थ है दिए गए विषय को सफाई के साथ वाक्य-दर-वाक्य को समझाना। मूल सामग्री का संपूर्ण विश्लेषण करना और उदाहरण देते हुए समझाना ।

प्रश्न 10. काव्यनुवाद किसे कहते है ?

उत्तर :

किसी कविता का अनुवाद करना काव्यानुवाद कहलाता है। यह किसी एक पद्य भाग का भी हो सकता है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि काव्यानुवाद को पद्यानुवाद कहा जाता है। काव्य का अनुवाद करना बहुत ही कठिन कार्य है । कविता को किसी और शैली में बदल कर लिखना सरल नहीं है।

4. अनुवादक के गुण

वर्तमान समय में अनुवाद की सीमाएं बहुत विस्तृत हो गई हैं। अनुवाद का कार्य व्यापक हो गया है। यह किसी एक संस्था या देश से संबंधित नहीं होता बल्कि सारे विश्व को आपस में बांधकर रखने का एक शक्तिशाली साधन है। एक अनुवादक तभी सफल हो सकता है जब वह चहुमुखी प्रतिभा संपन्न हो । उसमें एक आलोचक, न्यायाधीश, विश्लेषक, दूरदृष्टिगामी, सर्वज्ञाता आदि सभी प्रकार की क्षमता होनी चाहिए। अतः अनुवादक के गुणों को हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत जान सकते हैं

1. मूलनिष्ठता का निर्वाह

एक अनुवादक के लिए सबसे अनिवार्य है कि वह अनुवाद सामग्री की मूलनिष्ठता को बनाए रखे। उसके अर्थ, भाव और उद्देश्य से तनिक भी विचलित न हो। ऐसा करने पर ही वह सफल अनुवादक की भूमिका निभा सकता है। कभी-कभी छोटे से छोटे मूल शब्द की अनदेखी अर्थ का अनर्थ कर डालती है। जैसे गोदान उपन्यास में सिंदूर शब्द का प्रयोग हुआ है। चूँकि यह शब्द किसी प्रांत विशेष और

बोली का मूल शब्द है अतः इसकी मूलनिष्ठता के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। कई बारदेखा गया है कि कुछ अनुवादक इसी शब्द के लिए अंग्रेजी में रेड चिल्ली पाउडर शब्द का प्रयोग करते हुए पाए गए हैं। इस तरह के प्रयोग अर्थ का अनर्थ कर सकते हैं।

2. स्रोत भाषा एवं लक्ष्य भाषा में निपुणता

स्रोत भाषा का अर्थ ऐसी भाषा से है जिसका हमें अनुवाद करना है। लक्ष्य भाषा का अर्थ ऐसी भाषा है जिसमें हमें अनुवाद करना है। यदि आप हिंदी से तेलुगु में अनुवाद करते हैं तो ऐसे संदर्भ में हिंदी स्रोत भाषा और तेलुगु लक्ष्यभाषा कहलाएगी। इसलिए किसी भी अनुवादक को चाहिए कि उसे स्रोतभाषा और लक्ष्यभषा के समान और परिपक्व ज्ञान हो । यदि वह किसी भी एक भाषा में कमजोर पाया जाता है तो अनूदित सामग्री प्रभावित होती है।

3. बोधगम्यता एवं संप्रेषणीयता

एक अनुवादक में बोधगम्यता एवं संप्रेषणीयता का गुण उच्च कोटि का होना चाहिए। यहाँ बोधगम्यता का अर्थ अनूदित सामग्री को समझाने का स्तर । जबकि संप्रेषणीयता का अर्थ है अनूदित सामग्री का सरल व सुगम ढंग से आदान-प्रदान करना । उदाहरण के लिए वाल्मीकि रामायण ग्रंथ का कई भाषाओं में अनुवाद हुआ किंतु सभी अनुवाद बोधगम्यता एवं संप्रेषणीयत के स्तर पर एक समान नहीं था । कोई कम तो कोई अधिक था । बोधगम्यता एवं संप्रेषणीयता का पैमाना उसकी सरलता, सहजता तथा सुगमता से होती है।

4. विषय का विशिष्ट ज्ञान

अनुवाद करने के लिए मात्र स्रोतभाषा और लक्ष्यभाषा का ज्ञान होना पर्याप्त नहीं होता । उदाहरण के लिए यदि कोई अनुवादक अर्थशास्त्र की शब्दावली पर पूरी पकड़ रखता है तो उसका अर्थशास्त्री अनुवाद किसी अन्य विषय की अपेक्षा उच्च कोटि होगा । यही कारण है कि अलग-अलग विषयों के लिए भिन्न-भिन्न अनुवादकों की आवश्यकता पड़ती है। खेल विशेषज्ञ अनुवादक से विज्ञान विषयक अनुवाद

करवायेगे तो उसका अनुवाद स्तरहीन ही होगा। इसका कारण अनुवादक के पास विज्ञान विषयक शब्दावली का विशिष्ट ज्ञान न होना है।

5. विभिन्न विषयों का ज्ञान

अनुवादक में विभिन्न विषयों का सामान्य ज्ञान अनिवार्य रूप से होना चाहिए । उदाहरण के लिए यदि कोई हिंदी भाषी अनुवादक किसी अन्य भाषा की खेल संबंधी कहानी का अनुवाद कर रहा है तो उसे खेल से संबंधित शब्दावली का औसत ज्ञान होना चाहिए । अन्यथा वह अनुवाद करते समय भारी चूक कर सकता है। जैसे अंग्रेजी में क्रिकेट शब्दावली के अंतर्गत लेग बिफोर द विकेट कहा जाता है तो उसका हिंदी अनुवाद विकेट के सामने पैर नहीं करना चाहिए। वहाँ उसे पगबाधा शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए । इसके लिए अनुवादक से खेल संबंधी विषय की औसत जानकारी की अपेक्षा की जाती है।

6. विषय के अनुरूप भाषा विधान

मान लीजिए महात्मा गांधी के बारे में कोई जानकारी गुजराती से हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं तो वहाँ संयत भाषा का प्रयोग करना चाहिए। चूंकि हम जानते हैं कि महात्मा गांधी अत्यंत शांतिप्रिय व्यक्तित्व के थे, इसीलिए उनके बारे में उसी प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जबकि सुभाष चंद्र बोस या भगत सिंह संबंधी विषय के बारे में अनुवाद कर रहे हैं तो उनके व्यक्तित्व के अनुरूप ओजस्वी भाषा का उपयोग करना चाहिए । इसीलिए अनुवादक विषय के अनुरूप भाषा विधान आना चाहिए।

7. अभिव्यक्ति पर पूर्ण नियंत्रण

अनुवादक को चाहिए कि वह अभिव्यक्ति पर पूर्ण नियंत्रण रखे । वह चाहे जितना बड़ा विद्वान हो किंतु अपनी विद्वत्ता का प्रयोग अनुवाद के समय दिखावे के रूप में नहीं करना चाहिए । ऐसा करने से उसे बचना चाहिए। अनुवाद की सीमा होती है। इसमें अपनी इच्छानुसार कुछ भी कहने की छूट नहीं होती। स्रोतभाषा में जो पूछा जाता है उसे ही लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में अनुवादक

को चाहिए कि वह अपनी अभिव्यक्ति पर पूर्ण नियंतत्रण रखे। कभी-कभी किसी नेता के आक्रामक भाषण का अनुवाद करना पड़ता है, ऐसी स्थिति में अनुवादक को चाहिए कि वह स्वयं की अभिव्यक्ति पर नियंत्रण बरते और नेता के भाषण का ही अनुवाद करे । उसमें वह अपनी ओर कुछ भी जोड़ने से बचना चाहिए। यदि वह ऐसा करने में विफल होता है तो उसकी अभिव्यक्ति अनियंत्रित होने की पूरी संभावना बनी रहती है।

8. जीवन का व्यापक और गहरा अनुभव

कोई भी अनुवादक रातोंरात सफल अनुवादक नहीं बन सकता । अनुवाद एक कला है। यह जीवन भर के परिश्रम के बाद प्राप्त होता है। किसी भी अनुवादक के प्रारंभिक अनुवाद उसके प्रौढ़ जीवन के अनुवाद से भिन्न होते हैं। इसका स्पष्ट कारण है जीवन का व्यापक और गहरा अनुभव। इसीलिए कहा जाता है कि जो अनुवादक जीवन का व्यापक और गहरा अनुभव रखता है उसका अनुवाद कार्य अधिक सम्मान पाता है।

9. निष्ठा एवं अभ्यास की आवश्यकता

करत-करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान इसका अर्थ है कि बार-बार के अभ्यास से मूर्ख भी विद्‌वान बन सकता है। ठीक उसी तरह बार-बार के अनुवाद कार्य के अभ्यास और उसके प्रति निष्टा से आप कमतर या औसतन अनुवादक से उच्च कोटि के अनुवादक बन सकते हैं। इसीलिए किसी भी अनुवादक को चाहिए कि वह निरंतर अभ्यास कर तथा उसके प्रति सच्ची निष्ठा का प्रदर्शन करें।

10. शुद्ध तथा प्रवाहमयी भाषा का प्रयोग

अनुवादक को चाहिए कि वह अनुवाद करते समय शुद्ध तथा प्रवाहमयी भाषा का प्रयोग करें। मान लीजिए विज्ञान विषय में पानी शब्द का प्रयोग करना है तो वहाँ पानी कहने के बजाए जल कहना चाहिए। देखा गया है कि पानी शब्द का उपयोग जनसामान्य के प्रयोग को दर्शाता है। अतः विज्ञान में जल शब्द का प्रयोग शुद्ध कहलाएगा। प्रवाहमयी का अर्थ है कि बिना किसी गतिरोध के सरल, सुगम और सुबोध

शब्दों का प्रयोग करना । ऐसा करने से अनूदित सामग्री का पठन-पाठन प्रवाहमयी बनता है।

अनुवादक को एक मार्गदर्शक की भी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है । इस प्रकार एक अनुवादक को कई कसौटियों से गुजरना होता है। उपर्युक्त सारे गुण पर ही एक अच्छा और सच्चा अनुवादक उत्पन्न होता है।

प्रश्न उत्तर

प्रश्न 11. अनुवादक के प्रमुख उत्तरदायित्व पर संक्षेप में लिखिए?

उत्तर :

अनुवादक के प्रमुख उत्तरदायित्व निम्नलिखित दिये गए है।

1. अनुवादक को उन भाषाओ का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, जिस भाषा का वह अनुवाद करने जा रहा है और साथ ही जिस भाषा मे अनुवाद किया जाना है।
2. अनुवादक को सरल शब्दो का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसे आम जन समझ सके।
3. अनुवादक को शब्दो या वाक्यांश को अनुवाद करते समय तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत ना करें।
4. अनुवादक को संत सरल स्वभाव का होना चाहिए ।
5. अनुवादक को भाषा के व्याकरण का भी ज्ञान होना चाहिए ।

प्रश्न 12. सफल अनुवादक के गुणों की चर्चा कीजिए ?

उत्तर :

भूमंडलीकरण के इस वर्तमान समय में अनुवाद की सीमाएं बहुत विस्तृत हो गई हैं। अनुवाद का कार्य व्यापक हो गया है। यह किसी एक संस्था या देश से संबंधित नहीं होता बल्कि सारे विश्व को आपस में बांधकर रखने का एक शक्तिशाली साधन है। एक अनुवादक तभी सफल हो सकता है जब वह चहुमुखी प्रतिभा संपन्न हो । उसमें एक आलोचक, न्यायाधीश, विश्लेषक, दूरदृष्टिगामी, सर्वज्ञाता आदि सभी

प्रकार की क्षमता होनी चाहिए। अतः अनुवादक के गुणों को हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत जान सकते हैं-

1. **मूलनिष्ठता का निर्वाह:-** एक अनुवादक के लिए सबसे अनिवार्य है कि वह अनुवाद सामग्री की मूलनिष्ठता को बनाए रखे। उसके अर्थ, भाव और उद्देश्य से तनिक भी विचलित न हो। ऐसा करने पर ही वह सफल अनुवादक की भूमिका निभा सकता है। कभी-कभी छोटेसे छोटे मूल शब्द की अनदेखी अर्थ का अनर्थ कर डालती है। जैसे गोदान उपन्यास में सिंदूर शब्द का प्रयोग हुआ है। चूँकि यह शब्द किसी प्रांत विशेष और बोली का मूल शब्द है अतः इसकी मूलनिष्ठता के साथ छेड़ छाड़ नहीं करना चाहिए। कई बार देखा गया है कि कुछ अनुवादक इसी शब्द के लिए अंग्रेजी में रेड चिल्ली पाउडर शब्द का प्रयोग करते हुए पाए गए हैं। इस तरह के प्रयोग अर्थ का अनर्थ कर सकते हैं।

2. **स्रोत भाषा एवं लक्ष्य भाषा में निपुणता:-**स्रोत भाषा का अर्थ ऐसी भाषा से है जिसका हमें अनुवाद करना है। लक्ष्य भाषा का अर्थ ऐसी भाषा है जिसमें हमें अनुवाद करना है। यदि आप हिंदी से तेलुगु में अनुवाद करते हैं तो ऐसे संदर्भ में हिंदी स्रोत भाषा और तेलुगु लक्ष्यभाषा कहलाएगी। इसलिए किसी भी अनुवादक को चाहिए कि उसे स्रोतभाषा और लक्ष्यभषा का समान और परिपक्व ज्ञान हो । यदि वह किसी भी एक भाषा में कमजोर पाया जाता है तो अनूदित सामग्री प्रभावित होती है।

3. **बोधगम्यता एवं संप्रेषणीयता:**- एक अनुवादक में बोधगम्यता एवं संप्रेषणीयता का गुण उच्च कोटि का होना चाहिए। यहाँ बोधगम्यता का अर्थ अनूदित सामग्री को समझाने का स्तर । जबकि संप्रेषणीयता का अर्थ है अनूदित सामग्री का सरल व सुगम ढंग से आदान-प्रदान करना । उदाहरण के लिए वाल्मीकि रामायण ग्रंथ का कई भाषाओं में अनुवाद हुआ किंतु सभी अनुवाद बोधगम्यता एवं संप्रेषणीयत के स्तर पर एक समान नहीं था । कोई कम तो कोई अधिक था । बोधगम्यता एवं संप्रेषणीयता का पैमाना उसकी सरलता, सहजता तथा सुगमता से होती है।

4. **विषय का विशिष्ट ज्ञानः-** अनुवाद करने के लिए मात्र स्रोतभाषा और लक्ष्यभाषा का ज्ञान होना पर्याप्त नहीं होता । उदाहरण के लिए यदि कोई अनुवादक अर्थशास्त्र की शब्दावली पर पूरी पकड़ रखता है तो उसका अर्थशास्त्री अनुवाद किसी अन्य विषय की अपेक्षा उच्च कोटि होगा । यही कारण है कि अलग-अलग विषयों के लिए भिन्न-भिन्न अनुवादकों की आवश्यकता पड़ती है। खेल विशेषज्ञ अनुवादक से विज्ञान विषयक अनुवाद से करवायेंगे तो उसका अनुवाद स्तरहीन ही होगा। इसका कारण अनुवादक के पास विज्ञान विषयक शब्दावली का विशिष्ट ज्ञान न होना है।

5. **विभिन्न विषयों का ज्ञानः-** अनुवादक में विभिन्न विषयों का सामान्य ज्ञान अनिवार्य रूप से होना चाहिए । उदाहरण के लिए यदि कोई हिंदी भाषी अनुवादक किसी अन्य भाषा की खेल संबंधी कहानी का अनुवाद कर रहा है तो उसे खेल से संबंधित शब्दावली का औसत ज्ञान होना चाहिए । अन्यथा वह अनुवाद करते समय भारी चूक कर सकता है। जैसे अंग्रेजी में क्रिकेट शब्दावली के अंतर्गत लेग बिफोर द विकेट कहा जाता है तो उसका हिंदी अनुवाद विकेट के सामने पैर नहीं करना चाहिए। वहाँ उसे पगबाधा शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए । इसके लिए अनुवादक से खेल संबंधी विषय की औसत जानकारी की अपेक्षा की जाती है।

6. **विषय के अनुरूप भाषा विधानः-** मान लीजिए महात्मा गांधी के बारे में कोई जानकारी गुजराती से हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं तो वहाँ संयत भाषा का प्रयोग करना चाहिए। चूंकि हम जानते हैं कि महात्मा गांधी अत्यंत शांतिप्रिय व्यक्तित्व के थे, इसीलिए उनके बारे में उसी प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जबकि सुभाष चंद्र बोस या भगत सिंह संबंधी विषय के बारे में अनुवाद कर रहे हैं तो उनके व्यक्तित्व के अनुरूप ओजस्वी भाषा का उपयोग करना चाहिए । इसीलिए अनुवादक विषय के अनुरूप भाषा विधान आना चाहिए।

7. **अभिव्यक्ति पर पूर्ण नियंत्रण:** अनुवादक को चाहिए कि वह अभिव्यक्ति पर पूर्ण नियंत्रण रखे । वह चाहे जितना बड़ा विद्वान हो किंतु अपनी विद्वत्ता का प्रयोग अनुवाद के समय दिखावे के रूप में नहीं करना चाहिए । ऐसा करने से उसे बचना चाहिए। अनुवाद की सीमा होती है। इसमें अपनी इच्छानुसार कुछ भी कहने की छूट नहीं होती। स्रोतभाषा में जो पूछा जाता है उसे ही लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में अनुवादक को चाहिए कि वह अपनी अभिव्यक्ति पर पूर्ण नियंत्रण रखे। कभी-कभी किसी नेता के आक्रामक भाषण का अनुवाद करना पड़ता है, ऐसी स्थिति में अनुवादक को चाहिए कि वह स्वयं की अभिव्यक्ति पर नियंत्रण बरते और नेता के भाषण का ही अनुवाद करे । उसमें वह अपनी ओर कुछ भी जोड़ने से बचना चाहिए। यदि वह ऐसा करने में विफल होता है तो उसकी अभिव्यक्ति अनियंत्रति होने की पूरी संभावना बनी रहती है।

8. **जीवन का व्यापक और गहरा अनुभवः-** कोई भी अनुवादक रातोंरात सफल अनुवादक नहीं बन सकता । अनुवाद एक कला है। यह जीवन भर के परिश्रम के बाद प्राप्त होता है। किसी भी अनुवादक के प्रारंभिक अनुवाद उसके प्रौढ़ जीवन के अनुवाद से भिन्न होते हैं। इसका स्पष्ट कारण है जीवन का व्यापक और गहरा अनुभव। इसीलिए कहा जाता है कि जो अनुवादक जीवन का व्यापक और गहरा अनुभव रखता है उसका अनुवाद कार्य अधिक सम्मान पाता है।

9. **निष्ठा एवं अभ्यास की आवश्यकताः-** करत-करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान इसका अर्थ है कि बार-बार के अभ्यास से मूर्ख भी विद्वान बन सकता है। ठीक उसी तरह बार-बार के अनुवाद कार्य के अभ्यास और उसके प्रति निष्टा से आप कमतर या औसतन अनुवादक से उच्च कोटि के अनुवादक बन सकते हैं। इसीलिए किसी भी अनुवादक को चाहिए कि वह निरंतर अभ्यास कर तथा उसके प्रति सच्ची निष्ठा का प्रदर्शन करें।

10. शुद्ध तथा प्रवाहमयी भाषा का प्रयोग:- अनुवादक को चाहिए कि वह अनुवाद करते समय शुद्ध तथा प्रवाहमयी भाषा का प्रयोग करें। मान लीजिए विज्ञान विषय में पानी शब्द का प्रयोग करना है तो वहाँ पानी कहने के बजाए जल कहना चाहिए। देखा गया है कि पानी शब्द का उपयोग जनसामान्य के प्रयोग को दर्शाता है। अतः विज्ञान में जल शब्द का प्रयोग शुद्ध कहलाएगा। प्रवाहमयी का अर्थ है कि बिना किसी गतिरोध के सरल, सुगम और सुबोध शब्दों का प्रयोग करना । ऐसा करने से अनूदित सामग्री का पठन-पाठन प्रवाहमयी बनता है।

अनुवादक को एक मार्गदर्शक की भी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है । इस प्रकार एक अनुवादक को कई कसौटियों से गुजरना होता है। उपर्युक्त सारे गुण पर ही एक अच्छा और सच्चा अनुवादक उत्पन्न होता है।

5. व्यावहारिक अनुवाद और अभ्यास

व्यावहारिक अनुवादके कुछ नमूने दिए गए हैं- एक अच्छा अनुवादक बनने के लिए अभ्यास करना अति आवश्यक होता है। जब तक अनुवाद की प्रक्रिया को व्यवहार में लाया नहीं जाता तब तक यह कार्य संभव नहीं। इसीलिए हम ऐसे हिंदी और अंग्रेजी अनुच्छेद दे रहे हैं जिसका अनुवाद करने का प्रयास बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा।

1. किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किए गए प्रयत्नों का नाम ही परिश्रम है । परिश्रम वह गुण है जिससे मनुष्य सफलता की ऊँची चोटी तक पहुँच सकता है। परिश्रम का दामन थाम कर ही वह अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। बिना परिश्रम और पुरुषार्थ के जीवन में सफलता एवं घोर निराशा का मुख देखना पड़ता है।

   परिश्रम दो प्रकार का होता है। एक शारीरिक परिश्रम और दूसरा मानसिक । समाज के उत्थान के लिए दोनों प्रकार के परिश्रम का महत्व है। शारीरिक परिश्रम से उत्पादन में सहायता मिलती है तो मानसिक परिश्रम से ज्ञान विज्ञान तथा कला कौशल को आगे बढ़ाने में सहायता होती है। मानव जीवन

में इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है । यह वह शक्ति है जो दुर्बल को सबल और राजा को रंक बना सकती है । परिश्रम के लगातार अभ्यास से मनुष्य किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। "ईश्वर उसकी सहायता करता है जो अपनी सहायता आप करते हैं।"

1. The name of the efforts made for achieving any objecttive is diligence. The man who can reach the highest peak of success he can achieve his goal by his hard work. Without efforts he has to face great disappointment. He has see the face of failure.

There are two kinds of hard work. One is physical labour and the other is mental. Importance of both kinds of labour for the up liftment of society. Mental exortion knowledge helps in advancing knowledge science and art skills. Production helps in physical work. It is very much needed in human life.

It is the power that strengthens the weak and weakens the powerful. On the strength of continuous of hard work human beings can achieve success in any field through practice "God helps those who help themselves".

2. छात्रों में अनुशासनहीनता का भाव बढ़ता ही जा रहा है। हड़तालें, तोड़ फोड़, हिंसक उपद्रव, सार्वजनिक संपत्ति का नाश, पढ़ाई का नाश, मूल्यवान समय की हानि जैसी बातें छात्रों और सामान्य मनुष्य पर भी असर करने लगी है। छात्र विद्या प्राप्ति के लक्ष्य से दूर होते जा रहे हैं। उन्हें केवल प्रमाण पत्रों जैसे पेपर के टुकड़े से ही मतलब रह गया है। समाज तथा राष्ट्र की हानि अक्षम्य अपराध है। आज के छात्र कल के नेता हैं। छात्र समाज के निर्माता हैं। राष्ट्र का निर्माण तो अनुशासन में रहकर ही किया जा सकता है।

यौवनावस्था में उमंग और उत्साह का होना स्वभाविक है। इस अवस्था में नेतृत्व का चाव होना भी सहज है। परंतु युवाओं को जोश में होश रखना भी आवश्यक है। इसके लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद आदि को ध्यान में रखना आवश्यक हो जाता है।

विद्यार्थी का प्रथम लक्ष्य यह है कि अध्ययन करके एक अच्छे भविष्य का निर्माण करना होना चाहिए। व्यक्तित्व का विकास समाज और राष्ट्र के प्रति

कर्तव्य पालन से होता है । इसमें माता-पिता और गुरुजनों के अनुभवों का सम्मान अत्यधिक आवश्यक है।

3. 19 नवंबर 1835 को वाराणसी में झांसी लक्ष्मी बाई का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम मोरोपंत और माता का नाम भागीरथी बाई था। ये परिवार ब्राह्मण कुल का था । लक्ष्मी बाई का जन्म का नाम मणिकर्णिका था । इसीलिए इन्हें मनु बाई के नाम से भी पुकारा जाता था। नाना जी के पुत्र धोंडूपंत और भाई राव साहब के साथ लक्ष्मी बाई की शिक्षा प्राप्ति हुई। ये युद्ध विद्या में भी कुशल हो गई। इनका विवाह महाराज गंगाधर राव से हुआ। विवाह के बाद ही मनु बाई से इनका नाम लक्ष्मी बाई पड़ा। लक्ष्मीबाई और गंगाधर का एक पुत्र था। परंतु बहुत जल्दी इसकी मृत्यु हो गई । इसके बाद लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को गोद लिया। परंतु अंग्रेजों ने इस बात को नहीं माना । जैसे ही गंगाधर राव की मृत्यु हुई अंग्रेजों ने लक्ष्मीबाई से झांसी छीन ली । परंतु रानी लक्ष्मीबाई ने कभी अंग्रेजों के सामने हार नहीं मानी और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में वीरता के साथ लड़ी। इस प्रकार उन्होंने अपना राज्य वापस अंग्रेजों से छीन लिया। परंतु सर ह्यूम रोज की विशाल सेना ने झांसी पर पुनः अधिकार कर लिया। इसके बाद झांसी की रानी ने साहस, स्फूर्ती और चालाकी दिखाते हुए ग्वालियर के किले पर अपना अधिकार कर लिया। इस पर अंग्रेजों ने फिर उन पर हमला किया परंतु रानी ने कभी हार नहीं मानी और लड़ते-लड़ते अमर हो गई।

4. In modern society people are facing serious problems that have impacted negatively on their lives. These problems are social, economic and political problems. This problems have led to the de teriorating development in many countries of the world. The situation is severe in 3rd world countries.

The problems have caused immense suffering to the people living in countries and huge amounts of money is being used in ad dressing the problems. The outcome has been vicious circle of poverty among the several countries. The societal problems encountered today may be either natural or artificial. The most serious ones

include poverty disease [Corona, cancer, HIV Aids diabetes malar ial etc.] child abuse and molestation, drug abuse, corruption and racial discrimination, inequality, economic problems such as unemployment, rapid population growth and infant mortality among others.

5. Leo Tolstoy was a Russian author whose classic novels include "War and Peace" and "Anna Karenina". He was born on August 28 1828 at Yasnya Polyona, in Tula Province. His parents died when he was a child and he was brought up by relatives. In 1844 Tolstoy started his studies of law and Oriental language at Kazan university. But he never took a degree. Dissatisfied with the standard of education he returned in the middle of his studies back to YasnyaPolyona and then spent much of his time in Moscow and Saint Petersburg. Tolstoy was treated for venereal disease in 1847 and for most of the rest of his life was troubled by his tendency to the debauch himself on a grand scale after contacting heavy gam bling debts. Tolstoy complain his elder brother to the Caucasus in 1851. In 1850's he begin his literacy career, publishing the auto or biographical tribgy Childhood. Boyhood and Youth. In 1857 Tolstoy visited France, Switzerland and Germany to learn more about society and how to reform it. He believed that the secret of changing the world lay in education.

प्रश्न उत्तर

प्रश्न 13. व्यावहारिक अनुवाद किसे कहते हैं?

उत्तर :

एक अच्छा अनुवादक बनने के लिए अभ्यास करना अति आवश्यक होता है। जब तक अनुवाद की प्रक्रिया को व्यवहार में लाया नहीं जाता तब तक यह कार्य संभव नहीं।और अनुवाद करते समय आने वाली समस्यायों को व्यावहारिक अनुवाद कहते है । अनुवादक को भाषा का ज्ञान तो होना ही चाहिए परंतु उसे तटस्थ रहना भी आवश्यक है। जहाँ शब्दानुवाद के स्थान पर भावानुवाद होना है उसे भी ध्यान रखे। व्याकरणिक अशुद्धियों को भी भली-भांति समझना आवश्यक है।

एक व्याकरणिक उदाहरण: जैसे आपको अमरीका के संदर्भ में 'विदेश मंत्री' शब्द का अनुवाद आपको करना है तो आप उसे Minister of External Affairs नहीं लिख सकते। आपको ज्ञान होना चाहिए कि अमरीका में विदेश मंत्री को Secretary of States कहा जाता है।

प्रश्न 14. दिए गए गद्यांश का हिंदी,अंग्रेजी अथवा तेलुगु में अनुवादकीजिए?

उत्तर :

हिन्दी में अनुवाद

किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किए गए प्रयत्नों का नाम ही परिश्रम है। परिश्रम वह गुण है जिससे मनुष्य सफलता की ऊँची चोटी तक पहुँच सकता है। परिश्रम का दामन थाम कर ही वह अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। बिना परिश्रम और पुरुषार्थ के जीवन में सफलता एवं घोर निराशा का मुख देखना पड़ता है।

परिश्रम दो प्रकार का होता है। एक शारीरिक परिश्रम और दूसरा मानसिक । समाज के उत्थान के लिए दोनों प्रकार के परिश्रम का महत्व है। शारीरिक परिश्रम से उत्पादन में सहायता मिलती है तो मानसिक परिश्रम से ज्ञान विज्ञान तथा कला कौशल को आगे बढ़ाने में सहायता होती है। मानव जीवन में इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है । यह वह शक्ति है जो दुर्बल को सबल और राजा को रंक बना सकती है । परिश्रम के लगातार अभ्यास से मनुष्य किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। "ईश्वर उसकी सहायता करता है जो अपनी सहायता आप करते हैं।"

अंग्रेजी में अनुवाद

The name of the efforts made for achieving any objective is diligence. The man who can reach the highest peak of success he can achieve his goal by his hard work. Without efforts he has to face great disappointment. He has see the face of failure.

There are two kinds of hard work. One is physical labour and the other is mental. Importance of both kinds of labour for the up liftment of society. Mental exortion knowledge helps in advancing knowledge science and art skills. Production helps in physical work. It is very much needed in human life.

It is the power that strengthens the weak and weakens the powerful. On the strength of continuous of hard work human beings can achieve success in any field through practice "God helps those who help themselves".

तेलुगू में अनुवाद :

ఏదైనా లక్ష్య సాధన కోసం చేసే ప్రయత్నాల పేరు కఠోర శ్రమ. కష్టపడి పనిచేయడం అనేది ఒక వ్యక్తి విజయం యొక్క అత్యున్నత శిఖరాన్ని చేరుకోగల గుణమే. కష్టపడి పనిచేయడం ద్వారా మాత్రమే అతను తన లక్ష్యాన్ని సాధించగలడు. కఠోర శ్రమ, శ్రమ లేకుండా జీవితంలో విజయం, నిరాశా నిస్పృహల ముఖాన్ని చూడాలి.

శ్రమ రెండు రకాలు. ఒకటి శారీరక శ్రమ, రెండోది మానసిక శ్రమ. సమాజాభివృద్ధి కి రెండు రకాల శ్రమలు ముఖ్యమైనవి. శారీరక శ్రమ ఉత్పత్తికి సహాయపడుతుంది, మానసిక శ్రమ జ్ఞానం, విజ్ఞానం మరియు కళా నైపుణ్యాలను అభివృద్ధి చేయడంలో సహాయపడుతుంది మానవ జీవితంలో ఇది చాలా అవసరం. బలహీనులను బలవంతులను, రాజును శ్రేణిగా చేయగల శక్తి అది. నిరాశా ని స్పృహల కా ముఖాన్ని ఏ రంగంలోనైనా విజయం, లతా సాధించగలడు. "దేవుడు తమకు తాము సహాయం చేసుకునే వారికి సహాయం చేస్తుంది"

प्रश्न 15. दिए गए गद्यांश का हिंदी, अंग्रेजी अथवा तेलुगु में अनुवादकीजिए?

उत्तर :

हिन्दी में अनुवाद

छात्रों में अनुशासनहीनता का भाव बढ़ता ही जा रहा है। हड़तालें, तोड़ फोड़, हिंसक उपद्रव, सार्वजनिक संपत्ति का नाश, पढ़ाई का नाश, मूल्यवान समय की हानि जैसी बातें छात्रों और सामान्य मनुष्य पर भी असर करने लगी है। छात्र विद्या प्राप्ति के लक्ष्य से दूर होते जा रहे हैं। उन्हें केवल प्रमाणपत्रों जैसे पेपर के टुकड़े से ही मतलब रह गया है। समाज तथा राष्ट्र की हानि अक्षम्य अपराध है। आज के छात्र कल के नेता हैं। छात्र समाज के निर्माता हैं। राष्ट्र का निर्माण तो अनुशासन में रहकर ही किया जा सकता है।

यौवनावस्था में उमंग और उत्साह का होना स्वभाविक है। इस अवस्था में नेतृत्व का चाव होना भी सहज है। परंतु युवाओं को जोश में होश रखना भी आवश्यक है। इसके लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद आदि को ध्यान में रखना आवश्यक हो जाता है।

विद्यार्थी का प्रथम लक्ष्य यह है कि अध्ययन करके एक अच्छे भविष्य कानिर्माण करना होना चाहिए। व्यक्तित्व का विकास समाज और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य पालन से होता है । इसमें माता-पिता और गुरुजनों के अनुभवों का सम्मान अत्यधिक आवश्यक है।

अंग्रेजी में अनुवाद :

The feeling of indiscipline is increasing among the students. Strikes vandalism, violent disturbances, destruction of public property, destruction of studies, wastage of valuable time have started affecting the students and the common man as well. Students are getting away from the goal of attaining education. They are only concerned with certificates like a piece of paper. Damage to society and nation is an unforgivable crime. Today's students are tomorrow's leaders. Students are the builders of society. Nation can be built only through discipline.

It is natural to have enthusiasm and enthusiasm in puberty. It is also easy to have a desire for leadership at this stage. But it is also necessary to keep the youth conscious in enthusiasm. For this it becomes necessary to keep in mind Bhagat Singh, Chandrashekhar Azad, Subhash Chandra Bose, Swami Vivekananda etc.

The first goal of the student is to study and make a good future.principles of translationmust be constructed. Development of personality Duties towards society and nationmust be constructed. The development of personality is done by performing duty towards society and nation. It is very important to respect the experiences of parents and teachers.

तेलुगू में अनुवाद

విద్యార్థుల్లో క్రమశిక్షణ రాహిత్యం పెరిగిపోతోంది సమ్మెలు, విధ్వంసం, హింసాత్మక ఆటంకాలు, ప్రభుత్వ ఆస్తు ల విధ్వంసం చదువుల ధ్వంసం, విలువైన సమయం వృధా చేయడం విద్యార్థులతో పాటు సామాన్యులను కూడా ప్రభావితం చేయడం ప్రారంభించింది. విద్యార్థులు

చదువుల లక్ష్యానికి దూరమవుతున్నారు. వారు కాగితం ముక్క వంటి సర్టిఫికేట్లతో మాత్రమే ఆందోళన చెందుతారు. సమాజానికి, దేశానికి నష్టం జరగడం క్షమించరాని నేరం. నేటి విద్యార్థులే రేపటి నాయకులు. విద్యార్థులే సమాజ నిర్మాతలు. క్రమశిక్షణ ద్వారానే దేశ నిర్మాణం సాధ్యమవుతుంది.

యుక్తవయస్సులో ఉత్సాహం మరియు ఉత్సాహం ఉండటం సహజం. ఈ దశలో నాయకత్వం కోసం కోరిక కలిగి ఉండటం కూడా సులభం. అయితే యువతను ఉత్సాహంలో చైతన్యవంతం చేయడం కూడా అవసరం. దీని కోసం భగత్ సింగ్, చంద్రశేఖర్ ఆజాద్, సుభాష్ చంద్రబోస్, స్వామి వివేకానంద మొదలైన వారిని గుర్తుంచుకోవాలి.

प्रश्न 16. दिए गए गद्यांश का हिंदी,अंग्रेजी अथवा तेलुगु में अनुवादकीजिए?

उत्तर :

हिन्दी में अनुवाद

19 नवंबर 1835 को वाराणसी में झांसी लक्ष्मी बाई का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम मोरोपंत और माता का नाम भागीरथी बाई था। ये परिवार ब्राह्मण कुल का था । लक्ष्मी बाई का जन्म का नाम मणिकर्णिका था । इसीलिए इन्हें मनु बाई के नाम से भी पुकारा जाता था। नाना जी के पुत्र धोंडूपंत और भाई राव साहब के साथ लक्ष्मी बाई की शिक्षा प्राप्ति हुई। ये युद्ध विद्या में भी कुशल हो गई। इनका विवाह महाराज गंगाधर राव से हुआ। विवाह के बाद ही मनु बाई से इनका नाम लक्ष्मी बाई पड़ा। लक्ष्मीबाई और गंगाधर का एक पुत्र था। परंतु बहुत जल्दी इसकी मृत्यु हो गई । इसके बाद लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को गोद लिया। परंतु अंग्रेजों ने इस बात को नहीं माना । जैसे ही गंगाधर राव की मृत्यु हुई अंग्रेजों ने लक्ष्मीबाई से झांसी छीन ली । परंतु रानी लक्ष्मीबाई ने कभी अंग्रेजों के सामने हार नहीं मानी और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में वीरता के साथ लड़ी। इस प्रकार उन्होंने अपना राज्य वापस अंग्रेजों से छीन लिया। परंतु सर ह्यूम रोज की विशाल सेना ने झांसी पर पुनः अधिकार कर लिया। इसके बाद झांसी की रानी ने साहस, स्फूर्ती और चालाकी दिखाते

हुए ग्वालियर के किले पर अपना अधिकार कर लिया। इस पर अंग्रेजों ने फिर उन पर हमला किया परंतु रानी ने कभी हार नहीं मानी और लड़ते-लड़ते अमर हो गई।

अंग्रेजी में अनुवाद

Jhansi Lakshmi Bai was born on 19 November 1835 in Varanasi. His father's name was Moropant and mother's name was Bhagirathi Bai. This family was of Brahmin clan. Lakshmi Bai's birth name was Manikarnika. That is why she was also called by the name of Man Bai. Lakshmi Bai's education was received with Nana ji's son Dhondupant and brother Rao Saheb. She also became proficient in warfare. She was married to Maharaja Gangadhar Rao. After marriage, she was named Lakshmi Bai from Manu Bai. Lakshmibai and Gangadhar had a son. But it died very soon. After this Lakshmibai adopted a son. But the British did not accept this. As soon as Gangadhar Rao died, the British snatched Jhansi from Lakshmibai. But Rani Laxmibai never gave up in front of the British and fought bravely in the freedom struggle of 1857. Thus he snatched his kingdom back from the British. But the huge army of Sir Hume Rose recaptured Jhansi. After this, the Rani of Jhansi, showing courage, agility and cunning, captured the fort of Gwalior. On this, the British again attacked her, but the queen never gave up and became immortal while fighting.

तेलुगू में अनुवाद

ఝాన్సీ లక్ష్మీ బాయి 1835 నవంబర్ 19న వారణాసిలో జన్మించారు. అతని తండ్రి పేరు మోరోపంత్ మరియు తల్లి పేరు భాగీరథి బాయి. ఈ కుటుంబం బ్రాహ్మణ వంశానికి చెందినది. లక్ష్మీబాయి పుట్టిన పేరు మణికర్ణిక అందుకే ఆమెను మన్ బాయి అని కూడా పిలిచేవారు. లక్ష్మీ బాయి విద్యాభ్యాసం నానా జీ కుమారుడు ధోండుపంత్ మరియు సోదరుడు రావ్ సాహెబ్‌తో కలిసి సాగింది. ఆమె యుద్ధంలో కూడా ప్రావీణ్యం సంపాదించింది. ఆమె మహారాజు గంగాధరరావుతో వివాహం జరిగింది. వివాహం తరువాత, ఆమెకు మను బాయి నుండి లక్ష్మీ బాయి అని పేరు పెట్టారు. లక్ష్మీబాయి, గంగాధరులకు ఒక కుమారుడు ఉన్నాడు. కానీ అది చాలా త్వరగా మరణించింది. దీని తర్వాత లక్ష్మీబాయి ఒక కొడుకును దత్తత తీసుకుంది. కానీ బ్రిటిష్ వారు దీనిని అంగీకరించలేదు. గంగాధరరావు చనిపోయిన వెంటనే బ్రిటీష్ వారు లక్ష్మీబాయి నుండి ఝాన్సీని లాక్కున్నారు. అయితే రాణి లక్ష్మీబాయి బ్రిటీష్‌వారి ముందు లొంగిపోలేదు మరియు 1857 స్వాతంత్ర్య పోరాటంలో ధైర్యంగా పోరాడారు. ఆ విధంగా అతను బ్రిటిష్ వారి నుండి తన

రాజ్యాన్ని తిరిగి లాక్కున్నాడు. కానీ సర్ హ్యూమ్ రోజ్ యొక్క భారీ సైన్యం ఝాన్సీని తిరిగి స్వాధీనం చేసుకుంది. దీని తరువాత, ఝాన్సీ రాణి, ధైర్యం, చురుకుదనం మరియు చాకచక్యం చూపుతూ, గ్వాలియర్ కోటను స్వాధీనం చేసుకుంది. దీనిపై, బ్రిటీష్ వారు మళ్లీ ఆమెపై దాడి చేశారు, కానీ రాణి ఎప్పుడూ వదల్లే దు మరియు పోరాడుతూ అమరత్వం పొందింది

प्रश्न 17. दिए गए गद्यांश का हिंदी, अंग्रेजी अथवा तेलुगु में अनुवादकीजिए?

उत्तर :

अंग्रेजी में अनुवाद

In modern society people are facing serious problems that have impacted negatively on their lives. These problems are social, economic and political problems. This problems have led to the de teriorating development in many countries of the world. The situation is severe in 3rd world countries.

The problems have caused immense suffering to the people living in countries and huge amounts of money is being used in ad dressing the problems. The outcome has been vicious circle of poverty among the several countries. The societal problems encountered today may be either natural or artificial. The most serious ones include poverty disease [Corona, cancer, HIV Aids diabetes malar ial etc.] child abuse and molestation, drug abuse, corruption and racial discrimination, inequality, economic problems such as unemployment, rapid population growth and infant mortality among others.

हिन्दी में अनुवाद

आधुनिक समाज में लोग गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं जिन्होंने उनके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाला है। ये समस्याएं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याएं हैं। इन समस्याओं ने दुनिया के कई देशों में बिगड़ते विकास को जन्म दिया है। तीसरी दुनिया के देशों में स्थिति गंभीर है।

इन समस्याओं ने देशों में रहने वाले लोगों को अत्यधिक कष्ट पहुँचाया है और समस्याओं के विज्ञापन में भारी मात्रा में धन का उपयोग किया जा रहा है। परिणाम कई देशों के बीच गरीबी का दुष्चक्र रहा है। आज जिन सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, वे प्राकृतिक या कृत्रिम हो सकती हैं। सबसे

गंभीर गरीबी की बीमारी [कोरोना, कैंसर, एच आई वी एड्स मधुमेह मलेरिया आदि] बाल शोषण और छेड़ छाड़, नशीली दवाओं का दुरुपयोग, भ्रष्टाचार और नस्लीय भेद भाव, असमानता, आर्थिक समस्याएं जैसे कि बेरोजगारी, तेजी से जनसंख्या वृद्धि और अन्य लोगों के बीच शिशु मृत्यु दर शामिल हैं।

तेलुगू में अनुवाद

ఆధునిక సమాజంలో ప్రజలు తమ జీవితాలపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపే తీవ్రమైన సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నారు. ఈ సమస్యలు సామాజిక, ఆర్థిక మరియు రాజకీయ సమస్యలు. ఈ సమస్యలు ప్రపంచంలోని అనేక దేశాలలో అభివృద్ధి క్షీణతకు దారితీశాయి 3వ ప్రపంచ దేశాల్లో పరిస్థితి తీవ్రంగా ఉంది

సమస్యల వల్ల దేశాల్లో నివసించే ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు మరియు సమస్యల పరిష్కారానికి భారీ మొత్తంలో డబ్బు వినియోగిస్తున్నారు ఫలితం అనేక దేశాల మధ్య పేదరికం యొక్క విష వలయం. నేడు ఎదుర్కొంటున్న సామాజిక సమస్యలు సహజంగా లేదా కృత్రిమంగా ఉండవచ్చు. అత్యంత తీవ్రమైనవిపేదరిక వ్యాధి [కరోనా, క్యాన్సర్, హెచ్ఐవి ఎయిడ్స్ మధుమేహం మలర్ ఇయల్ మొదలైనవి] పిల్లల దుర్వినియోగం మరియు వేధింపులు, మాదకద్రవ్యాల దుర్వినియోగం, అవినీతి మరియు జాతి వివక్ష, అసమానత, అసమానత, వేగవంతమైన జనాభా పెరుగుదల మరియు ఇతరులలో శిశు మరణాలు వంటి ఆర్థిక సమస్యలు ఉన్నాయి.

प्रश्न 18. दिए गए गद्यांश का हिंदी, अंग्रेजी अथवा तेलुगु में अनुवादकीजिए?

उत्तर :

अंग्रेजी में अनुवाद

Leo Tolstoy was a Russian author whose classic novels include "War and Peace" and "Anna Karenina". He was born on August 28 1828 at Yasnya Polyona, in Tula Province. His parents died when he was a child and he was brought up by relatives. In 1844 Tolstoy started his studies of law and Oriental language at Kazan university. But he never took a degree. Dissatisfied with the standard of education he returned in the

middle of his studies back to Yasnya Polyona and then spent much of his time in Moscow and Saint Petersburg. Tolstoy was treated for venereal disease in 1847 and for most of the rest of his life was troubled by his tendency to the debauch himself on a grand scale after contacting heavy gam bling debts. Tolstoy complain his elder brother to the Caucasus in 1851. In 1850's he begin his literacy career, publishing the auto or biographical tribgy Childhood. Boyhood and Youth. In 1857 Tolstoy visited France, Switzerland and Germany to learn more about society and how to reform it. He believed that the secret of changing the world lay in education.

हिन्दी में अनुवाद

लियो टॉल्स्टॉय एक रूसी लेखक थे जिनके क्लासिक उपन्यासों में "वॉर एंड पीस" और "अन्ना करेनिना" शामिल हैं। उनका जन्म 28 अगस्त 1828 को तुला प्रांत के यास्न्या पोलियोना में हुआ था। जब वह बच्चा था तब उसके माता-पिता की मृत्यु हो गई और उसका पालन-पोषण रिश्तेदारों ने किया। 1844 में टॉल्स्टॉय ने कज़ान विश्वविद्यालय में कानून और प्राच्य भाषा का अध्ययन शुरू किया। लेकिन उन्होंने कभी डिग्री नहीं ली। शिक्षा के स्तर से असंतुष्ट होकर वह अपनी पढ़ाई के बीच में वापस यास्न पोलियोना लौट आए और फिर अपना अधिकांश समय मास्को और सेंट पीटर्सबर्ग में बिताया। टॉल्स्टॉय का 1847 में यौन रोग के लिए इलाज किया गया था और उनके शेष जीवन के लिए भारी जुआ ऋणों से संपर्क करने के बाद खुद को बड़े पैमाने पर डिबॉच की प्रवृत्ति से परेशान किया गया था। टॉल्स्टॉय ने 1851 में अपने बड़े भाई की शिकायत काकेशस में की। 1850 में उन्होंने ऑटो या जीवनी संबंधी ट्रिबगी चाइल्ड हुड को प्रकाशित करते हुए अपना साक्षरता करियर शुरू किया। बचपन और यौवन। 1857 में टॉल्स्टॉय ने फ्रांस, स्विट्जरलैंड और जर्मनी का दौरा किया और समाज के बारे में और इसे सुधारने के तरीके के बारे में और जानने के लिए। उनका मानना था कि दुनिया को बदलने का राज शिक्षा में है।

तेलुगू में अनुवाद

లియో టాల్‌స్టాయ్ ఒక రష్యన్ రచయిత, అతని క్లాసిక్ నవలలలో "వార్ అండ్ పీస్" మరియు "అన్నా కరెనినా" ఉన్నాయి. అతను 1828z ఆగస్టు 28న తులా ప్రావిన్స్‌లోని యస్న్యా పాలియోనాలో జన్మించాడు. చిన్నతనంలోనే తల్లిదండ్రులు చనిపోవడంతో బంధువుల

వద్ద పెరిగారు. 1844 లో టాల్‌స్టాయ్ కజాన్ విశ్వవిద్యాలయంలో న్యాయశాస్త్రం మరియు ప్రాచ్య భాషపై తన అధ్యయనాలను ప్రారంభించాడు. కానీ అతను ఎప్పుడూ డిగ్రీ తీసుకోలేదు. ప్రమాణాలపై అసంతృప్తితో అతను తన చదువు మధ్యలో తిరిగి యస్నాయ పాలియోనాకు తిరిగి వచ్చాడు మరియు మాస్కో మరియు సెయింట్ పీటర్స్‌బర్గ్‌లో ఎక్కువ సమయం గడిపాడు. టాల్‌స్టాయ్ 1847 లో వెనిరియల్ వ్యాధికి చికిత్స పొందాడు మరియు భారీ గామ్ బ్లింగ్ అప్పులను సంప్రదించిన తర్వాత అతని జీవితాంతం పెద్ద ఎత్తున తనను తాను మోసం చేసే ధోరణితో ఇబ్బంది పడ్డాడు టాల్‌స్టాయ్ తన అన్నయ్యను 1851లో కాకసస్‌కు ఫిర్యాదు చేశాడు. 1850 లలో అతను తన అక్షరాస్యత వృత్తిని ప్రారంభించాడు, ఆటో లేదా బయోగ్రాఫికల్ ట్రిల్జీ చైల్డ్‌హుడ్‌ను ప్రచురించాడు. బాల్యం మరియు యువత. 1857 లో టాల్‌స్టాయ్ సమాజాన్ని మరియు దానిని ఎలా సంస్కరించాలో మరింత తెలుసుకోవడానికి ఫ్రాన్స్, స్విట్జర్లాండ్ మరియు జర్మనీలను సందర్శించారు. ప్రపంచాన్ని మార్చే రహస్యం విద్యలోనే ఉందని నమ్మాడు.

लघु और दीर्घ प्रश्न उत्तर

प्रश्न 1. अनुवाद किसे कहते है ?

प्रश्न 2. अनुवाद शब्द का अर्थ क्या है लिखिए ?

प्रश्न 3. अनुवाद की परिभाषाए लिखिए ?

प्रश्न 4. अनुवाद के स्वरूप को समझाइए ?

प्रश्न 5. अनुवाद के महत्व को स्पष्ट रूप से समझाइए?

प्रश्न 6. अनुवाद के विभिन्न प्रकारों के बारे में समझाइए?

प्रश्न 7. आदर्श अनुवाद किसे कहते हैं?

प्रश्न 8. आशु अनुवाद किसे कहते है ?

प्रश्न 9. व्याख्यानुवाद से क्या तात्पर्य है ?

प्रश्न 10. काव्यनुवाद किसे कहा जाता है ?

प्रश्न 11. अनुवादक के प्रमुख उत्तरदायित्व पर संक्षेप में लिखिए?

प्रश्न 12. सफल अनुवादक के गुणों की चर्चा कीजिए ?

प्रश्न 13. व्यावहारिक अनुवाद किसे कहते हैं?

प्रश्न 14. दिए गए गद्यांश का हिंदी, अंग्रेजी अथवा तेलुगु में अनुवादकीजिए?

पत्रकारिता

1. पत्रकारिता का अर्थ, परिभाषाएँ, स्वरूप तथा उद्देश्य

पत्रकारिता आधुनिक सभ्यता का एक प्रमुख व्यवसाय है। इसमें समाचारों का एकत्रीकरण, लेखन, सूचनाओं का एकत्रीकरण कर, संपादित करना और सम्यक प्रस्तुतीकरण आदि शामिल होते हैं। आज के युग में पत्रकारिता के भी अनेक माध्यम हो गये हैं; जैसे - अखबार, पत्रिकाएँ, रेडियो, दूरदर्शन, वेब- पत्रकारिता आदि । बदलते वक्त के साथ बाजारवाद और पत्रकारिता के अंतर संबंधों ने पत्रकारिता की विषय वस्तु तथा प्रस्तुति शैली में व्यापक परिवर्तन किए हैं। वर्तमान और भविष्य की दृष्टि से पत्रकारिता में उज्ज्वल भविष्य की संभावना चाहने वालों के लिए यह बहुत बढ़िया क्षेत्र है । इसके लिए उन्हें पत्रकारिता के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। आगे इसी के बारे में विस्तार से बताया गया है।

पत्रकारिता का अर्थ, परिभाषा, मूल्य, स्वरूप तथा उद्देश्य आज कल हर कोई कुछ ऐसा करना चाहता है जिसमें वह कुछ रचनात्मक कर सके । कुछ ऐसा जो उसके गुणों और योग्यताओं को और भी निखार दे। कुछ ऐसा जो उसके पसंदीदा विषय से जुड़ा हो । पत्रकारिता एक ऐसा विषय है जहाँ पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन अनंत सीमा तक कर सकते हैं।

अर्थ

देश विदेश में घटने वाली घटनाओ को संकलित करके उन्हे समाचार के रूप में संपादित करने की विधा को पत्रकारिता कहते है।

पत्रकारिता शब्द अंग्रेजी के 'जर्नलिज्म' का हिन्दी रूपांतर है। 'जर्नलिज्म' शब्द 'जर्नल' से निर्मित है और इसका अर्थ है 'दैनिकी', 'दैनंदिनी', 'रोजनामा ' अर्थात जिसमें दैनिक कार्यों का विवरण हो। आज जर्नल शब्द 'मैगजीन', 'समाचार पत्र', 'दैनिक अखबार' का घोतक हो गया है। 'जर्नलिज्म' यानी पत्रकारिता का अर्थ समाचार पत्र, पत्रिका से जुड़ा व्यवसाय, समाचार संकलन, लेखन, संपादन, प्रस्तुतीकरण, वितरण आदि होगा। वर्तमान में पत्रकारिता के अनेक माध्यम हो गये हैं, जैसे-अखबार, पत्रिकाएँ,

रेडियो, दूरदर्शन, वेब पत्रकारिता, सोशल मीडिया, इंटरनेट आदि। इसी जर्नलिज्म शब्द को जब हम हिन्दी में लेते हैं तब निष्कर्षत अर्थ निकलता है। जर्नलिज्म को पत्रकारिता कहा जाता है। इसका अर्थ भी लगभग यही है । 'पत्र' से 'पत्रकार' और फिर 'पत्रकारिता' से इसे समझा जा सकता है। 'पत्रकार' का अर्थ समाचार पत्र का संपादक या लेखक। पत्रकारिता' का अर्थ पत्रकार का काम या प्रस्तुता, समाचार के संपादन, समाचार इकट्ठे करने आदि का विवेचन करने वाला कौशल। मानक शब्दकोशों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि पत्र का अर्थ वह कागज या साधन है, जिस पर कोई बात लिखी या छपी हो, जो प्रामाणिक हो, जो किसी घटना के विषय को प्रमाण सहित प्रस्तुत करता हो। पत्रकार का अर्थ उस पत्र, कागज़ को लिखने वाला, संपादन करने वाला होता है।

परिभाषा

पत्रकारिता की परिभाषाएँ इस प्रकार हैं-

सी. जी. मूलर :- "सामयिक ज्ञान का व्यवसाय ही पत्रकारिता है। इसमें तथ्यो की प्राप्ति, उनका मूल्यांकन एवं ठीक-ठाक प्रस्तुतीकरण होता है।"

विखेम स्टीड :- "मैं समझता हूँ कि पत्रकारिता कला भी है वृत्ति भी और जनसेवा भी। जब कोई यह नहीं समझता कि मेरा कर्तव्य अपने पत्र के द्वारा लोगो का ज्ञान बढ़ाना, उनका मार्गदर्शन करना है, तब तक उसे पत्रकारिता की चाहे जितनी ट्रेनिंग दे दी जाए, वह पूर्ण रूपेण पत्रकार नहीं बन सकता।"

जेम्स मैकडोनल्ड :- "पत्रकारिता को मैं रणभूमि से अधिक बड़ी चीज समझता हूँ। यह कोई प्रस्तुता नहीं वरन् प्रस्तुते से ऊँची कोई चीज है। यह एक जीवन है जिसमें मैंने स्वयं को स्वेच्छापूर्वक समर्पित किया।"

डॉ. अर्जुन :- "ज्ञान और विचारो को समीक्षात्मक टिप्पणियो के साथ शब्द, ध्वनि तथा चित्रो के माध्यम से जन-जन तक पहुँचाना ही पत्रकारिता है। यह वह विद्या है जिसमें सभी प्रकार के पत्रकारों के कार्यों, कर्तव्यों और लक्ष्यों का विवेचन होता है। पत्रकारिता समय के साथ-साथ समाज की दिग्दर्शिका और नियामिका है।"

रामकृष्ण रघुनाथ खाडिलकर:- "ज्ञान और विचारों को चित्रों के रूप में दूसरे तक पहुंचाना ही पत्रकला है। छपने वाले लेख समाचार तैयार करना ही पत्रकारितानहीं है। आकर्षक शीर्षक देना, पृष्ठों की आकर्षक बनावट जल्दी से जल्दी समाचार देने की तत्परता, देश-विदेश के प्रमुख उद्योग-धन्धो के विज्ञापन प्राप्त करने की चतुराई, के सुन्दर प्रकाशन और पाठक के हाथों में सबसे जल्दी पत्र पहुंचाना ये सब पत्रकारिता कला के अंतर्गत रखे गए हैं।"

डॉ. बद्रीनाथ :- "पत्रकारिता पत्र-पत्रिकाओं के लिए समाचार लेख आदि एकत्रित करने, सम्पादित करने, प्रकाशन आदेश देने का कार्य है।"

डॉ. शंकरदयाल :- "पत्रकारिता एक प्रस्तुता नहीं है बल्कि यह तो जनता की सेवा का माध्यम है। पत्रकारों को केवल घटनाओं का विवरण ही प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। आम जनता के सामने उसका विश्लेषण भी करना चाहिए । पत्रकारों पर लोकतांत्रिक परम्पराओं की रक्षा करने और शांति एवं भाईचारा बनाए रखने की भी जिम्मेदारी होती है।"

इन्द्रविद्या वाचस्पति :- "पत्रकारिता पांचवाँ वेद है, जिसके द्वारा हम ज्ञान विज्ञान संबंधी बातों को जानकर अपना बंद मस्तिष्क खोलते हैं।"

हिन्दी शब्द सागर :- "पत्रकार का काम या व्यवसाय ही पत्रकारिता है।"

मूल्य

पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। लोकतंत्र में इसका स्थान यूँ ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति पत्रकारिता के दायित्वों को देखते हुए समाज ने ही यह दर्जा दिया है। लोकतंत्र तभी सशक्त होगा जब पत्रकारिता सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति अपनी सार्थक भूमिका निर्वाह करेगी। पत्रकारिता का उद्देश्य ही यह होना चाहिए कि वह प्रशासन और समाज के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी की भूमिका निर्वाह करें। समय के साथ पत्रकारिता का मूल्य बदलता गया है। इतिहास पर नजर डालें तो स्वतंत्रता के पूर्व की पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्ति था । स्वतंत्रता के लिए चले आंदोलन और स्वतंत्रता संग्राम में पत्रकारिता ने

अहम् और सार्थक भूमिका निभाई है। उस दौर में पत्रकारिता ने पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने के साथ-साथ पूरे समाज को स्वाधीनता की प्राप्ति के लक्ष्य से जोड़े रखा।आजादी के बाद निश्चित रूप से इसमें बदलाव अवश्यक हो गए। आज इंटरनेट और सूचना अधिकार ने पत्रकारिता को बहु आयामी और अनंत बना दिया है। । आज कोई भी जानकारी पलक झपकते उपलब्ध हो सकती है। पत्रकारिता पहले से कई गुना सशक्त, स्वतंत्र और प्रभावकारी हो गयी है। अभिव्यक्ति की आजादी और पत्रकारिता की पहुंच का उपयोग सामाजिक सरोकारों और समाज की भलाई के लिए हो रहा है, लेकिन कभी-कभार इसका दुरुपयोग भी हुआ है।

स्वरूप

पत्रकारिता वास्तव में साहित्य की भांति समाज में चलने वाली गतिविधियों एवं क्रियाकलापों का दर्पण है। वह हमारे परिवेश में घट रही प्रत्येक सूचना को हम तक पहुंचाती है। देश-दुनिया में हो रहे नए प्रयोगों, कार्यों आदि के बारे में हमें बताती हैं। यही कारण है कि विद्वानों ने पत्रकारिता को शीघ्रता में लिखा गया इतिहास भी कहा है । जिन लोगों का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का आदान-प्रदान करने तक सीमित है तो वे एकदम गलत है। पत्रकारिता का स्वरूप मात्र समाचार पत्रों के छपने या उसकी जानकारी को लोगों तक पहुंचाना नहीं है। बल्कि वह अलग-अलग चीजों को अपने-अपने ढंग से पाठक के स्तर पर उतर कर प्रस्तुत करने का प्रयास करती है। पाठकों को चेतनशील बनाना और समाज के दायित्वों के प्रति सजग करना इसके स्वरूप का प्रथम व अंतिम लक्ष्य है।

उद्देश्य

पत्रकारिता के उद्देश्य इस प्रकार है-

- विभिन्न मीडिया माध्यमों के जरिए देश के विकास हेतु कुशल जनशक्ति को शिक्षित और प्रशिक्षित करना ।
- विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों के माध्यम से समुदाय का विकास करना। शिक्षाविदों और मीडिया उद्योग के बीच की खाई को भरना।
- हमारे छात्रों का बौद्धिक, अकादमिक और सामाजिक विकास करना ।

- आलोचनात्मक, विश्लेषणात्मक और उत्साहपूर्ण मस्तिष्क तैयार करना, ताकि छात्र अपने व्यावसायिक जीवन में स्वयं अपनी क्षमता और प्रतिभा का उपयोग कर सकें।
- छात्रों में एक व्यावसायिक विशेषज्ञता विकसित करना और उन्हें कौशलपूर्ण पत्रकारिता की ओर आकर्षित कर, जनसंचार माध्यमों में उज्ज्वल भविष्य के अवसर प्रदान करना है।

प्रश्न उत्तर

प्रश्न 1. पत्रकारिता शब्द का अर्थ और परिभाषा की दृष्टि से विश्लेषण कीजिए ।

उत्तर :

पत्रकारिता का अर्थ

देश विदेश में घटने वाली घटनाओ को संकलित करके उन्हे समाचार के रूप में संपादित करने की विधा को पत्रकारिता कहते है।

पत्रकारिता शब्द अंग्रेजी के 'जर्नलिज्म' का हिन्दी रूपांतर है। 'जर्नलिज्म' शब्द 'जर्नल' से निर्मित है और इसका अर्थ है 'दैनिकी', 'दैनंदिनी', 'रोजनामा ' अर्थात जिसमें दैनिक कार्यों का विवरण हो। आज जर्नल शब्द 'मैगजीन', 'समाचार पत्र', 'दैनिक अखबार' का घोतक हो गया है। 'जर्नलिज्म' यानी पत्रकारिता का अर्थ समाचार पत्र, पत्रिका से जुड़ा व्यवसाय, समाचार संकलन, लेखन, संपादन, प्रस्तुतीकरण, वितरण आदि होगा। वर्तमान में पत्रकारिता के अनेक माध्यम हो गये हैं, जैसे-अखबार, पत्रिकाएँ, रेडियो, दूरदर्शन, वेब पत्रकारिता, सोशल मीडिया, इंटरनेट आदि। इसी जर्नलिज्म शब्द को जब हम हिन्दी में लेते हैं तब निष्कर्ष का अर्थ निकलता है। जर्नलिज्म को पत्रकारिता कहा जाता है। इसका अर्थ भी लगभग यही है । 'पत्र' से 'पत्रकार' और फिर 'पत्रकारिता' से इसे समझा जा सकता है। 'पत्रकार' का अर्थ समाचार पत्र का संपादक या लेखक। पत्रकारिता' का अर्थ पत्रकार का काम या प्रस्तुता, समाचार के संपादन, समाचार इकट्ठे करने आदि का विवेचन करने वाला कौशल। मानक शब्दकोशों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि पत्र का अर्थ वह कागज या साधन है, जिस पर कोई

बात लिखी या छपी हो, जो प्रामाणिक हो, जो किसी घटना के विषय को प्रमाण सहित प्रस्तुत करता हो। पत्रकार का अर्थ उस पत्र, कागज़ को लिखने वाला, संपादन करने वाला होता है।

पत्रकारिता की परिभाषाएँ इस प्रकार हैं-

सी. जी. मूलर :-"सामयिक ज्ञान का व्यवसाय ही पत्रकारिता है। इसमेंतथ्यो की प्राप्ति, उनका मूल्यांकन एवं ठीक-ठाक प्रस्तुतीकरण होता है।"

विखेम स्टीड :- "मैं समझता हूँ कि पत्रकारिता कला भी है वृत्ति भी और जनसेवा भी। जब कोई यह नहीं समझता कि मेरा कर्तव्य अपने पत्र के द्वारा लोगो का ज्ञान बढ़ाना, उनका मार्गदर्शन करना है, तब तक उसे पत्रकारिता की चाहे जितनी ट्रेनिंग दे दी जाए, वह पूर्ण रूपेण पत्रकार नहीं बन सकता।"

जेम्स मैकडोनल्ड :- "पत्रकारिता को मैं रणभूमि से अधिक बड़ी चीज समझता हूँ। यह कोई प्रस्तुता नहीं वरन् प्रस्तुते से ऊँची कोई चीज है। यह एक जीवन है जिसमें मैंने स्वयं को स्वेच्छापूर्वक समर्पित किया।"

डॉ. अर्जुन :- "ज्ञान और विचारो को समीक्षात्मक टिप्पणियो के साथ शब्द, ध्वनि तथा चित्रो के माध्यम से जन-जन तक पहुँचाना ही पत्रकारिता है। यह वह विद्या है जिसमें सभी प्रकार के पत्रकारों के कार्यों, कर्तव्यों और लक्ष्यों का विवेचन होता है। पत्रकारिता समय के साथ-साथ समाज की दिग्दर्शिका और नियामिका है।"

रामकृष्ण रघुनाथ खाडिलकर:- "ज्ञान और विचारों को चित्रों के रूप में दूसरे तक पहुंचाना ही पत्रकला है। छपने वाले लेख समाचार तैयार करना ही पत्रकारिता नहीं है। आकर्षक शीर्षक देना, पृष्ठों की आकर्षक बनावट, जल्दी से जल्दी समाचार देने की तत्परता, देश-विदेश के प्रमुख उद्योग-धन्धो के विज्ञापन प्राप्त करने की चतुराई, के सुन्दर प्रकाशन और पाठक के हाथों में सबसे जल्दी पत्र पहुंचाना, ये सब पत्रकारिता कला के अंतर्गत रखे गए हैं।"

डॉ. बद्रीनाथ :- "पत्रकारिता पत्र-पत्रिकाओं के लिए समाचार लेख आदि एकत्रित करने, सम्पादित करने, प्रकाशन आदेश देने का कार्य है।"

डॉ. शंकरदयाल :- "पत्रकारिता एक प्रस्तुता नहीं है बल्कि यह तो जनता की सेवा का माध्यम है। पत्रकारों को केवल घटनाओं का विवरण ही प्रस्तुत नहीं करना चाहिए।

आम जनता के सामने उसका विश्लेषण भी करना चाहिए । पत्रकारों पर लोकतांत्रिक परम्पराओं की रक्षा करने और शांति एवं भाईचारा बनाए रखने की भी जिम्मेदारी होती है।"

इन्द्रविद्या वाचस्पति :- "पत्रकारिता पांचवाँ वेद है, जिसके द्वारा हम ज्ञान विज्ञान संबंधी बातों को जानकर अपना बंद मस्तिष्क खोलते हैं।"

हिन्दी शब्द सागर :- "पत्रकार का काम या व्यवसाय ही पत्रकारिता है।"

प्रश्न 2. पत्रकारिता के मूल्यों पर प्रकाश डालिए ?

उत्तर :

पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। लोकतंत्र में इसका स्थान यूँ ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति पत्रकारिता के दायित्वों को देखते हुए समाज ने ही यह दर्जा दिया है। लोकतंत्र तभी सशक्त होगा जब पत्रकारिता सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति अपनी सार्थक भूमिका निर्वाह करेगी। पत्रकारिता का उद्देश्य ही यह होना चाहिए कि वह प्रशासन और समाज के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी की भूमिका निर्वाह करें। समय के साथ पत्रकारिता का मूल्य बदलता गया है। इतिहास पर नजर डालें तो स्वतंत्रता के पूर्व की पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्ति था । स्वतंत्रता के लिए चले आंदोलन और स्वतंत्रता संग्राम में पत्रकारिता ने अहम् और सार्थक भूमिका निभाई है। उस दौर में पत्रकारिता ने पूरे देशको एकता के सूत्र में बांधने के साथ-साथ पूरे समाज को स्वाधीनता की प्राप्ति के लक्ष्य से जोड़े रखा।आजादी के बाद निश्चित रूप से इसमें बदलाव अवश्यक हो गए। आज इंटरनेट और सूचना अधिकार ने पत्रकारिता को बहु आयामी और अनंत बना दिया है। । आज कोई भी जानकारी पलक झपकते उपलब्ध हो सकती है। पत्रकारिता पहले से भी कई गुना सशक्त, स्वतंत्र और प्रभावकारी हो गयी है। अभिव्यक्ति की आजादी और पत्रकारिता की पहुंच का उपयोग सामाजिक सरोकारों और समाज की भलाई के लिए हो रहा है, लेकिन कभी-कभार इसका दुरुपयोग भी हुआ है।

प्रश्न 3. पत्रकारिता के स्वरूप को विश्लेषित कीजिए।

उत्तर :

पत्रकारिता वास्तव में साहित्य की भांति समाज में चलने वाली गतिविधियाँ एवं क्रियाकलापों का दर्पण है। वह हमारे परिवेश में घट रही प्रत्येक सूचना को हम तक पहुंचाती है। देश-दुनिया में हो रहे नए प्रयोगों, कार्यों आदि के बारे में हमें बताती हैं। यही कारण है कि विद्वानों ने पत्रकारिता को शीघ्रता में लिखा गया इतिहास भी कहा है । जिन लोगों का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का आदान-प्रदान करने तक सीमित है तो वे एकदम गलत है। पत्रकारिता का स्वरूप मात्र समाचार पत्रों के छपने या उसकी जानकारी को लोगों तक पहुंचाना नहीं है। बल्कि वह अलग-अलग चीजों को अपने-अपने ढंग से पाठक के स्तर पर उतर कर प्रस्तुत करने का प्रयास करती है। पाठकों को चेतनाशील बनाना और समाज के दायित्वों के प्रति सजग करना इसके स्वरूप का प्रथम व अंतिम लक्ष्य है।

प्रश्न 4. पत्रकारिता के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर :

पत्रकारिता के उद्देश्य निम्न लिखित है, वे इस प्रकार है -

- शिक्षा स्वास्थ्य, कानून और अन्य सभी क्षेत्रों के लिए परामर्श देना ।
- कृषि, व्यापार, उद्योग, राजनीति और अन्य तमाम क्षेत्रों की जानकारी देना ।
- भरना, लोगो में जागृति फैलाना ।
- विभिन्न मीडिया माध्यमों के जरिए देश के विकास हेतु कुशल जनशक्ति को शिक्षित और प्रशिक्षित करना ।
- विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों के माध्यम से समुदाय का विकास करना। शिक्षाविदों और मीडिया उद्योग के बीच की खाई को भरना।
- हमारे छात्रों का बौद्धिक, अकादमिक और सामाजिक विकास करना ।

- आलोचनात्मक, विश्लेषणात्मक और उत्साहपूर्ण मस्तिष्क तैयार करना, ताकि छात्र अपने व्यावसायिक जीवन में स्वयं अपनी क्षमता और प्रतिभा का उपयोग कर सकें।
- छात्रों में एक व्यावसायिक विशेषज्ञता विकसित करना और उन्हें कौशलपूर्ण पत्रकारिता की ओर आकर्षित कर, जनसंचार माध्यमों में उज्ज्वल भविष्य के अवसर प्रदान करना है।

2. पत्रकारिता का इतिहास

भारत में पत्रकारिता की शुरुआत प्रतिरोध की संस्कृति से हुई । भारतीय पत्रकारिता की जननी बंगाल की धरती ही है। हिंदी पत्रकारिता का जन्म और विकास भी बंगाल की धरती में ही हुआ। भारतीय भाषाओं में पत्रों के प्रकाशन होने के साथ ही भारत में पत्रकारिता की नींव सुदृढ़ बनी थी। इसी बीच हिंदी पत्रकारिता का भी उदय हुआ। यह उल्लेखनीय बात है कि हिंदी पत्रकारिता का उद्गम स्थान बंगाली भाषा-भाषी प्रदेश (कलकत्ता) रहा। भारत में समाचार पत्रों के प्रकाशन का श्रीगणेश अभिव्यक्ति की आज़ादी की उमंगवाले विदेशी उदार वादियों ने किया। इसके पूर्व ही पश्चिमी देशों तथा यूरोपीय देशों में पत्रकारिता की महत्ता को स्वीकारा गया था। हिक्की और बंकिघम के आरंभिक साहसपूर्ण प्रयासों से भारत में पत्रकारिता की नींव पड़ी थी । वैसे यहाँ शिलालेखों, मौखिक आदि रूपों में सूचना संप्रेषण का दौर बहुत पहले शुरु हुआ था, परंतु आधुनिक अर्थों में पत्रकारिता का उदय औपनिवेशिक शासन के दौरान ही हुआ। अंग्रेज़ी शिक्षा की पृष्ठभूमि पर ही जेम्स अगस्टस हिक्की के आरंभिक प्रयास 'हिकीज़ बंगाल गज़ट' अथवा 'कलकत्ता जेनरल अडवर्टेज़र' के रूप में फलीभूत हुआ था। देशी पत्रकारिता के जनक राजा राममोहन राय माने जाते हैं। भारतीय विचारधारा और दर्शन के मर्मज्ञ विद्वान होने के साथ-साथ प्राचीन-नवीन सम्मिश्रण के एक विशिष्ट व्यक्तित्व के रूप में उभरकर उन्होंने एक स्वस्थ परंपरा का सूत्रपात किया । उस समय तक के भारतीय परिवेश में आधुनिक आध्यात्मिकता का स्वर भरने वाले रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, रवींद्रनाथ टैगोर, श्री अरविंद आदि मनीषियों से भारतीय सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में जनजागृति और संप्रेषण माध्यम रूपी पत्रकारिता का उदय हुआ था ।

अंग्रेज़ों के स्वार्थपूर्ण शासन के दौर में भारतीय भाषा पत्रकारिता की नींव पड़ी थी । जनचेतना का संघर्षपूर्ण स्वर उभारने के लक्ष्य से ही पत्रकारिता का उदय हुआ।

पत्रकारिता के उद्भव की स्थितियों एवं कारणों का वर्णन करते पांडेय ने लिखा है - "पत्रकारिता किसी भाषा एवं साहित्य की ऐसी इंद्रधनुषी विद्या है, हुए डॉ. लक्ष्मीकांत जिसमें नाना रंगों का प्रयोग होने पर भी सामरस्य बना रहता है। पत्रकारिता, जहाँ एक ओर समाज के प्रत्येक स्पंदन की माप है, वहीं विकृतियों की प्रस्तोता, आदर्श एवं सुधार के लिए सहज उपचार भी है। पत्रकारिता जहाँ किसी समाज की जागृति का पर्याय है, वहीं उसमें उठ रही ज्वालामुखियों का अविरल प्रवाह उसकी चेतना का प्रतीक भी है। पत्रकारिता एक ओर वैचारिक चिंतन का विराट फलक है, तो दूसरी ओर भावानुकुलता एवं मानवीय संवेदना का अंतहीन स्रोत भी है। पत्रकारिता जनता एवं सत्ता के मध्य यदि सेतु है तो सत्ता के लिए अग्नि शिखा और जनता के लिए संजीवनी है। अतः स्वाभाविक है कि पत्रकारिता का उदय उन्हीं परिस्थितियों में होता है, जब सत्ता एवं जनता के मध्य संवाद की स्थिति नहीं रहती या फिर जब जनता अंधेरे में और सत्ता बहरेपन के अभिनय में लीन रहती है।"

भारत में अंग्रेज़ो की दमनात्मक नीति के विरुद्ध आवाज़ के रूप में स्वाधीनता की प्रबल उमंग ने पत्रकारिता की नींव डाली थी। उसके फलीभूत होने के साथ स्वदेशी भावना का अंकुर भी उगने लगा। कोलकाता में भारतीय भाषा पत्रकारिता के उदय से इन भावनाओं को उपयुक्त आधार मिला था। इस परंपरा में कोलकाता के हिंदी भाषियों के हृदय में भी पत्रकारिता की उमंगें उठने लगीं। अपनी भाषा के प्रति अनुराग और जनजागृति लाने केमहत्वाकांक्षी पं. जुगल किशोर शुक्ल के साहसपूर्ण आरंभिक प्रयासों से हिंदी पत्रकारिता की नींव पड़ी। कलकत्ता (वर्तमान कोलकोता) के कोलू टोला नामक मोहल्ले के 37 नंबर, आमड़तल्ला गली से जुगल किशोर शुक्ल ने सन् 1826 ई. में उदंत मार्तंड नामक हिंदी साप्ताहिक पत्र निकालने का संकल्प लिया। यहाँ यह भी विवेचनीय बात है कि 'उदंत मार्तंड' से पहले भी हिंदी पत्रों का प्रकाशन अस्तित्व में आया था और एक पत्रिका के कुछ पन्नों पर हिंदी को स्थान दिया गया था। "समाचार दर्पण" नामक इस पत्रिका का प्रकाशन भी बंगभूमि से सन् 1819 में हुआ था।

30 मई, 1826 हिंदी पत्रकारिता के इतिहास में उल्लेखनीय तिथि है, इसी दिन सर्वथा मौलिक प्रथम हिंदी पत्र के रूप में उदंत मार्तंड का उदय हुआ था। इसके संपादक और प्रकाशक कानपुर के जुगल किशोर ही थे। पंडित जुगल किशोर शुक्लजी कानपुर के चमनगंज के निकट प्रेम नगर के रहने वाले थे और कोलकाता (तत्कालीन कलकत्ता) के दीवानी न्यायालय में वकालत की प्रैक्टिस करते थे।

देश और हिंदी प्रेम की महत्वकांक्षा और ऊँचे आदर्श से पं. जुगल किशोर ने 'उदंत मार्तंड' का प्रकाशन आरंभ किया था। सरकारी सहयोग के अभाव में, ग्राहकों की कमी आदि प्रतिकूल परिस्थितियों में 4 दिसंबर, 1827 को ही लगभग डेढ़ साल की आयु में हिंदी के प्रथम पत्र का अंत हो गया। समाचार पत्र को गैर-हिंदी भाषी क्षेत्र होने की वजह से पाठक नहीं मिले और सरकार की दमनात्मक नीति ने डाक का उस समय जो पंजीयन होता था, वह नहीं होने दिया।

ध्यान देने वाली बात है कि जिस संपादकीय उद्घोष के साथ उदंत मार्तंड समाप्त हुआ, वह आज भी हिंदी पत्रकारिता के संघर्षपूर्ण अस्तित्व के प्रतीकाक्षरों की पंक्तियों के रूप में उल्लेखनीय हैं।

"आज दिवस लौं उग चुक्यौ मार्तंड उदंत ।

अस्ताचल को जात है दिनकर दिन अंत।।"

पं.जुगल किशोर शुक्ल ने अपनी आंतरिक व्यथा को समेट कर उक्त पंक्तियों की अभिव्यक्ति दी थी। इसके बाद कई प्रयासों से धीरे-धीरे हिंदी पत्रों का प्रकाशन विकास होता रहा। परंतु पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने हार न मानी और वर्ष 1850 में पुनः हिंदी की पत्रिका आरंभ की, जिसका नाम "सामदंड मार्तंड" रखा। यह लंबे समय तक हिंदी पत्रकारिता को जीवित रखे था और इसका प्रकाशन सन् 1919 तक हुआ। इसी परंपरा में जून, 1854 में कोलकाता से ही श्याम सुंदर सेन नामक बंगाली सज्जन के संपादन में हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र प्रकाशित हुआ था। हिंदी पत्रकारिता की जन्मभूमि होने का गौरव-चिह्न कोलकाता के मुकुटमणि के रूप में सदा प्रेरणा की आभा देते हुए हिंदी पत्रकारिता के इतिहास में उल्लेखनीय है ।

कोलकाता से बाहर हिंदी प्रदेश में हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत का श्रेय वाराणसी (काशी) को जाता है। वाराणसी तत्कालीन बनारस से भारत के हिंदी भाषी क्षेत्र का पहला हिंदी अख़बार निकलने वाला हिंदी पत्र 'बनारस अख़बार' था, जिसका प्रकाशन 1845 ई. में काशी में आरंभ हुआ था। इसने हिंदी पत्रकारिता के रूप में सन् 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम पर भी अत्यंत प्रभाव पड़ा था।

आरंभिक हिंदी - पत्रकारिता के आदि उन्नायकों का आदर्श बड़ा था, किंतु साधन-शक्ति सीमित थी । वे नई सभ्यता के संपर्क में आ चुके थे और अपने देश तथा समाज के लोगों को नवीनता से संपृक्त करने की आकुल आकांक्षा रखते थे। उन्हें न तो सरकारी संरक्षण और प्रोत्साहन प्राप्त था और न तो हिंदी-समाज का सक्रिय सहयोग ही सुलभ था। प्रचार-प्रसार के साधन अविकसित थे। संपादक का दायित्व ही बहुत बड़ा था क्योंकि प्रकाशन-संबंधी सभी दायित्व उसी को वहन करना पड़ता था। हिंदी में अभी तक समाचार पत्रों के लिए जमीन तैयार नहीं हुई थी। इसलिए इन्हें हर कदम पर प्रतिकूलता से जूझना पड़ता था और प्रगति के प्रत्येक अगले चरण पर अवरोध का मुक़ाबला करना पड़ता था । तथापि इनकी निष्ठा बड़ी बलवती थी। साधनों की न्यूनता से इनकी निष्ठा सदैव अप्रभावित रही। आर्थिक कठिनाइयों के कारण हिंदी के आदि पत्रकार पं. जुगल किशोर शुक्ल ने 'उदंत मार्तंड' का प्रकाशन बंद कर दिया था किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि आर्थिक कठिनाइयों ने उनकी निष्ठा को ही खंडित कर दिया था । यदि उनकी निष्ठा टूट गई होती तो कदाचित् पुनः पत्रप्रकाशन का साहस न करते । हम जानते हैं कि पं. जुगल किशोर शुक्ल ने 1850 में पुनः 'सामदंड मार्तंड' नाम का एक पत्र प्रकाशित किया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रतिकूल परिस्थिति से लड़ने का उनमें अदम्य उत्साह था। उस युग के पत्रकारों की यह एक सामान्य विशेषता थी। युगीन-चेतना के प्रति ये पत्र सचेत थे और हिंदी-समाज तथा युगीन अभिज्ञता के बीच सेतु का काम कर रहे थे ।

प्रश्न उत्तर

प्रश्न 5. हिंदी पत्रकारिता का इतिहास लिखिए।

उत्तर :

हिन्दी पत्रकारिता का इतिहास निम्न लिखित है -

भारत में पत्रकारिता की शुरुआत प्रतिरोध की संस्कृति से हुई । भारतीय पत्रकारिता की जननी बंगाल की धरती ही है। हिंदी पत्रकारिता का जन्म और विकास भी बंगाल की धरती में ही हुआ। भारतीय भाषाओं में पत्रों के प्रकाशन होने के साथ ही भारत में पत्रकारिता की नींव सुदृढ़ बनी थी। इसी बीच हिंदी पत्रकारिता का भी उदय हुआ। यह उल्लेखनीय बात है कि हिंदी पत्रकारिता का उद्‌गम स्थान बंगाली भाषा-भाषी प्रदेश (कलकत्ता) रहा। भारत में समाचार पत्रों के प्रकाशन का श्रीगणेश अभिव्यक्ति की आज़ादी की उमंगवाले विदेशी उदार वादियों ने किया। इसके पूर्व ही पश्चिमी देशों तथा यूरोपीय देशों में पत्रकारिता की महत्ता को स्वीकारा गया था। हिक्की और बंकिघम के आरंभिक साहसपूर्ण प्रयासों से भारत में पत्रकारिता की नींव पड़ी थी । वैसे यहाँ शिलालेखों, मौखिक आदि रूपों में सूचना संप्रेषण का दौर बहुत पहले शुरु हुआ था, परंतु आधुनिक अर्थों में पत्रकारिता का उदय औपनिवेशिक शासन के दौरान ही हुआ। अंग्रेज़ी शिक्षा की पृष्ठभूमि पर ही जेम्स अगस्टस हिक्की के आरंभिक प्रयास 'हिकीज़ बंगाल गज़ट' अथवा 'कलकत्ता जेनरल अडवर्टेज़र' के रूप में फलीभूत हुआ था। देशी पत्रकारिता के जनक राजा राममोहन राय माने जाते हैं। भारतीय विचारधारा और दर्शन के मर्मज्ञ विद्‌वान होने के साथ-साथ प्राचीन-नवीन सम्मिश्रण के एक विशिष्ट व्यक्तित्व के रूप में उभरकर उन्होंने एक स्वस्थ परंपरा का सूत्रपात किया । उस समय तक के भारतीय परिवेश में आधुनिक आध्यात्मिकता का स्वर भरने वाले रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, रवींद्रनाथ टैगोर, श्री अरविंद आदि मनीषियों से भारतीय सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में जनजागृति और संप्रेषण माध्यम रूपी पत्रकारिता का उदय हुआ था ।

अंग्रेज़ों के स्वार्थपूर्ण शासन के दौर में भारतीय भाषा पत्रकारिता की नींव पड़ी थी । जनचेतना का संघर्षपूर्ण स्वर उभारने के लक्ष्य से ही पत्रकारिता का उदय हुआ।

पत्रकारिता के उद्भव की स्थितियों एवं कारणों का वर्णन करते पांडेय ने लिखा है - "पत्रकारिता किसी भाषा एवं साहित्य की ऐसी इंद्रधनुषी विद्या है, डॉ. लक्ष्मीकांत जिसमें नाना रंगों का प्रयोग होने पर भी सामरस्य बना रहता है। पत्रकारिता, जहाँ एक ओर समाज के प्रत्येक स्पंदन की माप है, वहीं विकृतियों की प्रस्तोता, आदर्श एवं सुधार के लिए सहज उपचार भी है। पत्रकारिता जहाँ किसी समाज की जागृति का पर्याय है, वहीं उसमें उठ रही ज्वालामुखियों का अविरल प्रवाह उसकी चेतना का प्रतीक भी है। पत्रकारिता एक ओर वैचारिक चिंतन का विराट फलक है, तो दूसरी ओर भावानुकुलता एवं मानवीय संवेदना का अंतहीन स्रोत भी है। पत्रकारिता जनता एवं सत्ता के मध्य यदि सेतु है तो सत्ता के लिए अग्नि शिखा और जनता के लिए संजीवनी है। अतः स्वाभाविक है कि पत्रकारिता का उदय उन्हीं परिस्थितियों में होता है, जब सत्ता एवं जनता के मध्य संवाद की स्थिति नहीं रहती या फिर जब जनता अंधेरे में और सत्ता बहरेपन के अभिनय में लीन रहती है।"

भारत में अंग्रेज़ो की दमनात्मक नीति के विरुद्ध आवाज़ के रूप में स्वाधीनता की प्रबल उमंग ने पत्रकारिता की नींव डाली थी। उसके फलीभूत होने के साथ स्वदेशी भावना का अंकुर भी उगने लगा। कोलकाता में भारतीय भाषा पत्रकारिता के उदय से इन भावनाओं को उपयुक्त आधार मिला था। इस परंपरा में कोलकाता के हिंदी भाषियों के हृदय में भी पत्रकारिता की उमंगें उठने लगीं। अपनी भाषा के प्रति अनुराग और जन जागृति लाने केमहत्वाकांक्षी पं. जुगल किशोर शुक्ल के साहसपूर्ण आरंभिक प्रयासों से हिंदी पत्रकारिता की नींव पड़ी। कलकत्ता (वर्तमान कोलकोता) के कोलू टोला नामक मोहल्ले के 37 नंबर, आमड़तल्ला गली से जुगल किशोर शुक्ल ने सन् 1826 ई. में उदंत मार्तंड नामक हिंदी साप्ताहिक पत्र निकालने का संकल्प लिया। यहाँ यह भी विवेचनीय बात है कि 'उदंत मार्तंड' से पहले भी हिंदी पत्रों का प्रकाशन अस्तित्व में आया था और एक पत्रिका के कुछ पन्नों पर हिंदी को स्थान दिया गया था। "समाचार दर्पण" नामक इस पत्रिका का प्रकाशन भी बंगभूमि से सन् 1819 में हुआ था।

30 मई, 1826 हिंदी पत्रकारिता के इतिहास में उल्लेखनीय तिथि है, इसी दिन सर्वथा मौलिक प्रथम हिंदी पत्र के रूप में उदंत मार्तंड का उदय हुआ था। इसके संपादक और प्रकाशक कानपुर के जुगल किशोर ही थे। पंडित जुगल किशोर शुक्लजी

कानपुर के चमनगंज के निकट प्रेम नगर के रहने वाले थे और कोलकाता (तत्कालीन कलकत्ता) के दीवानी न्यायालय में वकालत की प्रैक्टिस करते थे।

देश और हिंदी प्रेम की महत्वकांक्षा और ऊँचे आदर्श से पं. जुगल किशोर ने 'उदंत मार्तंड' का प्रकाशन आरंभ किया था। सरकारी सहयोग के अभाव में, ग्राहकों की कमी आदि प्रतिकूल परिस्थितियों में 4 दिसंबर, 1827 को ही लगभग डेढ़ साल की आयु में हिंदी के प्रथम पत्र का अंत हो गया। समाचार पत्र को गैरहिंदी भाषी क्षेत्र होने की वजह से पाठक नहीं मिले और सरकार की दमनात्मक नीति ने डाक का उस समय जो पंजीयन होता था, वह नहीं होने दिया।

ध्यान देने वाली बात है कि जिस संपादकीय उद्घोष के साथ उदंत मार्तंड समाप्त हुआ, वह आज भी हिंदी पत्रकारिता के संघर्षपूर्ण अस्तित्व के प्रतीकाक्षरों की पंक्तियों के रूप में उल्लेखनीय हैं।

"आज दिवस लौं उग चुक्यौ मार्तंड उदंत ।

अस्ताचल को जात है दिनकर दिन अंत" ।।

पं.जुगल किशोर शुक्ल ने अपनी आंतरिक व्यथा को समेट कर उक्त पंक्तियों की अभिव्यक्ति दी थी। इसके बाद कई प्रयासों से धीरे-धीरे हिंदी पत्रों का प्रकाशन विकास होता रहा। परंतु पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने हार न मानी और वर्ष 1850 में पुनः हिंदी की पत्रिका आरंभ की, जिसका नाम "सामदंड मार्तंड" रखा। यह लंबे समय तक हिंदी पत्रकारिता को जीवित रखे था और इसका प्रकाशन सन् 1919 तक हुआ। इसी परंपरा में जून, 1854 में कोलकाता से ही श्याम सुंदर सेन नामक बंगाली सज्जन के संपादन में हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र प्रकाशित हुआ था। हिंदी पत्रकारिता की जन्मभूमि होने का गौरव-चिह्न कोलकाता के मुकुटमणि के रूप में सदा प्रेरणा की आभा देते हुए हिंदी पत्रकारिता के इतिहास में उल्लेखनीय है ।

कोलकाता से बाहर हिंदी प्रदेश में हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत का श्रेय वाराणसी (काशी) को जाता है। वाराणसी तत्कालीन बनारस से भारत के हिंदी भाषी क्षेत्र का पहला हिंदी अख़बार निकलने वाला हिंदी पत्र 'बनारस अख़बार' था, जिसका

प्रकाशन 1845 ई. में काशी में आरंभ हुआ था। इसने हिंदी पत्रकारिता के रूप में सन् 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम पर भी अत्यंत प्रभाव पड़ा था।

आरंभिक हिंदी - पत्रकारिता के आदि उन्नायकों का आदर्श बड़ा था, किंतु साधन-शक्ति सीमित थी । वे नई सभ्यता के संपर्क में आ चुके थे और अपने देश तथा समाज के लोगों को नवीनता से संपृक्त करने की आकुल आकांक्षा रखते थे। उन्हें न तो सरकारी संरक्षण और प्रोत्साहन प्राप्त था और न तो हिंदी-समाज का सक्रिय सहयोग ही सुलभ था। प्रचार-प्रसार के साधन अविकसित थे। संपादक का दायित्व ही बहुत बड़ा था क्योंकि प्रकाशन-संबंधी सभी दायित्व उसी को वहन करना पड़ता था। हिंदी में अभी तक समाचार पत्रों के लिए जमीन तैयार नहीं हुई थी। इसलिए इन्हें हर कदम पर प्रतिकूलता से जूझना पड़ता था और प्रगति के प्रत्येक अगले चरण पर अवरोध का मुक़ाबला करना पड़ता था । तथापि इनकी निष्ठा बड़ी बलवती थी। साधनों की न्यूनता से इनकी निष्ठा सदैव अप्रभावित रही। आर्थिक कठिनाइयों के कारण हिंदी के आदि पत्रकार पं. जुगल किशोर शुक्ल ने 'उदंत मार्तंड' का प्रकाशन बंद कर दिया था किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि आर्थिक कठिनाइयों ने उनकी निष्ठा को ही खंडित कर दिया था । यदि उनकी निष्ठा टूट गई होती तो कदाचित् पुनः पत्रप्रकाशन का साहस न करते । हम जानते हैं कि पं. जुगल किशोर शुक्ल ने 1850 में पुनः 'सामदंड मार्तंड' नाम का एक पत्र प्रकाशित किया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रतिकूल परिस्थिति से लड़ने का उनमें अदम्य उत्साह था। उस युग के पत्रकारों की यह एक सामान्य विशेषता थी। युगीन-चेतना के प्रति ये पत्र सचेत थे और हिंदी-समाज तथा युगीन अभिज्ञता के बीच सेतु का काम कर रहे थे ।

प्रश्न 6: भारतीय पत्रिकारिता में पं. जुगल किशोर की 'उदंत मार्तंड' का क्या योगदान था ?

उत्तर :

भारत में अंग्रेज़ो की दमनात्मक नीति के विरुद्ध आवाज़ के रूप में स्वाधीनता की प्रबल उमंग ने पत्रकारिता की नींव डाली थी। उसके फलीभूत होने के साथ स्वदेशी भावना का अंकुर भी उगने लगा। कोलकाता में भारतीय भाषा पत्रकारिता के उदय से

इन भावनाओं को उपयुक्त आधार मिला था। इस परंपरा में कोलकाता के हिंदी भाषियों के हृदय में भी पत्रकारिता की उमंगें उठने लगीं। अपनी भाषा के प्रति अनुराग और जनजागृति लाने केमहत्वाकांक्षी पं. जुगल किशोर शुक्ल के साहसपूर्ण आरंभिक प्रयासों से हिंदी पत्रकारिता की नींव पड़ी। कलकत्ता (वर्तमान कोलकोता) के कोलू टोला नामक मोहल्ले के 37 नंबर, आमड़तल्ला गली से जुगल किशोर शुक्ल ने सन् 1826 ई. में उदंत मार्तंड नामक हिंदी साप्ताहिक पत्र निकालने का संकल्प लिया। यहाँ यह भी विवेचनीय बात है कि 'उदंत मार्तंड' से पहले भी हिंदी पत्रों का प्रकाशन अस्तित्व में आया था और एक पत्रिका के कुछ पन्नों पर हिंदी को स्थान दिया गया था। “समाचार दर्पण” नामक इस पत्रिका का प्रकाशन भी बंगभूमि से सन् 1819 में हुआ था।

30 मई, 1826 हिंदी पत्रकारिता के इतिहास में उल्लेखनीय तिथि है, इसी दिन सर्वथा मौलिक प्रथम हिंदी पत्र के रूप में उदंत मार्तंड' का उदय हुआ था। इसके संपादक और प्रकाशक कानपुर के जुगल किशोर ही थे। पंडित जुगल किशोर शुक्लजी कानपुर के चमनगंज के निकट प्रेम नगर के रहने वाले थे और कोलकाता (तत्कालीन कलकत्ता) के दीवानी न्यायालय में वकालत की प्रैक्टिस करते थे।

देश और हिंदी प्रेम की महत्वकांक्षा और ऊँचे आदर्श से पं. जुगल किशोर ने 'उदंत मार्तंड' का प्रकाशन आरंभ किया था। सरकारी सहयोग के अभाव में, ग्राहकों की कमी आदि प्रतिकूल परिस्थितियों में 4 दिसंबर, 1827 को ही लगभग डेढ़ साल की आयु में हिंदी के प्रथम पत्र का अंत हो गया। समाचार पत्र को गैर-हिंदी भाषी क्षेत्र होने की वजह से पाठक नहीं मिले और सरकार की दमनात्मक नीति ने डाक का उस समय जो पंजीयन होता था, वह नहीं होने दिया।

ध्यान देने वाली बात है कि जिस संपादकीय उद्घोष के साथ उदंत मार्तंड समाप्त हुआ, वह आज भी हिंदी पत्रकारिता के संघर्षपूर्ण अस्तित्व के प्रतीकाक्षरों की पंक्तियों के रूप में उल्लेखनीय हैं।

“आज दिवस लौं उग चुक्यौ मार्तंड उदंत ।

अस्ताचल को जात है दिनकर दिन अंत।।”

पं. जुगल किशोर शुक्ल ने अपनी आंतरिक व्यथा को समेट कर उक्त पंक्तियों की अभिव्यक्ति दी थी। इसके बाद कई प्रयासों से धीरे-धीरे हिंदी पत्रों का प्रकाशन विकास होता रहा। परंतु पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने हार न मानी और वर्ष 1850 में पुनः हिंदी की पत्रिका आरंभ की, जिसका नाम "सामदंड मार्तंड" रखा। यह लंबे समय तक हिंदी पत्रकारिता को जीवित रखे था और इसका प्रकाशन सन् 1919 तक हुआ। इसी परंपरा में जून, 1854 में कोलकाता से ही श्याम सुंदर सेन नामक बंगाली सज्जन के संपादन में हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र प्रकाशित हुआ था। हिंदी पत्रकारिता की जन्मभूमि होने का गौरव-चिह्न कोलकाता के मुकुटमणि के रूप में सदा प्रेरणा की आभा देते हुए हिंदी पत्रकारिता के इतिहास में उल्लेखनीय है ।

कोलकाता से बाहर हिंदी प्रदेश में हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत का श्रेय वाराणसी (काशी) को जाता है। वाराणसी तत्कालीन बनारस से भारत के हिंदी भाषी क्षेत्र का पहला हिंदी अख़बार निकलने वाला हिंदी पत्र 'बनारस अख़बार' था, जिसका प्रकाशन 1845 ई. में काशी में आरंभ हुआ था। इसने हिंदी पत्रकारिता के रूप में सन् 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम पर भी अत्यंत प्रभाव पड़ा था।

आरंभिक हिंदी - पत्रकारिता के आदि उन्नायकों का आदर्श बड़ा था, किंतु साधन-शक्ति सीमित थी । वे नई सभ्यता के संपर्क में आ चुके थे और अपने देश तथा समाज के लोगों को नवीनता से संपृक्त करने की आकुल आकांक्षा रखते थे। उन्हें न तो सरकारी संरक्षण और प्रोत्साहन प्राप्त था और न तो हिंदी-समाज का सक्रिय सहयोग ही सुलभ था। प्रचार-प्रसार के साधन अविकसित थे। संपादक का दायित्व ही बहुत बड़ा था क्योंकि प्रकाशन-संबंधी सभी दायित्व उसी को वहन करना पड़ता था। हिंदी में अभी तक समाचार पत्रों के लिए जमीन तैयार नहीं हुई थी। इसलिए इन्हें हर कदम पर प्रतिकूलता से जूझना पड़ता था और प्रगति के प्रत्येक अगले चरण पर अवरोध का मुक़ाबला करना पड़ता था । तथापि इनकी निष्ठा बड़ी बलवती थी। साधनों की न्यूनता से इनकी निष्ठा सदैव अप्रभावित रही। आर्थिक कठिनाइयों के कारण हिंदी के आदि पत्रकार पं. जुगल किशोर शुक्ल ने 'उदंत मार्तंड' का प्रकाशन बंद कर दिया था किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि आर्थिक कठिनाइयों ने उनकी निष्ठा को ही खंडित कर दिया था । यदि उनकी निष्ठा टूट गई होती तो

कदाचित् पुनः पत्रप्रकाशन का साहस न करते । हम जानते हैं कि पं. जुगल किशोर शुक्ल ने 1850 में पुनः 'सामदंड मार्तंड' नाम का एक पत्र प्रकाशित किया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रतिकूल परिस्थिति से लड़ने का उनमें अदम्य उत्साह था। उस युग के पत्रकारों की यह एक सामान्य विशेषता थी। युगीन-चेतना के प्रति ये पत्र सचेत थे और हिंदी-समाज तथा युगीन अभिज्ञता के बीच सेतु का काम कर रहे थे ।

प्रश्न 7. भारतीय पत्रकारिता की जननी देश के किस धरती को माना जाता है ?

उत्तर :

भारतीय पत्रकारिता की जननी बंगाल की धरती ही है। हिंदी पत्रकारिता का जन्म और विकास भी बंगाल की धरती में ही हुआ। भारतीय भाषाओं में पत्रों के प्रकाशन होने के साथ ही भारत में पत्रकारिता की नींव सुदृढ़ बनी थी। इसी बीच हिंदी पत्रकारिता का भी उदय हुआ। यह उल्लेखनीय बात है कि हिंदी पत्रकारिता का उद्गम स्थान बंगाली भाषा-भाषी प्रदेश (कलकत्ता) रहा। भारत में समाचार पत्रों के प्रकाशन का श्रीगणेश अभिव्यक्ति की आज़ादी की उमंगवाले विदेशी उदार वादियों ने किया। इसके पूर्व ही पश्चिमी देशों तथा यूरोपीय देशों में पत्रकारिता की महत्ता को स्वीकारा गया था। हिक्की और बंकिघम के आरंभिक साहसपूर्ण प्रयासों से भारत में पत्रकारिता की नींव पड़ी थी । वैसे यहाँ शिलालेखों, मौखिक आदि रूपों में सूचना संप्रेषण का दौर बहुत पहले शुरु हुआ था,परंतु आधुनिक अर्थों में पत्रकारिता का उदय औपनिवेशिक शासन के दौरान ही हुआ। अंग्रेज़ी शिक्षा की पृष्ठभूमि पर ही जेम्स अगस्टस हिक्की के आरंभिक प्रयास 'हिकीज़ बंगाल गज़ट' अथवा 'कलकत्ता जेनरल अडवर्टेज़र' के रूप में फलीभूत हुआ था। देशी पत्रकारिता के जनक राजा राममोहन राय माने जाते हैं। भारतीय विचारधारा और दर्शन के मर्मज्ञ विद्वान होने के साथ-साथ प्राचीन-नवीन सम्मिश्रण के एक विशिष्ट व्यक्तित्व के रूप में उभरकर उन्होंने एक स्वस्थ परंपरा का सूत्रपात किया । उस समय तक के भारतीय परिवेश में आधुनिक आध्यात्मिकता का स्वर भरने वाले रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, रवींद्रनाथ टैगोर, श्री अरविंद आदि मनीषियों से भारतीय सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में जनजागृति और संप्रेषण माध्यम रूपी पत्रकारिता का उदय हुआ था ।

अंग्रेज़ों के स्वार्थपूर्ण शासन के दौर में भारतीय भाषा पत्रकारिता की नींव पड़ी थी । जनचेतना का संघर्षपूर्ण स्वर उभारने के लक्ष्य से ही पत्रकारिता का उदय हुआ।

3. पत्रकारिता का महत्व

पत्रकारिता का क्षेत्र एवं परिधि बहुत व्यापक है। उसे किसी सीमा में बांधा नहीं जा सकता। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हो रही हलचलों, संभावनाओं पर विचार कर एक नई दिशा देने का काम पत्रकारिता के क्षेत्र में दिखाई देता है। पत्रकारिता जीवन के प्रत्येक पहलू पर नजर रखती है। इन अर्थों में उसका क्षेत्र व्यापक है। एक पत्रकार के शब्दों में समाचार पत्र जनता की संसद है, जिसका अधिवेशन सदैव चलता रहता है। ।" इस समाचार पत्र रूपी संसद का कभी सत्रावसान नहीं होता। जिस प्रकार संसद में विभिन्न प्रकार की समस्याओं पर चर्चा की जाती है, विचार-विमर्श किया जाता है, उसी प्रकार समाचार-पत्रों का क्षेत्र भी व्यापक एवं बहुआयामी होता है। पत्रकारिता अनेक जन समस्याओं एवं सवालों से जुड़ी होती है, समस्याओं को प्रशासन के सम्मुख प्रस्तुत कर उस पर बहस को प्रोत्साहित करती है। समाज जीवन के हर क्षेत्र में पत्रकारिता की महत्ता स्वीकारी जा रही है। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, विज्ञान, कला सब क्षेत्र पत्रकारिता के दायरे में हैं। इन संदर्भों में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आर्थिक पत्रकारिता का महत्व और अधिक बढ़ गया है। नई आर्थिक नीतियों के प्रभावों तथा जीवन में कारोबारी दुनिया एवं शेयर मार्केट के बढ़ते हस्तक्षेप ने इसका महत्व बढ़ा दिया है। अनेक प्रमुख पत्र संस्थानों ने इसी के चलते अपने आर्थिक प्रकाशन प्रारंभ कर दिए हैं । इकॉनॉमिक टाइम्स (टाइम्स ऑफ इंडिया), बिजनेस स्टैण्डर्ड (आनंद बाजार पत्रिका), फाइनेंशियल एक्सप्रेस (इंडियन एक्सप्रेस) के प्रकाशकों ने इस क्षेत्र में गंभीरता एवं क्रांति ला दी है। हिंदी-अंग्रेजी में अनेक व्यापार पत्रिकाएँ इकॉनॉमिस्ट, व्यापार भारती, व्यापार जगत, शेयर मार्केट, कैपिटल मार्केट, इन्वेस्टमेंट, मनी आदि नामों से आ रही हैं।

अर्थव्यवस्था प्रधान युग होने के कारण प्रत्येक प्रमुख समाचार्पत्र दो से चार पृष्ठ आर्थिक गतिविधियों के लिए दे रहे हैं। इसमें आर्थिक जगत से जुड़ी घटनाओं, कम्पनी समाचारों, शेयर मार्केट की सूचनाओं, सरकारी नीति में बदलावों, मुद्रा बाजार,

एवं विविध मंडियों से जुड़े समाचार छपते हैं। ऐसे में देश-विदेश के अर्थ जगत से जुड़ी प्रत्येक गतिविधि आर्थिक समाचारों एवं आर्थिक पत्रकारिता का हिस्सा बन गई हैं। राजनीतिक-सामाजिक परिवर्तनों के बाजार एवं अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, इसकी व्याख्या भी आर्थिक पत्रकारिता का विषय क्षेत्र है।

इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों की रिपोर्टिंग के संदर्भ में पत्रकारिता का महत्व बढ़ा है। भारत गाँवों का देश है। देश की अधिकांश आबादी गाँवों में रहती है। अतः देश के गाँवों में रह रहे लाखों-करोड़ों देशवासियों की भावनाओं का विचार कर उनके योग्य एवं उनके क्षेत्र की सामग्री का प्रकाशन पत्रों का नैतिक कर्तव्य है। एक परिभाषा के अनुसार जिन समाचार-पत्रों में 40 प्रतिशत से अधिक सामग्री गाँवों के बारे में, कृषि के बारे में, पशुपालन, बीज, खाद, कीटनाशक, पंचायती राज, सहकारिता के विषयों पर होगी उन्हीं समाचार पत्रों को ग्रामीण माना जाएगा।

समस्त क्षेत्रीय प्रांतीय अखबार आज अपने आंचलिक संस्करण निकाल रहे हैं, पर उनमें भी राजनीतिक खबरों, बयानों का बोलबाला रहता है। इसके बाद भी आंचलिक समाचारों के चलते पत्रकारिता का क्षेत्र व्यापक हुआ है और उसकी महत्ता बढ़ी है।

पत्रकारिता के प्रारम्भिक दौर में घटना को यथातथ्य प्रस्तुत करना ही पर्याप्त माना जाता था । परिवर्तित परिस्थितियों में पाठक घटनाओं के मात्र प्रस्तुतीकरण से संतुष्ट नहीं होता। वह “और कुछ” भी जानना चाहता है। इसी “और” की संतुष्टि के लिए आज संवाददाता घटना की पृष्ठभूमि और कारणों की भी खोज करता है। पृष्ठभूमि के बाद वह समाचार का विश्लेषण भी करता है। टाइम्स ऑफ इंडिया आदि कुछ प्रमुख पत्र नियमित रूप से "समाचार विश्लेषण" जैसे स्तंभों का प्रकाशन भी कर रहे हैं। प्रेस स्वतंत्रता पर अमेरिका के प्रेस आयोग ने यह भी स्वीकार किया था कि अब समाचार के तथ्यों को सत्य रूप से रिपोर्ट करना ही पर्याप्त नहीं वरन् यह भी आवश्यक है कि तथ्य के सम्पूर्ण सत्य को भी प्रकट किया जाए।

पत्रकार का मुख्य कार्य अपने पाठकों को तथ्यों की सूचना देना है। जहाँ संभव हो वहाँ निष्कर्ष भी दिया जा सकता है। अपराध तथा राजनैतिक संवाददाताओं का यह

मुख्य कार्य है । इन सबके साथ सबसे आवश्यक सूचना का प्रसार भी है। आर्थिक सामाजिक जीवन के बारे में तथ्यों का प्रस्तुतीकरण ही पर्याप्त नहीं वरन् उनका प्रसार भी आवश्यक है। गम्भीर विकासात्मक समस्याओं से पाठकों को अवगत कराना भी आवश्यक है। पाठक को सोचने के लिए विवश कर पत्रकार का लेखन संभावित समाधानों की ओर भी संकेत करता है। विकासात्मक लेखन में शोध का भी पर्याप्त महत्व है।

शुद्ध विकासात्मक लेखक के क्षेत्रों को वरिष्ठ पत्रकार राजीव शुक्ल ने 18 भागों में विभक्त किया है - 1. उद्योग, 2. कृषि, शिक्षा और साक्षरता, 3. आर्थिक गतिविधियाँ, 4. नीति और योजना, 5. परिवहन, 6. संचार, 7. जनमाध्यम, 8. ऊर्जा और ईंधन, 9. श्रम व श्रमिक कल्याण, 10. रोजगार, 11. विज्ञान और तकनीक, 12. रक्षा अनुसंधान और उत्पाद तकनीक, 13. परिवार नियोजन, 14. स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाएं, 15. शहरी विकास, 16. ग्रामीण विकास, निर्माण और आवास, तथा 18 पर्यावरण और प्रदूषण

पत्रकारिता के बढ़ते महत्व के क्षेत्रों में आधुनिक समय मे संदर्भ पत्रकारिता अथवा संदर्भ सेवा का विशिष्ट स्थान है। संदर्भ सेवा का तात्पर्य संदर्भ सामग्री की उपलब्धता से है। संपादकीय लिखते समय किसी सामाजिक विषय पर टिप्पणी लिखने के लिए अथवा कोई लेख आदि तैयार करने की दृष्टि से कई बार विशेष संदर्भों की आवश्यकता होती है | ज्ञान-विज्ञान के विस्तार तथा यांत्रिक युग की व्यवस्थाओं में कोई भी पत्रकार प्रत्येक विषय को स्मरण शक्ति के आधार पर नहीं लिख सकता। अतः पाठकों को संपूर्ण जानकारी देने के लिए आवश्यक है कि पत्र-प्रतिष्ठान के पास अच्छा संदर्भ साहित्य संग्रहित हो ।

संसद तथा विधान-मंडल समाचार-पत्रों के लिए प्रमुख स्रोत हैं। इन सदनों की कार्यवाही के दौरान समाचार-पत्रों के पृष्ठ संसदीय समाचारों से भरे रहते हैं। संसद तथा विधानसभा की कार्यवाही में आमजन की विशेष रुचि रहती है। देश तथा राज्य की राजनीतिक, सामाजिक आदि गतिविधियाँ यहाँ की कार्यवाही से प्रकट होती रहती हैं, जिसे समाचार-पत्र ही जनता तक पहुँचा कर उनका पथ-प्रदर्शन करते हैं।

संसदीय कार्यवाही की रिपोर्टिंग के समय विशेष दक्षता और सावधानी की आवश्यकता है। इनसे संबंधित कानूनों तथा संसदीय विशेषाधिकार की जानकारी होना प्रत्येक पत्रकार के लिए आवश्यक है।

खेलों का मानव जीवन से काफी पुराना संबंध है। मनोरंजन तथा स्वास्थ्य की दृष्टि से भी मनुष्य ने इनके महत्व को समझा है। आधुनिक विश्व में विभिन्न देशों के मध्य होने वाली प्रतियोगिताओं के कारण कई खेल व खिलाड़ी लोकप्रिय होने लगे हैं। ओलम्पिक तथा एशियाई आदि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के कारण भी खेलों के प्रति रुचि में विकास हुआ।

कदाचित् ही कोई दिन ऐसा हो जब राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी न किसी प्रतियोगिता का आयोजन नहीं हो रहा है। अतः खेलों के प्रति जन-जन की रुचि को देखते हुए पत्र-पत्रिकाओं में खेलों के समाचार तथा उनसे संबंधित नियमित स्तंभों का प्रकाशन किया जाता है। प्रायः सभी प्रमुख समाचार पत्र पूरा एक पृष्ठ खेल जगत की हलचलों को देते हैं।

आजकल तो खेल खिलाड़ी, खेल युग, खेल हलचल, स्पोर्टस वीक, क्रिकेट - सम्राट आदि अनेक पत्रिकाएँ प्रकाशित हो रही हैं जो विश्व भर की खेल हलचलों को अपने पत्र में स्थान देती हैं।

पत्रकारिता का महत्व छिपे तथ्यों को उजागर करने में स्वीकारा गया है। वह अनेक क्षेत्रों की विशिष्ट सूचनाएँ जनता को बताती हैं। जब जहाँ कोई व्यक्ति या अधिकारी कोई तथ्य छिपाना चाहता हो अथवा कोई तथ्य अनुद्घाटित हो, वहीं अन्वेषणात्मक पत्रकारिता प्रारम्भ हो जाती है। उस समाचार या तथ्य को प्रकाश में लाने के लिए पत्रकार तत्पर हो जाता है।

यदि अन्वेषणात्मक पत्रकारिता सही उद्देश्यों से प्रेरित होकर की जाए तो यह समाज और राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी सेवा हो सकती है। यदि चरित्र-हनन तथा किसी व्यक्ति या संस्था को अपमानित या बदनाम करने की नीयत से ऐसी पत्रकारिता की जाएगी तो वह "कुंठित पत्रकारिता की श्रेणी में आ जाती है।

फिल्में आज हमारे समाज को बहुत प्रभावित कर रही हैं। अतः फिल्मी पत्र पत्रिकाएँ भी पाठक वर्गों में लोकप्रिय हैं। फिल्मों की समीक्षाएँ, फिल्मी कलाकारों के साक्षात्कार, फिल्म निर्माण से जुड़े कलाकारों के साक्षात्कार, फिल्म के विविध कलात्मक एवं तकनीकी पक्षों पर टिप्पणियाँ, फिल्मी पत्रकारिता का ही हिस्सा हैं। हिंदी-अंग्रेजी सहित सभी प्रमुख भाषाओं में फिल्मी पत्रिकाएँ प्रकाशित हो रही हैं। प्रत्येक प्रमुख समाचार पत्र फिल्मों पर केंद्रित रंगीन परिशिष्ट या सामग्री प्रकाशित करता ही है। फिल्मी पत्रकारिता के क्षेत्र में विनोद भारद्वाज, विनोद तिवारी, प्रयाग शुक्ल, राजा दुबे, जयसिंह रघुवंशी जय, राम सिंह ठाकुर, विजय अग्रवाल, ब्रजेश्वर मदान, जयप्रकाश चौकसे, अजय ब्रम्हात्मज, हेमंत शुक्ल, श्रीराम ताम्रकार जैसे अनेक पत्रकार गंभीरता के साथ काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त सिने स्टार, जी स्टार, स्टार डस्ट, फिल्मी कलियाँ, मायापुरी, स्क्रीन, पटकथा, फिल्म फेयर जैसी संपूर्ण फिल्म पत्रिकाएँ प्रकाशित हो रही हैं। इसके अतिरिक्त हिंदी की सभी प्रमुख पत्रिकाएँ इण्डिया टुडे आउटलुक, सरिता, मुक्ता आदि प्रत्येक अंक में फिल्मों पर सामग्री प्रकाशित करती हैं। सारे प्रमुख समाचार पत्रों में सिनेमा पर विविध सामग्री प्रकाशित होती है। इसके चलते फिल्म पत्रकारिता, पत्रकारिता का एक प्रमुख क्षेत्र बनकर उभरी है । इसने पत्रकारिता के महत्व एवं लोकप्रियता में वृद्धि की है ।

पत्रकारिता के महत्व को आज इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों की पत्रकारिता ने बहुत बढ़ा दिया है। इन्होंने समय एवं स्थान की सीमा को चुनौती देकर "सूचना विस्फोट" का युग ला दिया है। इस संदर्भ मे रेडियो पत्रकारिता का बहुत महत्व है। इनके महत्व क्रम में आकाशवाणी के वे कार्यक्रम महत्वपूर्ण हैं, जिनमें समाचार तत्व अधिक रहता है। आकाशवाणी के इन समाचार कार्यक्रमों को तैयार करने में आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग सक्रिय रहता है। इस प्रभाग का कार्य समाचारों का संकलन और प्रसारण करना है। आकाशवाणी के स्थाई और अंशकालिक संवाददाता पूरे देश में हैं । समाचार सेवा प्रभाग प्रतिदिन अपनी गृह प्रादेशिक और वैदेशिक सेवाओं में 36 घंटों से भी अधिक समय में 273 समाचार बुलेटिन प्रसारित करता है। विदेश के प्रमुख

शहरों में भी संवाददाता हैं, जो वहाँ की गतिविधियाँ प्रेषित करते हैं। प्रत्येक घंटे पर समाचार बुलेटिन के प्रसारण से आकाशवाणी जन-मानस को तुष्ट करती है। समाचार दर्शन', समाचार पत्रों से, विधानमण्डल समीक्षा, संसद समीक्षा, जिले और राज्यों की चिट्ठी, रेडियो न्यूज़रील आदि कार्यक्रमों का प्रसारण इसी पत्रकारिता का अंग है। इसके अतिरिक्त सामयिक विषयों पर बहस, परिचर्चा एवं साक्षात्कारों का प्रसारण करके वह अपने श्रोताओं की मानसिक आवश्यकताओं की आपूर्ति करता है।

रेडियो पत्रकारिता आज एक विशेष ज्ञतापूर्ण विधा है। जिसमें पत्रकार सम्पादक को अपने कार्य में सशक्त भूमिका का निर्वहन करना पड़ता है । सीमित अवधि में समाचारों की प्रस्तुति एवं चयन रेडियो पत्रकार की दक्षता को सिद्ध करते हैं । विविध समाचार एवं जानकारी प्रधान कार्यक्रमों के माध्यम से आकाशवाणी समग्र विकास की प्रक्रिया को बढ़ाने में अग्रसर है।

इसी प्रकार टेलीविज़न पत्रकारिता का फलक आज बहुत विस्तृत हो गया है। उपग्रह चैनलों की बढ़ती भीड़ के बीच यह एक प्रतिस्पर्धा एवं कौशल का क्षेत्र बन गया है । आधुनिक संचार-क्रांति में निश्चय ही इसकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता । इसके माध्यम से हमारे जीवन में सूचनाओं का विस्फोट हो रहा है। ग्लोबल विलेज (वैश्विक ग्राम) की कल्पना को साकार रूप देने में यह माध्यम सबसे प्रभावी सिद्ध हुआ है। दृश्य एवं श्रव्य होने के कारण इसकी स्वीकार्यता एवं विश्वसनीयता अन्य माध्यमों से अधिक है। भारत में 1959 ई. में आरंभ दूरदर्शन की विकास यात्रा ने आज सभी संचार माध्यमों को पीछे छोड़ दिया है। दूरदर्शन पत्रकारिता में समाचार संकलन, लेखन एवं प्रस्तुतीकरण संबंधी विशिष्ट क्षमता अपेक्षित होती है। दूरदर्शन संवाददाता घटना का चल चित्रांकन करता है तथा वह परिचयात्मक विवरण हेतु भाषागत सामर्थ्य एवं वाणी की विशिष्ट शैली का मर्मज्ञ होता है। विविध स्रोतों से प्राप्त समाचारों के संपादन का उत्तरदायित्व समाचार संपादक का होता है। वह समाचारों को महत्व क्रम के अनुसार क्रमबद्ध कर सम्पादित करता है तथा इसे समाचार वाचक के समक्ष प्रस्तुत करने योग्य बनाता है । चित्रात्मकता दूरदर्शन का प्राणतत्व है। यह वही तत्व है जो समाचार की विश्वसनीयता एवं स्वीकार्यता को बढ़ाता है। आज निजी टीवी चैनलों में समाचार एवं सूचना प्रधान कार्यक्रमों की होड़

लगी है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सवालों पर परिचर्चाओं एवं बहस का आयोजन होता रहता है। प्रतिस्पर्धा के वातावरण से टेलीविज़न की पत्रकारिता में क्रांति आ गई है और उसकी गुणवत्ता में निरंतर सुधार आ रहा है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्तमान परिवेश में जहाँ प्रेस का दायरा विस्तृत हुआ है, वहीं उसकी महत्ता भी बढ़ी है। वह लोगों के होने और जीने में सहायक बन गया है। देश में जब तक लोकतंत्र रहेगा, उसकी प्राणवत्ता रहेगी, पत्रकारिता का भविष्य उज्ज्वल रहेगा। आज के दौर में बढ़ रही विश्वनीयता के संकट, व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा एवं अनेक दबावों के बावजूद प्रेस का अस्तित्व न तो घटा है, न कम हुआ है। उसकी स्वीकार्यता निरंतर बढ़ रही है, पाठकीयता बढ़ रही है, विविध रुचि की सामग्री आ रही है और अखबारो की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता के क्षेत्र में तो क्रांति सी आ गई है।

पत्रकारिता में पतन मूल्यों के स्तर पर हुआ है। अतः उसके प्रभावों से पत्रकारिता अलग नहीं है । पत्रकारिता साहित्य एवं सुरुचि के संस्कार आज विदा होते दिख रहे हैं। इसके बावजूद अनेक लोग ऐसे भी हैं, जो भाषा एवं अखबार की सामाजिक जिम्मेदारी को लेकर काफी सचेत हैं। संस्थाओं की पत्रिकाएँ बंद होने से एक बार लगा पत्रकारिता की नींव डगमगा रही है। जैसे धर्मयुग, कादंबिनी और नंदन पत्रिकाओं का बंद हो जाना। पर उनके समानांतर क्षेत्रीय अखबारों की सत्ता एक बड़ी शक्ति के रूप में सामने आई है। बाहरी-भीतरी खतरे एवं प्रभावों के बावजूद हमारी पत्रकारिता का प्रगति रथ सदैव बढ़ता नजर आया है। पत्रकारिता ने हर संकट को पार किया है, वह इस संक्रमण से भी अधिक ऊर्जावान एवं अधिक तेजस्वी बनकर सामने आएगी, बशर्ते वह अपनी भूमिका 'जनपक्ष' की बनाए और संकट मोल लेने का साहस पाले। पत्रकारिता से आज भी सामान्य जन की उम्मीदें मरी नहीं हैं।

प्रश्न उत्तर

प्रश्न 8. पत्रकारिता के महत्व को समझाइए।

उत्तर :

पत्रकारिता एक ऐस कलात्मक सेवा कार्य है जिसमें सामायिक घटनाओ को शब्द एवं चित्र के माध्यम से पत्रकार रोज दर्ज करते चलतेहैं तो इसे एक से दैनिक इतिहास लेखन कह जायेगा । यह काम ऊपरी तौर पर बहुत आसान लगता है लेकिन यह इतना आसान होता नहीं । अपनी पूरी स्वतन्त्रता के बावजूद पत्रकारिता सामाजिक और नैतिक मूल्यों से जुड़ी रहती है ।

पत्रकारिता का क्षेत्र एवं परिधि बहुत व्यापक है। उसे किसी सीमा में बांधा नहीं जा सकता। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हो रही हलचलों, संभावनाओं पर विचार कर एक नई दिशा देने का काम पत्रकारिता के क्षेत्र में दिखाई देता है। पत्रकारिता जीवन के प्रत्येक पहलू पर नजर रखती है। इन अर्थों में उसका क्षेत्र व्यापक है। एक पत्रकार के शब्दों में समाचार पत्र जनता की संसद है, जिसका अधिवेशन सदैव चलता रहता है। ।" इस समाचार पत्र रूपी संसद का कभी सत्रावसान नहीं होता। जिस प्रकार संसद में विभिन्न प्रकार की समस्याओं पर चर्चा की जाती है, विचार-विमर्श किया जाता है, उसी प्रकार समाचार-पत्रों का क्षेत्र भी व्यापक एवं बहुआयामी होता है। पत्रकारिता अनेक जनसमस्याओं एवं सवालों से जुड़ी होती है, समस्याओं को प्रशासन के सम्मुखप्रस्तुत कर उस पर बहस को प्रोत्साहित करती है। समाज जीवन के हर क्षेत्र में पत्रकारिता की महत्ता स्वीकारी जा रही है। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, विज्ञान, कला सब क्षेत्र पत्रकारिता के दायरे में हैं। इन संदर्भों में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आर्थिक पत्रकारिता का महत्व और अधिक बढ़ गया है। नई आर्थिक नीतियों के प्रभावों तथा जीवन में कारोबारी दुनिया एवं शेयर मार्केट के बढ़ते हस्तक्षेप ने इसका महत्व बढ़ा दिया है। अनेक प्रमुख पत्र संस्थानों ने इसी के चलते अपने आर्थिक प्रकाशन प्रारंभ कर दिए हैं । इकॉनॉमिक टाइम्स (टाइम्स ऑफ इंडिया), बिजनेस स्टैण्डर्ड (आनंद बाजार पत्रिका), फाइनेंशियल एक्सप्रेस (इंडियन एक्सप्रेस) के प्रकाशकों ने इस क्षेत्र में गंभीरता एवं क्रांति ला दी है। हिंदी-अंग्रेजी में अनेक व्यापार पत्रिकाएँ इकॉनॉमिस्ट, व्यापार भारती,

व्यापार जगत, शेयर मार्केट, कैपिटल मार्केट, इन्वेस्टमेंट, मनी आदि नामों से आ रही हैं।

अर्थव्यवस्था प्रधान युग होने के कारण प्रत्येक प्रमुख समाचास्पत्र दो से चार पृष्ठ आर्थिक गतिविधियों के लिए दे रहे हैं। इसमें आर्थिक जगत से जुड़ी घटनाओं, कम्पनी समाचारों, शेयर मार्केट की सूचनाओं, सरकारी नीति में बदलावों, मुद्रा बाजार, एवं विविध मंडियों से जुड़े समाचार छपते हैं। ऐसे में देश-विदेश के अर्थ जगत से जुड़ी प्रत्येक गतिविधि आर्थिक समाचारों एवं आर्थिक पत्रकारिता का हिस्सा बन गई हैं। राजनीतिक-सामाजिक परिवर्तनों के बाजार एवं अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, इसकी व्याख्या भी आर्थिक पत्रकारिता का विषय क्षेत्र है।

इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों की रिपोर्टिंग के संदर्भ में पत्रकारिता का महत्व बढ़ा है। भारत गाँवों का देश है। देश की अधिकांश आबादी गाँवों में रहती है। अतः देश के गाँवों में रह रहे लाखों-करोड़ों देशवासियों की भावनाओं का विचार कर उनके योग्य एवं उनके क्षेत्र की सामग्री का प्रकाशन पत्रों का नैतिक कर्तव्य है। एक परिभाषा के अनुसार जिन समाचार-पत्रों में 40 प्रतिशत से अधिक सामग्री गाँवों के बारे में, कृषि के बारे में, पशुपालन, बीज, खाद, कीटनाशक, पंचायती राज, सहकारिता के विषयों पर होगी उन्हीं समाचार पत्रों को ग्रामीण माना जाएगा।

समस्त क्षेत्रीय प्रांतीय अखबार आज अपने आंचलिक संस्करण निकाल रहे हैं, पर उनमें भी राजनीतिक खबरों, बयानों का बोलबाला रहता है। इसके बाद भी आंचलिक समाचारों के चलते पत्रकारिता का क्षेत्र व्यापक हुआ है और उसकी महत्ता बढ़ी है।

पत्रकारिता के प्रारम्भिक दौर में घटना को यथा तथ्य प्रस्तुत करना ही पर्याप्त माना जाता था । परिवर्तित परिस्थितियों में पाठक घटनाओं के मात्र प्रस्तुतीकरण से संतुष्ट नहीं होता। वह “और कुछ” भी जानना चाहता है। इसी “और” की संतुष्टि के लिए आज संवाददाता घटना की पृष्ठभूमि और कारणों की भी खोज करता है। पृष्ठभूमि के बाद वह समाचार का विश्लेषण भी करता है। टाइम्स ऑफ इंडिया आदि कुछ प्रमुख पत्र नियमित रूप से "समाचार विश्लेषण" जैसे स्तंभों का प्रकाशन भी कर रहे हैं। प्रेस स्वतंत्रता पर अमेरिका के प्रेस आयोग ने यह भी स्वीकार किया था कि

अब समाचार के तथ्यों को सत्य रूप से रिपोर्ट करना ही पर्याप्त नहीं वरन् यह भी आवश्यक है कि तथ्य के सम्पूर्ण सत्य को भी प्रकट किया जाए।

पत्रकार का मुख्य कार्य अपने पाठकों को तथ्यों की सूचना देना है। जहाँ संभव हो वहाँ निष्कर्ष भी दिया जा सकता है। अपराध तथा राजनैतिक संवाददाताओं का यह मुख्य कार्य है । इन सबके साथ सबसे आवश्यक सूचना का प्रसार भी है। आर्थिक सामाजिक जीवन के बारे में तथ्यों का प्रस्तुतीकरण ही पर्याप्त नहीं वरन् उनका प्रसार भी आवश्यक है। गम्भीर विकासात्मक समस्याओं से पाठकों को अवगत कराना भी आवश्यक है। पाठक को सोचने के लिए विवश कर पत्रकार का लेखन संभावित समाधानों की ओर भी संकेत करता है। विकासात्मक लेखन में शोध का भी पर्याप्त महत्व है।

शुद्ध विकासात्मक लेखक के क्षेत्रों को वरिष्ठ पत्रकार राजीव शुक्ल ने 18 भागों में विभक्त किया है - 1. उद्योग, 2. कृषि, शिक्षा और साक्षरता, 3. आर्थिक गतिविधियाँ, 4. नीति और योजना, 5. परिवहन, 6. संचार, 7. जनमाध्यम, 8. ऊर्जा और ईंधन, 9. श्रम व श्रमिक कल्याण, 10. रोजगार, 11. विज्ञान और तकनीक, 12. रक्षा अनुसंधान और उत्पाद तकनीक, 13. परिवार नियोजन, 14. स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाएं, 15. शहरी विकास, 16. ग्रामीण विकास, निर्माण और आवास, तथा 18 पर्यावरण और प्रदूषण

पत्रकारिता के बढ़ते महत्व के क्षेत्रों में आधुनिक समय मे संदर्भ पत्रकारिता अथवा संदर्भ सेवा का विशिष्ट स्थान है। संदर्भ सेवा का तात्पर्य संदर्भ सामग्री की उपलब्धता से है। संपादकीय लिखते समय किसी सामाजिक विषय पर टिप्पणी लिखने के लिए अथवा कोई लेख आदि तैयार करने की दृष्टि से कई बार विशेष संदर्भों की आवश्यकता होती है | ज्ञान-विज्ञान के विस्तार तथा यांत्रिक युग की व्यवस्थाओं में कोई भी पत्रकार प्रत्येक विषय को स्मरण शक्ति के आधार पर नहीं लिख सकता। अतः पाठकों को संपूर्ण जानकारी देने के लिए आवश्यक है कि पत्र-प्रतिष्ठान के पास अच्छा संदर्भ साहित्य संग्रहित हो ।

संसद तथा विधान-मंडल समाचार-पत्रों के लिए प्रमुख स्रोत हैं। इन सदनों की कार्यवाही के दौरान समाचार-पत्रों के पृष्ठ संसदीय समाचारों से भरे रहते हैं। संसद

तथा विधानसभा की कार्यवाही में आमजन की विशेष रुचि रहती है। देश तथा राज्य की राजनीतिक, सामाजिक आदि गतिविधियाँ यहाँ की कार्यवाही से प्रकट होती रहती हैं, जिसे समाचार-पत्र ही जनता तक पहुँचा कर उनका पथ-प्रदर्शन करते हैं।

संसदीय कार्यवाही की रिपोर्टिंग के समय विशेष दक्षता और सावधानी की आवश्यकता है। इनसे संबंधित कानूनों तथा संसदीय विशेषाधिकार की जानकारी होना प्रत्येक पत्रकार के लिए आवश्यक है।

खेलों का मानव जीवन से काफी पुराना संबंध है। मनोरंजन तथा स्वास्थ्य की दृष्टि से भी मनुष्य ने इनके महत्व को समझा है। आधुनिक विश्व में विभिन्न देशों के मध्य होने वाली प्रतियोगिताओं के कारण कई खेल व खिलाड़ी लोकप्रिय होने लगे हैं। ओलम्पिक तथा एशियाई आदि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के कारण भी खेलों के प्रति रुचि में विकास हुआ।

कदाचित् ही कोई दिन ऐसा हो जब राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी न किसी प्रतियोगिता का आयोजन नहीं हो रहा है। अतः खेलों के प्रति जन-जन की रुचि को देखते हुए पत्र-पत्रिकाओं में खेलों के समाचार तथा उनसे संबंधित नियमित स्तंभों का प्रकाशन किया जाता है। प्रायः सभी प्रमुख समाचार पत्र पूरा एक पृष्ठ खेल जगत की हलचलों को देते हैं।

आजकल तो खेल खिलाड़ी, खेल युग, खेल हलचल, स्पोर्टस वीक, क्रिकेट - सम्राट आदि अनेक पत्रिकाएँ प्रकाशित हो रही हैं जो विश्व भर की खेल हलचलों को अपने पत्र में स्थान देती हैं।

पत्रकारिता का महत्व छिपे तथ्यों को उजागर करने में स्वीकारा गया है। वह अनेक क्षेत्रों की विशिष्ट सूचनाएँ जनता को बताती हैं। जब जहाँ कोई व्यक्ति याअधिकारी कोई तथ्य छिपाना चाहता हो अथवा कोई तथ्य अनुद्घाटित हो, वहीं अन्वेषणात्मक पत्रकारिता प्रारम्भ हो जाती है। उस समाचार या तथ्य को प्रकाश में लाने के लिए पत्रकार तत्पर हो जाता है।

यदि अन्वेषणात्मक पत्रकारिता सही उद्देश्यों से प्रेरित होकर की जाए तो यह समाज और राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी सेवा हो सकती है। यदि चरित्र-हनन तथा किसी

व्यक्ति या संस्था को अपमानित या बदनाम करने की नीयत से ऐसी पत्रकारिता की जाएगी तो वह "कुंठित पत्रकारिता की श्रेणी में आ जाती है।

फिल्में आज हमारे समाज को बहुत प्रभावित कर रही हैं। अतः फिल्मी पत्र पत्रिकाएँ भी पाठक वर्गों में लोकप्रिय हैं। फिल्मों की समीक्षाएँ, फिल्मी कलाकारों के साक्षात्कार, फिल्म निर्माण से जुड़े कलाकारों के साक्षात्कार, फिल्म के विविध कलात्मक एवं तकनीकी पक्षों पर टिप्पणियाँ, फिल्मी पत्रकारिता का ही हिस्सा हैं। हिंदी-अंग्रेजी सहित सभी प्रमुख भाषाओं में फिल्मी पत्रिकाएँ प्रकाशित हो रही हैं। प्रत्येक प्रमुख समाचार पत्र फिल्मों पर केंद्रित रंगीन परिशिष्ट या सामग्री प्रकाशित करता ही है। फिल्मी पत्रकारिता के क्षेत्र में विनोद भारद्वाज, विनोद तिवारी, प्रयाग शुक्ल, राजा दुबे, जयसिंह रघुवंशी जय, राम सिंह ठाकुर, विजय अग्रवाल, ब्रजेश्वर मदान, जयप्रकाश चौकसे, अजय ब्रम्हात्मज, हेमंत शुक्ल, श्रीराम ताम्रकार जैसे अनेक पत्रकार गंभीरता के साथ काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त सिने स्टार, जी स्टार, स्टार डस्ट, फिल्मी कलियाँ, मायापुरी, स्क्रीन, पटकथा, फिल्म फेयर जैसी संपूर्ण फिल्म पत्रिकाएँ प्रकाशित हो रही हैं। इसके अतिरिक्त हिंदी की सभी प्रमुख पत्रिकाएँ इण्डिया टुडे, आउटलुक, सरिता, मुक्ता आदि प्रत्येक अंक में फिल्मों पर सामग्री प्रकाशित करती हैं। सारे प्रमुख समाचार पत्रों में सिनेमा पर विविध सामग्री प्रकाशित होती है। इसके चलते फिल्म पत्रकारिता, पत्रकारिता का एक प्रमुख क्षेत्र बनकर उभरी है । इसने पत्रकारिता के महत्व एवं लोकप्रियता में वृद्धि की है ।

पत्रकारिता के महत्व को आज इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों की पत्रकारिता ने बहुत बढ़ा दिया है। इन्होंने समय एवं स्थान की सीमा को चुनौती देकर “सूचना विस्फोट” का युग ला दिया है। इस संदर्भ मे रेडियो पत्रकारिता का बहुत महत्व है। इनके महत्व क्रम में आकाशवाणी के वे कार्यक्रम महत्वपूर्ण हैं, जिनमें समाचार तत्व अधिक रहता है। आकाशवाणी के इन समाचार कार्यक्रमों को तैयार करने में आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग सक्रिय रहता है। इस प्रभाग का कार्य समाचारों का संकलन और प्रसारण करना है। आकाशवाणी के स्थाई और अंशकालिक संवाददाता पूरे देश में हैं । समाचार सेवा प्रभाग प्रतिदिन अपनी गृह, प्रादेशिक और वैदेशिक सेवाओं में 36 घंटों से भी अधिक समय में 273 समाचार बुलेटिन प्रसारित करता है। विदेश के प्रमुख

शहरों में भी संवाददाता हैं, जो वहाँ की गतिविधियाँ प्रेषित करते हैं। प्रत्येक घंटे पर समाचार बुलेटिन के प्रसारण से आकाशवाणी जन-मानस को संतुष्ट करती है। समाचार दर्शन', समाचार पत्रों से, विधानमण्डल समीक्षा, संसद समीक्षा, जिले और राज्यों की चिट्ठी, रेडियो न्यूज़रील आदि कार्यक्रमों का प्रसारण इसी पत्रकारिता का अंग है। इसके अतिरिक्त सामयिक विषयों पर बहस, परिचर्चा एवं साक्षात्कारों का प्रसारण करके वह अपने श्रोताओं की मानसिक आवश्यकताओं की आपूर्ति करता है।

रेडियो पत्रकारिता आज एक विशेषतापूर्ण विधा है। जिसमें पत्रकार सम्पादक को अपने कार्य में सशक्त भूमिका का निर्वहन करना पड़ता है । सीमित अवधि में समाचारों की प्रस्तुति एवं चयन रेडियो पत्रकार की दक्षता को सिद्ध करते हैं । विविध समाचार एवं जानकारी प्रधान कार्यक्रमों के माध्यम से आकाशवाणी समग्र विकास की प्रक्रिया को बढ़ाने में अग्रसर है।

इसी प्रकार टेलीविज़न पत्रकारिता का फलक आज बहुत विस्तृत हो गया है। उपग्रह चैनलों की बढ़ती भीड़ के बीच यह एक प्रतिस्पर्धा एवं कौशल का क्षेत्र बन गया है । आधुनिक संचार-क्रांति में निश्चय ही इसकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता । इसके माध्यम से हमारे जीवन में सूचनाओं का विस्फोट हो रहा है। ग्लोबल विलेज (वैश्विक ग्राम) की कल्पना को साकार रूप देने में यह माध्यम सबसे प्रभावी सिद्ध हुआ है। दृश्य एवं श्रव्य होने के कारण इसकी स्वीकार्यता एवं विश्वसनीयता अन्य माध्यमों से अधिक है। भारत में 1959 ई. में आरंभ दूरदर्शन की विकास यात्रा ने आज सभी संचार माध्यमों को पीछे छोड़ दिया है। दूरदर्शन पत्रकारिता में समाचार संकलन, लेखन एवं प्रस्तुतीकरण संबंधी विशिष्ट क्षमता अपेक्षित होती है। दूरदर्शन संवाददाता घटना का चल चित्रांकन करता है तथा वह परिचयात्मक विवरण हेतु भाषागत सामर्थ्य एवं वाणी की विशिष्ट शैली का मर्मज्ञ होता है। विविध स्रोतों से प्राप्त समाचारों के संपादन का उत्तरदायित्व समाचार संपादक का होता है। वह समाचारों को महत्व क्रम के अनुसार क्रमबद्ध कर सम्पादित करता है तथा इसे समाचार वाचक के समक्ष प्रस्तुतकरने योग्य बनाता है । चित्रात्मकता दूरदर्शन का प्राणतत्व है। यह वही तत्व है जो समाचार की विश्वसनीयता एवं स्वीकार्यता को बढ़ाता है। आज निजी टीवी चैनलों में समाचार एवं सूचना प्रधान कार्यक्रमों की होड़

लगी है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सवालों पर परिचर्चाओं एवं बहस का आयोजन होता रहता है। प्रतिस्पर्धा के वातावरण से टेलीविज़न की पत्रकारिता में क्रांति आ गई है और उसकी गुणवत्ता में निरंतर सुधार आ रहा है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्तमान परिवेश में जहाँ प्रेस का दायरा विस्तृत हुआ है, वहीं उसकी महत्ता भी बढ़ी है। वह लोगों के होने और जीने में सहायक बन गया है। देश में जब तक लोकतंत्र रहेगा, उसकी प्राणवत्ता रहेगी, पत्रकारिता का भविष्य उज्ज्वल रहेगा। आज के दौर में बढ़ रही विश्वनीयता के संकट, व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा एवं अनेक दबावों के बावजूद प्रेस का अस्तित्व न तो घटा है, न कम हुआ है। उसकी स्वीकार्यता निरंतर बढ़ रही है, पाठकीयता बढ़ रही है, विविध रुचि की सामग्री आ रही है और अखबारो की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता के क्षेत्र में तो क्रांति सी आ गई है।

पत्रकारिता में पतन मूल्यों के स्तर पर हुआ है। अतः उसके प्रभावों से पत्रकारिता अलग नहीं है । पत्रकारिता साहित्य एवं सुरुचि के संस्कार आज विदा होते दिख रहे हैं। इसके बावजूद अनेक लोग ऐसे भी हैं, जो भाषा एवं अखबार की सामाजिक जिम्मेदारी को लेकर काफी सचेत हैं। संस्थाओं की पत्रिकाएँ बंद होने से एक बार लगा पत्रकारिता की नींव डगमगा रही है। जैसे धर्मयुग, कादंबिनी और नंदन पत्रिकाओं का बंद हो जाना। पर उनके समानांतर क्षेत्रीय अखबारों की सत्ता एक बड़ी शक्ति के रूप में सामने आई है। बाहरी-भीतरी खतरे एवं प्रभावों के बावजूद हमारी पत्रकारिता का प्रगति रथ सदैव बढ़ता नजर आया है। पत्रकारिता ने हर संकट को पार किया है, वह इस संक्रमण से भी अधिक ऊर्जावान एवं अधिक तेजस्वी बनकर सामने आएगी, बशर्ते वह अपनी भूमिका 'जनपक्ष' की बनाए और संकट मोल लेने का साहस पाले। पत्रकारिता से आज भी सामान्य जन की उम्मीदें मरी नहीं हैं।

प्रश्न 9: वरिष्ठ पत्रकार राजीव शुक्ल ने शुद्ध विकासात्मक लेखन क्षेत्रों को कितने भागों में विभक्त किया है।

उत्तर :

वरिष्ठ पत्रकार राजीव शुक्ल ने शुद्ध विकासात्मक लेखन क्षेत्रों को 18 भागों में विभक्त किया है।1. उद्योग, 2. कृषि, शिक्षा और साक्षरता, 3. आर्थिक गतिविधियाँ, 4.

नीति और योजना, 5. परिवहन, 6. संचार, 7. जनमाध्यम, 8. ऊर्जा और ईंधन, 9. श्रम व श्रमिक कल्याण, 10. रोजगार, 11. विज्ञान और तकनीक, 12. रक्षा अनुसंधान और उत्पाद तकनीक, 13. परिवार नियोजन, 14. स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाएं, 15. शहरी विकास, 16. ग्रामीण विकास, निर्माण और आवास, तथा 18 पर्यावरण और प्रदूषण

प्रश्न 10. फिल्मी पत्र पत्रिकाएँ पाठक वर्गों में कैसे लोकप्रिय हैं।

उत्तर :

फिल्में आज हमारे समाज को बहुत प्रभावित कर रही हैं। अतः फिल्मी पत्र पत्रिकाएँ भी पाठक वर्गों में लोकप्रिय हैं। फिल्मों की समीक्षाएँ, फिल्मी कलाकारों के साक्षात्कार, फिल्म निर्माण से जुड़े कलाकारों के साक्षात्कार, फिल्म के विविध कलात्मक एवं तकनीकी पक्षों पर टिप्पणियाँ, फिल्मी पत्रकारिता का ही हिस्सा हैं। हिंदी-अंग्रेजी सहित सभी प्रमुख भाषाओं में फिल्मी पत्रिकाएँ प्रकाशित हो रही हैं। प्रत्येक प्रमुख समाचार पत्र फिल्मों पर केंद्रित रंगीन परिशिष्ट या सामग्री प्रकाशित करता ही है। फिल्मी पत्रकारिता के क्षेत्र में विनोद भारद्वाज, विनोद तिवारी, प्रयाग शुक्ल, राजा दुबे, जयसिंह रघुवंशी जय, राम सिंह ठाकुर, विजय अग्रवाल, ब्रजेश्वर मदान, जयप्रकाश चौकसे, अजय ब्रम्हात्मज, हेमंत शुक्ल, श्रीराम ताम्रकार जैसे अनेक पत्रकार गंभीरता के साथ काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त सिने स्टार, जी स्टार, स्टार डस्ट, फिल्मी कलियाँ, मायापुरी, स्क्रीन, पटकथा, फिल्म फेयर जैसी संपूर्ण फिल्म पत्रिकाएँ प्रकाशित हो रही हैं। इसके अतिरिक्त हिंदी की सभी प्रमुख पत्रिकाएँ इण्डिया टुडे आउटलुक, सरिता, मुक्ता आदि प्रत्येक अंक में फिल्मों पर सामग्री प्रकाशित करती हैं। सारे प्रमुख समाचार पत्रों में सिनेमा पर विविध सामग्री प्रकाशित होती है। इसके चलते फिल्म पत्रकारिता, पत्रकारिता का एक प्रमुख क्षेत्र बनकर उभरी है । इसने पत्रकारिता के महत्व एवं लोकप्रियता में वृद्धि की है ।

प्रश्न 11. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों की पत्रकारिता के महत्व को स्पष्ट कीजिए ।

उत्तर :

पत्रकारिता के महत्व को आज इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों की पत्रकारिता ने बहुत बढ़ा दिया है। इन्होंने समय एवं स्थान की सीमा को चुनौती देकर “सूचना विस्फोट” का युग ला दिया है। इस संदर्भ मे रेडियो पत्रकारिता का बहुत महत्व है। इनके महत्व क्रम में आकाशवाणी के वे कार्यक्रम महत्वपूर्ण हैं, जिनमें समाचार तत्व अधिक रहता है। आकाशवाणी के इन समाचार कार्यक्रमों को तैयार करने में आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग सक्रिय रहता है। इस प्रभाग का कार्य समाचारों का संकलन और प्रसारण करना है। आकाशवाणी के स्थाई और अंशकालिक संवाददाता पूरे देश में हैं । समाचार सेवा प्रभाग प्रतिदिन अपनी गृह प्रादेशिक और वैदेशिक सेवाओं में 36 घंटों से भी अधिक समय में 273 समाचार बुलेटिन प्रसारित करता है। विदेश के प्रमुख शहरों में भी संवाददाता हैं, जो वहाँ की गतिविधियाँ प्रेषित करते हैं। प्रत्येक घंटे पर समाचार बुलेटिन के प्रसारण से आकाशवाणी जन-मानस को संतुष्ट करती है। समाचार दर्शन', समाचार पत्रों से, विधान मण्डल समीक्षा, संसद समीक्षा, जिले और राज्यों की चिट्ठी, रेडियो न्यूज़रील आदि कार्यक्रमों का प्रसारण इसी पत्रकारिता का अंग है। इसके अतिरिक्त सामयिक विषयों पर बहस, परिचर्चा एवं साक्षात्कारों का प्रसारण करके वह अपने श्रोताओं की मानसिक आवश्यकताओं की आपूर्ति करता है।

रेडियो पत्रकारिता आज एक विशेषतापूर्ण विधा है। जिसमें पत्रकार सम्पादक को अपने कार्य में सशक्त भूमिका का निर्वहन करना पड़ता है । सीमित अवधि में समाचारों की प्रस्तुति एवं चयन रेडियो पत्रकार की दक्षता को सिद्ध करते हैं । विविध समाचार एवं जानकारी प्रधान कार्यक्रमों के माध्यम से आकाशवाणी समग्र विकास की प्रक्रिया को बढ़ाने में अग्रसर है।

इसी प्रकार टेलीविज़न पत्रकारिता का फलक आज बहुत विस्तृत हो गया है। उपग्रह चैनलों की बढ़ती भीड़ के बीच यह एक प्रतिस्पर्धा एवं कौशल का क्षेत्र बन गया है । आधुनिक संचार-क्रांति में निश्चय ही इसकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता । इसके माध्यम से हमारे जीवन में सूचनाओं का विस्फोट हो रहा है। ग्लोबल

विलेज (वैश्विक ग्राम) की कल्पना को साकार रूप देने में यह माध्यम सबसे प्रभावी सिद्ध हुआ है। दृश्य एवं श्रव्य होने के कारण इसकी स्वीकार्यता एवं विश्वसनीयता अन्य माध्यमों से अधिक है। भारत में 1959 ई. में आरंभ दूरदर्शन की विकास यात्रा ने आज सभी संचार माध्यमों को पीछे छोड़ दिया है। दूरदर्शन पत्रकारिता में समाचार संकलन, लेखन एवं प्रस्तुतीकरण संबंधी विशिष्ट क्षमता अपेक्षित होती है। दूरदर्शन संवाददाता घटना का चल चित्रांकन करता है तथा वह परिचयात्मक विवरण हेतु भाषागत सामर्थ्य एवं वाणी की विशिष्ट शैली का मर्मज्ञ होता है। विविध स्रोतों से प्राप्त समाचारों के संपादन का उत्तरदायित्व समाचार संपादक का होता है। वह समाचारों को महत्व क्रम के अनुसार क्रमबद्ध कर सम्पादित करता है तथा इसे समाचार वाचक के समक्ष प्रस्तुत करने योग्य बनाता है । चित्रात्मकता दूरदर्शन का प्राणतत्व है। यह वही तत्व है जो समाचार की विश्वसनीयता एवं स्वीकार्यता को बढ़ाता है। आज निजी टीवी चैनलों में समाचार एवं सूचना प्रधान कार्यक्रमों की होड़ लगी है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सवालों पर परिचर्चाओं एवं बहस का आयोजन होता रहता है। प्रतिस्पर्धा के वातावरण से टेलीविज़न की पत्रकारिता में क्रांति आ गई है और उसकी गुणवत्ता में निरंतर सुधार आ रहा है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्तमान परिवेश में जहाँ प्रेस का दायरा विस्तृत हुआ है, वहीं उसकी महत्ता भी बढ़ी है। वह लोगों के होने और जीने में सहायक बन गया है। देश में जब तक लोकतंत्र रहेगा, उसकी प्राणवत्ता रहेगी, पत्रकारिता का भविष्य उज्ज्वल रहेगा। आज के दौर में बढ़ रही विश्वनीयता के संकट, व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा एवं अनेक दबावों के बावजूद प्रेस का अस्तित्व न तो घटा है, न कम हुआ है। उसकी स्वीकार्यता निरंतर बढ़ रही है, पाठकीयता बढ़ रही है, विविध रुचि की सामग्री आ रही है और अखबारो की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता के क्षेत्र में तो क्रांति सी आ गई है।

4. पत्रकारिता के प्रकार

संसार में पत्रकारिता का इतिहास बहुत पुराना नहीं है लेकिन इक्कीसवीं शताब्दी में यह एक ऐसा सशक्त विषय के रूप में उभरा है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। पत्रकारिता के प्रकार की बात करें तो वह कुछ इस प्रकार है

राजनैतिक पत्रकारिता

समाचार पत्रों में सबसे अधिक पढ़े जानेवाले और चैनलों पर सर्वाधिक देखे सुने जानेवाले समाचार राजनीति से जुड़े होते हैं। राजनीति की उठा-पटक, लटके झटके, आरोप-प्रत्यारोप, रोचक-रोमांचक, झूठ-सच, आना-जाना आदि से जुड़े समाचार सुर्खियों में होते हैं। राजनीति से जुड़े समाचारों का पूरा का पूरा बाजार विकसित हो चुका है । राजनीतिक समाचारों के बाजार में समाचार पत्र और समाचार चैनल अपने उपभोक्ताओं को रिझाने के लिए नित नये प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। चुनाव के समय में तो प्रयोगों की झडी लग जाती है और हर कोई एक-दूसरे को पछाड़कर आगे निकल जाने की होड़ में शामिल हो जाता है। लोकतंत्र की दुहाई के साथ जीवन के लगभग हर क्षेत्र में राजनीति की दखल बढ़ी है और इस कारण राजनीतिक समाचारों की भी संख्या बढ़ी है। ऐसे में इन समाचारों को अनदेखा कर पाना संभव नहीं है। राजनीतिक समाचारों की आकर्षक प्रस्तुति लोकप्रियता प्राप्त करने का बहुत बड़ा साधन बन चुकी है।

अपराध पत्रकारिता

राजनीतिक समाचार के बाद अपराध समाचार ही महत्वपूर्ण होते हैं। बहुत से पाठकों व दर्शकों को अपराध समाचार जानने की जिज्ञासा होती है। इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए ही समाचार पत्रों व चैनलों में अपराध डायरी, सनसनी, वारदात, क्राइम फाइल जैसे समाचार कार्यक्रम प्रकाशित एवं प्रसारित किए जा रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार किसी समाचार पत्र में लगभग पैंतीस प्रतिशत समाचार अपराध से जुड़े होते हैं। इसी से अपराध पत्रकारिता को बल मिला है। दूसरी बात यह कि आपराधिक घटनाओं का सीधा संबंध व्यक्ति, समाज, संप्रदाय, धर्म और देश से होता है। आपराधिक घटनाओं का प्रभाव व्यापक होता है। यही कारण है कि समाचार संगठन बड़े पाठक दर्शक वर्ग का ख्याल रखते हुए इस पर विशेष ध्यान देते हैं।

खोजी पत्रकारिता

खोजी पत्रकारिता वह है, जिसमें आमतौर पर सार्वजनिक महत्व के मामले जैसे भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और गड़बड़ियों की गहराई से छानबीन कर सामने लाने की कोशिश की जाती है। स्टिंग ऑपरेशन खोजी पत्रकारिता का ही एक नया रूप है।

खोजपरक पत्रकारिता भारत में अभी भी अपने शैशव काल में है। इस प्रकार की पत्रकारिता में ऐसे तथ्य जुटाकर सामने लाए जाते हैं, जिन्हें आमतौर पर सार्वजनिक नहीं किया जाता। लेकिन एक वर्ग यह मानता है कि खोजपरक पत्रकारिता कुछ है ही नहीं, क्योंकि कोई भी समाचार खोजी दृष्टि के बिना लिखा ही नहीं जा सकता है। लोकतंत्र में जब आवश्यकता से अधिक गोपनीयता बरती जाने लगे और भ्रष्टाचार चरम पर हो तो खोजी पत्रकारिता ही उसे सामने लाने का एकमात्र विकल्प होती है। खोजी पत्रकारिता से जुड़ी पुरानी घटनाओं पर नजर डालें तो माई लार्ड कांड़ वाटरगेट कांड़, एंडर्सन का पेंटागन पेपर्स जैसे अंतराष्ट्रीय कांड तथा सीमेंट घोटाला कांड, बोफर्स कांड, ताबूत घोटाला कांड जैसे राष्ट्रीय घोटाले खोजी पत्रकारिता के चर्चित उदाहरण हैं | संचार क्रांति, इंटरनेट या सूचना अधिकार जैसे प्रभावशाली अस्त्र अस्तित्व में आने के बाद तो घोटाले उजागर होने का जैसे दौर शुरू हो गया। इसका नतीजा है कि पिछले दिनों 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला, आदर्श घोटाला आदि उल्लेखनीय हैं। समाज की भलाई के लिए खोजी पत्रकारिता अवश्य एक अंग है लेकिन इसे भी अपनी मर्यादा के घेरे में रहना चाहिए।

वॉचडॉग पत्रकारिता

लोकतंत्र में पत्रकारिता को चौथा स्तंभ माना गया है। इस लिहाज से इसका मुख्य कार्य सरकार के कामकाज पर निगाह रखना है और कहीं भी कोई गड़बड़ी हो तो उसका पर्दाफाश करना है। इसे परंपरागत रूप से वॉचडॉग पत्रकारिता कहा जा सकता है । दूसरी ओर सरकारी सूत्रों पर आधारित पत्रकारिता है । इसके अनुसार मीडिया केवल वही समाचार देता है जो सरकार चाहती है और अपने आलोचनापरक पक्ष का परित्याग कर देता है। इन दो बिंदुओ के बीच तालमेल के जरिए ही मीडिया और इसके अनुसार काम करनेवाले विभिन्न समाचार संगठनों की पत्रकारिता का निर्धारण होता है।

एडवोकेसी पत्रकारिता

एडवोकेसी यानि पैरवी करना । किसी विशेष मुद्दे या विचारधारा के पक्ष में जनमत बनाने के लिए लगातार अभियान चलानेवाली पत्रकारिता को एडवोकेसी

पत्रकारिता कहा जाता है। मीडिया व्यवस्था का ही एक अंग है। और व्यवस्था के साथ तालमेल बिठाकर चलनेवाले मीडिया को मुख्यधारा मीडिया कहा जाता है। दूसरी ओर कुछ ऐसे वैकल्पिक सोच रखनेवाले मीडिया होते हैं जो किसी विचारधारा या किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए निकाले जाते हैं। इस प्रकार की पत्रकारिता को एडवोकेसी (पैरवी) पत्रकारिता कहा जाता है। जैसे राष्ट्रीय विचारधारा, धार्मिक विचारधारा से जुड़े पत्र पत्रिकाएँ हैं।

पीत पत्रकारिता

पाठकों को लुभाने के लिए झूठी अफवाहों, आरोप-प्रत्यारोपों, प्रेम संबंधों आदि से संबंधित सनसनीखेज समाचारों से संबंधित पत्रकारिता को पीत पत्रकारिता कहा जाता है। इसमें सही समाचारों की उपेक्षा करके सनीसनी फैलानेवाले समाचार या ध्यान खींचनेवाले शीर्षकों का बहुतायत में प्रयोग किया जाता है। इसे समाचार पत्रों की बिक्री बढ़ाने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की टीआरपी बढ़ाने का घटिया तरीका माना जाता है। इसमें किसी समाचार विशेषकर ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति द्वारा किया गया कुछ आपत्तिजनक कार्य, घोटाले आदि को बढ़ा-चढ़ाकर सनसनी बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त पत्रकार द्वारा अव्यवसायिक तरीके अपनाए जाते हैं।

पेज थ्री पत्रकारिता

पेज थ्री पत्रकारिता उसे कहते हैं जिसमें फैशन, अमीरों की पार्टियों, जानेमाने लोगों के निजी जीवन के बारे में बताया जाता है।

खेल पत्रकारिता

खेल से जुड़ी पत्रकारिता को खेल पत्रकारिता कहा जाता है। खेल आधुनिक हो या प्राचीन, खेलों में होनेवाले अद्भुत कारनामों को जग जाहिर करने तथा उसका व्यापक प्रचार-प्रसार करने में खेल पत्रकारिता का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज पूरी दुनिया में खेल यदि लोकप्रियता के शिखर पर है तो उसका काफी कुछ श्रेय खेल पत्रकारिता को भी जाता है। खेल केवल मनोरंजन का साधन ही नहीं बल्कि अच्छे स्वास्थ्य,

शारीरिक दमखम और बौद्धिक क्षमता का भी प्रतीक है। यही कारण है कि पूरी दुनिया में अति प्राचीनकाल से खेलों का प्रचलन रहा है। आज आधुनिक काल में पुराने खेलों के अतिरिक्त इनसे मिलते-जुलते खेलों तथा अन्य आधुनिक स्पर्धात्मक खेलों ने पूरी दुनिया में अपना वर्चस्व बनाए रखा है। आज स्थिति यह है कि समाचार पत्र तथा पत्रिकाओं के अतिरिक्त किसी भी मीडिया का स्वरूप तब तक परिपूर्ण नहीं माना जाता है जब तक उसमें खेल का भरपूर कवरेज नहीं हो। दूसरी बात यह है कि आज भारत ही नहीं पूरी दुनिया में आबादी का एक बड़ा हिस्सा युवा वर्ग का है जिसकी पहली पसंद विभिन्न खेल स्पर्धाएँ हैं। शायद यही कारण है कि पत्र-पत्रिकाओं में अगर सबसे अधिक कोई पन्ने पढ़े जाते हैं तो वह खेल से संबंधित होते हैं। प्रिंट मीडिया के अतिरिक्त टीवी चैनलों का भी एक बड़ा हिस्सा खेल प्रसारण से जुड़ा होता है। दूसरी ओर कुछ खेल चैनल हैं जो चौबीसों घंटे किसी न किसी खेल को प्रसारित करते ही रहते हैं। पाठकों और दर्शकों की खेल के प्रति दीवानगी का ही नतीजा है कि आज खेल की दुनिया में अधिक धन बरस रहा है। आज धन चाहे विज्ञापन के रूप में हो चाहे पुरस्कार राशि के रूप में, न लुटानेवालों की कमी है और न पानेवालों की । खेलों में धन वर्षा का प्रारंभ कॉर्पोरेट जगत के प्रवेश से हुआ। खेलों में धन की बरसात में कोई बुराई नहीं है लेकिन उसका बदसूरत पहलू भी है। खेलों में गलाकाट स्पर्धा के कारण इसमें फिक्सिंग और डोपिगं जैसी बुराइयों का प्रचलन भी बढ़ने लगा है। फिक्सिंग और डोपिंग जैसी बुराइयाँ न खिलाड़ियों के हित में है और न खेलों के। खेल पत्रकारिता की यह जिम्मदारी है कि वह खेलों में पनप रही उन बुराइयों के खिलाफ लगातार आवाज उठाती रहे। खेल पत्रकारिता से यह अपेक्षा की जाती है कि खेल में खेल भावना की रक्षा हर कीमत पर होनी चाहिए। खेल पत्रकारिता से यह उम्मीद भी की जानी चाहिए कि आम लोगों से जुड़े खेलों को भी उतना ही महत्व और प्रोत्साहन मिले जितना अन्य लोकप्रिय खेलों को मिल रहा है।

महिला पत्रकारिता

महिला और पुरुष समानता के इस दौर में महिलाएँ अब घर की दहलीज लांघ कर बाहर आ चुकी हैं। प्राय: प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की उपस्थिति और भागिदारी नजर आ रही है। ऐसे में पत्रकारिता के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी भी देखी जाने

लगी है। दूसरी बात यह है कि शिक्षा ने महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया है। अब महिलाएँ भी अपने भविष्य के प्रति सचेत हैं। महिला जागरण के साथ-साथ महिलाओं के प्रति अत्याचार और अपराध के मामले भी बढ़े हैं । महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुत सारे कानून बने हैं। महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा दिलाने में महिला पत्रकारिता की अहम् भूमिका रही है। आज महिला पत्रकारिता की अलग से आवश्यकता इसलिए है कि उसमें महिलाओं से जुड़े हर पहलू पर गौर किया जाए और महिलाओं के सर्वांगीण विकास में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके ।

वर्तमान दौर में राजनीति, प्रशासन, सेना, शिक्षण, चिकित्सा विज्ञान, तकनीकी, उद्योग, व्यापार, समाज सेवा आदि सभी क्षेत्रों में महिलाओं ने अपनी प्रतिभा और दक्षता के बलबूते अपनी राह खुद बनाई है। कई क्षेत्रों में तो कड़ी स्पर्धा और चुनौती के बावजूद महिलाओं ने अपना शीर्ष स्थान बनाया है। विकास के निरंतर तेज गति से बदलते दौर ने महिलाओं को प्रगति का समान अवसर प्रदान किया लेकिन पुरुषों की तुलना में अपनी प्रतिभा और लगन के बलबूते समाज के हर क्षेत्र में अपनी अमिट छाप छोड़ने का जो सिलसिला शुरू किया है वह लगातार जारी है। इसका उदाहरण भारत की इंदिरा नूई, नैना किदवाई, चंदा कोचर, नंदिनी भट्टाचार्य, साक्षी मलिक, पीवी सिंधु साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा आदि के रूप में देखा जा सकता है । आज के दौर में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जहाँ महिलाओं की उपस्थिति महसूस नहीं की जा रही हो। ऐसे में पत्रकारिता भी कहाँ पीछे रहेगी। मृणाल पांडे, विमला पाटील, बरखा दत्त, सीमा मुस्तफा, तवलीन सिंह, मीनल बहोल, सत्य शरण, दीना वकील, सुनीता ऐरन, कुमुद संघवी चावरे, श्वेता सिंह, पूर्णिमा मिश्रा, मीमांसा मल्लिक, अंजना ओम कश्यप, नेहा बाथम, मीनाक्षी कंडवाल आदि महिला पत्रकारों के आने से देश के हर लड़की को अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल रही है।

महिला पत्रकारिता की सार्थकता महिला सशक्तीकरण से जुड़ी है, क्योंकि नारी स्वातंत्र्य और समानता के इस युग में भी आधी दुनिया से जुड़े ऐसे अनेक पहलूहैं जिनके महत्व को देखते हुए महिला पत्रकारिता की अलग विधा की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

बाल पत्रकारिता

एक समय था जब बच्चों को परीकथाओं, लोककथाओं, पौराणिक, ऐतिहासिक, धार्मिक कथाओं के माध्यम से बहलाने-फुसलाने के साथ-साथ उनका ज्ञानवर्धन किया जाता था। इन कथाओं का बच्चों के चारित्रिक विकास पर भी गहरा प्रभाव होता था। लेकिन आज संचार क्रांति के इस युग में बच्चों के लिए सूचनातंत्र काफी विस्तृत और अनंत हो गया है। कंप्यूटर और इंटरनेट तक की पहुँच ने उनके बाल मन स्वभाव के अनुसार जिज्ञासा को असीमित बना दिया है। ऐसे में इस बात की आशंका और गुंजाइश बनी रहती है कि बच्चों तक वे सूचनाएं भी पहुँच सकती है जिससे उनके बालमन के भटकाव या विकृति भी संभव है। ऐसी स्थिति में बाल पत्रकारिता की सार्थक सोच बच्चों को सही दिशा की ओर अग्रसर कर सकती है। बाल मन स्वभाव से जिज्ञासु और सरल होते हैं। जीवन की यह वह अवस्था है जिसमें बच्चा अपने माता पिता, शिक्षक और चारों तरफ के परिवेश से ही सीखता है। बच्चे पर किसी भी घटना या सूचना की अमिट छाप पड़ती है। बच्चे के आसपास का परिवेश उसके व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे में उसे दिशा दिखाने का काम पत्रकारिता ही कर सकती है। इसलिए बाल पत्रकारिता बहुत आवश्यक है।

आर्थिक पत्रकारिता

आर्थिक पत्रकारिता में व्यक्तियों, संस्थानों, राज्यों या देशों के बीच होने वाले आर्थिक या व्यापारिक संबंध के गुण-दोषों की समीक्षा और विवेचन किया जाता है। जिस प्रकार आम तौर पर पत्रकारिता का उद्देश्य किसी भी व्यवस्था के गुण-दोषों को व्यापक आधार पर प्रचारित-प्रसारित करना है ठीक उसी प्रकार आर्थिक पत्रकारिता का अर्थ व्यवस्था के हर पहलू पर सूक्ष्म नजर रखते हुए उसका विश्लेषण कर समाज पर पड़नेवाले प्रभावों का प्रचार-प्रसार करना होना चाहिए। दूसरी बात यह भी है कि आर्थिक पत्रकारिता को आर्थिक व्यवस्था और उपभेक्ता के बीच सेतू की भूमिका निभानी पड़ती है।

आर्थिक उदारीकरण और विभिन्न देशों के बीच आपसी व्यापारिक संबंधों ने पूरी दुनिया के आर्थिक परिदृश्य को बहुत ही व्यापक बना दिया है। आज किसी भी

देश की अर्थ व्यवस्था बहुत कुछ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधों पर निर्भर हो गई है। दुनिया के किसी कोने में मची आर्थिक हलचल या उथल-पुथल अन्य देशों की अर्थ व्यवस्था को प्रभावित करने लगी है। सोने और चांदी जैसी बहुमूल्य धातुओं, कच्चे तेल, यूरो, डॉलर, पाउंड, येन जैसी मुद्राओं की कीमतों में उतार चढ़ाव का प्रभाव पूरी दुनिया में पड़ने लगा है। हर देश अपनी अर्थ व्यवस्थाओं के स्वयं नियामक एवं नियंत्रक के रूप में होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हैं। पूरा विश्व एक बड़ा बाजार बन गया है। इसलिए उसकी गतिविधियों से देश की अर्थ व्यवस्था निर्धारित होने लगी है । ऐसे में पत्रकारिता एक प्रमुख भूमिका निर्वाह कर रही है। उस पर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि विश्व की अर्थ व्यवस्था को प्रभावित करनेवाले विभिन्न कारणों का निरंतर विश्लेषण करने के साथ-साथ उसके गुण-दोषों की चर्चा करे। इसके अतिरिक्त कर चोरी, कालाधन और जाली नोट की समस्या को उजागर करना भी एक चुनौती है। विकसित और विकासशील देशों में कालाधन सबसे बड़ी चुनौती है। कालाधन भ्रष्टाचार से उपजता है और भ्रष्टाचार को ही बढ़ावा देता है। भ्रष्टाचार देश के विकास में बाधक बनता है। इसलिए आर्थिक पत्रकारिता की जिम्मेदारी है कि कालाधन और आर्थिक अपराधों को उजागर करने वाली खबरों का व्यापक प्रचार-प्रसार करे। दूसरी ओर व्यापार के परंपरागत क्षेत्रों के अतिरिक्त रिटेल, बीमा, संचार, विज्ञान एवं तकनीकी व्यापार जैसे आधुनिक क्षेत्रों ने आर्थिक पत्रकारिता को नया आयाम दिया है।

ग्रामीण एवं कृषि पत्रकारिता

भारत जैसे कृषि प्रधान देश में हमारी अर्थ व्यवस्था काफी कृषि उत्पादों पर निर्भर है। भारत में आज भी लगभग सत्तर प्रतिशत आबादी गाँवों में बसती है। देश के बजट प्रावधानों का बड़ा हिस्सा कृषि एवं ग्रामीण विकास पर खर्च होता है। ग्रामीण विकास के बिना देश का विकास अधूरा है। ऐसे में आर्थिक पत्रकारिता की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि वह कृषि एवं कृषि आधारित योजनाओं तथा ग्रामीण भारत में चल रहे विकास कार्यक्रम का सटीक आकलन प्रस्तुत करे ।

विशेषज्ञ पत्रकारिता

पत्रकारिता केवल घटनाओं की सूचना देना नहीं है। पत्रकार से अपेक्षा की जाती है कि वह घटनाओं के मूल तक जाकर उसका अर्थ स्पष्ट के करे और आम पाठक को बताए कि उस समाचार का क्या महत्व है। इसलिए पत्रकार को भी विशेषज्ञ बनने की आवश्यकता पड़ती है। पत्रकारिता में विषय के आधार पर सात प्रमुख क्षेत्र हैं । इसमें संसदीय पत्रकारिता, न्यायालय पत्रकारिता, आर्थिक पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, विज्ञान और विकास पत्रकारिता, अपराध पत्रकारिता तथा फैशन और फिल्म पत्रकारिता शामिल हैं। इन क्षेत्रों के समाचार उन विषयों में विशेषता प्राप्त किए बिना सही सूचना देना कठिन होता है। ऐसे में इन विषयों के जानकार ही विषय की समस्या, विषय के गुण-दोषों आदि पर सटिक जानकारी प्राप्त कर सकता है।

रेडियो पत्रकारिता

मुद्रण के आविष्कार के बाद संदेशों और विचारों को शक्तिशाली और प्रभावी ढंग से अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचना मनुष्य का लक्ष्य बन गया। इसी से रेडियो का जन्म हुआ। रेडियो के आविष्कार के जरिए आवाज एक ही समय में असंख्य लोगों तक उनके घरों को पहुंचने लगी। इस प्रकार श्रव्य माध्यम के रूप में जनसंचार को रेडियो ने नये आयाम दिए। आगे चलकर रेडियो को सिनेमा और टेलीविजन और इंटरनेट से कड़ी चुनौतियाँ मिली, लेकिन रेडियो अपनी विशिष्टता के कारण आगे बढ़ता गया और आज इसका स्थान सुरक्षित है। रेडियो की विशेषता यह है कि यह सार्वजनिक भी है और व्यक्तिगत भी। रेडियो में लचीलापन है क्योंकि इसे किसी भी स्थान पर किसी भी अवस्था में सुना जा सकता है। दूसरा रेडियो समाचार और सूचना तत्परता से प्रसारित करता है। मौसम संबंधी चेतावनी और प्राकृतिक विपत्तियों के समय रेडियो का यह गुण शक्तिशाली बन पाता है। आज भारत के कोने-कोने में देश की सत्तानवे प्रतिशत जनसंख्या रेडियो सुन पा रही है। रेडियो समाचार ने जहाँ दिन प्रतिदिन घटित घटनाओं की तुरंत जानकारी का कार्यभार संभाल रखा है वहीं श्रोताओं के विभिन्न वर्गों के लिए विविध कार्यक्रमों की मदद से

सूचना और शिक्षा दी जाती है । जैसे युवाओं, महिलाओं, बच्चों किसान, गृहिणी, विद्यार्थियों के लिए अलग-अलग समय में कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक वर्ग को जोड़े रखने में यह एक सशक्त माध्यम के रूप में उभरकर सामने आया है।

व्याख्यात्मक पत्रकारिता

पत्रकारिता केवल घटनाओं की सूचना देना नहीं है । पत्रकार से अपेक्षा की जाती है कि वह घटनाओं के मूल तक जाकर उसका अर्थ स्पष्ट करे और आम पाठक को बताए कि उस समाचार का क्या महत्व है। पत्रकार इस महत्व को बताने के लिए विभिन्न प्रकार से उसकी व्याख्या करता है। इसके पीछे क्या कारण है। इसके पीछे कौन था और किसका हाथ है। इसका परिणाम क्या होगा। इसके प्रभाव से क्या होगा आदि की व्याख्या की जाती है। साप्ताहिक पत्रिकाओं के संपादकीय लेखों में इस प्रकार किसी घटना की जांच पड़ताल कर व्याख्यात्मक समाचार प्रस्तुत किए जाते हैं। टीवी चैनलों में तो आजकल यह ट्रेंड बन गया है कि किसी भी छोटी सी छोटी घटनाओं के लिए भी विशेषज्ञ पैनल बिठाकर उसकी सकारात्मक एवं नकारात्मक व्याख्या की जाने लगी है।

विकास पत्रकारिता

लोकतंत्र का मूल उद्देश्य है- लोगों के लिए शासन और लोगों के द्वारा शासन । इस लोकतंत्र में तीन मुख्य स्तंभ है। ये हैं संसदीय व्यवस्था, शासन व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था । इन तीनों की निगरानी रखता है चौथा स्तंभ - पत्रकारिता शासन द्वारा लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए सही ढंग से काम किया जा रहा है या नहीं इसका लेखा-जोखा प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी मीडिया पर है। विशेषकर भारत जैसे विकासशील देशों के लिए और भी अहम भूमिका है। देश में शिक्षा, स्वास्थ्य,

बेरोजगारी, कृषि एवं किसान, सिंचाई, परिवहन, भूखमरी, जनसंख्या बढ़ने प्राकृतिक आपदा जैसी समस्याएं हैं। इन समस्याओं से निपटने सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं। कोई योजना बनी तो उसका फायदा लोगों तक पहुंच पा रहा या नहीं या उसे सही ढंग से लागू किया जा रहा है या नहीं, इन सब के बारे में पत्रकार विश्लेषण कर समाचार प्रस्तुत करने से शासक की आँखें खुल सकती हैं। कहने का तात्पर्य यह कि क्या इन सरकारी योजनओं से देश का विकास हो रहा है या नहीं उसका आकलन करना ही विकास पत्रकारिता का कार्य है। विकास पत्रकारिता के माध्यम से ही इसमें यथासंभव सुधार लाने का मार्ग प्रशस्त होगा।

संसदीय पत्रकारिता

लोकतंत्र में संसदीय व्यवस्था की प्रमुख भूमिका है। संसदीय व्यवस्था के अनुसार संसद में जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि पहुंचते हैं। बहुमत प्राप्त करनेवाला शासन करता है तो दूसरा विपक्ष में बैठता है। दोनों की अपनी-अपनी अहम् भूमिका होती है। इनके द्वारा किए जा रहे कार्य पर नजर रखना पत्रकारिता की अहम् जिम्मेदारी है क्योंकि लोकतंत्र में यही एक कड़ी है जो जनता एवं नेता के बीच काम करता है। जनता किसी का चुनाव इसलिए करती हैं कि वह लोगों की सुख सुविधा तथा जीवनस्तर सुधारने में कार्य करे। लेकिन चुना हुआ प्रतिनिधि या सरकार अगर अपने मार्ग पर नहीं चलते हैं तो उसको सचेत करने का कार्य पत्रकारिता करती है। इनकी गतिविधि, इनके कार्य की निगरानी करने का कार्य पत्रकारिता करती है।

टेलीविजन पत्रकारिता

समाचार पत्र एवं पत्रिका के बाद श्रव्य माध्यम का विकास हुआ। इसके बाद श्रव्य-दृश्य माध्यम का विकास हुआ। दूरसंचार क्रांति में सेटेलाईट, इंटरनेट के विकास के साथ ही इस माध्यम का इतनी तेजी से विकास हुआ कि आज इसके बिना चलना मुश्किल सा हो गया है । इसे मुख्यतः तीन वर्गों में रखा जा सकता है। ये हैं- सूचना,

मनोरंजन और शिक्षा । सूचना में समाचार, सामयिक विषय और जनसंचार उद्‌घोषणाएँ आते हैं। मनोरजंन के क्षेत्र में फिल्मों से संबंधित कार्यक्रम, नाटक, धारावाहिक, नृत्य, संगीत तथा मनोरजंन के विविध कार्यक्रम शामिल हैं। इन कार्यक्रमों का प्रमुख उद्देश्य लोगों का मनोरंजन करना है। शिक्षा क्षेत्र में टेलीविजन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। पाठ्य सामग्री पर आधारित और सामान्य ज्ञान पर आधारित दो वर्गों में शैक्षिक कार्यक्रमों को बांटा जा सकता है। आज उपग्रह के विकास के साथ ही समाचार चैनलों के बीच गलाकाट प्रतिस्पर्धा चल पड़ी है। इसके चलते छोटी सी छोटी घटनाओं का भी प्रत्यक्ष प्रसारण होने लगा है।

विधि पत्रकारिता

लोकतंत्र के चार स्तंभ में विधि व्यवस्था की भूमिका महत्वपूर्ण है। नए कानून,उनके अनुपालन और उसके प्रभाव से लोगों को परिचित कराना बहुत ही आवश्यक है। कानून व्यवस्था बनाए रखना, अपराधी को सजा देने से लेकर शासन व्यवस्था में अपराध रोकने, लोगों को न्याय प्रदान करना इसका मुख्य कार्य है । इसके लिए निचली अदालत से लेकर उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय तक व्यवस्था है। इसमें रोजाना कुछ न कुछ महत्वपूर्ण फैसले सुनाए जाते हैं। कई बड़ी-बड़ी घटनाओं के निर्णय, उसकी सुनवाई की प्रक्रिया चलती रहती है। इसके बारे में लोग जानने के इच्छुक रहते हैं, क्योंकि कुछ मुकदमे ऐसे होते हैं जिनका प्रभाव समाज, संप्रदाय, प्रदेश एवं देश पर पड़ता है। दूसरी बात यह है कि दबाव के चलते कानून व्यवस्था अपराधी को छोड़कर निर्दोष को सजा तो नहीं दे रही है, इसकी निगरानी भी विधि पत्रकारिता करती है।

फोटो पत्रकारिता

फोटो पत्रकारिता ने छपाई तकनीक के विकास के साथ ही समाचार पत्रों में अहम् स्थान बना लिया है। कहा जाता है कि जो बात हजार शब्दों में लिखकर नहीं कही जा सकती है वह एक तस्वीर कह देती है। फोटो टिप्पणियों का प्रभाव व्यापक और सीधा होता है। दूसरी बात ऐसी घटना जिसमें सबूत की आवश्यकता होती है।

वैसे समाचारों के साथ फोटो के साथ समाचार प्रस्तुत करने से उसकी विश्वसनीयता बढ़ जाती है।

विज्ञान पत्रकारिता

इक्कीसवीं शताब्दी को विज्ञान का युग कहा गया है। वर्तमान में विज्ञान ने काफी प्रगति कर ली है। विज्ञान ने हमारी जीवन शैली को बदलकर रख दिया है। वैज्ञानिकों द्वारा रोजाना नई नई खोज की जा रही है। इसमें कुछ तो जन कल्याणकारी हैं तो कुछ विध्वंसकारी भी हैं। जैसे परमाणु की खोज से कई बदलाव ला दिया है लेकिन इसका विध्वंसकारी पक्ष भी है। इसे परमाणु बम बनाकर उपयोग करने से विध्वंस होगा। इस प्रकार विज्ञान पत्रकारिता दोनों पक्षों का विश्लेषण कर उसे प्रस्तुत करने का कार्य करता है।

विज्ञान पत्रकारों को विस्तृत तकनीकी और कभी-कभी शब्द जाल को दिलचस्प रिपोर्ट में बदलकर समाचार पाठक दर्शक की समझ के आधार पर प्रस्तुत करना होता है। वैज्ञानिक पत्रकारों को यह निश्चित करना होगा कि किस वैज्ञानिक घटनाक्रम में विस्तृत सूचना की योग्यता है। साथ ही वैज्ञानिक समुदाय के भीतर होनेवाले विवादों को बिना पक्षपात और तथ्यों के साथ प्रस्तुत करना चाहिए।

शैक्षिक पत्रकारिता:

शिक्षा के बिना कुछ भी कल्पना करना संभव नहीं है। पत्रकारिता सभी नई सूचना को लोगों तक पहुंचाकर ज्ञान में वृद्धि करती है। जब से शिक्षा को औपचारिक बनाया गया है तब से पत्रकारिता का महत्व और बढ़ गया है। जब तक हमें नई सूचना नहीं मिलेगी तब तक हमें अज्ञानता घेर कर रखी रहेगी। उस अज्ञानता को दूर करने का सबसे बड़ा माध्यम है पत्रकारिता। चाहे वह रेडियो हो या टेलीविजन या समाचार पत्र या पत्रिकाएँ सभी से नई सूचना प्राप्त होती है, जिससे हमें नई शिक्षा मिलती है। शिक्षित व्यक्ति एक माध्यम में संतुष्ट नहीं होता है। वह अन्य माध्यमों को भी देखना चाहता है। यह जिज्ञासा ही पत्रकारिता को बढ़ावा देती है तो पत्रकारिता उसकी जिज्ञासा के अनुरूप शिक्षा एवं ज्ञान प्रदान कर उसकी जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास करती है।

सांस्कृतिक-साहित्यिक पत्रकारिता

मनुष्य में कला, संस्कृति एवं साहित्य की भूमिका निर्विवादित है। मनुष्य में छिपी प्रतिभा, कला चाहे वह किसी भी रूप में हो उसे देखने से मन को तृप्ति मिलती है । इसलिए मनुष्य हमेशा नई-नई कला, प्रतिभा की खोज में लगा रहता है । इस कला प्रतिभा को उजागर करने का एक सशक्त माध्यम है पत्रकारिता । कला प्रतिभाओं के बारे में जानकारी रखना, उसके बारे में लोगों को पहुंचाने का काम पत्रकारिता करती है । इस सांस्कृतिक, साहित्यिक पत्रकारिता के कारण आज कई विलुप्त प्राचीन कला जैसे लोकनृत्य, लोक संगीत को खोज निकाला गया है और फिर से जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरी ओर भारत जैसे विशाल और बहु संस्कृति वाले देश में सांस्कृतिक-साहित्यिक पत्रकारिता के कारण देश की एक अलग पहचान बन गई है। कुछ आंचलिक लोक नृत्य , लोक संगीत एक अंचल से निकलकर देश, दुनिया तक पहुँचा है। समाचार पत्र एवं पत्रिकाएँ प्रारंभ से ही नियमित रूप से सांस्कृतिक साहित्यिक कलम को स्थान दे रही है। इसी प्रकार चैनलों पर भी सांस्कृतिक, साहित्यिक समाचारों का चलन बढ़ा है। एक अध्ययन के अनुसार दर्शकों के एक वर्गने अपराध व राजनीति के समाचार कार्यक्रमों से कहीं अधिक अपनी संस्कृति से जुड़े समाचार कार्यक्रमों से जुड़ना पसंद किया है। साहित्य व संस्कृति पर उपमोंक्तावादी संस्कृति व बाजार का प्रहार देखकर केंद्र व प्रदेश की सरकारें बहुत बड़ा बजट इन्हें संरक्षित करने व प्रचारित तथा प्रसारित करने में खर्च कर रही है। साहित्य एव संस्कृति के नाम पर चलने वाली बड़ी बड़ी साहित्यिक व सांस्कृतिक संस्थाओं के बीच वाद प्रतिवाद, आरोप-प्रत्यारोप और गुटबाजी ने साहित्य संस्कृति में मसाला समाचारों की संभावनाओं को बहुत बढ़ाया है।

प्रश्न उत्तर

प्रश्न 12. पत्रकारिता के प्रकारों का विवरण दीजिए।

उत्तर :

निम्न लिखित पत्रकारिता के प्रकार है - संसार में पत्रकारिता का इतिहास बहुत पुराना नहीं है लेकिन इक्कीसवीं शताब्दी में यह एक ऐसा सशक्त विषय के रूप में उभरा है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। पत्रकारिता के प्रकार की बात करें तो वह कुछ इस प्रकार है

राजनैतिक पत्रकारिता

समाचार पत्रों में सबसे अधिक पढ़े जानेवाले और चैनलों पर सर्वाधिक देखे सुने जानेवाले समाचार राजनीति से जुड़े होते हैं। राजनीति की उठा-पटक, लटके झटके, आरोप-प्रत्यारोप, रोचक-रोमांचक, झूठ-सच, आना-जाना आदि से जुड़े समाचार सुर्खियों में होते हैं। राजनीति से जुड़े समाचारों का पूरा का पूरा बाजार विकसित हो चुका है । राजनीतिक समाचारों के बाजार में समाचार पत्र और समाचार चैनल अपने उपभोक्ताओं को रिझाने के लिए नित नये प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। चुनाव के समय में तो प्रयोगों की झडी लग जाती है और हर कोई एक-दूसरे को पछाड़कर आगे निकल जाने की होड़ में शामिल हो जाता है। लोकतंत्र की दुहाई के साथ जीवन के लगभग हर क्षेत्र में राजनीति की दखल बढ़ी है और इस कारण राजनीतिक समाचारों की भी संख्या बढ़ी है। ऐसे में इन समाचारों को अनदेखा कर पाना संभव नहीं है। राजनीतिक समाचारों की आकर्षक प्रस्तुति लोकप्रियता प्राप्त करने का बहुत बड़ा साधन बन चुकी है।

अपराध पत्रकारिता

राजनीतिक समाचार के बाद अपराध समाचार ही महत्वपूर्ण होते हैं। बहुत से पाठकों व दर्शकों को अपराध समाचार जानने की जिज्ञासा होती है। इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए ही समाचार पत्रों व चैनलों में अपराध डायरी, सनसनी, वारदात, क्राइम फाइल जैसे समाचार कार्यक्रम प्रकाशित एवं प्रसारित किए जा रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार किसी समाचार पत्र में लगभग पैंतीस प्रतिशत समाचार अपराध से जुड़े होते हैं। इसी से अपराध पत्रकारिता को बल मिला है। दूसरी बात यह कि आपराधिक घटनाओं का सीधा संबंध व्यक्ति, समाज, संप्रदाय, धर्म और देश से होता है। आपराधिक घटनाओं का प्रभाव व्यापक होता है। यही कारण है कि समाचार संगठन बड़े पाठक दर्शक वर्ग का ख्याल रखते हुए इस पर विशेष ध्यान देते हैं।

खोजी पत्रकारिता

खोजी पत्रकारिता वह है, जिसमें आमतौर पर सार्वजनिक महत्व के मामले जैसे भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और गड़बड़ियों की गहराई से छानबीन कर सामने लाने की

कोशिश की जाती है। स्टिंग ऑपरेशन खोजी पत्रकारिता का ही एक नया रूप है। खोजपरक पत्रकारिता भारत में अभी भी अपने शैशव काल में है। इस प्रकार की पत्रकारिता में ऐसे तथ्य जुटाकर सामने लाए जाते हैं, जिन्हें आमतौर पर सार्वजनिक नहीं किया जाता। लेकिन एक वर्ग यह मानता है कि खोजपरक पत्रकारिता कुछ है ही नहीं, क्योंकि कोई भी समाचार खोजी दृष्टि के बिना लिखा ही नहीं जा सकता है। लोकतंत्र में जब आवश्यकता से अधिक गोपनीयता बरती जाने लगे और भ्रष्टाचार चरम पर हो तो खोजी पत्रकारिता ही उसे सामने लाने का एकमात्र विकल्प होती है। खोजी पत्रकारिता से जुड़ी पुरानी घटनाओं पर नजर डालें तो माई लार्ड कांड़ वाटरगेट कांड़, एंडर्सन का पेंटागन पेपर्स जैसे अंतराष्ट्रीय कांड तथा सीमेंट घोटाला कांड, बोफर्स कांड, ताबूत घोटाला कांड जैसे राष्ट्रीय घोटाले खोजी पत्रकारिता के चर्चित उदाहरण हैं |संचार क्रांति, इंटरनेट या सूचना अधिकार जैसे प्रभावशाली अस्त्र अस्तित्व में आने के बाद तो घोटाले उजागर होने का जैसे दौर शुरू हो गया। इसका नतीजा है कि पिछले दिनों 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला, आदर्श घोटाला आदि उल्लेखनीय हैं। समाज की भलाई के लिए खोजी पत्रकारिता अवश्य एक अंग है लेकिन इसे भी अपनी मर्यादा के घेरे में रहना चाहिए।

वॉचडॉग पत्रकारिता

लोकतंत्र में पत्रकारिता को चौथा स्तंभ माना गया है। इस लिहाज से इसका मुख्य कार्य सरकार के कामकाज पर निगाह रखना है और कहीं भी कोई गड़बड़ी हो तो उसका पर्दाफाश करना है। इसे परंपरागत रूप से वॉचडॉग पत्रकारिता कहा जा सकता है । दूसरी ओर सरकारी सूत्रों पर आधारित पत्रकारिता है । इसके अनुसार मीडिया केवल वही समाचार देता है जो सरकार चाहती है और अपने आलोचनापरक पक्ष का परित्याग कर देता है। इन दो बिंदुओ के बीच तालमेल के जरिए ही मीडिया और इसके अनुसार काम करनेवाले विभिन्न समाचार संगठनों की पत्रकारिता का निर्धारण होता है।

एडवोकेसी पत्रकारिता

एडवोकेसी यानि पैरवी करना है। किसी विशेष मुद्दे या विचारधारा के पक्ष में जनमत बनाने के लिए लगातार अभियान चलानेवाली पत्रकारिता को एडवोकेसी पत्रकारिता कहा जाता है। मीडिया व्यवस्था का ही एक अंग है। और व्यवस्था के साथ तालमेल बिठाकर चलनेवाले मीडिया को मुख्यधारा मीडिया कहा जाता है। दूसरी ओर कुछ ऐसे वैकल्पिक सोच रखनेवाले मीडिया होते हैं जो किसी विचारधारा या किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए निकाले जाते हैं। इस प्रकार की पत्रकारिता को एडवोकेसी (पैरवी) पत्रकारिता कहा जाता है। जैसे राष्ट्रीय विचारधारा, धार्मिक विचारधारा से जुड़े पत्र पत्रिकाएँ हैं।

पीत पत्रकारिता

पाठकों को लुभाने के लिए झूठी अफवाहों, आरोप-प्रत्यारोपों, प्रेम संबंधों आदि से संबंधित सनसनीखेज समाचारों से संबंधित पत्रकारिता को पीत पत्रकारिता कहा जाता है। इसमें सही समाचारों की उपेक्षा करके सनसनी फैलानेवाले समाचार या ध्यान खींचनेवाले शीर्षकों का बहुत प्रयोग किया जाता है। इसे समाचार पत्रों की बिक्री बढ़ाने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की टीआरपी बढ़ाने का घटिया तरीका माना जाता है। इसमें किसी समाचार विशेषकर ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति द्वारा किया गया कुछ आपत्तिजनक कार्य, घोटाले आदि को बढ़ा-चढ़ाकर सनसनी बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त पत्रकार द्वारा अव्यवसायिक तरीके अपनाए जाते हैं।

पेज थ्री पत्रकारिता

पेज थ्री पत्रकारिता उसे कहते हैं जिसमें फैशन, अमीरों की पार्टियाँ, जानेमाने लोगों के निजी जीवन के बारे में बताया जाता है।

खेल पत्रकारिता

खेल से जुड़ी पत्रकारिता को खेल पत्रकारिता कहा जाता है। खेल आधुनिक हो या प्राचीन, खेलों में होनेवाले अद्भुत कारनामों को जग जाहिर करने तथा उसका व्यापक प्रचार-प्रसार करने में खेल पत्रकारिता का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज पूरी दुनिया में खेल यदि लोकप्रियता के शिखर पर है तो उसका काफी कुछ श्रेय खेल पत्रकारिता को भी जाता है। खेल केवल मनोरंजन का साधन ही नहीं बल्कि अच्छे स्वास्थ्य, शारीरिक दमखम और बौद्धिक क्षमता का भी प्रतीक है। यही कारण है कि पूरी दुनिया में अति प्राचीनकाल से खेलों का प्रचलन रहा है। आज आधुनिक काल में पुराने खेलों के अतिरिक्त इनसे मिलते-जुलते खेलों तथा अन्य आधुनिक स्पर्धात्मक खेलों ने पूरी दुनिया में अपना वर्चस्व बनाए रखा है। आज स्थिति यह है कि समाचार पत्र तथा पत्रिकाओं के अतिरिक्त किसी भी मीडिया का स्वरूप तब तक परिपूर्ण नहीं माना जाता है जब तक उसमें खेल का भरपूर कवरेज नहीं हो। दूसरी बात यह है कि आज भारत ही नहीं पूरी दुनिया में आबादी का एक बड़ा हिस्सा युवा वर्ग का है जिसकी पहली पसंद विभिन्न खेल स्पर्धाएँ हैं। शायद यही कारण है कि पत्र-पत्रिकाओं में अगर सबसे अधिक कोई पन्ने पढ़े जाते हैं तो वह खेल से संबंधित होते हैं। प्रिंट मीडिया के अतिरिक्त टीवी चैनलों का भी एक बड़ा हिस्सा खेल प्रसारण से जुड़ा होता है। दूसरी ओर कुछ खेल चैनल हैं जो चौबीसों घंटे किसी न किसी खेल को प्रसारित करते ही रहते हैं। पाठकों और दर्शकों की खेल के प्रति दीवानगी का ही नतीजा है कि आज खेल की दुनिया में अधिक धन बरस रहा है। आज धन चाहे विज्ञापन के रूप में हो चाहे पुरस्कार राशि के रूप में, न लुटानेवालों की कमी है और न पानेवालों की । खेलों में धन वर्षा का प्रारंभ कॉर्पोरेट जगत के प्रवेश से हुआ। खेलों में धन की बरसात में कोई बुराई नहीं है लेकिन उसका बदसूरत पहलू भी है। खेलों में गलाकाट स्पर्धा के कारण इसमें फिक्सिंग और डोपिगं जैसी बुराइयों का प्रचलन भी बढ़ने लगा है। फिक्सिंग और डोपिंग जैसी बुराइयाँ न खिलाड़ियों के हित में है और न खेलों के। खेल पत्रकारिता की यह जिम्मदारी है कि वह खेलों में पनप रही उन बुराइयों के खिलाफ लगातार आवाज उठाती रहे। खेल पत्रकारिता से यह अपेक्षा की जाती है कि खेल में खेल भावना की रक्षा हर कीमत पर होनी चाहिए। खेल पत्रकारिता से यह

उम्मीद भी की जानी चाहिए कि आम लोगों से जुड़े खेलों को भी उतना ही महत्व और प्रोत्साहन मिले जितना अन्य लोकप्रिय खेलों को मिल रहा है।

महिला पत्रकारिता

महिला और पुरुष समानता के इस दौर में महिलाएँ अब घर की दहलीज लांघ कर बाहर आ चुकी हैं। प्राय: प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की उपस्थिति और भागिदारी नजर आ रही है। ऐसे में पत्रकारिता के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी भी देखी जाने लगी है। दूसरी बात यह है कि शिक्षा ने महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया है। अब महिलाएँ भी अपने भविष्य के प्रति सचेत हैं। महिला जागरण के साथ-साथ महिलाओं के प्रति अत्याचार और अपराध के मामले भी बढ़े हैं । महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुत सारे कानून बने हैं। महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा दिलाने में महिला पत्रकारिता की अहम् भूमिका रही है। आज महिला पत्रकारिता की अलग से आवश्यकता इसलिए है कि उसमें महिलाओं से जुड़े हर पहलू पर गौर किया जाए और महिलाओं के सर्वांगीण क्किास में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके ।

वर्तमान दौर में राजनीति, प्रशासन, सेना, शिक्षण, चिकित्सा विज्ञान, तकनीकी, उद्योग, व्यापार, समाज सेवा आदि सभी क्षेत्रों में महिलाओं ने अपनी प्रतिभा और दक्षता के बलबूते अपनी राह खुद बनाई है। कई क्षेत्रों में तो कड़ी स्पर्धा और चुनौती के बावजूद महिलाओं ने अपना शीर्ष स्थान बनाया है। विकास के निरंतर तेज गति से बदलते दौर ने महिलाओं को प्रगति का समान अवसर प्रदान किया लेकिन पुरुषों की तुलना में अपनी प्रतिभा और लगन के बलबूते समाज के हर क्षेत्र में अपनी अमिट छाप छोड़ने का जो सिलसिला शुरू किया है वह लगातार जारी है। इसका उदाहरण भारत की इंदिरा नूई, नैना किदवाई, चंदा कोचर, नंदिनी भट्टाचार्य, साक्षी मलिक, पीवी सिंधु साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा आदि के रूप में देखा जा सकता है । आज के दौर में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जहाँ महिलाओं की उपस्थिति महसूस नहीं की जा रही हो। ऐसे में पत्रकारिता भी कहाँ पीछे रहेगी। मृणाल पांडे, विमला पाटील, बरखा दत्त, सीमा मुस्तफा, तवलीन सिंह, मीनल बहोल, सत्य शरण, दीना वकील, सुनीता ऐरन,

कुमुद संघवी चावरे, श्वेता सिंह, पूर्णिमा मिश्रा, मीमांसा मल्लिक, अंजना ओम कश्यप, नेहा बाथम, मीनाक्षी कंडवाल आदि महिला पत्रकारों के आने से देश के हर लड़की को अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल रही है।

महिला पत्रकारिता की सार्थकता महिला सशक्तीकरण से जुड़ी है, क्योंकि नारी स्वातंत्र्य और समानता के इस युग में भी आधी दुनिया से जुड़े ऐसे अनेक पहलू हैं जिनके महत्व को देखते हुए महिला पत्रकारिता की अलग विधा की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

बाल पत्रकारिता

एक समय था जब बच्चों को परी कथाओं, लोक कथाओं, पौराणिक, ऐतिहासिक, धार्मिक कथाओं के माध्यम से बहलाने-फुसलाने के साथ-साथ उनका ज्ञानवर्धन किया जाता था। इन कथाओं का बच्चों के चारित्रिक विकास पर भी गहरा प्रभाव होता था। लेकिन आज संचार क्रांति के इस युग में बच्चों के लिए सूचनातंत्र काफी विस्तृत और अनंत हो गया है। कंप्यूटर और इंटरनेट तक की पहुँच ने उनके बाल मन स्वभाव के अनुसार जिज्ञासा को असीमित बना दिया है। ऐसे में इस बात की आशंका और गुंजाइश बनी रहती है कि बच्चों तक वे सूचनाएं भी पहुँच सकती है जिससे उनके बालमन के भटकाव या विकृति भी संभव है। ऐसी स्थिति में बाल पत्रकारिता की सार्थक सोच बच्चों को सही दिशा की ओर अग्रसर कर सकती है। बाल मन स्वभाव से जिज्ञासु और सरल होते हैं। जीवन की यह वह अवस्था है जिसमें बच्चा अपने माता पिता, शिक्षक और चारों तरफ के परिवेश से ही सीखता है। बच्चे पर किसी भी घटना या सूचना की अमिट छाप पड़ती है। बच्चे के आसपास का परिवेश उसके व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे में उसे दिशा दिखाने का काम पत्रकारिता ही कर सकती है। इसलिए बाल पत्रकारिता बहुत आवश्यक है।

आर्थिक पत्रकारिता

आर्थिक पत्रकारिता में व्यक्तियों, संस्थानों, राज्यों या देशों के बीच होनेवाले आर्थिक या व्यापारिक संबंध के गुण-दोषों की समीक्षा और विवेचन किया जाता है। जिस प्रकार आम तौर पर पत्रकारिता का उद्देश्य किसी भी व्यवस्था के गुण-दोषों को

व्यापक आधार पर प्रचारित-प्रसारित करना है ठीक उसी प्रकार आर्थिक पत्रकारिता का अर्थ व्यवस्था के हर पहलू पर सूक्ष्म नजर रखते हुए उसका विश्लेषण कर समाज पर पड़नेवाले प्रभावों का प्रचार-प्रसार करना होना चाहिए। दूसरी बात यह भी है कि आर्थिक पत्रकारिता को आर्थिक व्यवस्था और उपभेक्ता के बीच सेतू की भूमिका निभानी पड़ती है।

आर्थिक उदारीकरण और विभिन्न देशों के बीच आपसी व्यापारिक संबंधों ने पूरी दुनिया के आर्थिक परिदृश्य को बहुत ही व्यापक बना दिया है। आज किसी भी देश की अर्थ व्यवस्था बहुत कुछ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधों पर निर्भर हो गई है। दुनिया के किसी कोने में मची आर्थिक हलचल या उथल-पुथल अन्य देशों की अर्थ व्यवस्था को प्रभावित करने लगी है। सोने और चांदी जैसी बहुमूल्य धातुओं, कच्चे तेल, यूरो, डॉलर, पाउंड, येन जैसी मुद्राओं की कीमतों में उतार चढ़ाव का प्रभाव पूरी दुनिया में पड़ने लगा है। हर देश अपनी अर्थ व्यवस्थाओं के स्वयं नियामक एवं नियंत्रक के रूप में होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हैं। पूरा विश्व एक बड़ा बाजार बन गया है। इसलिए उसकी गतिविधियों से देश की अर्थ व्यवस्था निर्धारित होने लगी है । ऐसे में पत्रकारिता एक प्रमुख भूमिका निर्वाह कर रही है। उस पर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि विश्व की अर्थ व्यवस्था को प्रभावित करनेवाले विभिन्न कारणों का निरंतर विश्लेषण करने के साथ-साथ उसके गुण-दोषों की चर्चा करे। इसके अतिरिक्त कर चोरी, कालाधन और जाली नोट की समस्या को उजागर करना भी एक चुनौती है। विकसित और विकासशील देशों में कालाधन सबसे बड़ी चुनौती है। कालाधन भ्रष्टाचार से उपजता है और भ्रष्टाचार को ही बढ़ावा देता है। भ्रष्टाचार देश के विकास में बाधक बनती है। इसलिए आर्थिक पत्रकारिता की जिम्मेदारी है कि कालाधन और आर्थिक अपराधों को उजागर करनेवाली खबरों का व्यापक प्रचार-प्रसार करे। दूसरी ओर व्यापार के परंपरागत क्षेत्रों के अतिरिक्त रिटेल, बीमा, संचार, विज्ञान एवं तकनीकी व्यापार जैसे आधुनिक क्षेत्रों ने आर्थिक पत्रकारिता को नया आयाम दिया है।

ग्रामीण एवं कृषि पत्रकारिता

भारत जैसे कृषि प्रधान देश में हमारी अर्थ व्यवस्था काफी कृषि उत्पादों पर निर्भर है। भारत में आज भी लगभग सत्तर प्रतिशत आबादी गाँवों में बसती है। देश के बजट प्रावधानों का बड़ा हिस्सा कृषि एवं ग्रामीण विकास पर खर्च होता है। ग्रामीण विकास के बिना देश का विकास अधूरा है। ऐसे में आर्थिक पत्रकारिता की एक

महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि वह कृषि एवं कृषि आधारित योजनाओं तथा ग्रामीण भारत में चल रहे विकास कार्यक्रम का सटीक आकलन प्रस्तुत करे ।

विशेषज्ञ पत्रकारिता

पत्रकारिता केवल घटनाओं की सूचना देना नहीं है। पत्रकार से अपेक्षा की जाती है कि वह घटनाओं के मूल तक जाकर उसका अर्थ स्पष्ट करे और आम पाठक को बताए कि उस समाचार का क्या महत्व है। इसलिए पत्रकार को भी विशेषज्ञ बनने की आवश्यकता पड़ती है। पत्रकारिता में विषय के आधार पर सात प्रमुख क्षेत्र हैं । इसमें संसदीय पत्रकारिता, न्यायालय पत्रकारिता, आर्थिक पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, विज्ञान और विकास पत्रकारिता, अपराध पत्रकारिता तथा फैशन और फिल्म पत्रकारिता शामिल हैं। इन क्षेत्रों के समाचार उन विषयों में विशेषता प्राप्त किए बिना सही सूचना देना कठिन होता है। ऐसे में इन विषयों के जानकार ही विषय की समस्या, विषय के गुण-दोषों आदि पर सटिक जानकारी प्राप्त कर सकता है।

रेडियो पत्रकारिता

मुद्रण के आविष्कार के बाद संदेशों और विचारों को शक्तिशाली और प्रभावी ढंग से अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचना मनुष्य का लक्ष्य बन गया। इसी से रेडियो का जन्म हुआ। रेडियो के आविष्कार के जरिए आवाज एक ही समय में असंख्य लोगों तक उनके घरों को पहुंचने लगी। इस प्रकार श्रव्य माध्यम के रूप में जनसंचार को रेडियो ने नये आयाम दिए। आगे चलकर रेडियो को सिनेमा और टेलीविजन और इंटरनेट से कड़ी चुनौतियाँ मिली, लेकिन रेडियो अपनी विशिष्टता के कारण आगे बढ़ता गया और आज इसका स्थान सुरक्षित है। रेडियो की विशेषता यह है कि यह सार्वजनिक भी है और व्यक्तिगत भी। रेडियो में लचीलापन है क्योंकि इसे किसी भी स्थान पर किसी भी अवस्था में सुना जा सकता है। दूसरा रेडियो समाचार और सूचना तत्परता से प्रसारित करता है। मौसम संबंधी चेतावनी और प्राकृतिक विपत्तियों के समय रेडियो का यह गुण शक्तिशाली बन पाता है। आज भारत के कोने-कोने में देश की सत्तानवे प्रतिशत जनसंख्या रेडियो सुन पा रही है। रेडियो

समाचार ने जहाँ दिन प्रतिदिन घटित घटनाओं की तुरंत जानकारी का कार्यभार संभाल रखा है वहीं श्रोताओं के विभिन्न वर्गों के लिए विविध कार्यक्रमों की मदद से सूचना और शिक्षा दी जाती है । जैसे युवाओं, महिलाओं, बच्चों किसान, गृहिणी, विद्यार्थियों के लिए अलग-अलग समय में कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक वर्ग को जोड़े रखने में यह एक सशक्त माध्यम के रूप में उभरकर सामने आया है।

व्याख्यात्मक पत्रकारिता

पत्रकारिता केवल घटनाओं की सूचना देना नहीं है । पत्रकार से अपेक्षा की जाती है कि वह घटनाओं के मूल तक जाकर उसका अर्थ स्पष्ट करे और आम पाठक को बताए कि उस समाचार का क्या महत्व है। पत्रकार इस महत्व को बताने के लिए विभिन्न प्रकार से उसकी व्याख्या करता है। इसके पीछे क्या कारण है। इसके पीछे कौन था और किसका हाथ है। इसका परिणाम क्या होगा। इसके प्रभाव से क्या होगा आदि की व्याख्या की जाती है। साप्ताहिक पत्रिकाओं के संपादकीय लेखों में इस प्रकार किसी घटना की जांच पड़ताल कर व्याख्यात्मक समाचार प्रस्तुत किए जाते हैं। टीवी चैनलों में तो आजकल यह ट्रेंड बन गया है कि किसी भी छोटी सी छोटी घटनाओं के लिए भी विशेषज्ञ पैनल बिठाकर उसकी सकारात्मक एवं नकारात्मक व्याख्या की जाने लगी है।

विकास पत्रकारिता

लोकतंत्र का मूल उद्देश्य है- लोगों के लिए शासन और लोगों के द्वारा शासन । इस लोकतंत्र में तीन मुख्य स्तंभ है। ये हैं संसदीय व्यवस्था, शासन व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था । इन तीनों की निगरानी रखता है चौथा स्तंभ - पत्रकारिता शासन द्वारा लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए सही ढंग से काम किया जा रहा है या नहीं इसका लेखा-जोखा प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी मीडिया पर है। विशेषकर भारत जैसे विकासशील देशों के लिए और भी अहम भूमिका है। देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, कृषि एवं किसान, सिंचाई, परिवहन, भूखमरी, जनसंख्या बढ़ने प्राकृतिक आपदा जैसी समस्याएं हैं। इन समस्याओं से निपटने सरकार द्वारा क्या-क्या कदम

उठाए जा रहे हैं। कोई योजना बनी तो उसका फायदा लोगों तक पहुंच पा रहा या नहीं या उसे सही ढंग से लागू किया जा रहा है या नहीं, इन सब के बारे में पत्रकार विश्लेषण कर समाचार प्रस्तुत करने से शासक की आँखें खुल सकती हैं। कहने का तात्पर्य यह कि क्या इन सरकारी योजनओं से देश का विकास हो रहा है या नहीं उसका आकलन करना ही विकास पत्रकारिता का कार्य है। विकास पत्रकारिता के माध्यम से ही इसमें यथासंभव सुधार लाने का मार्ग प्रशस्त होगा।

संसदीय पत्रकारिता

लोकतंत्र में संसदीय व्यवस्था की प्रमुख भूमिका है। संसदीय व्यवस्था के अनुसार संसद में जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि पहुंचते हैं। बहुमत प्राप्त करनेवाला शासन करता है तो दूसरा विपक्ष में बैठता है। दोनों की अपनी-अपनी अहम् भूमिका होती है। इनके द्वारा किए जा रहे कार्य पर नजर रखना पत्रकारिता की अहम् जिम्मेदारी है क्योंकि लोकतंत्र में यही एक कड़ी है जो जनता एवं नेता के बीच काम करता है। जनता किसी का चुनाव इसलिए करती हैं कि वह लोगों की सुख सुविधा तथा जीवनस्तर सुधारने में कार्य करे। लेकिन चुना हुआ प्रतिनिधि या सरकार अगर अपने मार्ग पर नहीं चलते हैं तो उसको सचेत करने का कार्य पत्रकारिता करती है। इनकी गतिविधि, इनके कार्य की निगरानी करने का कार्य पत्रकारिता करती है।

टेलीविजन पत्रकारिता

समाचार पत्र एवं पत्रिका के बाद श्रव्य माध्यम का विकास हुआ। इसके बाद श्रव्य-दृश्य माध्यम का विकास हुआ। दूरसंचार क्रांति में सेटेलाईट, इंटरनेट के विकास के साथ ही इस माध्यम का इतनी तेजी से विकास हुआ कि आज इसके बिना चलना मुश्किल सा हो गया है । इसे मुख्यतः तीन वर्गों में रखा जा सकता है। ये हैं- सूचना, मनोरंजन और शिक्षा । सूचना में समाचार, सामयिक विषय और जनसंचार उद्घोषणाएँ आते हैं। मनोरजंन के क्षेत्र में फिल्मों से संबंधित कार्यक्रम, नाटक, धारावाहिक, नृत्य, संगीत तथा मनोरजंन के विविध कार्यक्रम शामिल हैं। इन कार्यक्रमों का प्रमुख उद्देश्य लोगों का मनोरंजन करना है। शिक्षा क्षेत्र में टेलीविजन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। पाठ्य सामग्री पर आधारित और सामान्य ज्ञान पर

आधारित दो वर्गों में शैक्षिक कार्यक्रमों को बांटा जा सकता है। आज उपग्रह के विकास के साथ ही समाचार चैनलों के बीच गलाकाट प्रतिस्पर्धा चल पड़ी है। इसके चलते छोटी सी छोटी घटनाओं का भी प्रत्यक्ष प्रसारण होने लगा है।

विधि पत्रकारिता

लोकतंत्र के चार स्तंभ में विधि व्यवस्था की भूमिका महत्वपूर्ण है। नए कानून,उनके अनुपालन और उसके प्रभाव से लोगों को परिचित कराना बहुत ही आवश्यक है। कानून व्यवस्था बनाए रखना, अपराधी को सजा देने से लेकर शासन व्यवस्था में अपराध रोकने, लोगों को न्याय प्रदान करना इसका मुख्य कार्य है । इसके लिए निचली अदालत से लेकर उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय तक व्यवस्था है। इसमें रोजाना कुछ न कुछ महत्वपूर्ण फैसले सुनाए जाते हैं। कई बड़ी बड़ी घटनाओं के निर्णय, उसकी सुनवाई की प्रक्रिया चलती रहती है। इसके बारे में लोग जानने के इच्छुक रहते हैं, क्योंकि कुछ मुकदमे ऐसे होते हैं जिनका प्रभाव समाज, संप्रदाय, प्रदेश एवं देश पर पड़ता है। दूसरी बात यह है कि दबाव के चलते कानून व्यवस्था अपराधी को छोड़कर निर्दोष को सजा तो नहीं दे रही है, इसकी निगरानी भी विधि पत्रकारिता करती है।

फोटो पत्रकारिता

फोटो पत्रकारिता ने छपाई तकनीक के विकास के साथ ही समाचार पत्रों में अहम् स्थान बना लिया है। कहा जाता है कि जो बात हजार शब्दों में लिखकर नहीं कही जा सकती है वह एक तस्वीर कह देती है। फोटो टिप्पणियों का प्रभाव व्यापक और सीधा होता है। दूसरी बात ऐसी घटना जिसमें सबूत की आवश्यकता होती है। वैसे समाचारों के साथ फोटो के साथ समाचार प्रस्तुत करने से उसकी विश्वसनीयता बढ़ जाती है।

विज्ञान पत्रकारिता

इक्कीसवीं शताब्दी को विज्ञान का युग कहा गया है। वर्तमान में विज्ञान ने काफी प्रगति कर ली है। विज्ञान ने हमारी जीवन शैली को बदलकर रख दिया है। वैज्ञानिकों द्वारा रोजाना नई नई खोज की जा रही है। इसमें कुछ तो जनकल्याण

कारी हैं तो कुछ विध्वंसकारी भी हैं। जैसे परमाणु की खोज से कई बदलाव ला दिया है लेकिन इसका विध्वंसकारी पक्ष भी है। इसे परमाणु बम बनाकर उपयोग करने से विध्वंस होगा। इस प्रकार विज्ञान पत्रकारिता दोनों पक्षों का विश्लेषण कर उसे प्रस्तुत करने का कार्य करता है।

विज्ञान पत्रकारों को विस्तृत तकनीकी और कभी-कभी शब्दजाल को दिलचस्प रिपोर्ट में बदलकर समाचार पाठक दर्शक की समझ के आधार पर प्रस्तुत करना होता है। वैज्ञानिक पत्रकारों को यह निश्चित करना होगा कि किस वैज्ञानिक घटनाक्रम में विस्तृत सूचना की योग्यता है। साथ ही वैज्ञानिक समुदाय के भीतर होनेवाले विवादों को बिना पक्षपात और तथ्यों के साथ प्रस्तुत करना चाहिए।

शैक्षिक पत्रकारिता

शिक्षा के बिना कुछ भी कल्पना करना संभव नहीं है। पत्रकारिता सभी नई सूचना को लोगों तक पहुंचाकर ज्ञान में वृद्धि करती है। जब से शिक्षा को औपचारिक बनाया गया है तब से पत्रकारिता का महत्व और बढ़ गया है। जब तक हमें नई सूचना नहीं मिलेगी तब तक हमें अज्ञानता घेर कर रखी रहेगी। उस अज्ञानता को दूर करने का सबसे बड़ा माध्यम है पत्रकारिता। चाहे वह रेडियो हो या टेलीविजन या समाचार पत्र या पत्रिकाएँ सभी से नई सूचना प्राप्त होती है, जिससे हमें नई शिक्षा मिलती है। शिक्षित व्यक्ति एक माध्यम में संतुष्ट नहीं होता है। वह अन्य माध्यमों को भी देखना चाहता है। यह जिज्ञासा ही पत्रकारिता को बढ़ावा देती है तो पत्रकारिता उसकी जिज्ञासा के अनुरूप शिक्षा एवं ज्ञान प्रदान कर उसकी जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास करती है।

सांस्कृतिक-साहित्यिक पत्रकारिता

मनुष्य में कला, संस्कृति एवं साहित्य की भूमिका निर्विवादित है। मनुष्य में छिपी प्रतिभा, कला चाहे वह किसी भी रूप में हो उसे देखने से मन को तृप्ति मिलती है । इसलिए मनुष्य हमेशा नई-नई कला, प्रतिभा की खोज में लगा रहता है । इस कला प्रतिभा को उजागर करने का एक सशक्त माध्यम है पत्रकारिता । कला प्रतिभाओं के बारे में जानकारी रखना, उसके बारे में लोगों को पहुंचाने का काम

पत्रकारिता करती है । इस सांस्कृतिक, साहित्यिक पत्रकारिता के कारण आज कई विलुप्त प्राचीन कला जैसे लोकनृत्य, लोक संगीत को खोज निकाला गया है और फिर से जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरी ओर भारत जैसे विशाल और बहु संस्कृति वाले देश में सांस्कृतिक-साहित्यिक पत्रकारिता के कारण देश की एक अलग पहचान बन गई है। कुछ आंचलिक लोक नृत्य, लोक संगीत एक अंचल से निकलकर देश, दुनिया तक पहुँचा है। समाचार पत्र एवं पत्रिकाएँ प्रारंभ से ही नियमित रूप से सांस्कृतिक साहित्यिक कलम को स्थान दे रही है। इसी प्रकार चैनलों पर भी सांस्कृतिक, साहित्यिक समाचारों का चलन बढ़ा है। एक अध्ययन के अनुसार दर्शकों के एक वर्ग ने अपराध व राजनीति के समाचार कार्यक्रमों से कहीं अधिक अपनी संस्कृति से जुड़े समाचार कार्यक्रमों से जुड़ना पसंद किया है। साहित्य व संस्कृति पर उपभेक्तावादी संस्कृति व बाजार का प्रहार देखकर केंद्र व प्रदेश की सरकारें बहुत बड़ा बजट इन्हें संरक्षित करने व प्रचारित तथा प्रसारित करने में खर्च कर रही है। साहित्य एव संस्कृति के नाम पर चलनेवाली बड़ी बड़ी साहित्यिक व सांस्कृतिक संस्थाओं के बीच वाद प्रतिवाद, आरोप-प्रत्यारोप और गुटबाजी ने साहित्य संस्कृति में मसाला समाचारों की संभावनाओं को बहुत बढ़ाया है।

प्रश्न 13. खेल पत्रकारिता किसे कहा जाता है।

उत्तर :

खेल से जुड़ी पत्रकारिता को खेल पत्रकारिता कहा जाता है। खेल आधुनिक हो या प्राचीन, खेलों में होनेवाले अद्भुत कारनामों को जग जाहिर करने तथा उसका व्यापक प्रचार-प्रसार करने में खेल पत्रकारिता का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज पूरी दुनिया में खेल यदि लोकप्रियता के शिखर पर है तो उसका काफी कुछ श्रेय खेल पत्रकारिता को भी जाता है। खेल केवल मनोरंजन का साधन ही नहीं बल्कि अच्छे स्वास्थ्य, शारीरिक दमखम और बौद्धिक क्षमता का भी प्रतीक है। यही कारण है कि पूरी दुनिया में अति प्राचीनकाल से खेलों का प्रचलन रहा है। आज आधुनिक काल में पुराने खेलों के अतिरिक्त इनसे मिलते-जुलते खेलों तथा अन्य आधुनिक स्पर्धात्मक

खेलों ने पूरी दुनिया में अपना वर्चस्व बनाए रखा है। आज स्थिति यह है कि समाचार पत्र तथा पत्रिकाओं के अतिरिक्त किसी भी मीडिया का स्वरूप तब तक परिपूर्ण नहीं माना जाता है जब तक उसमें खेल का भरपूर कवरेज नहीं हो। दूसरी बात यह है कि आज भारत ही नहीं पूरी दुनिया में आबादी का एक बड़ा हिस्सा युवा वर्ग का है जिसकी पहली पसंद विभिन्न खेल स्पर्धाएँ हैं। शायद यही कारण है कि पत्र-पत्रिकाओं में अगर सबसे अधिक कोई पन्ने पढ़े जाते हैं तो वह खेल से संबंधित होते हैं। प्रिंट मीडिया के अतिरिक्त टीवी चैनलों का भी एक बड़ा हिस्सा खेल प्रसारण से जुड़ा होता है। दूसरी ओर कुछ खेल चैनल हैं जो चौबीसों घंटे किसी न किसी खेल को प्रसारित करते ही रहते हैं। पाठकों और दर्शकों की खेल के प्रति दीवानगी का ही नतीजा है कि आज खेल की दुनिया में अधिक धन बरस रहा है। आज धन चाहे विज्ञापन के रूप में हो चाहे पुरस्कार राशि के रूप में, न लुटाने वालों की कमी है और न पानेवालों की । खेलों में धन वर्षा का प्रारंभ कॉर्पोरेट जगत के प्रवेश से हुआ। खेलों में धन की बरसात में कोई बुराई नहीं है लेकिन उसका बदसूरत पहलू भी है। खेलों में गलाकाट स्पर्धा के कारण इसमें फिक्सिंग और डोपिगं जैसी बुराइयों का प्रचलन भी बढ़ने लगा है। फिक्सिंग और डोपिंग जैसी बुराइयाँ न खिलाड़ियों के हित में है और न खेलों के। खेल पत्रकारिता की यह जिम्मदारी है कि वह खेलों में पनप रही उन बुराइयों के खिलाफ लगातार आवाज उठाती रहे। खेल पत्रकारिता से यह अपेक्षा की जाती है कि खेल में खेल भावना की रक्षा हर कीमत पर होनी चाहिए। खेल पत्रकारिता से यह उम्मीद भी की जानी चाहिए कि आम लोगों से जुड़े खेलों को भी उतना ही महत्व और प्रोत्साहन मिले जितना अन्य लोकप्रिय खेलों को मिल रहा है।

प्रश्न 14. पेज थ्री पत्रकारिता में किन लोगो के बारे में बोला जाता है।

उत्तर :

पेज थ्री पत्रकारिता उसे कहते हैं जिसमें फैशन, अमीरों की पार्टियों, फिल्मी सितारों, प्रसिद्ध खिलाड़ियो और जानेमाने लोगों के निजी जीवन के बारे में बताया जाता है।

प्रश्न 15. शिक्षा पत्रकारिता से क्या तात्पर्य है।

उत्तर :

शिक्षा के बिना कुछ भी कल्पना करना संभव नहीं है। पत्रकारिता सभी नई सूचना को लोगों तक पहुंचाकर ज्ञान में वृद्धि करती है। जब से शिक्षा को औपचारिक बनाया गया है तब से पत्रकारिता का महत्व और बढ़ गया है। जब तक हमें नई सूचना नहीं मिलेगी तब तक हमें अज्ञानता घेर कर रखी रहेगी। उस अज्ञानता को दूर करने का सबसे बड़ा माध्यम है पत्रकारिता। चाहे वह रेडियो हो या टेलीविजन या समाचार पत्र या पत्रिकाएँ सभी से नई सूचना प्राप्त होती है, जिससे हमें नई शिक्षा मिलती है। शिक्षित व्यक्ति एक माध्यम में संतुष्ट नहीं होता है। वह अन्य माध्यमों को भी देखना चाहता है। यह जिज्ञासा ही पत्रकारिता को बढ़ावा देती है तो पत्रकारिता उसकी जिज्ञासा के अनुरूप शिक्षा एवं ज्ञान प्रदान कर उसकी जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास करती है।

5. पत्रकार के गुण

एक समय था, जब युवा सबसे पहले रोजगार के रूप में सिविल सेवाओं को चुनते थे, फिर उनकी पसंद होती थी बैंक की नौकरी और उसके बाद अन्य सेवाएँ किंतु आज मीडिया के आकर्षण से कोई नहीं बचा है। मीडिया जहाँ एक ओर जनता की सशक्त आवाज बन कर उभरा है, वहीं वह युवाओं की पहली पसंद भी बनता जा रहा है। ऐसा नहीं कि मीडिया के प्रति यह आकर्षण केवल शहरी क्षेत्रों में ही है, दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों के युवा भी इसके प्रति आकर्षित होकर मीडिया में आते

हैं। मीडिया केवल खबरों से ही नहीं जुड़ा है। मीडिया अपने आप में एक व्यापक शब्द है, जिसमें समाचार, मनोरंजन, ज्ञान, सब कुछ शामिल है। आज भी यही कहा जाता है कि यदि आगे बढ़ना है तो अखबार पढ़ो। अखबार मतलब खबरों का पिटारा। आज अखबार का कलेवर कुछ ऐसा है कि इसमें जीवन से जुड़े प्रत्येक पहलू को समेट लिया जाता है

अब दूसरी ओर है दूरदर्शन और इंटरनेट। दूरदर्शनपर समाचार पढ़े जाते हैं, उनका विश्लेषण किया जाता है, मंथन किया जाता है। विशेषज्ञ अपनी-अपनी राय देते हैं और इसमें भी ज्ञान और मनोरंजन दिखाया जाता है। कंप्यूटर पर भी इंटरनेट के माध्यम से आप ई-पेपर पढ़ सकते हैं, समाचार पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। मीडिया में रोजगार की अपार संभावनाएं मौजूद हैं, बस आपको अपना विषय चुनना है, अपना क्षेत्र पसंद करना है।

पत्रकारिता एक शौक भी है और रोजगार भी। यदि आप में वह जुनून है कि आप इस चुनौतीपूर्ण व्यवसाय को अपना सकें तो ही इस क्षेत्र में आना चाहिए। यहाँभी आपके पास अनेक प्रकार के अवसर मौजूद हैं। बहुत से विकल्प हैं। समाचार पत्र में संपादन के दो भाग महत्त्वपूर्ण हैं- एक है रिपोर्टिंग और दूसरा है संपादन। रिपोर्टिंग का जिम्मा रिपोर्टरों पर होता है और उन खबरों को सही और आकर्षित बना कर कम शब्दों में प्रस्तुत करना संपादक का काम होता है। आमतौर पर एक समाचार पत्र में प्रधान संपादक, संपादक, सहायक संपादक, समाचार संपादक, मुख्य उपसंपादक, वरिष्ठ उपसंपादक और उपसंपादक होते हैं। आप एक रिपोर्टर के रूप में भी कार्य कर सकते हैं किंतु यहाँ यह आवश्यक है कि आप रिपोर्टर के लिए शैक्षणिक योग्यता तो पूरी करते ही हों, साथ ही साथ आप उस विषय पर पूरी पकड़ भी रखते हों। रिपोर्टर के भिन्न-भिन्न विषय होते हैं या यूँ कह सकते हैं कि वह अपने विषय का विशेषज्ञ होता है। वैसे तो समाचार पत्र में सबसे महत्त्वपूर्ण और आवश्यक विषय राजनीति होती है, किंतु इसके अतिरिक्त भी आप अपनी रुचि के अनुसार फैशन, खेल, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, कानून से जुड़ी विषय भी ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप में समाचार को कार्टून के जरिए व्यक्त करने की कला है तो पत्रों में कार्टूनिस्ट के रूप में भी कार्य किया जा सकता है। मुख्यधारा से हट कर यदि हम बात करें तो भी कंप्यूटर ऑपरेटर, डिजाइनर, प्रूफ रीडर, पेज सेटर के रूप में भी कार्य किया जा सकता है।

पत्रकारों में निम्नलिखित महत्वपूर्ण गुण होने चाहिए -

1. प्रेस विधि की जानकारी

एक पत्रकार के रूप में या फिर पत्रकारिता के व्यवसाय से जुड़े किसी भी व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि वह प्रेस विधि की जानकारी रखे। चूँकि पत्रकारिता में भी आचार संहिता है और इसका प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दोनों द्वारा पालन करना आवश्यक है। अत: इसके लिए प्रेस विधि की जानकारी होनी चाहिए। इसमें विशेषत: कॉपीराइट एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट, इंडियन प्रेस काउंसिल आदि शामिल हैं। इसके लिए आज न सिर्फ बाजार में बहुत सी पुस्तकें हैं बल्कि आप इंटरनेट का प्रयोग कर अपने ज्ञान का विस्तार कर सकते हैं। इससे आप किसी भी अनभिज्ञ समस्या का सामना करने से बच सकते हैं।

2. छह ककारों का ज्ञान

चूँकि अधिकतर लोग मीडिया की मुख्य धारा में ही शामिल होना चाहते हैं और आज युवाओं की रुचि टेलीविजन पर आने की है। इसलिए छः ककारों यानी क्या, कहाँ, कब, कौन, क्यों और कैसे का ज्ञान होना और उनका ठीक ढंग से प्रयोग करना आना चाहिए, ताकि वह अपने लेखन यानी स्क्रिप्टिंग में, वाचन में, रिपोर्टिंग में, पैकेज में इनका उपयोग कर समाचार अथवा अपनी रिपोर्ट को और अधिक विश्वसनीय और प्रामाणिक बना सके।

3. सत्यनिष्ठा और ईमानदारी

मीडिया जनता की आवाज होता है और मीडिया को हर भ्रष्टाचार से मुक्त रहना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि इसमें काम करने वाले लोग वेतन से अधिक नैतिक मूल्यों पर बल दें और ईमानदारी से कार्य करें। इसके अतिरिक्त निष्पक्षता भी बहुत आवश्यक है। मीडिया से जुड़े हर व्यक्ति को पूर्ण रूप से निष्पक्ष रहना चाहिए

4. भाषा

पत्रकार की भाषा उसके दायित्वों का सुखद संयोजन करती प्रतीत होनी चाहिए। ऐसा न हो कि कार्यक्रम बच्चों का है और आप इतने भारी-भरकम शब्दों का प्रयोग करें, जो बच्चों की समझ से बाहर हों। ऐसे में कार्यक्रम का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। यहाँ पत्रकार को अपना पांडित्य दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार यदि वह कोई स्वास्थ्य से जुड़ा कार्यक्रम कर रहा है तो उसे चाहिए कि वह उस कार्यक्रम के तकनीकी पक्षों को समझे और उसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग करे । समाचार लेखन एक कला है। ऐसे में पत्रकार को लेखन कला में अभ्यस्त होना चाहिए । उसे भाषा पर अधिकार होना चाहिए। इसके साथ ही पत्रकार को यह भी ध्यान रखना होगा कि उसके पाठक वर्ग किस प्रकार के हैं। समाचार पत्र में अलग-अलग समाचार के लिए अलग-अलग भाषा दिखाई पड़ती है। जैसे कि अपराध के समाचार, खेल समाचार या वाणिज्य समाचार की भाषा अलग-अलग होती है। लेकिन उन सब में एक समानता होती है। वह यह है कि सभी प्रकार के समाचारों में सीधी, सरल और बोधगम्य भाषा का प्रयोग किया जाता है।

5. निर्भीक, निडर तथा सत्यान्वेषी

एक सफल पत्रकार के लिए यह बहुत आवश्यक है कि वह निर्भिक, निडर तथा निरंतर सत्यान्वेषी रहे । बहुत से लोग, जो इस काम को आसान समझते हैं, वे लेखन करते समय बौखला जाते हैं, लेखनी लड़खड़ा जाती है। इसे लेखनी का भय कहते हैं। स्वाभाविक बात है कि समाचार पत्र ही पत्रकार का दर्पण होता है। जब पत्रकार समाचार पत्र में आत्मविश्वास के साथ लिखता है तो वह पाठकों के स्तर तक पहुँचता है। पत्रकार के लिए यह भी आवश्यक है कि उसे यह ज्ञान होना चाहिए कि वह पाठकों के लिए क्या लिख रहा है, कैसा लिख रहा है और क्यों लिख रहा है।

6. निष्पक्ष

बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने व्यक्तित्व को लेकर आशंकित रहते हैं। यहाँ यह महत्त्वपूर्ण है कि एक अच्छे पत्रकार के लिए उसका व्यक्तित्व महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उस पर पक्षपाती होने का आरोप नहीं लगना चाहिए। उसे संतुलित ढंग से बिना किसी भेदभाव व पक्षपात के साथ अपने दायित्वों का निर्वाह करना चाहिए।

7. समाचार बोध

एक अच्छे पत्रकार में मनोवैज्ञानिक, वकील, कुशल लेखक, वक्ता और गुप्तचर के गुणों का समावेश होना चाहिए। तभी वह एक घटना में समाचार का बोध कर उसे जनता के समक्ष ला पाता है। इसके अतिरिक्त उसे दूरदर्शी भी होना चाहिए, तभी वह यह समझ पाएगा कि किस खबर का लोगों, समाज और देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

8. कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर का ज्ञान

आज आप कंप्यूटर के बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। जीवन के प्रत्येक स्तर पर कंप्यूटर का प्रयोग होता है और यही कारण है कि मीडिया भी इससे अछूता नहीं है । आप मीडिया में तभी सफल हो सकते हैं, यदि आप कंप्यूटर जानते हैं। कंप्यूटर के साथ-साथ यदि आप वहाँ प्रयोग होने वाले सॉफ्टवेयर में भी पारंगत हो तो और भी अच्छा होता है। आज बहुत-सी जगहों पर एडोबी इनडिजाइनर सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जा रहा है, जो पेज मेकिंग के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसलिए कम्प्यूटर का कार्य साधक ज्ञान आवश्यक है। इसके अतिरिक्त इन्ट्रो, टाइटल, बैनर, क्रॉस लाइन, ड्रॉपलाइन, ब्लॉक, डिस्पले, लेट न्यूज, डमी, डबलैट, क्लासीफाइड, कॉलम जैसे तकनीकी शब्दों का ज्ञान भी होना चाहिए।

9. स्मरणशक्ति

कई बार पत्रकार को बहुत से समाचारों के लिए दिन-प्रतिदिन की महत्वपूर्ण घटनाओं को अच्छी प्रकार से याद रखना पड़ता है। इसके लिए यदि पत्रकार की तैयारी अच्छी नहीं होगी और स्मरणशक्ति कमजोर होगी तो समाचार लिखने में तैयार करने में समय लगेगा।

10. समाचार का ज्ञान

समाचार वाचक का कार्य खबरों से जुड़ा है और उसे न सिर्फ खबरें लिखनी होती हैं, बल्कि वह खबरों का विश्लेषण भी करता है, खबरों का मंथन करता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि आपका ज्ञान और अनुभव अच्छा हो, ताकि आप किसी भी

घटना से जुड़ी अन्य बातें भी दर्शकों के सामने ला सकें और समाचार या कार्यक्रम को और भी रोचक बना सकें।

11. सक्रियता

एक सफल पत्रकार के लिए अत्यंत आवश्यक है कि वह हर स्तर पर सक्रिय रहे । यह सक्रियता उसे समाचार संकलन और लेखन दोनों में दृष्टिगोचर होनी चाहिए । सक्रियता होगी तो समाचार में नयापन और ताजगी आएगी। अनुभवी पत्रकार अपने परिश्रम और निजी सूत्रों से सूचनाएँ प्राप्त करते हैं और उन्हें समाचार के रूप में परिवर्तित करते हैं। वह पत्र और पत्रकार सम्मानित होते हैं जिसके पत्रकार जासूसो की प्रकार सक्रिय रहते हैं और अपने संपर्क सूत्रों को जिंदा रखते हैं ।

12. विश्वास पात्रता

विश्वा सपात्रता पत्रकार का ऐसा गुण है जिसे प्रयत्नपूर्वक प्राप्त किया जा सकता है। संपर्क सूत्र से पत्रकार को समाचार प्राप्त होते हैं। पत्रकार को हमेशा उसका विश्वासपात्र बने रहने से ही समाचार नियमित रूप से मिल सकता है। संपर्क सूत्र हमेशा यह ध्यान रखता है कि उसका जिस पत्रकार के साथ संबंध है वह उसके विश्वास को कायम रखता है या नहीं । अगर सूत्र का संकेत देने से उस व्यक्ति का नुकसान होता है तो उसे कभी भी उससे संपर्क नहीं रखना चाहेगा।

13. वस्तुनिष्ठता

वस्तुनिष्ठता का गुण पत्रकार के कर्तव्य से जुड़ा है। पत्रकार का कर्तव्य है कि वह समाचार को ऐसा प्रस्तुत करे कि पाठक उसे समझते हुए उससे अपना लगाव महसूस करें। चूंकि समाचार लेखन संपादकीय लेखन नहीं होता है, इसलिए लेखक को अपनी राय प्रकट करने की छूट नहीं मिल पाती है। उसका वस्तुनिष्ठ होना अनिवार्य है। लेकिन यह ध्यान रखना होता है कि वस्तुनिष्ठता से उसकी जिम्मेदारी भी जुड़ी हुई है। पत्रकार के उत्तरदायित्व की परख तब होती है जब उसके पास कोई विस्फोटक समाचार आता है।

14. विश्लेषणात्मक क्षमता

पत्रकार में विश्लेषण करने की क्षमता नहीं है तो वह समाचार को रोचक ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाता है। आज के पाठक केवल तथ्य प्रस्तुत करने से संतुष्ट नहीं होता है । समाचार का विश्लेषण चाहता है। पाठक समाचार की व्याख्या चाहता है । समाचार के साथ विश्लेषण दूध में पानी मिलाने की प्रकार घुलामिला रहता है। इसलिए इसे अलग कर प्रस्तुत करने की क्षमता पत्रकार में होनी चाहिए।

पत्रकार की विश्लेषण क्षमता दो स्तर पर होती है- समाचार संकलन के स्तर पर और लेखन के स्तर पर समाचार संकलन में पत्रकार की विश्लेषण क्षमता का उपयोग सूचनाओं और घटनाओं को एकत्र करने के समय होता है। इसके अतिरिक्त पत्रकार सम्मेलन, साक्षात्कार आदि में भी उसकी यह क्षमता उपयोग में आती है। दूसरा स्तर लेखन के समय दिखा देती है। जो पत्रकार समाचार को समझने और प्रस्तुत करने में जितना अधिक अपनी विश्लेषण क्षमता का उपयोग कर सकेगा, उसका समाचार उतना ही अधिक दमदार होगा। इसे व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग भी कहा जाता है। । यदि पत्रकारों में इन गुणों की भरमार है तो सफलता उसके कदम चूमती है।

प्रश्न 16. एक आदर्श पत्रकार में किन गुणों की आवश्यकता होती है? विस्तार के साथ लिखिए।

उत्तर :

एक समय था, जब युवा सबसे पहले रोजगार के रूप में सिविल सेवाओं को चुनते थे, फिर उनकी पसंद होती थी बैंक की नौकरी और उसके बाद अन्य सेवाएँ किंतु आज मीडिया के आकर्षण से कोई नहीं बचा है। मीडिया जहाँ एक ओर जनता की सशक्त आवाज बन कर उभरा है, वहीं वह युवाओं की पहली पसंद भी बनता जा रहा है। ऐसा नहीं कि मीडिया के प्रति यह आकर्षण केवल शहरी क्षेत्रों में ही है, दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों के युवा भी इसके प्रति आकर्षित होकर मीडिया में आते हैं। मीडिया केवल खबरों से ही नहीं जुड़ा है। मीडिया अपने आप में एक व्यापक शब्द है, जिसमें समाचार, मनोरंजन, ज्ञान, सब कुछ शामिल है। आज भी यही कहा जाता है कि यदि आगे बढ़ना है तो अखबार पढ़ो। अखबार मतलब खबरों का पिटारा। आज

अखबार का कलेवर कुछ ऐसा है कि इसमें जीवन से जुड़े प्रत्येक पहलू को समेट लिया जाता है

अब दूसरी ओर है दूरदर्शन और इंटरनेट। दूरदर्शन पर समाचार पढ़े जाते हैं उनका विश्लेषण किया जाता है, मंथन किया जाता है। विशेषज्ञ अपनी-अपनी राय देते हैं और इसमें भी ज्ञान और मनोरंजन दिखाया जाता है। कंप्यूटर पर भी इंटरनेट के माध्यम से आप ई-पेपर पढ़ सकते हैं, समाचार पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। मीडिया में रोजगार की अपार संभावनाएं मौजूद हैं, बस आपको अपना विषय चुनना है, अपना क्षेत्र पसंद करना है।

पत्रकारिता एक शौक भी है और रोजगार भी। यदि आप में वह जुनून है कि आप इस चुनौतीपूर्ण व्यवसाय को अपना सकें तो ही इस क्षेत्र में आना चाहिए। यहाँ भी आपके पास अनेक प्रकार के अवसर मौजूद हैं। बहुत से विकल्प हैं। समाचार पत्र में संपादन के दो भाग महत्त्वपूर्ण हैं एक है रिपोर्टिंग और दूसरा है संपादन। रिपोर्टिंग का जिम्मा रिपोर्टरों पर होता है और उन खबरों को सही और आकर्षित बना कर कम शब्दों में प्रस्तुत करना संपादक का काम होता है। आमतौर पर एक समाचार पत्र में प्रधान संपादक, संपादक, सहायक संपादक, समाचार संपादक, मुख्य उपसंपादक, वरिष्ठ उपसंपादक और उपसंपादक होते हैं। आप एक रिपोर्टर के रूप में भी कार्य कर सकते हैं किंतु यहाँ यह आवश्यक है कि आप रिपोर्टर के लिए शैक्षणिक योग्यता तो पूरी करते ही हों, साथ ही साथ आप उस विषय पर पूरी पकड़ भी रखते हों। रिपोर्टर के भिन्न-भिन्न विषय होते हैं या यूँ कह सकते हैं कि वह अपने विषय का विशेषज्ञ होता है। वैसे तो समाचार पत्र में सबसे महत्त्वपूर्ण और आवश्यक विषय राजनीति होता है, किंतु इसके अतिरिक्त भी आप अपनी रुचि के अनुसार फैशन, खेल, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, कानून से जुड़े विषय भी ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप में समाचार को कार्टून के जरिए व्यक्त करने की कला है तो पत्रों में कार्टूनिस्ट के रूप में भी कार्य किया जा सकता है। मुख्यधारा से हट कर यदि हम बात करें तो भी कंप्यूटर ऑपरेटर, डिजाइनर, प्रूफ रीडर, पेज सेटर के रूप में भी कार्य किया जा सकता है।

पत्रकारों में निम्नलिखित महत्वपूर्ण गुण होने चाहिए -

1. प्रेस विधि की जानकारी:

एक पत्रकार के रूप में या फिर पत्रकारिता के व्यवसाय से जुड़े किसी भी व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि वह प्रेस विधि की जानकारी रखे। चूँकि पत्रकारिता में भी आचार संहिता है और इसका प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दोनों द्वारा पालन करना आवश्यक है। अत: इसके लिए प्रेस विधि की जानकारी होनी चाहिए। इसमें विशेषत: कॉपीराइट एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट, इंडियन प्रेस काउंसिल आदि शामिल हैं। इसके लिए आज न सिर्फ बाजार में बहुत सी पुस्तकें हैं बल्कि आप इंटरनेट का प्रयोग कर अपने ज्ञान का विस्तार कर सकते हैं। इससे आप किसी भी अनभिज्ञ समस्या का सामना करने से बच सकते हैं।

2. छह ककारों का ज्ञान:

चूँकि अधिकतर लोग मीडिया की मुख्य धारा में ही शामिल होना चाहते हैं और आज युवाओं की रुचि टेलीविजन पर आने की है। इसलिए छः ककारों यानी क्या, कहाँ, कब, कौन, क्यों और कैसे का ज्ञान होना और उनका ठीक ढंग से प्रयोग करना आना चाहिए, ताकि वह अपने लेखन यानी स्क्रिप्टिंग में, वाचन में, रिपोर्टिंग में, पैकेज में इनका उपयोग कर समाचार अथवा अपनी रिपोर्ट को और अधिक विश्वसनीय और प्रामाणिक बना सके।

3. सत्यनिष्ठा और ईमानदारी

मीडिया जनता की आवाज होता है और मीडिया को हर भ्रष्टाचार से मुक्त रहना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि इसमें काम करने वाले लोग वेतन से अधिक नैतिक मूल्यों पर बल दें और ईमानदारी से कार्य करें। इसके अतिरिक्त निष्पक्षता भी बहुत आवश्यक है। मीडिया से जुड़े हर व्यक्ति को पूर्ण रूप से निष्पक्ष रहना चाहिए

4. भाषा

पत्रकार की भाषा उसके दायित्वों का सुखद संयोजन करती प्रतीत होनी चाहिए। ऐसा न हो कि कार्यक्रम बच्चों का है और आप इतने भारी-भरकम शब्दों का प्रयोग करें, जो बच्चों की समझ से बाहर हों। ऐसे में कार्यक्रम का उद्देश्य ही विफल

हो जाएगा। यहाँ पत्रकार को अपना पांडित्य दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार यदि वह कोई स्वास्थ्य से जुड़ा कार्यक्रम कर रहा है तो उसे चाहिए कि वह उस कार्यक्रम के तकनीकी पक्षों को समझे और उसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग करे । समाचार लेखन एक कला है। ऐसे में पत्रकार को लेखन कला में अभ्यस्त होना चाहिए । उसे भाषा पर अधिकार होना चाहिए। इसके साथ ही पत्रकार को यह भी ध्यान रखना होगा कि उसके पाठक वर्ग किस प्रकार के हैं। समाचार पत्र में अलग-अलग समाचार के लिए अलग-अलग भाषा दिखाई पड़ती है। जैसे कि अपराध के समाचार, खेल समाचार या वाणिज्य समाचार की भाषा अलग-अलग होती है। लेकिन उन सब में एक समानता होती है। वह यह है कि सभी प्रकार के समाचारों में सीधी, सरल और बोधगम्य भाषा का प्रयोग किया जाता है।

5. निर्भीक, निडर तथा सत्यान्वेषी

एक सफल पत्रकार के लिए यह बहुत आवश्यक है कि वह निर्भिक, निडर तथा निरंतर सत्यान्वेषी रहे । बहुत से लोग, जो इस काम को आसान समझते हैं, वे लेखन करते समय बौखला जाते हैं, लेखनी लड़खड़ा जाती है। इसे लेखनी का भय कहते हैं। स्वाभाविक बात है कि समाचार पत्र ही पत्रकार का दर्पण होता है। जब पत्रकार समाचार पत्र में आत्मविश्वास के साथ लिखता है तो वह पाठकों के स्तर तक पहुँचता है। पत्रकार के लिए यह भी आवश्यक है कि उसे यह ज्ञान होना चाहिए कि वह पाठकों के लिए क्या लिख रहा है, कैसा लिख रहा है और क्यों लिख रहा है।

6. निष्पक्ष

बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने व्यक्तित्व को लेकर आशंकित रहते हैं। यहाँ यह महत्त्वपूर्ण है कि एक अच्छे पत्रकार के लिए उसका व्यक्तित्व महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उस पर पक्षपाती होने का आरोप नहीं लगना चाहिए। उसे संतुलित ढंग से बिना किसी भेदभाव व पक्षपात के साथ अपने दायित्वों का निर्वाह करना चाहिए।

7. समाचार बोध

एक अच्छे पत्रकार में मनोवैज्ञानिक, वकील, कुशल लेखक, वक्ता और गुप्तचर के गुणों का समावेश होना चाहिए। तभी वह एक घटना में समाचार का बाँध कर उसे जनता के समक्ष ला पाता है। इसके अतिरिक्त उसे दूरदर्शी भी होना चाहिए, तभी वह यह समझ पाएगा कि किस खबर का लोगों, समाज और देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

8. कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर का ज्ञान

आज आप कंप्यूटर के बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। जीवन के प्रत्येक स्तर पर कंप्यूटर का प्रयोग होता है और यही कारण है कि मीडिया भी इससे अछूता नहीं है । आप मीडिया में तभी सफल हो सकते हैं, यदि आप कंप्यूटर जानते हैं। कंप्यूटर के साथ-साथ यदि आप वहाँ प्रयोग होने वाले सॉफ्टवेयर में भी पारंगत हो तो और भी अच्छा होता है। आज बहुत-सी जगहों पर एडोबी इनडिजाइनर सॉक्टवेयर का प्रयोग किया जा रहा है, जो पेज मेकिंग के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसलिए कम्प्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान आवश्यक है। इसके अतिरिक्त इन्ट्रो, टाइटल, बैनर, क्रॉस लाइन, ड्रॉपलाइन, ब्लॉक, डिस्पले, लेट न्यूज, डमी, डबलैट, क्लासीफाइड, कॉलम जैसे तकनीकी शब्दों का ज्ञान भी होना चाहिए।

9. स्मरणशक्ति

कई बार पत्रकार को बहुत से समाचारों के लिए दिन-प्रतिदिन की महत्वपूर्ण घटनाओं को अच्छी प्रकार से याद रखना पड़ता है। इसके लिए यदि पत्रकार की तैयारी अच्छी नहीं होगी और स्मरणशक्ति कमजोर होगी तो समाचार लिखने में तैयार करने में समय लगेगा।

10. समाचार का ज्ञान

समाचार वाचक का कार्य खबरों से जुड़ा है और उसे न सिर्फ खबरें लिखनी होती हैं, बल्कि वह खबरों का विश्लेषण भी करता है, खबरों का मंथन करता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि आपका ज्ञान और अनुभव अच्छा हो, ताकि आप किसी भी घटना से जुड़ी अन्य बातें भी दर्शकों के सामने ला सकें और समाचार या कार्यक्रम को और भी रोचक बना सकें।

11. सक्रियता

एक सफल पत्रकार के लिए अत्यंत आवश्यक है कि वह हर स्तर पर सक्रिय रहे । यह सक्रियता उसे समाचार संकलन और लेखन दोनों में दृष्टिगोचार होनी चाहिए । सक्रियता होगी तो समाचार में नयापन और ताजगी आएगी। अनुभवी पत्रकार अपने परिश्रम और निजी सूत्रों से सूचनाएँ प्राप्त करते हैं और उन्हें समाचार के रूप में परिवर्तित करते हैं। वह पत्र और पत्रकार सम्मानित होते हैं जिसके पत्रकार जासूसो की प्रकार सक्रिय रहते हैं और अपने संपर्क सूत्रों को जिंदा रखते हैं ।

12. विश्वासपात्रता:

विश्वासपात्रता पत्रकार का ऐसा गुण है जिसे प्रयत्नपूर्वक प्राप्त किया जा सकता है। संपर्क सूत्र से पत्रकार को समाचार प्राप्त होते हैं। पत्रकार को हमेशा उसका विश्वासपात्र बने रहने से ही समाचार नियमित रूप से मिल सकता है। संपर्क सूत्र हमेशा यह ध्यान रखता है कि उसका जिस पत्रकार के साथ संबंध है वह उसके विश्वास को कायम रखता है या नहीं । अगर सूत्र का संकेत देने से उस व्यक्ति का नुकसान होता है तो उसे कभी भी उससे संपर्क नहीं रखना चाहेगा।

13. वस्तुनिष्ठता:

वस्तुनिष्ठता का गुण पत्रकार के कर्तव्य से जुड़ा है। पत्रकार का कर्तव्य है कि वह समाचार को ऐसा प्रस्तुत करे कि पाठक उसे समझते हुए उससे अपना लगाव महसूस करें। चूंकि समाचार लेखन संपादकीय लेखन नहीं होता है, इसलिए लेखक को अपनी राय प्रकट करने की छूट नहीं मिल पाती है। उसका वस्तुनिष्ठ होना अनिवार्य है। लेकिन यह ध्यान रखना होता है कि वस्तुनिष्ठता से उसकी जिम्मेदारी भी जुड़ी हुई है। पत्रकार के उत्तरदायित्व की परख तब होती है जब उसके पास कोई विस्फोटक समाचार आता है।

14. विश्लेषणात्मक क्षमता:

पत्रकार में विश्लेषण करने की क्षमता नहीं है तो वह समाचार को रोचक ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाता है। आज के पाठक केवल तथ्य प्रस्तुत करने से संतुष्ट नहीं होता है । समाचार का विश्लेषण चाहता है। पाठक समाचार की व्याख्या चाहता है ।

समाचार के साथ विश्लेषण दूध में पानी मिलाने की प्रकार घुलामिला रहता है। इसलिए इसे अलग कर प्रस्तुत करने की क्षमता पत्रकार में होनी चाहिए।

पत्रकार की विश्लेषण क्षमता दो स्तर पर होती है- समाचार संकलन के स्तर पर और लेखन के स्तर पर समाचार संकलन में पत्रकार की विश्लेषण क्षमता का उपयोग सूचनाओं और घटनाओं को एकत्र करने के समय होता है। इसके अतिरिक्त पत्रकार सम्मेलन, साक्षात्कार आदि में भी उसकी यह क्षमता उपयोग में आती है। दूसरा स्तर लेखन के समय दिखा देती है। जो पत्रकार समाचार को समझने और प्रस्तुतकरने में जितना अधिक अपनी विश्लेषण क्षमता का उपयोग कर सकेगा, उसका समाचार उतना ही अधिक दमदार होगा। इसे व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग भी कहा जाता है। । यदि पत्रकारों में इन गुणों की भरमार है तो सफलता उसके कदम चूमती है।

प्रश्न 17. पत्रकारिता में छह ककारों का ज्ञान का गुण क्यों चाहिए ।

उत्तर :

पत्रकारिता में छह ककारों का ज्ञान का गुण इसलिए चाहिए चूँकि अधिकतर लोग मीडिया की मुख्य धारा में ही शामिल होना चाहते हैं और आज युवाओं की रुचि टेलीविजन पर आने की है। इसलिए छः ककारों यानी क्या, कहाँ, कब, कौन, क्यों और कैसे का ज्ञान होना और उनका ठीक ढंग से प्रयोग करना आना चाहिए, ताकि वह अपने लेखन यानी स्क्रिप्टिंग में, वाचन में, रिपोर्टिग में, पैकेज में इनका उपयोग कर समाचार अथवा अपनी रिपोर्ट को और अधिक विश्वसनीय और प्रामाणिक बना सके।

प्रश्न 18. पत्रकार के कोन से दो विश्लेषण क्षमता के स्तर होते है ।

उत्तर :

पत्रकार की विश्लेषण क्षमता दो स्तर पर होती है- समाचार संकलन के स्तर पर और लेखन के स्तर पर समाचार संकलन में पत्रकार की विश्लेषण क्षमता का उपयोग सूचनाओं और घटनाओं को एकत्र करने के समय होता है। इसके अतिरिक्त पत्रकार सम्मेलन, साक्षात्कार आदि में भी उसकी यह क्षमता उपयोग में आती है। दूसरा स्तर लेखन के समय दिखा देती है। जो पत्रकार समाचार को समझने और प्रस्तुतकरने में जितना अधिक अपनी विश्लेषण क्षमता का उपयोग कर सकेगा, उसका

समाचार उतना ही अधिक दमदार होगा। इसे व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग भी कहा जाता है। । यदि पत्रकारों में इन गुणों की भरमार है तो सफलता उसके कदम चूमती है।

6. भारत के प्रमुख हिन्दी समाचार पत्र

हिन्दुस्तान

दैनिक हिन्दुस्तान हिन्दी का दैनिक समाचार पत्र है। यह 1932 में शुरु हुआ था। इसका उद्‌घाटन महात्मा गांधी ने किया था। 1942 का भारत छोड़ो आन्दोलन छिड़ने पर 'हिन्दुस्तान' लगभग 6 माह तक बन्द रहा। यह सेंसरशिप के विरोध में था । एक अग्रलेख पर 6 हजार रुपये की जमानत माँगी गई। देश के स्वाधीन होने तक 'हिन्दुस्तान का मुख्य राष्ट्रीय आन्दोलन को बढ़ावा देना था। इसे महात्मा गाँधी व काँग्रेस का अनुयायी पत्र माना जाता था। गाँधी-सुभाष पत्र व्यवहार को हिन्दुस्तान से अविकल रूप से प्रकाशित किया ।

देवदास गाँधी के मार्गदर्शन में इस पत्र ने उच्च आदर्शों को अपने साथ रखा और पत्रकारिता की स्वस्थ परम्पराएँ स्थापित की। गाँधीजी के प्रार्थना प्रवचन, पं जवाहरलाल नेहरू व सरदार वल्लभ भाई पटेल के भाषण अविकल रूप से 'हिन्दुस्तान' में छपते रहे । दैनिक 'हिन्दुस्तान' का पटना (बिहार) से भी संस्करण प्रकाशित हो रहा है।

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स दिल्ली और मुंबई से प्रकाशित होने वाला एक दैनिक समाचार पत्र है। इसकी प्रकाशक कम्पनी बेनेट, कोलेमन एवं कम्पनी लिमिटेड है, जो द टाइम्स ऑफ़ इण्डिया, द इकॉनॉमिक टाइम्स, महाराष्ट्र टाइम्स जैसे दैनिक अखबारों का प्रकाशन करती है। फ़िल्मफ़ेयर एवं फेमिना जैसी पत्रिकाओं का यह वार्तापत्र प्रकाशन भी करती है । नवभारत टाइम्स इस समूह के सबसे पुराने प्रकाशनों में से एक है। दिल्ली में करीब 4.23 लाख की प्रसार संख्या और 19.7 लाख की पाठक संख्या के साथ यह अखबार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में छाया हुआ है। हिन्दी मुंबई में चौथे नम्बर की भाषा मानी जाती है, इसके बावजूद ग्रेटर मुम्बई क्षेत्र में नवभारत

टाइम्स की प्रसार संख्या 1.3 लाख और पाठक संख्या 4.7 लाख है । इन दोनों शहरों में शुरू से ही नवभारत टाइम्स प्रथम स्थान पर है।

आज

आज हिन्दी भाषा का एक दैनिक समाचार पत्र है। इस समय 'आज' वाराणसी, कानपुर, गोरखपुर, पटना, इलाहाबाद, तथा रांची से प्रकाशित हो रहा है। हिन्दी समाचार पत्रों के इतिहास में 'आज' का प्रकाशन उल्लेखनीय घटना थी। काशी के बाबू शिवप्रशाद गुप्त हिन्दी में ऐसे दैनिक पत्र की कल्पना लेकर विदेश भ्रमण से लौटे (1919 ई) जो 'लन्दन टाइम्स' जैसा प्रभावशाली हो । गुप्तजी ने ज्ञानमण्डल की स्थापना की और 5 सितम्बर 1920 ई. को 'आज' का प्रकाशन हुआ और प्रकाशजी इसके प्रथम सम्पादक बने ।

अमर उजाला

सन् 1948 में डोरीलाल अग्रवाल तथा मुरारीलाल माहेश्वरी ने आगरा से ‘अमर-उजाला’ का प्रकाशन प्रारम्भ किया। 1967 में इसका बरेली संस्करण भी शुरु हुआ। यह पश्चिमी उत्तरप्रदेश के आगरा, बुलन्दशहर, अलीगढ़, मथुरा, बरेली आदि जिलों का लोकप्रिय पत्र है। 11 दिसम्बर 1968 से 'अमर उजाला' का मेरठ से भी प्रकाशन होना लगा है।

'अमर उजाला' (आगरा) के प्रबन्ध सम्पादक अनिल कुमार अग्रवाल तथा स्थानीय सम्पादक अजय कुमार अग्रवाल हैं। पश्चिमी उत्तरप्रदेश के प्रमुख जिलों में के सबसे अधिक लोकप्रिय पत्र 'अमर उजाला' ही है। साज-सज्जा, समाचार प्रस्तुती करण, समाचार लेखन बहुत ही सुन्दर है। आज अमर उजाला बहुत बड़ा अखबार है।

दैनिक भास्कर

दैनिक भास्कर भारत का एक प्रमुख हिंदी दैनिक समाचार पत्र है। भारत के 12 राज्यों (व संघ-क्षेत्रों) में इसके 65 संस्करण प्रकाशित हो रहे हैं। भास्कर समूह के प्रकाशनों में दिव्य भास्कर (गुजराती) और डीएनए (अंग्रेजी) और पत्रिका अहा ज़िंदगी भी शामिल हैं। 2015 में यह देश का सबसे अधिक पढ़ा जाने वाला समाचार पत्र बना

दैनिक जागरण

दैनिक जागरण उत्तर भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय समाचार पत्र है। पिछले कई वर्षों से यह भारत में सर्वाधिक प्रसार संख्या वाला समाचार पत्र बन गया है। यह समाचार पत्र विश्व का सर्वाधिक पढ़ा जाने वाला दैनिक है। इस बात की पुष्टि विश्व समाचार पत्र संघ (वैन) द्वारा की गई है। वर्ष 2008 में बीबीसी और रॉयटर्स की नामावली के अनुसार [4] यह प्रतिवेदित किया गया कि यह भारत में समाचारों का सबसे विश्वसनीय स्रोत दैनिक जागरण है।

नई दुनिया

नई दुनिया मीडिया लिमिटेड द्वारा संचालित एक दैनिक हिन्दी समाचार पत्र है । भारत की स्वतन्त्रता से कुछ दिन पूर्व 5 जून 1947 को इसकी स्थापना इन्दौर में हुई

“नई दुनिया” का प्रकाशन इंदौर से 5 जून 1947 को कृष्णचन्द्र मुदकल तथा कृष्णकांत व्यास के सद्प्रयत्नों से आरम्भ हुआ। उस समय यह एक छोटा सा सायंकालीन दैनिक था। मध्यप्रदेश बनने के बाद नई दुनिया' ने अपने रायपुर (1952) और जबलपुर (1959) संस्करण प्रारम्भ किये लेकिन वे 1971 में बन्द कर दिये गए। हालांकि बाद में छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनने के बाद नई दुनिया का रायपुर और बिलासपुर संस्करण का प्रकाशन आरंभ हुआ।

जनसत्ता

जनसत्ता इंडियन एक्सप्रेस समूह का हिन्दी अख़बार है। इसकी स्थापना इंडियन एक्सप्रेस, दिल्ली के संपादक प्रभाष जोशी ने की थी। 1983 में शुरू हुए इस अखबार ने रातों रात सबको पीछे छोड़ दिया और इसके कई संस्करण निकले। इसके सम्पादक मुकेश भारद्वाज हैं। जनसत्ता कोलकत्ता, चंडीगढ़ और रायपुर से भी निकलता है।

हिन्दी पत्रकारिता को नया आयाम देने वालों में दिल्ली से प्रकाशित दैनिक 'जनसत्ता' का नाम अग्रणी है। खोजपूर्ण पत्रकारिता को नए तेवर देने का श्रेय यदि किसी पत्र को दिया जा सकता है तो वह है-जनसत्ता'। अपनी विशेष शैली, आम भाषा, तेज-तर्रार सम्पादकीय लेखों तथा समाचारों के प्रस्तुती करण ने इसे न केवल दिल्ली का बल्कि पूरे देश का लोकप्रिय पत्र बना दिया और उसे ही कुछ वर्षो में श्रेष्ठ हिन्दी दैनिक पत्रों में ला खड़ा किया।

खोज खबर, गपशप, किताबें, अर्थात्, इस पत्र के सर्वाधिक लोकप्रिय स्तम्भ हैं। इसका रविवारीय संस्करण रविवारीय जनसत्ता' विविध सामियक सामग्री से परिपूर्ण है। सामयिक लेख, कविता, कहानी, नन्ही दुनियां, जोगलिखी, देखी-सुनी, महिला जगत्, आदि इसके नियमित स्तम्भ हैं।

पंजाब केसरी

पंजाब केसरी भारत का प्रमुख हिन्दी दैनिक समाचार पत्र है। यह भारत के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, जम्मू कश्मीर आदि राज्यों के विभिन्न नगरों से प्रकाशित होता है। यह अत्यधिक प्रसारित समाचार पत्र है।

प्रभात खबर

प्रभात खबर राँची, जमशेदपुर, धनबाद, देवघर, पटना, कोलकाता, सिलीगुड़ी, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और गया से प्रकाशित होने वाला हिन्दी भाषा का एक दैनिक समाचार पत्र है।

देशबन्धु

देशबन्धु हिन्दी भाषा में प्रकाशित एक समाचार पत्र है। इसकी स्थापना 1959 में रायपुर में की गयी, जो अब छतीसगढ़ की राजधानी है।

हरिभूमि

हरिभूमि हिन्दी भाषा में प्रकाशित होने वाला एक दैनिक समाचार पत्र है जो भारत में हरियाणा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में प्रकाशित होता है। इसकी

स्थापना1996 में हुई जो वर्तमान में हरियाणा में रोहतक से, छत्तीसगढ़ में बिलासपुर, रायपुर एवं रायगढ़ से, मध्य प्रदेश में जबलपुर से और दिल्ली से प्रकाशित होता है। हरिभूमि ग्रुप की शुरुआत 5 सितंबर 1996 को साप्ताहिक हिंदी पत्रिका के रूप में हुई थी। बाद में नवंबर 1997 में यह दैनिक हिंदी अखबार के रूप में हरियाणा से रोहतक एडिशन के रूप में लांच किया गया। रोहतक एडिशन के जरिए पूरे हरियाणा राज्य की खबरें प्रकाशित की जाने लगी।

राँची एक्सप्रेस

राँची एक्सप्रेस झारखंड प्रान्त से प्रकाशित हिन्दी दैनिक पत्र है ।

राजस्थान पत्रिका

राजस्थान पत्रिका हिन्दी भाषा में प्रकाशित होने वाला एक भारतीय समाचार पत्र है। यह अखबार भारत के सात राज्यों से प्रकाशित हो रहा है। यह जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा और सीकर सहित कई अन्य क्षेत्रों से राजस्थान से प्रकाशित होता है और राजस्थान के अतिरिक्त भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, रायपुर, अहमदाबाद, ग्वालियर, कोलकाता, चेन्नई, नई दिल्ली और बंगलौर से प्रकाशित होता है।

हिंदी पत्रकारिता को गति देने में दक्षिण भारत के प्रमुख समाचार पत्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हैदराबाद को दक्षिण भारत के मुख्य द्वार के रूप में जाना जाता है। तेलुगु-उर्दू के साथ ही हिंदी को खड़ा करने में हिंदी के समाचार पत्रों की भूमिका अत्यंत उल्लेखनीय है। आर्य समाज के हिंदी प्रचार अभिमान के आरंभिक दौर में मासिक, त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक पत्रिकाओं को प्रमुखता दी गयी। भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात साप्ताहिक तथा दैनिक हिंदी समाचार पत्रों का व्यापक रूप से प्रकाशन होने लगा जिसमें बदरी विशाल पित्ती द्वारा 'कल्पना' नामक पत्रिकाओं ने खूब ख्याति अर्जित की। इनके अतिरिक्त भाग्योदय, संगम, आर्यभानू, दक्षिण समाचार, पूर्णकुंभ (वर्तमान श्रवंति), मध्यांतर विवरण आदि हिंदी की पत्रिकाओं का वर्षों प्रकाशन होता रहा। वर्तमान में दैनिक समाचार पत्र के रूप में ख्याति पत्र डेली हिंदी मिलाप महत्वपूर्ण है। 1920 में खुशहालचंद (महात्मा आनंद स्वामी) ने उर्दू मिलाप लाहौर से किया था ।

1949 में हैदराबाद से उर्दू मिलाप का आरंभ हुआ तथा कुछ वर्षों बाद हिंदी मिलाप साप्ताहिक पत्र तथा कुछ वर्षों बाद दैनिक समाचार पत्र के रूप में युद्धवीर के संपादन में प्रकाशित होने लगा। 1990 के दशक में गिरीश संघी के नेतृत्व में स्वतंत्र वार्ता दैनिक समाचार पत्र को आरंभ डॉ. राधेश्याम शुक्ल के संपादकत्व में किया गया। 1973 में 'हैदराबाद समाचार शुरु किया गया, जिसे अब दक्षिण समाचार' के नाम से जाना जाता है। 1974 में 'संकल्प' (मासिक) मधुसूदन चतुर्वेदी के संपादन में आरंभ हुआ। जिसे 1977 में बैजनाथ चतुर्वेदी ने त्रैमासिक के रूप में प्रतिष्ठा दिलाई। वर्तमान में हिंदी में प्रकाशित दैनिक समाचार पत्रों में डेली हिंदी मिलाप, स्वतंत्र वार्ता, शुभ लाभ अत्यंत उल्लेखनीय है ।

प्रश्न उत्तर

प्रश्न 19. हिंदी के कुछ प्रमुख समाचार पत्र कौनसे हैं? किन्हीं दो के बारे में संक्षिप्त में लिखिए।

उत्तर :

भारत के प्रमुख एवं निम्न लिखित हिन्दी समाचार पत्र है हिन्दुस्तान, नवभारत टाइम्स, आज, अमर उजाला, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, नई दुनिया, जनसत्ता, पंजाब केसरी, प्रभात खबर, देशबन्धु, हरिभूमि, राँची एक्सप्रेस, राजस्थान पत्रिका आदि

दैनिक भास्कर

दैनिक भास्कर भारत का एक प्रमुख हिंदी दैनिक समाचारपत्र है। भारत के 12 राज्यों (व संघ-क्षेत्रों) में इसके 65 संस्करण प्रकाशित हो रहे हैं। भास्कर समूह के प्रकाशनों में दिव्य भास्कर (गुजराती) और डीएनए (अंग्रेजी) और पत्रिका अहा ज़िंदगी भी शामिल हैं। 2015 में यह देश का सबसे अधिक पढ़ा जाने वाला समाचार पत्र बना

नई दुनिया

नई दुनिया मीडिया लिमिटेड द्वारा संचालित एक दैनिक हिन्दी समाचार पत्र है । भारत की स्वतन्त्रता से कुछ दिन पूर्व 5 जून 1947 को इसकी स्थापना इन्दौर में हुई

"नई दुनिया" का प्रकाशन इंदौर से 5 जून 1947 को कृष्णचन्द्र मुदकल तथा कृष्णकांत व्यास के सद्प्रयत्नों से आरम्भ हुआ। उस समय यह एक छोटा सा सायंकालीन दैनिक था। मध्यप्रदेश बनने के बाद नई दुनिया ने अपने रायपुर (1952) और जबलपुर (1959) संस्करण प्रारम्भ किये लेकिन वे 1971 में बन्द कर दिये गए। हालांकि बाद में छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनने के बाद नई दुनिया का रायपुर और बिलासपुर संस्करण का प्रकाशन आरंभ हुआ।

प्रश्न 20. दक्षिण भारत के किन समाचार पात्रो ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

उत्तर :

हिंदी पत्रकारिता को गति देने में दक्षिण भारत के प्रमुख समाचार पत्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हैदराबाद को दक्षिण भारत के मुख्य द्वार के रूप में जा जाता है। तेलुगु-उर्दू के साथ ही हिंदी को खड़ा करने में हिंदी के समाचार पत्रों की भूमिका अत्यंत उल्लेखनीय है। आर्य समाज के हिंदी प्रचार अभिमान के आरंभिक दौर में मासिक, त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक पत्रिकाओं को प्रमुखता दी गयी। भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात साप्ताहिक तथा दैनिक हिंदी समाचार पत्रों का व्यापक रूप से प्रकाशन होने लगा जिसमें बदरी विशाल पित्ती द्वारा 'कल्पना' नामक पत्रिकाओं ने खूब ख्याति अर्जित की। इनके अतिरिक्त भाग्योदय, संगम, आर्यभानू, दक्षिण समाचार, पूर्णकुंभ (वर्तमान श्रवंति), मध्यांतर विवरण आदि हिंदी की पत्रिकाओं का वर्षों प्रकाशन होता रहा। वर्तमान में दैनिक समाचार पत्र के रूप में ख्याति पत्र डेली हिंदी मिलाप महत्वपूर्ण है। 1920 में खुशहालचंद (महात्मा आनंद स्वामी) ने उर्दू मिलाप लाहौर से किया था ।

1949 में हैदराबाद से उर्दू मिलाप का आरंभ हुआ तथा कुछ वर्षों बाद हिंदी मिलाप साप्ताहिक पत्र तथा कुछ वर्षों बाद दैनिक समाचार पत्र के रूप में युद्धवीर के संपादन में प्रकाशित होने लगा। 1990 के दशक में गिरीश संघी के नेतृत्व में स्वयंत्र वार्ता दैनिक समाचार पत्र को आरंभ डॉ. राधेश्याम शुक्ल के संपादकत्व में किया गया । 1973 में 'हैदराबाद समाचार शुरु किया गया, जिसे अब दक्षिण समाचार' के नाम से जाना जाता है। 1974 में 'संकल्प' (मासिक) मधुसूदन चतुर्वेदी के संपादन में आरंभ

हुआ। जिसे 1977 में बैजनाथ चतुर्वेदी ने त्रैमासिक के रूप में प्रतिष्ठा दिलाई। वर्तमान में हिंदी में प्रकाशित दैनिक समाचार पत्रों में डेली हिंदी मिलाप् स्वतंत्र वार्ता, शुभ लाभ अत्यंत उल्लेखनीय है ।

लघु और दीर्घ प्रश्न उत्तर

प्रश्न 1. पत्रकारिता शब्द का अर्थ और परिभाषा की दृष्टि से विश्लेषण कीजिए ।

प्रश्न 2. पत्रकारिता के मूल्यों पर प्रकाश डालिए ?

प्रश्न 3. पत्रकारिता के स्वरूप को विश्लेषित कीजिए।

प्रश्न 4. पत्रकारिता के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए।

प्रश्न 5. हिंदी पत्रकारिता का संक्षिप्त इतिहास लिखिए।

प्रश्न 6. भारतीय पत्रिकारिता में पं. जुगल किशोर की 'उदंत मार्तंड' का क्या योगदान था ?

प्रश्न 7. भारतीय पत्रकारिता की जननी देश के किस धरती को माना जाता है ?

प्रश्न 8. पत्रकारिता के महत्व को समझाइए।

प्रश्न 9. वरिष्ठ पत्रकार राजीव शुक्ल ने शुद्ध विकासात्मक लेखन क्षेत्रों को कितने भागों में विभक्त किया है।

प्रश्न 10. फिल्मी पत्र पत्रिकाएँ पाठक वर्गों में कैसे लोकप्रिय हैं।

प्रश्न 11. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों की पत्रकारिता के महत्व को दर्शाइए ।

प्रश्न 12. पत्रकारिता के प्रकारों का विवरण दीजिए।

प्रश्न 13. खेल पत्रकारिता किसे कहा जाता है।

प्रश्न 14. पेज थ्री पत्रकारिता में किन लोगो के बारे में बोला जाता है।

प्रश्न 15. शिक्षा पत्रकारिता से क्या तात्पर्य है।

प्रश्न 16. एक आदर्श पत्रकार में किन गुणों की आवश्यकता होती है? विस्तार के साथ लिखिए।

प्रश्न 17. पत्रकारिता में छह ककारों का ज्ञान का गुण क्यों चाहिए ।

प्रश्न 18. पत्रकार के कोन से दो विश्लेषण क्षमता के स्तर होते है ।

प्रश्न 19. हिंदी के कुछ प्रमुख समाचार पत्र कौनसे हैं? किन्हीं दो के बारे में संक्षिप्त में लिखिए।

प्रश्न 20. दक्षिण भारत के किन समाचार पात्रो ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

हिंदी साहित्य के विविध आयाम

1. हिंदी में स्त्रीवादी साहित्य

भारत में 20वीं सदी को 'महिला जागरण का युग' कहा जाता है। महिलाओं के संगठित आंदोलन हर दिशा में हो रहे हैं। समाज और परिवार में सुरक्षित स्थिति के लिए, रोजगार और महिला कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा के लिए कानून ला रहे हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मामलों में स्त्रियों की भागीदारी बढ़े इसके लिए सन् 1975 का वर्ष अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाया गया और सन् 1985 तक महिला उत्थान के विशेष कार्यक्रम के लिए अंतरराष्ट्रीय महिला दशक' मनाया गया। जब से महिला सशक्तीकरण वर्ष मनाया गया तब से स्त्री को केंद्र में रखा गया, उससे संबंधित विषय पर लिखा जा रहा है। आज भारत में और विश्व में स्त्रियों की स्थिति ठीक नहीं है।

भारतीय समाज में स्त्री को वैदिक काल से आधुनिक और उत्तर आधुनिक काल तक अनेक उतार-चढ़ाव देखने पड़े हैं। इतिहास की दृष्टि से स्त्रियों की स्थिति प्राचीन काल में अत्यंत गौरवपूर्ण थी, किंतु मध्यकाल में स्त्री के जीवन में बहुत परिवर्तन आए। हर तरह से स्त्री का शोषण किया जाने लगा। स्त्री नरकीय जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य हो गई। यहाँ के रीति-रिवाजों ने उसे बांध दिया। यहाँ की पितृ सत्तात्मक व्यवस्था ने स्त्री संबंधी ऐसे-ऐसे विधानों की रचना की जिसमें वह पिसती गई और पतनावस्था को प्राप्त हुई। स्त्री को बाल्यावस्था में पिता के अधीन, यौवन-काल में पति के अधीन और बुढ़ापे में पुत्र के अधीन रहने के लिए कहा गया है। स्त्री को अपने पिता, पति तथा पुत्र से कभी अलग नहीं होना चाहिए, ऐसा इस पुरुष सत्तात्मक व्यवस्था का मानना था। स्वच्छंद स्त्रियाँ दोनों (पिता व पति) के कुलों को बदनाम करती है ऐसा बताया गया है।

देखा जाए तो भारतीय समाज पितृसत्तात्मक समाज है, जिसमें नारी को सदैव घर और बाहर दुय्यम दर्जा दिया गया। शारीरिक बनावट की भिन्नता के कारण वह पुरुष से एकदम अलग है। इसी भिन्नता के कारण स्त्री की अलग पहचान है। इसी भिन्नता के कारण उसे अनेक कष्ट झेलने पड़ते हैं। इतना ही नहीं बल्कि उसे सदैव आर्थिक रूप से परावलंबी बनाया गया है। शिक्षा, स्वातंत्र्य एवं समुचित वाता अभाव के कारण स्त्री की नींव कमजोर है। स्त्री की नींव को मजबूत बनाने के लिए स्त्री अपने अधिकार की माँग को लेकर प्राचीन काल से आते-आते आज तक बहुत संघर्ष करती आयी है। आज भी वैज्ञानिक युग में उसकी स्थिति में जितना सुधार होना था उतना नहीं हो पाया, इन्हीं सारी चीज़ों को जो उसने खोया है आज वह पाना चाहती है । वह भी 'स्वतंत्र मनुष्य' है, उसे भी जीने का अधिकार है, उसे भी सभी क्षेत्रों में अधिकार चाहिए यही उसकी माँग है। इन्हीं माँगों को आधार बनाकर स्त्रीवाद लिखा जा रहा है। आज तक स्त्रियों को इस समाज ने दिया अन्याय, अत्याचार कैसे लगता था, उसका ही चित्रण हम स्त्रीवादी साहित्य में पाते हैं। जिसमे अनेक रचनाकार हैं।

आखिर स्त्रीवाद क्या है?

'स्त्रीवाद' शब्द का अर्थ: स्त्री के अनेक पर्यायवाची शब्द हैं। अबला, नारी, वामा, कांता, ललना, सुंदरी, रमणी आदि। 'स्त्रीवाद' शब्द को सही ढंग से समझने के लिए उसे दो भागों में देख सकते हैं। 'स्त्री' तथा 'वाद' । 'स्त्री' वैदिक संस्कृत शब्द है । स्त्री शब्द की व्युत्पत्ति के अनुसार स्त्री सूत्री, जन्मदात्री अर्थात् वह परिवार की सूत्रधारक होने से स्त्री कही जाती है।

भोलानाथ तिवारी के अनुसार 'स्त्री के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द 'अबला, -औरत, इस्तिरी, कबीला, कांता, कामिनी, त्रिया, दारा, नारी, मालिनी, मादा...है । " 'स्त्रीवाद पुरुष और स्त्री के बीच नकारात्मक भेद-भाव की जगह स्त्री के प्रति सकारात्मक पक्षपात की बात करता है।"

वास्तव में 'स्त्रीवाद' का सामान्य अर्थ 'स्त्री के संदर्भ में विचार, विनिमय करना है। स्त्रियों के विषय में विचार एवं चिंतन करना है। स्त्री का स्त्री के लिए स्त्री द्वारा लिखा गया लेखन और बाद है। इसमें स्त्रीवाद को केंद्र में रखकर स्त्री शोषण, स्त्री मुक्ति, स्त्री अधिकार, स्त्री-पुरुष के आपसी भेद आदि बिंदुओं को उद्घाटित किया जा रहा है।'

स्त्रीवाद की परिभाषा एवं स्वरूप

स्त्रीवाद शब्द मूलतः अंग्रजी शब्द feminism (फेमिनिज्म) शब्द का हिंदी अनुवाद है। जिसका अर्थ है नारी अधिकारवाद। हिंदी में स्त्रीवाद नारीवाद और है महिलावाद आदि शब्द का उपयोग किया जाता है, जिससे स्त्रियों के अधिकारों का समर्थन किया जाता है । स्त्री अपनी पहचान के लिए सदियों से पुरुष पर निर्भर रही है। 'नारी' शब्द से भी उसके नर पर आधारित होने का भाव झलकता है। स्त्री संघर्ष, जागृति अधिकार मुक्ति आदि को स्त्रीवाद की संज्ञा दी जाती है।

स्त्रीवाद एक व्यापक अवधारणा है जो किसी एक तत्व पर आधारित नहीं है। उसके कई स्तर हैं। स्त्रीवाद को परिभाषित करने के लिए अनेक विद्वानों ने प्रयास किया है। जो इस प्रकार हैं

1. "स्त्रीवाद राजनीतिक आंदोलन के साथ विशिष्ट संबंध रखने वाली विचार प्रणाली है, जिसमें पुरुषों की तुलना में स्त्रियों को दोयमता क्यों और कैसी प्राप्त हुईइस बात का विश्लेषण किया जाता है। साथ ही यह असंतुलन कैसे समाप्त किया जा सकता है उसके लिए कौनसी चुनौतियों का स्वीकार करना होगा, इस पर भी प्रकाश डाला जाता है।"

2. सुमन राजे के अनुसार "शारीरिक, मानसिक और भावात्मक रूप से स्त्रियों का दमन करनेवाले पुरुषों को अपनी रक्षा करते हुए और साथ ही स्त्रियों को दबाकर रखने की पुरुषों में बद्धमूल दुष्प्रवृत्ति की उन्मूलन विधियों का अन्वेषण करने वाली चेतना ही स्त्रीवाद है।"

3. डॉ. अश्विनी ढोंगड़े के अनुसार संस्कृति के हजारों वर्षों के इतिहास ने स्त्री के 'स्त्रीत्व' को नकारते हुए उसे जिस पशुतुल्य अवस्था तक पहुँचाया है उससे बाहर निकल कर अपने अधिकार प्राप्त कर प्रस्थापित करने के लिए उत्पन्न मंच 'स्त्रीवाद' है उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर विचार करने के बाद स्त्रीवाद का स्वरूप कुछ स्पष्ट होता है। स्त्रीवाद एक ऐसा सामाजिक और राजनैतिक आंदोलन है जो समाज में पुरुषवादी संरचना को समाप्त कर स्त्री पुरुष भेद रहित समाज रचना की वकालत करता है। जिससे स्त्रियों को भी पुरुषों के बराबर अपनी उन्नति का अवसर मिल सके। आज के युग में संवैधानिक रूप से स्त्री को पुरुषों के समान अधिकार दिए गए हैं परंतु समाज में स्त्रियों की ओर से उन अधिकारों का प्रयोग बहुत कम होता है। इसका प्रमुख कारण है कि अधिकारचेता स्त्री को आज भी समाज में सम्मान की दृष्टिसे नहीं देखा जाता ।

इस प्रकार इन अधिकारों के प्रति स्त्रियों में जागरूकता और स्त्रियों के संदर्भ में समाज की मानसिकता को बदलना 'स्त्रीवाद' का मुख्य उद्देश्य है।

स्त्रीवादी आंदोलन

1. विश्व स्तर पर स्त्रीवादी आंदोलन

स्त्री मुक्त चेतना और स्त्री मुक्ति आंदोलन के इतिहास की शुरुआत ब्रिटेन और अमेरिका में हुई है। वहाँ पर अविगेल एडम्स और मर्सी वारेने के नेतृत्व में मताधिकार और संपत्ति के अधिकार के लिए स्त्री आंदोलन 18 वीं शती में लड़ा गया है। वहाँ पर सामाजिक समानता की भी माँग की गई। सन् 1792 ई. में फ्रांसीसी क्रांति के महिला मुक्ति आंदोलन से प्रभावित होकर सन् 1857ई. में संयुक्त राज्य अमेरिका में महिला और पुरुषों के समान वेतन को लेकर हड़ताल हुई थी। इसी दिन को बाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया गया। इसी के साथ विश्वभर में स्त्री मुक्ति आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी ।

सन् 1848 ई. में कुछ सामाजिक कार्यकर्ता महिलाओं ने एक सम्मेलन किया जिसमें नारी मुक्ति से संबंधित एक वैचारिक घोषणा पत्र जारी किया। इन महिलाओं में ऐलिजाबेथ कैंडी स्टैंटन, लुक्रसिया कालिनमोर प्रमुख हैं। इस सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि स्त्री को संपूर्ण और बराबरी के कानूनी अधिकार दिए जाए। उन्हें पढ़ने का अवसर दिया जाए । समान मजदूरी दी जाए। वोट देने का अधिकार दिया जाए। इस तरह की माँगें पारित की गई। यह आंदोलन जल्द ही सारे यूरोप में फैल गया। लेकिन असली सफलता सन् 1920 में जाकर मिली जब अमेरिका में स्त्रियों को वोट डालने का अधिकार मिला। इस प्रकार विश्व के अनेक देशों में नारीवादी आंदोलन आरंभ हुआ । लेकिन सन् 1951 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने भारी बहुमत से महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों का नियम पारित किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नारी मुक्ति के आंदोलन का प्रारंभ तभी से माना जाता है। आधुनिक नारीवाद के विकास का पहला मील का पत्थर सन् 1946 ई. में प्रकाशित सिमोन द बोउवा की कृति 'द सेकेंड सेक्स' को माना जाता है।

भारतीय स्त्रीवादी आंदोलन

भारत में नारीवाद भारतीय महिलाओं के लिए समान राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकारों को स्थापित करने के लिए समान अवसर प्रदान करने के लिए आरंभ किया गया आंदोलन है। यह भारत के समाज में नारी के अधिकारों की संकल्पना है। विश्व में जो नारीवादी आंदोलन हुए वैसे ही भारत में नारीवादी लैंगिक समानता, समान रोजगार और आत्मनिर्भरता, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए समान अधिकार, राजनीतिक अधिकार की माँग ही नारीवाद का मुख्य उद्देश्य है।

भारत में स्त्रीवादी आंदोलन का आरंभ नवजागरण के साथ ही हुआ है। भारत में 20 वीं शताब्दी में स्त्री स्वातंत्र्य की चेतना का प्रारंभ हुआ जिसके बीज 19 वीं सदी के अंत में दिखाई देते हैं। 20 वीं सदी में महिलाओं के संगठित आंदोलन हर दिशा में हो रहे थे। जिनका लक्ष्य समाज और परिवार में नारी को आत्मनिर्भर बनाना

था । भारतीय नारीवादियों ने भारत के पितृ सत्तात्मक व्यवस्था के भीतर बदलाव लाना चाहा जैसे कि वंशानुगत कानून और सती प्रथा के विरुद्ध भी आवाज़ उठाई।

देखा जाए तो भारत में नारीवाद के इतिहास को तीन भागों में बाँट सकते हैं। पहले चरण में 19 वीं शती में शुरु हुआ आंदोलन जिसमें ब्रिटिश सरकार का सती प्रथा के बारे में विरोध और उसके बाद हमारे यहाँ के राजाराम मोहनराय जैसे स्त्री के समर्थन का आंदोलन दिखाई देता है। स्त्री से संबंधित बाल विवाह, बहु-विवाह, दहेज प्रथा, सती-प्रथा इत्यादि का इन्होंने विरोध किया। इसी कारण राजाराम मोहनराय को इस आंदोलन का 'जनक' भी माना जाता है।

महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले दंपत्ती ने भी भारत में स्त्री शिक्षा एवं स्त्री जागृति का कार्य तक किया। भारतीय स्त्री शिक्षा के उद्धारक के रूप में इस दंपत्ती को माना जाता है जिन्होंने सवर्ण स्त्रियों से लेकर दलित, निम्नजाति की स्त्रियों तक अधिकार दिलवाने के लिए काम किया। 1850-1940 में ताराबाई शिंदे ने महाराष्ट्र में 'स्त्री पुरुष तुलना किताब लिखी जिसमें स्त्री और पुरुष की तुलना की है। इस निबंध में उन्होंने यही बताने का प्रयास किया है कि यहाँ की पितृ सत्तात्मक व्यवस्था ने स्त्री के जीवन में कैसे अंधकार भर दिया है। उसके जीवन को कैसे नरकमय बनाया गया है।

इसके बाद पंडिता रमाबाई (1858-1922) में दिखाई देती है जिन्होंने अंग्रेज शासित भारत में महिलाओं की मुक्ति के लिए काम किया। वह समाज सुधारक थी जिन्होंने महाराष्ट्र में काम किया ।

महिलाओं को कानूनी रूप से अधिकार दिलाने के लिए, पैतृक संपत्ति में हिस्सा दिलाने के लिए डॉ. बाबासाहब अम्बेड्कर ने 'हिंदू कोड बिल बनाया जिसमें विवाह, उत्तराधिकार गोद लेना आदि संबंधी अनेक कानून बनाए गए थे जिसका शुरु में विरोध हुआ। लेकिन बाद में वही कानून आज संविधान में लागू होता दिखाई दे रहा है।

भारतीय नारीवादी आंदोलनों द्वारा की गई प्रगति के बावजूद, आज भी, आधुनिक भारत में महिलाओं को अन्याय, अत्याचार, भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। आज भी पितृ सत्तात्मक व्यवस्था में स्त्री को झकझोर दिया है। पिछले कई वर्षों से लिंग चयनात्मक गर्भपात की प्रवृत्ति सी सामने आई है। भारतीय नारीवादियों के लिए इस अन्याय के विरुद्ध संघर्ष के रूप में देखा जा सकता है। जिसका चित्रण हिंदी स्त्रीवादी साहित्य ने भी किया है।

हिंदी में स्त्रीवादी साहित्य

नारीवाद के संदर्भ में हिंदी में महादेवी वर्मा, राजेंद्रबाला, घोष, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, उषा प्रियंवदा, शशिप्रभा, राजी सेठ आदि के विचार उल्लेखनीय है । इन्होंने नारी के अधिकारों का संरक्षण और पितृ सत्तात्मक व्यवस्था के प्रति तीव्र विरोध का स्वर मुखरित किया है। कृष्णा सोबती ने 'डार से बिछुड़ी', 'मित्रो मरजानी', 'यारों के यार', 'तीन पहाड़' आदि उपन्यासों में नारी का चित्रण किया। उषा प्रियंवदा ने अपने कथा साहित्य में स्त्री की स्वतंत्रता एवं समानता के अधिकारों पर बल दिया है। उषा प्रियंवद ने 'पचपन खंभे लाल दीवारें' (1961), 'रुकोगी नहीं राधिका' (1967), शेषयात्रा आदि उपन्यासों में स्त्री जीवन के विविध पहलुओं को चित्रित किया है। मन्नू भंडारी के साहित्य में स्त्री की विविध स्थितियों को चित्रित किया गया है।

मृदुला गर्ग ने उसके हिस्से की धूप(1975), 'वंशज' (1976), 'चितकोबरा' (1979), ‘कठगुलाब' (1996) आदि उपन्यासों में नारी जीवन के विविध पहलुओं का चित्रण किया है।

हिंदी में स्त्रीवादी साहित्य ने 20 वीं शती में जोर पकड़ा है। जिसमें अनेक लेखिकाएँ शामिल हुई हैं। हिंदी में स्त्रीवादी साहित्य की कुछ रचनाएँ इस प्रकार हैं "बाधाओं के बावजूद नयी ओर' (उषा महाजन 2001), 'स्त्री सरोकार' (आशारानी व्होरा 2002), 'हम सभ्य औरतें' (मनीषा 2002), 'स्त्रित्व विमर्शः समाज और साहित्य' (क्षमा शर्मा 2002), 'औरत के लिए औरत' (नासिरा शर्मा 2003), 'खुली खिड़कियाँ' (मैत्रेयी पुष्पा 2003), 'उपनिवेश में स्त्री' (प्रभा खेतान 2003), 'हिंदी साहित्य का आधा इतिहास' (सुमन राजे 2003) आदि ।

प्रश्न उत्तर

प्रश्न 1. स्त्रीवाद की परिभाषा लिखिए।

उत्तर :

स्त्रीवाद शब्द मूलत अंग्रजी शब्द के feminism (फेमिनिज्म) शब्द का हिंदी अनुवाद है। जिसका अर्थ है नारी अधिकारवाद। हिंदी में स्त्रीवाद नारीवाद और है महिलावाद आदि शब्द का उपयोग किया जाता है, जिससे स्त्रियों के अधिकारों का समर्थन किया जाता है । स्त्री अपनी पहचान के लिए सदियों से पुरुष पर निर्भर रही है। 'नारी' शब्द से भी उसके नर पर आधारित होने का भाव झलकता है। स्त्री संघर्ष, जागृति अधिकार मुक्ति आदि को स्त्रीवाद की संज्ञा दी जाती है।

स्त्रीवाद एक व्यापक अवधारणा है जो किसी एक तत्व पर आधारित नहीं है। उसके कई स्तर हैं। स्त्रीवाद को परिभाषित करने के लिए अनेक विद्वानों ने प्रयास किया है। जो इस प्रकार हैं

1. "स्त्रीवाद राजनीतिक आंदोलन के साथ विशिष्ट संबंध रखने वाली विचार प्रणाली है, जिसमें पुरुषों की तुलना में स्त्रियों को दोयमता क्यों और कैसी प्राप्त हुई इस बात का विश्लेषण किया जाता है। साथ ही यह असंतुलन कैसे समाप्त किया जा सकता है उसके लिए कौनसी चुनौतियों को स्वीकार करना होगा, इस पर भी प्रकाश डाला जाता है।"

2. सुमन राजे के अनुसार "शारीरिक, मानसिक और भावात्मक रूप से स्त्रियों का दमन करनेवाले पुरुषों को अपनी रक्षा करते हुए और साथ ही स्त्रियों को दबाकर रखने की पुरुषों में बद्धमूल दुष्प्रवृत्ति की उन्मूलन विधियों का अन्वेषण करने वाली चेतना ही स्त्रीवाद है।"

3. डॉ. अश्विनी ढोंगड़े के अनुसार संस्कृति के हजारों वर्षों के इतिहास ने स्त्री के 'स्त्रीत्व' को नकारते हुए उसे जिस पशुतुल्य अवस्था तक पहुँचाया है उससे बाहर निकलकर अपने अधिकार प्राप्त कर प्रस्थापित करने के लिए उत्पन्न मंच 'स्त्रीवाद' है उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर विचार करने के बाद स्त्रीवाद का स्वरूप कुछ स्पष्ट होता है। स्त्रीवाद एक ऐसा सामाजिक और राजनैतिक आंदोलन है जो समाज में पुरुषवादी संरचना को समाप्त कर स्त्री पुरुष भेद रहित समाज रचना की वकालत करता है। जिससे स्त्रियों को भी पुरुषों के बराबर अपनी उन्नति का अवसर मिल सके। आज के युग में संवैधानिक रूप से स्त्री को पुरुषों के समान अधिकार दिए गए हैं परंतु समाज में स्त्रियों की ओर से उन अधिकारों का प्रयोग बहुत कम होता है। इसका प्रमुख कारण है कि अधिकारचेता स्त्री को आज भी समाज में सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता ।

इस प्रकार इन अधिकारों के प्रति स्त्रियों में जागरूकता और स्त्रियों के संदर्भ में समाज की मानसिकता को बदलना 'स्त्रीवाद' का मुख्य उद्देश्य है।

प्रश्न 2. हिंदी में स्त्रीवाद क्या है? बताते हुए स्त्रीवादी आंदोलन पर प्रकाश डालिए।

उत्तर :

नारीवाद के संदर्भ में हिंदी में महादेवी वर्मा, राजेंद्रबाला, घोष, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, उषा प्रियंवदा, शशिप्रभा, राजी सेठ आदि के विचार उल्लेखनीय है । इन्होंने नारी के अधिकारों का संरक्षण और पितृ सत्तात्मक व्यवस्था के प्रति तीव्र विरोध का स्वर मुखरित किया है। कृष्णा सोबती ने 'डार से बिछुड़ी', 'मित्रो मरजानी', 'यारों के यार', 'तीन पहाड़' आदि उपन्यासों में नारी का चित्रण किया। उषा प्रियंवदा ने अपने कथा साहित्य में स्त्री की स्वतंत्रता एवं समानता के अधिकारों पर बल दिया है। उषा प्रियंवद ने 'पचपन खंभे लाल दीवारें' (1961), 'रुकोगी नहीं राधिका' (1967), शेषयात्रा

आदि उपन्यासों में स्त्री जीवन के विविध पहलुओं को चित्रित किया है। मन्नू भंडारी के साहित्य में स्त्री की विविध स्थितियों को चित्रित किया गया है।

मृदुला गर्ग ने उसके हिस्से की धूप(1975), 'वंशज' (1976), 'चितकोबरा' (1979), 'कठगुलाब' (1996) आदि उपन्यासों में नारी जीवन के विविध पहलुओं का चित्रण किया है।

हिंदी में स्त्रीवादी साहित्य ने 20 वीं शती में जोर पकड़ा है। जिसमें अनेक लेखिकाएँ शामिल हुई हैं। हिंदी में स्त्रीवादी साहित्य की कुछ रचनाएँ इस प्रकार हैं "बाधाओं के बावजूद नयी ओर' (उषा महाजन 2001), 'स्त्री सरोकार' (आशारानी व्होरा 2002), 'हम सभ्य औरतें' (मनीषा 2002), 'स्त्रित्व विमर्शः समाज और साहित्य' (क्षमा शर्मा 2002), 'औरत के लिए औरत' (नासिरा शर्मा 2003), 'खुली खिड़कियाँ' (मैत्रेयी पुष्पा 2003), 'उपनिवेश में स्त्री' (प्रभा खेतान 2003), 'हिंदी साहित्य का आधा इतिहास' (सुमन राजे 2003) आदि ।

स्त्रीवादी आंदोलन निम्नलिखित रूप से बताया गया है ।

1. विश्व स्तर पर स्त्रीवादी आंदोलन

स्त्री मुक्त चेतना और स्त्री मुक्ति आंदोलन के इतिहास की शुरुआत ब्रिटेन और अमेरिका में हुई है। वहाँ पर अविगेल एडम्स और मर्सी वारेने के नेतृत्व में मताधिकार और संपत्ति के अधिकार के लिए स्त्री आंदोलन 18 वीं शती में लड़ा गया है। वहाँ पर सामाजिक समानता की भी माँग की गई। सन् 1792 ई. में फ्रांसीसी क्रांति के महिला मुक्ति आंदोलन से प्रभावित होकर सन् 1857ई. में संयुक्त राज्य अमेरिका में महिला और पुरुषों के समान वेतन को लेकर हड़ताल हुई थी। इसी दिन को बाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया गया। इसी के साथ विश्वभर में स्त्री मुक्ति आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी ।

सन् 1848 ई. में कुछ सामाजिक कार्यकर्ता महिलाओं ने एक सम्मेलन किया जिसमें नारी मुक्ति से संबंधित एक वैचारिक घोषणा पत्र जारी किया। इन महिलाओं में ऐलिजाबेथ कैंडी स्टैंटन, लुक्रसिया कालिनमोर प्रमुख हैं। इस सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि स्त्री को संपूर्ण और बराबरी के कानूनी अधिकार दिए जाए। उन्हें पढ़ने का अवसर दिया जाए । समान मजदूरी दी जाए। वोट देने का अधिकार दिया जाए। इस तरह की माँगें पारित की गई। यह आंदोलन जल्द ही सारे यूरोप में फैल गया। लेकिन असली सफलता सन् 1920 में जाकर मिली जब अमेरिका में स्त्रियों को वोट डालने का अधिकार मिला। इस प्रकार विश्व के अनेक देशों में नारीवादी आंदोलन आरंभ हुआ । लेकिन सन् 1951 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने भारी बहुमत से महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों का नियम पारित किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नारी मुक्ति के आंदोलन का प्रारंभ तभी से माना जाता है। आधुनिक नारीवाद के विकास का पहला मील का पत्थर सन् 1946 ई. में प्रकाशित सिमोन द बोउवा की कृति 'द सेकेंड सेक्स' को माना जाता है।

2. भारतीय स्त्रीवादी आंदोलन

भारत में नारीवाद भारतीय महिलाओं के लिए समान राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकारों को स्थापित करने के लिए समान अवसर प्रदान करने के लिए आरंभ किया गया आंदोलन है। यह भारत के समाज में नारी के अधिकारों की संकल्पना है। विश्व में जो नारीवादी आंदोलन हुए वैसे ही भारत में नारीवादी लैंगिक समानता, समान रोजगार और आत्मनिर्भरता, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए समान अधिकार, राजनीतिक अधिकार की माँग ही नारीवाद का मुख्य उद्देश्य है।

भारत में स्त्रीवादी आंदोलन की आरंभ नवजागरण के साथ ही हुआ है। भारत में 20 वीं शताब्दी में स्त्री स्वातंत्र्य की चेतना का प्रारंभ हुआ जिसके बीज 19 वीं सदी के अंत में दिखाई देते हैं। 20 वीं सदी में महिलाओं के संगठित आंदोलन हर दिशा में हो रहे थे। जिनका लक्ष्य समाज और परिवार में नारी को आत्मनिर्भर बनाना था । भारतीय नारीवादियों ने भारत के पितृ सत्तात्मक व्यवस्था के भीतर बदलाव लाना चाहा जैसे कि वंशानुगत कानून और सती प्रथा के विरुद्ध भी आवाज़ उठाई।

देखा जाए तो भारत में नारीवाद के इतिहास को तीन भागों में बाँट सकते हैं। पहले चरण में 19 वीं शती में शुरु हुआ आंदोलन जिसमें ब्रिटिश सरकार का सती प्रथा के बारे में विरोध और उसके बाद हमारे यहाँ के राजाराम मोहनराय जैसे स्त्री के समर्थन का आंदोलन दिखाई देता है। स्त्री से संबंधित बाल विवाह, बहु-विवाह, दहेज प्रथा, सती-प्रथा इत्यादि का इन्होंने विरोध किया। इसी कारण राजाराम मोहनराय को इस आंदोलन का 'जनक' भी माना जाता है।

महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले दंपत्ती ने भी भारत में स्त्री शिक्षा एवं स्त्री जागृति का कार्य तक किया। भारतीय स्त्री शिक्षा के उद्धारक के रूप में इस दंपत्ती को माना जाता है जिन्होंने सवर्ण स्त्रियों से लेकर दलित, निम्नजाति की स्त्रियों तक अधिकार दिलवाने के लिए काम किया। 1850-1940 में ताराबाई शिंदे ने महाराष्ट्र में 'स्त्री पुरुष तुलना किताब लिखी जिसमें स्त्री और पुरुष की तुलना की है। इस निबंध में उन्होंने यही बताने का प्रयास किया है कि यहाँ की पितृ सत्तात्मक व्यवस्था ने स्त्री के जीवन में कैसे अंधकार भर दिया है। उसके जीवन को कैसे नरकमय बनाया गया है।

इसके बाद पंडिता रमाबाई (1858-1922) में दिखाई देती है जिन्होंने अंग्रेज शासित भारत में महिलाओं की मुक्ति के लिए काम किया। वह समाज सुधारक थी जिन्होंने महाराष्ट्र में काम किया ।

महिलाओं को कानूनी रूप से अधिकार दिलाने के लिए, पैतृक संपत्ति में हिस्सा दिलाने के लिए डॉ. बाबासाहब अम्बेड्कर ने 'हिंदू कोड बिल बनाया जिसमें विवाह, उत्तराधिकार गोद लेना आदि संबंधी अनेक कानून बनाए गए थे जिसका शुरु में विरोध हुआ। लेकिन बाद में वही कानून आज संविधान में लागू होता दिखाई दे रहा है।

भारतीय नारीवादी आंदोलनों द्वारा की गई प्रगति के बावजूद, आज भी, आधुनिक भारत में महिलाओं को अन्याय, अत्याचार, भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। आज भी पितृसत्तात्मक व्यवस्था में स्त्री को झकझोर दिया है। पिछले कई वर्षों से लिंग चयनात्मक गर्भपात की प्रवृत्ति सी सामने आई है। भारतीय नारीवादियों के लिए इस अन्याय के विरुद्ध संघर्ष के रूप में देखा जा सकता है। जिसका चित्रण हिंदी स्त्रीवादी साहित्य ने भी किया है।

प्रश्न 3. भारतीय स्त्रीवादी आंदोलन की शुरुवात कब और कैसे हुई ।

उत्तर :

भारत में नारीवाद भारतीय महिलाओं के लिए समान राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकारों को स्थापित करने के लिए समान अवसर प्रदान करने के लिए आरंभ किया गया आंदोलन है। यह भारत के समाज में नारी के अधिकारों की संकल्पना है। विश्व में जो नारीवादी आंदोलन हुए वैसे ही भारत में नारीवादी लैंगिक समानता, समान रोजगार और आत्मनिर्भरता, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए समान अधिकार, राजनीतिक अधिकार की माँग ही नारीवाद का मुख्य उद्देश्य है।

भारत में स्त्रीवादी आंदोलन की आरंभ नवजागरण के साथ ही हुआ है। भारत में 20 वीं शताब्दी में स्त्री स्वातंत्र्य की चेतना का प्रारंभ हुआ जिसके बीज 19 वीं सदी के अंत में दिखाई देते हैं। 20 वीं सदी में महिलाओं के संगठित आंदोलन हर दिशा में हो रहे थे। जिनका लक्ष्य समाज और परिवार में नारी को आत्मनिर्भर बनाना था । भारतीय नारीवादियों ने भारत के पितृसत्तात्मक व्यवस्था के भीतर बदलाव लाना चाहा जैसे कि वंशानुगत कानून और सती प्रथा के विरुद्ध भी आवाज़ उठाई।

देखा जाए तो भारत में नारीवाद के इतिहास को तीन भागों में बाँट सकते हैं। पहले चरण में 19 वीं शती में शुरु हुआ आंदोलन जिसमें ब्रिटिश सरकार का सती प्रथा के बारे में विरोध और उसके बाद हमारे यहाँ के राजाराम मोहनराय जैसे स्त्री के

समर्थन का आंदोलन दिखाई देता है। स्त्री से संबंधित बाल विवाह, बहु-विवाह, दहेज प्रथा, सती-प्रथा इत्यादि का इन्होंने विरोध किया। इसी कारण राजाराम मोहनराय को इस आंदोलन का 'जनक' भी माना जाता है।

महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले दंपत्ती ने भी भारत में स्त्री शिक्षा एवं स्त्री जागृति का कार्य तक किया। भारतीय स्त्री शिक्षा के उद्धारक के रूप में इस दंपत्ती को माना जाता है जिन्होंने सवर्ण स्त्रियों से लेकर दलित, निम्नजाति की स्त्रियों तक अधिकार दिलवाने के लिए काम किया। 1850-1940 में ताराबाई शिंदे ने महाराष्ट्र में 'स्त्री पुरुष तुलना किताब लिखी जिसमें स्त्री और पुरुष की तुलना की है। इस निबंध में उन्होंने यही बताने का प्रयास किया है कि यहाँ की पितृ सत्तात्मक व्यवस्था ने स्त्री के जीवन में कैसे अंधकार भर दिया है। उसके जीवन को कैसे नरकमय बनाया गया है।

इसके बाद पंडिता रमाबाई (1858-1922) में दिखाई देती है जिन्होंने अंग्रेज शासित भारत में महिलाओं की मुक्ति के लिए काम किया। वह समाज सुधारक थी जिन्होंने महाराष्ट्र में काम किया ।

महिलाओं को कानूनी रूप से अधिकार दिलाने के लिए, पैतृक संपत्ति में हिस्सा दिलाने के लिए डॉ. बाबासाहब अम्बेड्कर ने 'हिंदू कोड बिल बनाया जिसमें विवाह, उत्तराधिकार गोद लेना आदि संबंधी अनेक कानून बनाए गए थे जिसका शुरु में विरोध हुआ। लेकिन बाद में वही कानून आज संविधान में लागू होता दिखाई दे रहा है।

भारतीय नारीवादी आंदोलनों द्वारा की गई प्रगति के बावजूद, आज भी, आधुनिक भारत में महिलाओं को अन्याय, अत्याचार, भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। आज भी पितृ सत्तात्मक व्यवस्था में स्त्री को झकझोर दिया है। पिछले कई वर्षों से लिंग चयनात्मक गर्भपात की प्रवृत्ति सी सामने आई है। भारतीय नारीवादियों के लिए इस अन्याय के विरुद्ध संघर्ष के रूप में देखा जा सकता है। जिसका चित्रण हिंदी स्त्रीवादी साहित्य ने भी किया है।

प्रश्न 4. हिंदी में स्त्रीवादी साहित्य की **शुरुवात कब हुई है ।**

उत्तर :-

हिंदी में स्त्रीवादी साहित्य की शुरुवात निम्नलिखित लेखखो ने अपने साहित्य से की है ।

नारीवाद के संदर्भ में हिंदी में महादेवी वर्मा, राजेंद्र बाला, घोष, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, उषा प्रियंवदा, शशिप्रभा, राजी सेठ आदि के विचार उल्लेखनीय है । इन्होंने नारी के अधिकारों का संरक्षण और पितृ सत्तात्मक व्यवस्था के प्रति तीव्र विरोध का स्वर मुखरित किया है। कृष्णा सोबती ने 'डार से बिछुड़ी', 'मित्रो मरजानी', 'यारों के यार', 'तीन पहाड़' आदि उपन्यासों में नारी का चित्रण किया। उषा प्रियंवदा ने अपने कथा साहित्य में स्त्री की स्वतंत्रता एवं समानता के अधिकारों पर बल दिया है। उषा प्रियंवद ने 'पचपन खंभे लाल दीवारें' (1961), 'रुकोगी नहीं राधिका' (1967), शेषयात्रा आदि उपन्यासों में स्त्री जीवन के विविध पहलुओं को चित्रित किया है। मन्नू भंडारी के साहित्य में स्त्री की विविध स्थितियों को चित्रित किया गया है। मृदुलागर्ग ने उसके हिस्से की धूप (1975), 'वंशज' (1976), 'चितकोबरा' (1979), ‘कठगुलाब’ (1996) आदि उपन्यासों में नारी जीवन के विविध पहलुओं का चित्रण किया है।

हिंदी में स्त्रीवादी साहित्य ने 20 वीं शती में जोर पकड़ा है। जिसमें अनेक लेखिकाएँ शामिल हुई हैं। हिंदी में स्त्रीवादी साहित्य की कुछ रचनाएँ इस प्रकार हैं "बाधाओं के बावजूद नयी ओर' (उषा महाजन 2001), 'स्त्री सरोकार' (आशारानी व्होरा 2002), 'हम सभ्य औरतें' (मनीषा 2002), 'स्त्रित्व विमर्शः समाज और साहित्य' (क्षमा शर्मा 2002), 'औरत के लिए औरत' (नासिरा शर्मा 2003), 'खुली खिड़कियाँ' (मैत्रेयी पुष्पा 2003), 'उपनिवेश में स्त्री' (प्रभा खेतान 2003), 'हिंदी साहित्य का आधा इतिहास' (सुमन राजे 2003) आदि ।

प्रश्न 5. आखिर स्त्रीवाद क्या है?

उत्तर :

स्त्रीवाद शब्द मूलतः अंग्रजी शब्द feminism (फेमिनिज्म) शब्द का हिंदी अनुवाद है। जिसका अर्थ है नारी अधिकारवाद। हिंदी में स्त्रीवाद नारीवाद और है महिलावाद आदि शब्द का उपयोग किया जाता है, जिससे स्त्रियों के अधिकारों कासमर्थन किया जाता है । स्त्री अपनी पहचान के लिए सदियों से पुरुष पर निर्भर रही है। 'नारी' शब्द से भी उसके नर पर आधारित होने का भाव झलकता है। स्त्री संघर्ष, जागृति, अधिकार मुक्ति आदि को स्त्रीवाद की संज्ञा दी जाती है।

स्त्रीवाद' शब्द का अर्थ: स्त्री के अनेक पर्याय वाची शब्द हैं। अबला, नारी, वामा, कांता, ललना, सुंदरी, रमणी आदि। 'स्त्रीवाद' शब्द को सही ढंग से समझने के लिए उसे दो भागों में देख सकते हैं। 'स्त्री' तथा 'वाद' । 'स्त्री' वैदिक संस्कृत शब्द है । स्त्री शब्द की व्युत्पत्ति के अनुसार स्त्री सूत्री, जन्मदात्री अर्थात् वह परिवार की सूत्रधारक होने से स्त्री कही जाती है।

भोलानाथ तिवारी के अनुसार 'स्त्री के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द 'अबला, - औरत, इस्तिरी, कबीला, कांता, कामिनी, त्रिया, दारा, नारी, मालिनी, मादा...है । " 'स्त्रीवाद पुरुष और स्त्री के बीच नकारात्मक भेद-भाव की जगह स्त्री के प्रति सकारात्मक पक्षपात की बात करता है।"

वास्तव में 'स्त्रीवाद' का सामान्य अर्थ 'स्त्री के संदर्भ में विचार, विनिमय करना है। स्त्रियों के विषय में विचार एवं चिंतन करना है। स्त्री का स्त्री के लिए स्त्री द्वारा लिखा गया लेखन और बाद है। इसमें स्त्रीवाद को केंद्र में रखकर स्त्री शोषण, स्त्री मुक्ति, स्त्री अधिकार, स्त्री-पुरुष के आपसी भेद आदि बिंदुओं को उद्घाटित किया जा रहा है।'

2. हिंदी में दलित साहित्य

उद्भव

दलित साहित्य का जन्म दलित आंदोलन से हुआ है। भारत जन-आंदोलन है जिसके मूल में यहाँ की जाति-व्यवस्था है। ऐसे जन-आंदोलन से प्रेरणा लेकर दलित साहित्य का जन्म हुआ है। दलित साहित्य का जन्म पहले मराठी में हुआ है उसके बाद हिंदी में सन् 1980 के बाद हुआ है। डॉ. बाबासाहब अम्बेड्कर के आंदोलन के कारण दलित समाज में चेतना और स्वाभिमान जागृत हुआ। इसी का चित्रण दलित साहित्य में हुआ है। दलित साहित्य के मूल में दलित अस्मिता की खोज होती है। हजारों सालों से भारत देश में जिन्हें बहिष्कृत किया गया था उन बहिष्कृत लोगों को कैसा लगता है? जाति-व्यवस्था का दुःख उन्हें कैसे भोगना पड़ा? इसी का चित्रण दलित साहित्य में हुआ है। आखिर दलित किसे कहा जाता है? दलित कौन है?

दलित कौन है?

भारत में चातुर्वर्ण्य व्यवस्था थी। इस व्यवस्था में सबसे निम्न समझने वाली जो जातियाँ थी, वहीं दलित जातियाँ हैं। दलित जातियाँ भारत में हिंदू समाज व्यवस्था की अस्पृश्य जातियाँ हैं। जाति-व्यवस्था के कारण दलितों को पशु से भी हीन जीवन जीने के लिए मजबूर किया गया। सभी परिस्थितियों से दूर रखा गया। मुख्य गाँव से बाहर रखा गया । गंदगी और कूड़ा-कचरे में रहने के लिए मजबूर किया गया। गाँव में इन्हें बेगारी करके जीना पड़ता था । सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्तर पर जिन्हें कुचला गया, कुचला जा रहा है, वही 'दलित' हैं। ऐसे दलित शब्द का साहित्य से जुड़ना इस पूरे वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है।

दलित शब्द का अर्थ

दलित शब्द का इतिहास लगभग सौ वर्षों पुराना है। अनेक विद्वानों ने दलित शब्द का अर्थ बताया है। कुछ विद्वानों का कहना है कि दलित एक जाति के लिए नहीं बल्कि समाज में जितने दबे कुचले लोग हैं, वह दलित है। दलित का अर्थ शोषित, उत्पीड़ित तथा पद दलित स्वीकार किया गया है। दलित शब्द एक आधुनिक शब्द है।

डॉ. बाबा साहब अम्बेड्कर ने 'दलित' शब्द को अंग्रेजी में Depressed कहा है। मराठी में बहिष्कृत कहा है। 'अस्पृश्य कहा है। विभिन्न शब्दकोशों के अनुसार 'दलित' शब्द के भिन्न-भिन्न अर्थ हैं नालंदा विशाल शब्दकोश में -

1. मसला रौंदा या कुचला हुआ
2. नष्ट किया हुआ ।

राजपाल हिंदी शब्द सागर में -

1. कुचला हुआ, दबाया हुआ
2. नष्ट किया हुआ।

संक्षिप्त हिंदी शब्द सागर में -

1. मसला हुआ, मर्दित
2. दबाया, रौंदा या कुचला हुआ
3. खंडित
4. विनिष्ट किया हुआ

संस्कृत शब्द कोश में दलित शब्द का अर्थ है दल + त टूटा हुआ, कटा=हुआ, पिसा हुआ, चीरा हुआ, खुला हुआ, फैला हुआ ।

संविधान में चातुर्वर्ण्य व्यवस्था के आधार पर जिसे सबसे निम्न समझा जाता था, उसे संविधान में 'शडयूल्ड कास्ट' कहा जाता है। जिसका हिंदी रूपांतर 'अनुसूचित जाति' है।

दलित किसे कहते हैं, इस पर विचार करते हुए महात्मा गांधी ने दलितों को 'हरिजन' कहा है।

दलित शब्द का अर्थ और दलित समुदाय पर विचार करते हुए हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक डॉ. प्रो. मैनेजर पांडेय कहते हैं कि "जिन्हें भारतीय अर्थ व्यवस्था में शूद्र कहा जाता है या जिन्हें समाज में अछूत माना है। मैं केवल उन्हें दलित मान रहा हूँ जो जाति से दलित हैं।"

मराठी के दलित साहित्यकार प्रो. केशव मेश्राम दलित शब्द को इस प्रकार बताते हैं- "हजारों वर्ष जिन लोगों पर अन्याय हुआ ऐसे अछूतों को दलित कहना चाहिए।"

हिंदी के प्रसिद्ध दलित साहित्यकार ओमप्रकाश वाल्मीकि लिखते हैं ।

जिसका दलन और दमन हुआ है, दबाया गया है, उत्पीड़ित, शोषित, सताया हुआ, गिराया हुआ, उपेक्षित, घृणित, रौंदा हुआ, मसला हुआ, कुचला हुआ, विनिष्ट, मर्दित, वंचित आदि।"

दलित साहित्य का अर्थ एवं परिभाषाएँ दलित साहित्य दलितों का प्रतिनिधित्व करने वाला साहित्य है। सदियों से दलितों के जीवन में जाति-व्यवस्था के अनुभव कैसे रहे हैं उसे बतानेवाला साहित्य 'दलित साहित्य' है। दलित साहित्य में दुःख, अन्याय, अत्याचार और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष, इसके बारे में लिखा जाता है तो दूसरी तरफ भाग्य, भगवान, अंधविश्वास स्वर्ग, नरक, बाह्याडंबर का विरोध किया जाता है। स्वतंत्रता, समता, बंधुता का समर्थन किया जाता है। समाज में जो ऊँच-नीचता है, जो जाति-व्यवस्था है, जो अस्पृश्यता है, उसका विरोध किया जाता है।

दलित साहित्य दलित आंदोलन से निर्मित साहित्य है । दलित साहित्य मनोरंजन का साहित्य नहीं है। यह साहित्य समाज परिवर्तन की माँग करने वाला साहित्य है । दलित साहित्य मनुष्य मात्र को चिंतन करने की प्रेरणा देता है। दलित साहित्य मानवीय मूल्यों पर आधारित साहित्य है। मनुष्य को मनुष्य से जोड़ने वाला साहित्य है। दलित साहित्य में वैज्ञानिकता पर अधिक बल दिया जाता है। इसी कारण दलित साहित्य का विश्व के अन्य भाषाओं में भी अनुवाद हो रहा है। दलित साहित्य में विश्व कल्याण की भावना विद्यमान है।

दलित साहित्य की अपनी विशेषताएँ भी हैं, जो साहित्य दलितों के द्वारा,दलितों के बारे में लिखा गया हो, वही दलित साहित्य है।

ओमप्रकाश वाल्मीकि के अनुसार "दलित साहित्य सिर्फ एक दलित, - अछूत या शूद्र का साहित्य नहीं है। दलित साहित्य अपने आप में बेहद व्यापक अर्थ रखता है। दलित शब्द के भीतर छिपा गूढ़ अर्थ रखता है। दलित शब्द के भीतर छिपा गूढ़ अर्थ जिस भाव की व्याख्या करता है, वह एक पहचानना है । जो सदियों से दबे, कुचले, प्रताड़ित, उपेक्षित लोग हैं।"

डॉ. मैनेजर पांडेय कहते हैं- "दलितों का अपने बारे में लिखा साहित्य ही दलित साहित्य है।"

डॉ. एन. सिंह ने दलित साहित्य को परिभाषित किया है- "दलित साहित्य की शक्ति कला नहीं सत्य है। इसलिए दलितों द्वारा, दलितों के लिए लिखे गए साहित्य को दलित साहित्य कहूँगा ।'

मराठी के प्रसिद्ध दलित साहित्यकार डॉ. शरण कुमार लिंबाले कहते हैं - "दलित साहित्य अपना केंद्र बिंदु मनुष्य को मानता है। बाबा साहब के विचारों से दलित को अपनी गुलामी का एहसास हुआ। उनकी वेदना के रूप में उस समाज को बाबासाहब के रूप में अपना नायक मिला। दलितों की यह वेदना दलित साहित्य की

जन्मदात्री है। दलित साहित्य की वेदना मैं की गई वेदना नहीं, वह बहिष्कृत समाज की वेदना है।"

इस तरह हम देखते हैं कि दलित साहित्य वेदना का साहित्य है । दलित साहित्यकार अपने खुद के अनुभव के माध्यम से अपने समाज का चित्रण करता है। दलित साहित्य सम समाज की स्थापना करना चाहता है। वह हर तरह की असमानता के खिलाफ आवाज उठाता है। दलित साहित्यकार का उद्देश्य केवल 'समाज परिवर्तन' कराना ही है।

अनुभूति की प्रामाणिकता दलित साहित्य में दिखाई देती है। दलित साहित्य लेखन को हम दो भागों में देख सकते हैं।

1. सहानुभूति का साहित्य 2. अनुभूति का साहित्य

सहानुभूति का साहित्य

जो साहित्य अनुभव से लिखा जाता है वह सहानुभूति का साहित्य है। जिसमें गैर दलित लेखक आते हैं, जिन्हें समाज व्यवस्था में जाति का विषम दंभ क्या है, मालूम नहीं होता। 'जाति' के कारण जीवन के हर क्षेत्र में दलितों को अपमान झेलना पड़ता है। गैर दलित जब दलितों के जीवन पर लिखेगा तब वहाँ पर 'जाति' के कारण कटु अनुभव सही ढंग से नहीं लिख सकता। इसलिए गैर-दलितों द्वारा लिखा गया साहित्य पर सहानुभूति का साहित्य है।

अनुभूति का साहित्य

जो साहित्य दलित लेखकों के द्वारा लिखा जाता है वही सही मायने में दलित साहित्य है क्योंकि 'जाति' का अनुभव दलित लेखकों को होने के कारण वह सही मायने में दलितों का चित्रण कर सकता है। इसी कारण दलित साहित्य में स्वानुभूति की प्रामाणिकता ही हमें दिखाई देती है। मूलतः लेखक की संवेदना ही उसे रास्ता

सुझाता है । लेखक का सर्जनात्मक व्यक्तित्व उसके संस्कार, अनुभव, चिंतन, पठन है पाठन से बनता है । जिस माहौल में वह जीता है, उस माहौल के प्रति वह जागृत होता है जीवन में उसने जो अनुभव किया है, उसे वह प्रामाणिकता से उतारता है। इसलिए अनुभव की प्रामाणिकता ही दलित साहित्य का मुख्य आधार है।

दलित साहित्य की प्रेरणा

दलित साहित्य को समझने के लिए उसका उद्भव कहाँ से हुआ, यह जानना आवश्यक है। दो हजार वर्षों से अधिक समय जिस समाज ने जिया, जो निद्रावस्था में, पशुत्व की हालत में जी रहा था वही दलित समाज था। ऐसे मूक और गूंगे समाज को जगाने का काम, दलितों में नव चैतन्य भरने का काम डॉ. अम्बेडकर ने ही किया था । डॉ. अम्बेड्कर से पहले भी कुछ महान विचारक हुए हैं जो दलित साहित्य की प्रेरणा के स्रोत है।

गौतम बुद्ध

गौतम बुद्ध भारतीय समाज में ऐसे संशोधनकर्ता हैं, जिन्होंने 'मानवतावाद' को स्थापित करने का प्रयत्न किया। बुद्ध ने यह स्पष्ट कर दिया कि जगत को केवल मानव प्रयत्नों द्वारा ही उत्तम बनाया जा सकता है। बुद्ध का दर्शन मानव को केंद्र मे लेकर चलने वाला चिंतन है। बुद्ध ने आत्मा, ईश्वर, ब्रह्मवाद, अंधविश्वासों का कड़ा विरोध किया। उनके धर्म का केंद्र बिंदु 'मनुष्य' है। जो वर्तमान में जीवन जीता है। बुद्ध की शिक्षाओं ने लोगों पर बड़ा सामाजिक प्रभाव डाला। सामाजिक शांति की ओर प्रोत्साहित किया। विश्व मानवतावादी दृष्टि से पूरे विश्व को एक सूत्र में बांधा।

संत

संतों का आंदोलन वास्तव में इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। संतों की परंपरा को हम मध्यकाल और उससे पूर्व भी पाते हैं। उनमें सिद्ध नाथ, संप्रदायों का महत्वपूर्ण स्थान है। कबीर, रविदास, गुरुनानक सहित मध्यकालीन संतों को गोरखनाथ ने प्रभावित किया। संतों ने मूर्ति-पूजा, जाति तथा धर्म की क्रूरता और अंधविश्वासों का विरोध किया। भक्ति आंदोलन के सभी संतों ने समानता, बंधुत्व पर आधारित समाज में अपना योगदान दिया। इसलिए संतों के विचार आज भी हमें प्रासंगिक लगते हैं। जिसमें मानवतावाद, प्रेम, कर्तव्य के बीज दिखाई देते हैं तो दूसरी तरफ सम समाज की स्थापना का दृष्टिकोण दिखाई देता है।

महात्मा फूले

सामाजिक विषमता का विरोध करनेवाले, जातिप्रथा का विरोध करनेवाले, स्त्रियों की दयनीय स्थिति पर जिसने आंदोलन चलाया वही क्रांतिवीर महात्मा ज्योतिबा फूले हैं। पिछड़ी जाति में जन्म लेने के कारण हिंदू समाज की असमानता के प्रति उनके मन में चिढ़ पैदा हो गई। फूले ने प्राचीन ग्रंथों का परिश्रमपूर्ण अध्ययन किया । इस अध्ययन से उन्हें पता चला कि इस समाज व्यवस्था में दलितों, श्रमिकों, स्त्रियों को सर्वाधिक दबाया गया है। तब से उन्होंने आंदोलन करना आरंभ किया। इस आंदोलन का नाम 'सत्य शोधक' आंदोलन था ।

इस तरह फूले का दृष्टिकोण यहाँ वैज्ञानिक दिखाई देता है। उन्होंने मानवतावादी धर्म पर अधिक बल दिया और समाज में जो कुप्रथाएँ थीं, उनका विरोध किया।

डॉ. बाबासाहब अम्बेड्कर

डॉ. बाबासाहब अम्बेड्कर ने भारतीय समाज में 20 वीं शती में दलित मुक्ति आंदोलन का कार्य आरंभ किया। डॉ. अम्बेडकर ने सोए हुए दलित समाज में चैतन्य भरने का काम किया। उनका मानना था कि जो नैसर्गिक संपत्ति है पर भी हमारा

अधिकार है। दलितों के लिए जो सारे रास्ते बंद थे, उसे खोलने का काम बाबासाहब ने किया । दलितों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। मंदिरों में जाने का अधिकार नहीं था। संपत्ति इकट्ठा करने का, मुख्य गाँव में रहने का अधिकार नहीं था। इन सारे क्षेत्र में बाबासाहब ने रास्ते खुलवाए। हिंदू मुस्लिम, ईसाई जब पानी पी सकते थे तो दलितों को ही क्यों दूर रखा गया? इसका उन्होंने विरोध किया और 31 जनवरी 1920 में 'मूकनायक' समाचार पत्र का प्रकाशन किया जिससे दलितों को जागृत करने का काम किया । बहिष्कृत हित कारिणी सभा के माध्यम से जगह-जगह सभाएँ होने लगीं। इससे दलित समाज में व्यापक चेतना जगी। उनमें आत्म-सम्मान की भावना जाग उठी। सारा दलित समाज अपनी खोई हुई अस्मिता को खोजने लगा। दलितों के विकास के लिए उन्होंने अपने समाज को शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो का नारा दिया। 20 मार्च, 1927 को कुलबा जिला बहिष्कृत परिषद का प्रथम अधिवेश महाड़ में हुआ जिसमें पीने के पानी का अधिकार ग्रहण किया गया। इस तालाब का पानी बिल्लियाँ पी सकती थीं लेकिन दलितों के लिए यह अधिकार नहीं था। डॉ. अम्बेडकर ने हजारों दलितों के साथ सार्वजनिक महाड़ तालाब पर जाकर पानी पिया जो उनके लिए वर्जित था। इसके बाद उन्होंने नासिक में कालाराम मंदिर में प्रवेश किया। डॉ. अम्बेड्कर ने दलितों के अधिकार हेतु सामाजिक आंदोलन छेड़ा था। जिसमें मनुष्य होने की समानता, स्वतंत्रता की माँग ही मुख्य थी।

इस तरह भारतीय समाज में डॉ. अम्बेडकर केवल परंपराओं में ही नहीं बल्कि सामाजिक संरचना में भी परिवर्तन चाहते थे।

डॉ. अम्बेडकर ने सर्वप्रथम मानव-मानव में समानता, स्वतंत्रता तथा बंधुत्व के आधार पर अंतः संबंधों को परिभाषित किया। इस तरह डॉ. अम्बेडकर ने दलितों को मानवीय अधिकार दिलाने हेतु जीवन पर्यंत संघर्ष किया, उन्होंने न केवल दलितों के लिए ही नहीं बल्कि स्त्रियों के लिए, समाज के अन्य वर्गों के लिए भी अनेक कार्य किए और संविधान के माध्यम से समस्त नागिरकों को समानता का अधिकार दिलवाया ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि दलित साहित्य के उद्भव के लिए जो प्रेरणास्त्रोत हैं, उपर्युक्त सभी महान लोग दिखाई देते हैं। जिनकी विचारधारा से दलित साहित्य का जन्म हुआ है।

हिंदी में दलित साहित्य

हिंदी में दलित साहित्य का जन्म 1980 के बाद ही देखते हैं। हिंदी में दलित लेखन परंपरा को भक्तिकाल तथा उससे भी पूर्व सिद्ध और नाथ साहित्य, बौद्ध साहित्य तक खोजा जा सकता है। सर्वप्रथम दलित एवं निम्न जातियों की अभिव्यक्ति सिद्ध साहित्य में हुई। सिद्ध साहित्य में चौरासी सिद्ध हुए। इनमें डोम, चमार, धोबी, लोहार, चिड़ीमार, मछुआ आदि का उल्लेख मिलता है। जिन्होंने सबसे पहले वर्ण, जाति एवं धार्मिक आडंबर का विरोध किया। इनकी रचनाओं में दलित परंपरा का बीजारोपण स्पष्ट होता है। साथ ही दलित अस्मिता की तलाश ।

भक्तिकाल में संतों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भक्ति आंदोलन में निम्नजाति के संतों और कवियों के द्वारा चलाया गया आंदोलन था। जिसका मुख्य स्वर जातिवाद विरोध और अपनी अस्मिता की छटपटाहट थी। इन संतों में कबीर, रविदास, नामदेव, दादू दयाल आदि मुख्य संत हुए। इन्होंने ईश्वर के नाम पर जातिवाद के विरोध में अपनी आवाज बुलंद की। भले ही इनकी वाणी में भक्ति का स्वर प्रधान रहा हो, लेकिन साथ ही जाति व्यवस्था को तोड़ने का, समानता का भाव भी रहा है।

आधुनिक युग में हिंदी में पहली दलित रचना सरस्वती में 1914 में हिरा डोम की कविता 'अछूत की शिकायत' छपी थी । जो मूलतः भोजपुरी बोली में थी । जो विषमपरक समाज पर चोट करती है। इसे हिंदी की पहली दलित कविता माना जा सकता है। हिंदी नव जागरण के समय प्रेमचंद, निराला, राहुल सांकृत्यायन ऐसे साहित्यकार हुए हैं जिन्होंने अपने लेखन एवं चिंतन में हिंदी क्षेत्र की दलित समस्या

को चित्रित करने का प्रयास किया है। लेकिन यह साहित्य सहानुभूति का ही मानते हैं।

हिंदी दलित आत्मकथाएँ

क्र.सं.	पुस्तक का नाम	लेखक	वर्ष
1.	मैं भंगी हूँ	भगवान दास	1981
2.	अपने अपने पिंजरे	मोहनदास नैमिशराय	1995
3.	दोहरा अभिशाप	कौसल्या बैसंती	1999
4.	मेरा सफर मेरी मंजिल	डॉ. डी. आर. जाधव	2000
5.	तिरस्कृत	सूरजपाल चौहान	2002
6.	मेरा बचपन मेरे कंधों पर	प्रो. श्यौराज सिंह बेचैन	2009
7.	नागफणी	रूपनारायण सोनकर	2009
8.	मुर्दहिया	प्रो. तुलसीदास	2010
9.	शिकंजे का दर्द	डॉ. सुशीला टाकभौरे	2011
10.	जूठन	ओमप्रकाश वाल्मीकि	1997

हिंदी दलित उपन्यास

क्र.सं.	पुस्तक का नाम	लेखक	वर्ष
1.	छप्पर	डॉ. जयप्रकाश कर्दम	--
2.	करुणा	डॉ. जयप्रकाश कर्दम	1986
3.	क्या मुझे खरीदेगा	मोहनदास नैमिशराय	1990
4.	वीरांगना झलकारी बाई	मोहनदास नैमिशराय	2003
5.	एक गटर का आदमी	रूपनारायण सोनकर	--
6.	नीला आकाश	डॉ. सुशीला टाकभौरे	--
7.	तुम्हें बदलना होगा	डॉ. सुशीला टाकभौरे	--
8.	सुबह के फूल	कैलाशचंद चौहान	--

हिंदी दलित कहानी संग्रह

क्र.सं.	पुस्तक का नाम	लेखक	वर्ष
1.	देवसाक्षी	बुद्धशरण हंस	1978
2.	कफनखोर	डॉ. दयानंद बटोही	1986
3.	चार इस की कलम	डॉ. कुसुम वियोगी	1996
4.	जुड़ते दायित्व	डॉ. कुसुम मेबवाल	1996
5.	यातना की परछाइयाँ	डॉ. एन. सिंह	1998
6.	काले हाशिए पर	डॉ. एन. सिंह	1998
7.	आवाजें	मोहनदास नैमिशराय	1998
8.	हैरी कब आएगा	सूरजपाल चौहान	1999
9.	हाशिए से बाहर	डॉ. रजतरानी मीनू	2001
10.	तलाश	जयप्रकाश कर्दम	2005

11.	जहरीली जड़ें	रूपनारायण सोनकर	2005
12.	संघर्ष	डॉ. सुशीला टाकभौरे	2006
13.	नया ब्राह्मण	सूरजपाल चौहान	2010
14.	भरोसे की बहन	डॉ. श्यौराज सिंह बेचैन	2011
15.	हम कौन	हैं रजतरानी मीनू	2011

हिंदी दलित कविता संग्रह

क्र.सं.	पुस्तक का नाम	लेखक	वर्ष
1.	अछूतों का पैगंबर	बिहारीलाल हरित	1946
2.	नई चेतना नए राग	कंवल भारती	1971
3.	उत्थान के स्वर	डॉ. कुसुम वियोगी	1983
4.	यातना की आँखें	दयानंद बटोही	1986
5.	नई फसल	श्यौराजसिंह बेचैन	1989
6.	बस्स बहुत हो चुका	ओमप्रकाश वाल्मीकि	1997
7.	टुकड़े-टुकड़े का दंश	कुसुम वियोगी	1998
8.	हार नहीं मानूँगा	दंश कुमार गंगानिया	2000
9.	तिनका तिनका	जयप्रकाश कर्दम	2004
10.	मेरा गाँव	सूरजपाल चौहान	2004
11.	गंगा नहीं था मैं	जयप्रकाश कर्दम	--

हिंदी दलित नाटक

क्र.सं.	पुस्तक का नाम	लेखक	वर्ष
1.	अछूत का बेटा	माताप्रसाद गुप्त	1973
2.	वीरांगना झलकारी बाई	माताप्रसाद गुप्त	1977
3.	कर्मयोगी	भीमसेन संतोषी	1982
4.	लाजवती	नथूराम सागर	1985
5.	अदालतनामा	मोहनदास नैमिशराय	1989
6.	रंग और व्यंग्य	डॉ. सुशीला टाकभौरे	2006
7.	नंगा सत्य	डॉ. सुशीला टाकभौरे	2007
8.	दहाड़ उठा सिंह	अनीता भारती	--
9.	छू नहीं सकता	सूरजपाल चौहान	--
10.	बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर	डॉ. गुलाब	--

प्रश्न उत्तर

प्रश्न 6. दलित शब्द का अर्थ एवं परिभाषा क्या है?

उत्तर :

दलित शब्द का इतिहास लगभग सौ वर्षों पुराना है। अनेक विद्‌वानों ने दलित शब्द का अर्थ बताया है। कुछ विद्‌वानों का कहना है कि दलित एक जाति के लिए नहीं बल्कि समाज में जितने दबे कुचले लोग हैं, वह दलित है। दलित का अर्थ शोषित, उत्पीड़ित तथा पद दलित स्वीकार किया गया है। दलित शब्द एक आधुनिक शब्द है।

डॉ. बाबा साहब अम्बेड्कर ने 'दलित' शब्द को अंग्रेजी में Depressed कहा है। मराठी में बहिष्कृत कहा है। 'अस्पृश्य कहा है। विभिन्न शब्दकोशों के अनुसार 'दलित' शब्द के भिन्न-भिन्न अर्थ हैं नालंदा विशाल शब्दकोश में -

1. मसला रौंदा या कुचला हुआ

2. नष्ट किया हुआ ।

राजपाल हिंदी शब्द सागर में -

1. कुचला हुआ, दबाया हुआ

2. नष्ट किया हुआ।

3. संक्षिप्त हिंदी शब्द सागर में -

1. मसला हुआ, मर्दित

2. दबाया, रौंदा या कुचला हुआ

3. खंडित

4. विनिष्ट किया हुआ

संस्कृत शब्दकोश में दलित शब्द का अर्थ है दल + त टूटा हुआ, कटा=हुआ, पिसा हुआ, चीरा हुआ, खुला हुआ, फैला हुआ ।

संविधान में चातुर्वर्ण्य व्यवस्था के आधार पर जिसे सबसे निम्न समझा जाता था, उसे संविधान में 'शडयूल्ड कास्ट' कहा जाता है। जिसका हिंदी रूपांतर ‘अनुसूचित जाति' है।

दलित किसे कहते हैं, इस पर विचार करते हुए महात्मा गांधी ने दलितों को 'हरिजन' कहा है।

दलित शब्द का अर्थ और दलित समुदाय पर विचार करते हुए हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक डॉ. प्रो. मैनेजर पांडेय कहते हैं कि "जिन्हें भारतीय अर्थ व्यवस्था में शूद्र कहा जाता है या जिन्हें समाज में अछूत माना है। मैं केवल उन्हें दलित मान रहा हूँ जो जाति से दलित हैं।"

मराठी के दलित साहित्यकार प्रो. केशव मेश्राम दलित शब्द को इस प्रकार बताते हैं- "हजारों वर्ष जिन लोगों पर अन्याय हुआ ऐसे अछूतों को दलित कहना चाहिए।"

हिंदी के प्रसिद्ध दलित साहित्यकार ओमप्रकाश वाल्मीकि लिखते हैं जिसका दलन और दमन हुआ है, दबाया गया है, उत्पीड़ित, शोषित, सताया हुआ, गिराया हुआ, उपेक्षित, घृणित, रौंदा हुआ, मसला हुआ, कुचला हुआ, विनिष्ट, मर्दित, वंचित आदि।"

दलित साहित्य का अर्थ एवं परिभाषाएँ दलित साहित्य दलितों का प्रतिनिधित्व करने वाला साहित्य है। सदियों से दलितों के जीवन में जाति-व्यवस्था के अनुभव कैसे रहे हैं उसे बतानेवाला साहित्य 'दलित साहित्य' है। दलित साहित्य में दुःख, अन्याय, अत्याचार और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष, इसके बारे में लिखा जाता है तो दूसरी तरफ भाग्य, भगवान, अंधविश्वास स्वर्ग, नरक, बाह्याडंबर का विरोध किया जाता है। स्वतंत्रता, समता, बंधुता का समर्थन किया जाता है। समाज में जो ऊँच-नीचता है, जो जाति-व्यवस्था है, जो अस्पृश्यता है, उसका विरोध किया जाता है।

दलित साहित्य दलित आंदोलन से निर्मित साहित्य है । दलित साहित्य मनोरंजन का साहित्य नहीं है। यह साहित्य समाज परिवर्तन की माँग करनेवाला साहित्य है । दलित साहित्य मनुष्य मात्र को चिंतन करने की प्रेरणा देता है। दलित साहित्य मानवीय मूल्यों पर आधारित साहित्य है। मनुष्य को मनुष्य से जोड़ने वाला साहित्य है। दलित साहित्य में वैज्ञानिकता पर अधिक बल दिया जाता है। इसी कारण दलित साहित्य का विश्व के अन्य भाषाओं में भी अनुवाद हो रहा है। दलित साहित्य में विश्व कल्याण की भावना विद्यमान है।

दलित साहित्य की अपनी विशेषताएँ भी हैं, जो साहित्य दलितों के द्वारा, दलितों के बारे में लिखा गया हो, वही दलित साहित्य है।

ओमप्रकाश वाल्मीकि के अनुसार “दलित साहित्य सिर्फ एक दलित, - अछूत या शूद्र का साहित्य नहीं है। दलित साहित्य अपने आप में बेहद व्यापक अर्थ रखता है। दलित शब्द के भीतर छिपा गूढ़ अर्थ रखता है। दलित शब्द के भीतर छिपा गूढ़ अर्थ जिस भाव की व्याख्या करता है, वह एक पहचानना है । जो सदियों से दबे, कुचले, प्रताड़ित, उपेक्षित लोग हैं।”

डॉ. मैनेजर पांडेय कहते हैं- “दलितों का अपने बारे में लिखा साहित्य ही दलित साहित्य है।"

डॉ. एन. सिंह ने दलित साहित्य को परिभाषित किया है- “दलित साहित्य की शक्ति कला नहीं सत्य है। इसलिए दलितों द्वारा, दलितों के लिए लिखे गए साहित्य को दलित साहित्य कहूँगा ।'

मराठी के प्रसिद्ध दलित साहित्यकार डॉ. शरण कुमार लिंबाले कहते हैं - “दलित साहित्य अपना केंद्र बिंदु मनुष्य को मानता है। बाबा साहब के विचारों से दलित को अपनी गुलामी का एहसास हुआ। उनकी वेदना के रूप में उस समाज को बाबासाहब के रूप में अपना नायक मिला। दलितों की यह वेदना दलित साहित्य की जन्मदात्री है। दलित साहित्य की वेदना मैं की वेदना नहीं, वह बहिष्कृत समाज की वेदना है।"

इस तरह हम देखते हैं कि दलित साहित्य वेदना का साहित्य है । दलित साहित्यकार अपने खुद के अनुभव के माध्यम से अपने समाज का चित्रण करता है। दलित साहित्य सम समाज की स्थापना करना चाहता है। वह हर तरह की असमानता के खिलाफ आवाज उठाता है। दलित साहित्यकार का उद्देश्य केवल 'समाज परिवर्तन' कराना ही है।

प्रश्न 7. दलित कौन है?

उत्तर :

भारत में चातुर्वर्ण्य व्यवस्था थी। इस व्यवस्था में सबसे निम्न समझने वाली जो जातियाँ थी, वहीं दलित जातियाँ हैं। दलित जातियाँ भारत में हिंदू समाज व्यवस्था की अस्पृश्य जातियाँ हैं। जाति-व्यवस्था के कारण दलितों को पशु से भी हीन जीवन जीने के लिए मजबूर किया गया। सभी परिस्थितियों से दूर रखा गया। मुख्य गाँव से बाहर रखा गया । गंदगी और कूड़ा-कचरे में रहने के लिए मजबूर किया गया। गाँव में इन्हें बेगारी करके जीना पड़ता था । सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्तर पर जिन्हें कुचला गया, कुचला जा रहा है, वही 'दलित' हैं। ऐसे दलित शब्द का साहित्य से जुड़ना इस पूरे वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है।

प्रश्न 8. हिंदी में दलित साहित्य की शुरुवात कब हुई **है ?**

उत्तर :

हिंदी में दलित साहित्य का जन्म 1980 के बाद ही देखते हैं। हिंदी में दलित लेखन परंपरा को भक्तिकाल तथा उससे भी पूर्व सिद्ध और नाथ साहित्य, बौद्ध साहित्य तक खोजा जा सकता है। सर्वप्रथम दलित एवं निम्न जातियों की अभिव्यक्ति सिद्ध साहित्य में हुई। सिद्ध साहित्य में चौरासी सिद्ध हुए। इनमें डोम, चमार, धोबी, लोहार, चिड़ीमार, मछुआ आदि का उल्लेख मिलता है। जिन्होंने सबसे पहले वर्ण, जाति एवं धार्मिक आडंबर का विरोध किया। इनकी रचनाओं में दलित परंपरा का बीजारोपण स्पष्ट होता है। साथ ही दलित अस्मिता की तलाश ।

भक्तिकाल में संतों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भक्ति आंदोलन में निम्न जाति के संतों और कवियों के द्वारा चलाया गया आंदोलन था। जिसका मुख्य स्वर

जातिवाद विरोध और अपनी अस्मिता की छटपटाहट थी। इन संतों में कबीर, रविदास, नामदेव, दादू दयाल आदि मुख्य संत हुए। इन्होंने ईश्वर के नाम पर जातिवाद के विरोध में अपनी आवाज बुलंद की। भले ही इनकी वाणी में भक्ति का स्वर प्रधान रहा हो, लेकिन साथ ही जाति व्यवस्था को तोड़ने का, समानता का भाव भी रहा है। आधुनिक युग में हिंदी में पहली दलित रचना सरस्वती में 1914 में हिरा डोम की कविता 'अछूत की शिकायत' छपी थी । जो मूलतः भोजपुरी बोली में थी । जो विषम परक समाज पर चोट करती है। इसे हिंदी की पहली दलित कविता माना जा सकता है। हिंदी नवजागरण के समय प्रेमचंद, निराला, राहुल सांकृत्यायन ऐसे साहित्यकार हुए हैं जिन्होंने अपने लेखन एवं चिंतन में हिंदी क्षेत्र की दलित समस्या को चित्रित करने का प्रयास किया है। लेकिन यह साहित्य सहानुभूति का ही मानते हैं।

प्रश्न 9. दलित साहित्य की प्रेरणा के स्रोत कौन है।

उत्तर :

दलित साहित्य को समझने के लिए उसका उद्भव कहाँ से हुआ, यह जानना आवश्यक है। दो हजार वर्षों से अधिक समय जिस समाज ने जिया, जो निद्रावस्था में, पशुत्व की हालत में जी रहा था वही दलित समाज था। ऐसे मूक और गूंगे समाज को जगाने का काम, दलितों में नव चैतन्य भरने का काम डॉ. अम्बेडकर ने ही किया था । डॉ. अम्बेड्कर से पहले भी कुछ महान विचारक हुए हैं जो दलित साहित्य की प्रेरणा के स्रोत है।

गौतम बुद्ध

गौतम बुद्ध भारतीय समाज में ऐसे संशोधन कर्ता हैं, जिन्होंने 'मानवतावाद' को स्थापित करने का प्रयत्न किया। बुद्ध ने यह स्पष्ट कर दिया कि जगत को केवल

मानव प्रयत्नों द्वारा ही उत्तम बनाया जा सकता है। बुद्ध का दर्शन मानव को केंद्र मे लेकर चलने वाला चिंतन है। बुद्ध ने आत्मा, ईश्वर, ब्रह्मवाद, अंधविश्वासों का कड़ा विरोध किया। उनके धर्म का केंद्र बिंदु 'मनुष्य' है। जो वर्तमान में जीवन जीता है। बुद्ध की शिक्षाओं ने लोगों पर बड़ा सामाजिक प्रभाव डाला। सामाजिक शांति की ओर प्रोत्साहित किया। विश्व मानवतावादी दृष्टि से पूरे विश्व को एक सूत्र में बांधा।

संत

संतों का आंदोलन वास्तव में इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। संतों की परंपरा को हम मध्यकाल और उससे पूर्व भी पाते हैं। उनमें सिद्ध नाथ, संप्रदायों का महत्वपूर्ण स्थान है। कबीर, रविदास, गुरुनानक सहित मध्यकालीन संतों को गोरखनाथ ने प्रभावित किया। संतों ने मूर्ति-पूजा, जाति तथा धर्म की क्रूरता और अंधविश्वासों का विरोध किया। भक्ति आंदोलन के सभी संतों ने समानता, बंधुत्व पर आधारित समाज में अपना योगदान दिया। इसलिए संतों के विचार आज भी हमें प्रासंगिक लगते हैं। जिसमें मानवतावाद, प्रेम, कर्तव्य के बीज दिखाई देते हैं तो दूसरी तरफ सम समाज की स्थापना का दृष्टिकोण दिखाई देता है।

महात्मा फूले

सामाजिक विषमता का विरोध करनेवाले, जातिप्रथा का विरोध करनेवाले, स्त्रियों की दयनीय स्थिति पर जिसने आंदोलन चलाया वही क्रांतिवीर महात्मा ज्योतिबा फूले हैं। पिछड़ी जाति में जन्म लेने के कारण हिंदू समाज की असमानता के प्रति उनके मन में चिढ़ पैदा हो गई। फूले ने प्राचीन ग्रंथों का परिश्रमपूर्ण अध्ययन किया । इस अध्ययन से उन्हें पता चला कि इस समाज व्यवस्था में दलितों, श्रमिकों, स्त्रियों को सर्वाधिक दबाया गया है। तब से उन्होंने आंदोलन करना आरंभ किया। इस आंदोलन का नाम 'सत्य शोधक' आंदोलन था ।

इस तरह फूले का दृष्टिकोण यहाँ वैज्ञानिक दिखाई देता है। उन्होंने मानवतावादी धर्म पर अधिक बल दिया और समाज में जो कुप्रथाएँ थीं, उनका विरोध किया।

डॉ. बाबासाहब अम्बेड्कर

डॉ. बाबासाहब अम्बेड्कर ने भारतीय समाज में 20 वीं शती में दलित मुक्ति आंदोलन का कार्य आरंभ किया। डॉ. अम्बेडकर ने सोए हुए दलित समाज में चैतन्य भरने का काम किया। उनका मानना था कि जो नैसर्गिक संपत्ति है उस पर भी हमारा अधिकार है। दलितों के लिए जो सारे रास्ते बंद थे, उसे खोलने का काम बाबासाहब ने किया । दलितों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। मंदिरों में जाने का अधिकार नहीं था। संपत्ति इकट्ठा करने का, मुख्य गाँव में रहने का अधिकार नहीं था। इन सारे क्षेत्र में बाबासाहब ने रास्ते खुलवाए। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई जब पानी पी सकते थे तो दलितों को ही क्यों दूर रखा गया? इसका उन्होंने विरोध किया और 31 जनवरी 1920 में 'मूकनायक' समाचार पत्र का प्रकाशन किया जिससे दलितों को जागृत करने का काम किया । बहिष्कृत हितकारिणी सभा के माध्यम से जगह-जगह सभाएँ होने लगीं। इससे दलित समाज में व्यापक चेतना जगी। उनमें आत्म-सम्मान की भावना जाग उठी। सारा दलित समाज अपनी खोई हुई अस्मिता को खोजने लगा। दलितों के विकास के लिए उन्होंने अपने समाज को शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो का नारा दिया। 20 मार्च, 1927 को कुलबा जिला बहिष्कृत परिषद का प्रथम अधिवेश महाड़ में हुआ जिसमें पीने के पानी का अधिकार ग्रहण किया गया। इस तालाब का पानी बिल्लियाँ पी सकती थीं लेकिन दलितों के लिए यह अधिकार नहीं था। डॉ. अम्बेडकर ने हजारों दलितों के साथ सार्वजनिक महाड़ तालाब पर जाकर पानी पिया जो उनके लिए वर्जित था। इसके बाद उन्होंने नासिक में कालाराम मंदिर में प्रवेश किया। डॉ. अम्बेड्कर ने दलितों के अधिकार हेतु सामाजिक आंदोलन छेड़ा था। जिस में मनुष्य होने की समानता, स्वतंत्रता की माँग ही मुख्य थी।

इस तरह भारतीय समाज में डॉ. अम्बेडकर केवल परंपराओं में ही नहीं बल्कि सामाजिक संरचना में भी परिवर्तन चाहते थे।

डॉ. अम्बेडकर ने सर्वप्रथम मानव-मानव में समानता, स्वतंत्रता तथा बंधुत्व के आधार पर अंतः संबंधों को परिभाषित किया। इस तरह डॉ. अम्बेडकर ने दलितों को मानवीय अधिकार दिलाने हेतु जीवन पर्यंत संघर्ष किया, उन्होंने न केवल दलितों के लिए ही नहीं बल्कि स्त्रियों के लिए, समाज के अन्य वर्गों के लिए भी अनेक कार्य किए और संविधान के माध्यम से समस्त नागिरकों को समानता का अधिकार दिलवाया ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि दलित साहित्य के उद्भव के लिए जो प्रेरणास्त्रोत हैं, उपर्युक्त सभी महान लोग दिखाई देते हैं। जिनकी विचारधारा से दलित साहित्य का जन्म हुआ है।

हिंदी में दलित साहित्य

हिंदी में दलित साहित्य का जन्म 1980 के बाद ही देखते हैं। हिंदी में दलित लेखन परंपरा को भक्तिकाल तथा उससे भी पूर्व सिद्ध और नाथ साहित्य, बौद्ध साहित्य तक खोजा जा सकता है। सर्वप्रथम दलित एवं निम्न जातियों की अभिव्यक्ति सिद्ध साहित्य में हुई। सिद्ध साहित्य में चौरासी सिद्ध हुए। इनमें डोम, चमार, धोबी, लोहार, चिड़ीमार, मछुआ आदि का उल्लेख मिलता है। जिन्होंने सबसे पहले वर्ण, जाति एवं धार्मिक आडंबर का विरोध किया। इनकी रचनाओं में दलित परंपरा का बीजारोपण स्पष्ट होता है। साथ ही दलित अस्मिता की तलाश ।

भक्तिकाल में संतों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भक्ति आंदोलन में निम्न जाति के संतों और कवियों के द्वारा चलाया गया आंदोलन था। जिसका मुख्य स्वर

जातिवाद विरोध और अपनी अस्मिता की छटपटाहट थी। इन संतों में कबीर, रविदास, नामदेव, दादू दयाल आदि दे मुख्य संत हुए। इन्होंने ईश्वर के नाम पर जातिवाद के विरोध में अपनी आवाज बुलंद की। भले ही इनकी वाणी में भक्ति का स्वर प्रधान रहा हो, लेकिन साथ ही जाति व्यवस्था को तोड़ने का, समानता का भाव भी रहा है।

आधुनिक युग में हिंदी में पहली दलित रचना सरस्वती में 1914 में हिरा डोम की कविता 'अछूत की शिकायत' छपी थी । जो मूलतः भोजपुरी बोली में थी । जो विषमपरक समाज पर चोट करती है। इसे हिंदी की पहली दलित कविता माना जा सकता है। हिंदी नवजागरण के समय प्रेमचंद, निराला, राहुल सांकृत्यायन ऐसे साहित्यकार हुए हैं जिन्होंने अपने लेखन एवं चिंतन में हिंदी क्षेत्र की दलित समस्या को चित्रित करने का प्रयास किया है। लेकिन यह साहित्य सहानुभूति का ही मानते हैं।

प्रश्न 10. डॉ. बाबासाहब अम्बेड्कर के बारे में लिखिए ।

उत्तर :

डॉ. बाबासाहब अम्बेड्कर ने भारतीय समाज में 20 वीं शती में दलित मुक्ति आंदोलन का कार्य आरंभ किया। डॉ. अम्बेडकर ने सोए हुए दलित समाज में चैतन्य भरने का काम किया। उनका मानना था कि जो नैसर्गिक संपत्ति है उस पर भी हमारा अधिकार है। दलितों के लिए जो सारे रास्ते बंद थे, उसे खोलने का काम बाबासाहब ने किया । दलितों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। मंदिरों में जाने का अधिकार नहीं था। संपत्ति इकट्ठा करने का, मुख्य गाँव में रहने का अधिकार नहीं था। इन सारे क्षेत्र में बाबासाहब ने रास्ते खुलवाए। हिंदू मुस्लिम, ईसाई जब पानी पी सकते थे तो दलितों को ही क्यों दूर रखा गया? इसका उन्होंने विरोध किया और 31 जनवरी 1920

में 'मूकनायक' समाचार पत्र का प्रकाशन किया जिससे दलितों को जागृत करने का काम किया । बहिष्कृत हित कारिणी सभा के माध्यम से जगह-जगह सभाएँ होने लगीं। इससे दलित समाज में व्यापक चेतना जगी। उनमें आत्म-सम्मान की भावना जाग उठी। सारा दलित समाज अपनी खोई हुई अस्मिता को खोजने लगा। दलितों के विकास के लिए उन्होंने अपने समाज को शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो का नारा दिया। 20 मार्च, 1927 को कुलबा जिला बहिष्कृत परिषद का प्रथम अधिवेश महाड़ में हुआ जिसमें पीने के पानी का अधिकार ग्रहण किया गया। इस तालाब का पानी बिल्लियाँ पी सकती थीं लेकिन दलितों के लिए यह अधिकार नहीं था। डॉ. अम्बेडकर ने हजारों दलितों के साथ सार्वजनिक महाड़ तालाब पर जाकर पानी पिया जो उनके लिए वर्जित था। इसके बाद उन्होंने नासिक में कालाराम मंदिर में प्रवेश किया। डॉ. अम्बेड्कर ने दलितों के अधिकार हेतु सामाजिक आंदोलन छेड़ा था। जिसमें मनुष्य होने की समानता, स्वतंत्रता की माँग ही मुख्य थी।

इस तरह भारतीय समाज में डॉ. अम्बेडकर केवल परंपराओं में ही नहीं बल्कि सामाजिक संरचना में भी परिवर्तन चाहते थे।

डॉ. अम्बेडकर ने सर्वप्रथम मानव-मानव में समानता, स्वतंत्रता तथा बंधुत्व के आधार पर अंतः संबंधों को परिभाषित किया। इस तरह डॉ. अम्बेडकर ने दलितों को मानवीय अधिकार दिलाने हेतु जीवन पर्यंत संघर्ष किया, उन्होंने न केवल दलितों के लिए ही नहीं बल्कि स्त्रियों के लिए, समाज के अन्य वर्गों के लिए भी अनेक कार्य किए और संविधान के माध्यम से समस्त नागिरकों को समानता का अधिकार दिलवाया ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि दलित साहित्य के उद्भव के लिए जो प्रेरणास्त्रोत हैं

प्रश्न 11. महात्मा फूले के बारे में लिखिए ।

उत्तर :

सामाजिक विषमता का विरोध करनेवाले, जातिप्रथा का विरोध करनेवाले, स्त्रियों की दयनीय स्थिति पर जिसने आंदोलन चलाया वही क्रांतिवीर महात्मा ज्योतिबा फूले हैं। पिछड़ी जाति में जन्म लेने के कारण हिंदू समाज की असमानता के प्रति उनके मन में चिढ़ पैदा हो गई। फूले ने प्राचीन ग्रंथों का परिश्रम पूर्ण अध्ययन किया । इस अध्ययन से उन्हें पता चला कि इस समाज व्यवस्था में दलितों, श्रमिकों, स्त्रियों को सर्वाधिक दबाया गया है। तब से उन्होंने आंदोलन करना आरंभ किया। इस आंदोलन का नाम 'सत्य शोधक' आंदोलन था ।इस तरह फूले का दृष्टिकोण यहाँ वैज्ञानिक दिखाई देता है। उन्होंने मानवतावादी धर्म पर अधिक बल दिया और समाज में जो कुप्रथाएँ थीं, उनका विरोध किया।

प्रश्न 12. हिंदी में दलित साहित्य का उद्भव कब हुआ? बताते हुए दलित साहित्य के प्रेरणास्रोत कौन-कौन हैं समझाइए ।

उत्तर :

हिंदी में दलित साहित्य का जन्म 1980 के बाद ही देखते हैं। हिंदी में दलित लेखन परंपरा को भक्तिकाल तथा उससे भी पूर्व सिद्ध और नाथ साहित्य, बौद्ध साहित्य तक खोजा जा सकता है। सर्वप्रथम दलित एवं निम्न जातियों की अभिव्यक्ति सिद्ध साहित्य में हुई। सिद्ध साहित्य में चौरासी सिद्ध हुए। इनमें डोम, चमार, धोबी, लोहार, चिड़ीमार, मछुआ आदि का उल्लेख मिलता है। जिन्होंने सबसे पहले वर्ण, जाति एवं धार्मिक आडंबर का विरोध किया। इनकी रचनाओं में दलित परंपरा का बीजारोपण स्पष्ट होता है। साथ ही दलित अस्मिता की तलाश ।

भक्तिकाल में संतों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भक्ति आंदोलन में निम्नजाति के संतों और कवियों के द्वारा चलाया गया आंदोलन था। जिसका मुख्य स्वर जातिवाद विरोध और अपनी अस्मिता की छटपटाहट थी। इन संतों में कबीर, रविदास, नामदेव, दादू दयाल आदि मुख्य संत हुए। इन्होंने ईश्वर के नाम पर जातिवाद के विरोध में अपनी आवाज बुलंद की। भले ही इनकी वाणी में भक्ति का

स्वर प्रधान रहा हो, लेकिन साथ ही जाति व्यवस्था को तोड़ने का, समानता का भाव भी रहा है। आधुनिक युग में हिंदी में पहली दलित रचना सरस्वती में 1914 में हिरा डोम की कविता 'अछूत की शिकायत' छपी थी । जो मूलतः भोजपुरीबोली में थी । जो विषमपरक समाज पर चोट करती है। इसे हिंदी की पहली दलित कविता माना जा सकता है। हिंदी नवजागरण के समय प्रेमचंद, निराला, राहुल सांकृत्यायन ऐसे साहित्यकार हुए हैं जिन्होंने अपने लेखन एवं चिंतन में हिंदी क्षेत्र की दलित समस्या को चित्रित करने का प्रयास किया है। लेकिन यह साहित्य सहानुभूति का ही मानते हैं।

दलित साहित्य को समझने के लिए उसका उद्भव कहाँ से हुआ, यह जानना आवश्यक है। दो हजार वर्षों से अधिक समय जिस समाज ने जिया, जो निद्रावस्था में, पशुत्व की हालत में जी रहा था वही दलित समाज था। ऐसे मूक और गूंगे समाज को जगाने का काम, दलितों में नव चैतन्य भरने का काम डॉ. अम्बेडकर ने ही किया था । डॉ. अम्बेड्कर से पहले भी कुछ महान विचारक हुए हैं जो दलित साहित्य की प्रेरणा के स्रोत है।

गौतम बुद्ध

गौतम बुद्ध भारतीय समाज में ऐसे संशोधन कर्ता हैं, जिन्होंने 'मानवतावाद' को स्थापित करने का प्रयत्न किया। बुद्ध ने यह स्पष्ट कर दिया कि जगत को केवल मानव प्रयत्नों द्वारा ही उत्तम बनाया जा सकता है। बुद्ध का दर्शन मानव को केंद्र मे लेकर चलने वाला चिंतन है। बुद्ध ने आत्मा, ईश्वर, ब्रह्मवाद, अंधविश्वासों का कड़ा विरोध किया। उनके धर्म का केंद्र बिंदु 'मनुष्य' है। जो वर्तमान में जीवन जीता है। बुद्ध की शिक्षाओं ने लोगों पर बड़ा सामाजिक प्रभाव डाला। सामाजिक शांति की ओर प्रोत्साहित किया। विश्व मानवतावादी दृष्टि से पूरे विश्व को एक सूत्र में बांधा।

संत

संतों का आंदोलन वास्तव में इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। संतों की परंपरा को हम मध्यकाल और उससे पूर्व भी पाते हैं। उनमें सिद्ध नाथ, संप्रदायों का महत्वपूर्ण स्थान है। कबीर, रविदास, गुरुनानक सहित मध्यकालीन संतों को गोरखनाथ ने प्रभावित किया। संतों ने मूर्ति-पूजा, जाति तथा धर्म की क्रूरता और अंधविश्वासों का विरोध किया। भक्ति आंदोलन के सभी संतों ने समानता, बंधुत्व पर आधारित समाज में अपना योगदान दिया। इसलिए संतों के विचार आज भी हमें प्रासंगिक लगते हैं। जिसमें मानवतावाद, प्रेम, कर्तव्य के बीज दिखाई देते हैं तो दूसरी तरफ सम समाज की स्थापना का दृष्टिकोण दिखाई देता है।

महात्मा फूले

सामाजिक विषमता का विरोध करनेवाले, जातिप्रथा का विरोध करनेवाले, स्त्रियों की दयनीय स्थिति पर जिसने आंदोलन चलाया वही क्रांतिवीर महात्मा ज्योतिबा फूले हैं। पिछड़ी जाति में जन्म लेने के कारण हिंदू समाज की असमानता के प्रति उनके मन में चिढ़ पैदा हो गई। फूले ने प्राचीन ग्रंथों का परिश्रम पूर्ण अध्ययन किया । इस अध्ययन से उन्हें पता चला कि इस समाज व्यवस्था में दलितों, श्रमिकों, स्त्रियों को सर्वाधिक दबाया गया है। तब से उन्होंने आंदोलन करना आरंभ किया। इस आंदोलन का नाम 'सत्य शोधक' आंदोलन था ।

इस तरह फूले का दृष्टिकोण यहाँ वैज्ञानिक दिखाई देता है। उन्होंने मानवतावादी धर्म पर अधिक बल दिया और समाज में जो कुप्रथाएँ थीं, उनका विरोध किया।

डॉ. बाबासाहब अम्बेड्कर

डॉ. बाबासाहब अम्बेड्कर ने भारतीय समाज में 20 वीं शती में दलित मुक्ति आंदोलन का कार्य आरंभ किया। डॉ. अम्बेडकर ने सोए हुए दलित समाज में चैतन्य भरने का काम किया। उनका मानना था कि जो नैसर्गिक संपत्ति पर भी हमारा

अधिकार है। दलितों के लिए जो सारे रास्ते बंद थे, उसे खोलने का काम बाबासाहब ने किया । दलितों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। मंदिरों में जाने का अधिकार नहीं था। संपत्ति इकट्ठा करने का, मुख्य गाँव में रहने का अधिकार नहीं था। इन सारे क्षेत्र में बाबासाहब ने रास्ते खुलवाए। हिंदू मुस्लिम, ईसाई जब पानी पी सकते थे तो दलितों को ही क्यों दूर रखा गया? इसका उन्होंने विरोध किया और 31 जनवरी 1920 में 'मूकनायक' समाचार पत्र का प्रकाशन किया जिससे दलितों को जागृत करने का काम किया । बहिष्कृत हित कारिणी सभा के माध्यम से जगह-जगह सभाएँ होने लगीं। इससे दलित समाज में व्यापक चेतना जगी। उनमें आत्म-सम्मान की भावना जाग उठी। सारा दलित समाज अपनी खोई हुई अस्मिता को खोजने लगा। दलितों के विकास के लिए उन्होंने अपने समाज को शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो का नारा दिया। 20 मार्च, 1927को कुलबा जिला बहिष्कृत परिषद का प्रथम अधिवेश महाड़ में हुआ जिसमें पीने के पानी का अधिकार ग्रहण किया गया। इस तालाब का पानी बिल्लियाँ पी सकती थीं लेकिन दलितों के लिए यह अधिकार नहीं था। डॉ. अम्बेडकर ने हजारों दलितों के साथ सार्वजनिक महाड़ तालाब पर जाकर पानी पिया जो उनके लिए वर्जित था। इसके बाद उन्होंने नासिक में कालाराम मंदिर में प्रवेश किया। डॉ. अम्बेड्कर ने दलितों के अधिकार हेतु सामाजिक आंदोलन छेड़ा था। जिसमें मनुष्य होने की समानता, स्वतंत्रता की माँग ही मुख्य थी।

इस तरह भारतीय समाज में डॉ. अम्बेडकर केवल परंपराओं में ही नहीं बल्कि सामाजिक संरचना में भी परिवर्तन चाहते थे।

डॉ. अम्बेडकर ने सर्वप्रथम मानव-मानव में समानता, स्वतंत्रता तथा बंधुत्व के आधार पर अंतः संबंधों को परिभाषित किया। इस तरह डॉ. अम्बेडकर ने दलितों को मानवीय अधिकार दिलाने हेतु जीवन पर्यंत संघर्ष किया, उन्होंने न केवल दलितों के लिए ही नहीं बल्कि स्त्रियों के लिए, समाज के अन्य वर्गों के लिए भी अनेक कार्य

किए और संविधान के माध्यम से समस्त नागिरकों को समानता का अधिकार दिलवाया ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि दलित साहित्य के उद्भव के लिए जो प्रेरणास्त्रोत हैं, उपर्युक्त सभी महान लोग दिखाई देते हैं। जिनकी विचारधारा से दलित साहित्य का जन्म हुआ है।

3. हिंदी में आदिवासी साहित्य

उद्भव

सदियों से आदिवासी जन जातियाँ भारतीय समाज का एक असभ्य भाग समझा जाता रहा। जिस तरह से दलित साहित्य का जन्म हिंदी में 1980 के बाद दिखाई देता है उसी तरह से आदिवासीय साहित्य का जन्म भी हिंदी में सन् 1980 के बाद से दिखाई देता है।

आदिवासी कौन हैं?

मानव समाज का एक विशिष्ट आदिम वर्ग आदिवासी है। आदिवासी जंगल में और पहाड़ों में रहते थे। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में आदिवासियों का महत्वपूर्ण स्थान है। इन्हें आदिवासी इसलिए भी कहा जाता है कि यह आदिम जाति, सभ्यता की दृष्टि से प्रारंभिक अवस्था में हैं। आदिवासियों के रीति-रिवाजों, रहन-सहन, खान पान, वेश-भूषा आदि अलग ढंग से होते हैं। आदिवासी लोग भारत के प्रत्येक कोने में फैले हैं। इनकी संस्कृति के आधार पर ही इन्हें पूर्ण रूप से पहचाना जा सकता है। इनका विस्तार देश के सभी जगहों पर हुआ है। आदिवासी और वन एक-दूसरे के पूरक हैं। आज भी आदिवासियों का पोषण वनसंपदा करती है।

आदिवासी शब्द का अर्थ एवं स्वरूप

आदिवासी शब्द भारत के अल्पसंख्यक वर्गों की एक बड़ी आबादी को कहा जाता है। भारत में आदिवासी लोग 'अनाविका' नाम से भी जाने जाते हैं। (अनाविका का अर्थ संस्कृत में जंगल में रहने वाले लोग हैं।) इन्हें वन्यजाति, गिरिजन भी कहा जाता है। यह लोग 'गिरि, पहाड़, जंगल में रहते हैं। इसलिए इन्हें इन नामों से पुकारा जाता है। 'आदिवासी' शब्द की भिन्न-भिन्न व्याख्याएँ देखने को मिलती हैं।

ऑक्सफोर्ड संदर्भ कोष के अनुसार परिवार का एक समूह या जाति जो - सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक या खून के रिश्ते से जुड़े हों, जो एक बोली, संस्कृति और एक मुखिया से शासित होते हों वहीं आदिवासी हैं।"

पाश्चात्य विद्वान रिवर्स ने कहा है कि- "यह एक साधारण प्रकार का सामाजिक समूह है, जिसके सदस्य एक सामान्य बोली का प्रयोग करते हैं तथा युद्ध आदि जैसे सामान्य उद्देश्यों के लिए सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं।" सहज समांतर कोष में आदिवासी शब्द का अर्थ है- "आदिमवासी, गोंड,टोडा, पुरातन जन, पुरानेवासी, प्रारंभिक वासी, भील, मुंडा, शबर, संथाल / कबायली,गुहावासी, मूल आवासी, वनवासी ।"

'भारतीय संस्कृति कोष में आदिवासी शब्द का अर्थ है- "ऐसे निवासी जो किसी क्षेत्र के मूल निवासी हों और ऐसे निवासी जो प्राचीनतम निवासी हों। दूसरी कोटि के व्यक्तियों के लिए किसी क्षेत्र का मूल निवासी होना अनिवार्य नहीं है।"

नालंदा विशाल शब्दसागर में आदिवासी शब्द का अर्थ है-"मूल निवासी । किसी प्रदेश या राज्य के मूल निवासी ।"

इंपीरियल गजेटियट के अनुसार "आदिवासी जनजाति परिवारों के लिए एक ऐसे समुदाय का नाम है जिसका एक समान नाम हो, समान बोली हो, जो एक समान भूभाग पर रहता हो या उस भूभाग को अपना मानते हों और जो अपनी ही जाति के भीतर विवाह करते हों।"

जेकब्स और स्टर्न की परिभाषा “एक ऐसा ग्रामीण समुदाय या ग्रामीण - समुदायों का एक ऐसा समूह जिसकी समान भूमि हो, समान भाषा हो, समान संस्कृति हो और जिस समुदाय के व्यक्तियों का जीवन आर्थिक दृष्टि से एक-दूसरे के साथ ओत प्रोत हो - जनजाति कहलाता है।"

‘आदिवासी’ शब्द के उपयुक्त अर्थों के आधार पर कहा जा सकता है कि किसी देश, प्रांत के वह निवासी जो बहुत पहले से वहाँ रहते आए हों और वहाँ के मूल निवासी हों, वही 'आदिवासी' कहलाते हैं।

आदिवासी साहित्य की परिभाषाएँ

आदिवासी साहित्य में उनका धर्म, परंपरा, रूढ़ी, रीति-रिवाज, विवाह संस्था, जात पंचायत, त्यौहार, उत्सव उनके जीवन में जो दारिद्रय है उसका चित्रण किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि मूल विषमता, अन्याय, अत्याचार, व्यवसाय, सांस्कृतिक जीवन, शैक्षणिक स्थिति, अर्थ व्यवस्था, आरोग्य, अंधश्रद्धा इन सभी विषयों पर आदिवासी समाज में पैदा हुए आदिवासी रचनाकारों ने साहित्य लिखा है । इसके अलावा मानवतावादी दृष्टिकोण को केंद्र में रखकर कुछ गैर आदिवासी रचनाकारों ने

आदिवासी साहित्य लिखा है। लेकिन यहाँ पर हमें दो मत दिखाई देते हैं

1. आदिवासियों द्वारा, आदिवासी जीवन पर आधारित साहित्य को ही आदिवासी साहित्य कहा जाता है जिसमें अनुभूति की प्राधान्यता को महत्व दिया गया है।

2. आदिवासी जीवन पर आधारित गैर आदिवासियों द्वारा लिखित साहित्य को सहानुभूति वाला साहित्य कहा गया है।

आदिवासी की विशेषताएँ

आदिवासियों की परिभाषाओं के आधार पर आदिवासी समुदाय की

निम्नलिखित सामान्य विशेषताएँ देखी जा सकती हैं

1. आदिवासी परिवारों का समूह है।
2. प्रत्येक आदिवासी की अपनी एक भाषा होती है।
3. प्रत्येक आदिवसी की अपनी एक संस्कृति होती है।
4. गोत्र और अंतः विवाह समूहों की विशिष्टता होती है।
5. स्वतंत्र सुरक्षात्मक संगठन होता है।
6. स्वतंत्र राजनैतिक संगठन होता है, जिसमें मुखिया सर्वोच्च होता है।
7. प्रत्येक आदिवासी का एक नाम होता है।

आदिवासी साहित्य किसे कहना चाहिए?

इस संदर्भ में अनेक विद्वानों के विचार हमें दिखाई देते हैं।

1. डॉ. विनायक तुकाराम कहते हैं- "आदिवासी साहित्य वन संस्कृति का साहित्य है। खेतों में, प्रकृति में रहने वाले वंचितों का साहित्य है। जिनके प्रश्नों का भूतकाल में कभी उत्तर नहीं दिया, ऐसे नजर अंदाज किए गए लोगों का साहित्य है। जिनके आक्रोश को यहाँ के समाज-व्यवस्था ने कभी न्याय नहीं दिया। ऐसे जंगलों में रहने वाले अन्याय ग्रस्त का क्रांति साहित्य है।"
2. श्री लक्ष्मण ढबलू ढोपले कहते हैं- "आदिवासियों की व्यथा, वेदना, आनंद जिसमें प्रकट होता हो वही आदिवासी साहित्य है ।"
3. प्रा. वामन शेलमाके कहते हैं- "आदिवासी साहित्य का अर्थ है जिसमें गोंड, राजगोंड परधान, माडिया, कोलाम, महादेवकोली, मिल्ल, कोरकू, वारली, आंध

पारधी, थोटी, बरडा, गामीत आदि जमाती का समावेश होता है। इनके जीवन पर आधारित साहित्य को ही आदिवासी साहित्य कहते हैं।"

4. आदिवासी रचनाकार रमणिक गुप्ता का कहना है - "मैं आदिवासी साहित्य उसी को मानता हूँ जो आदिवासियों ने लिखा और भोगा है। उसे आदिवासी समस्याएँ, सांस्कृतिक, राजनैतिक, आर्थिक स्थितियों तथा उनकी जन्म शैली पर आधारित होना होगा। अर्थात् आदिवासियों द्वारा आदिवसियों के लिए आदिवासियों पर लिखा गया साहित्य कहलाता है। "

"आदिवासी साहित्य जनवादी साहित्य है। इस साहित्य का कहना है कि आदिम समूहों में वर्ग रहित, जाति रहित समाज व्यवस्था रची जाए जो जीवन मूल्य आदिवासियों के थे ही नहीं ये उन्हें कभी नहीं स्वीकारेंगे।" उपर्युक्त सभी परिभाषाओं के आधार पर यही कहा जा सकता है कि गाँव से बाहर अति दूर, पर्वत, दुर्गम, जंगल, पहाड़ों में प्रकृति के सान्निध्य में रहने वाले विविध जातियों के जीवन पर चित्रित साहित्य ही आदिवासी साहित्य है। सैकड़ों वर्षों के साहित्य में जिनका जीवन कभी मुख्यतया साहित्य में चित्रित नहीं हुआ, ऐसे उपेक्षित, वंचित समाज के आक्रोश का शाब्दिक आविष्कार ही आदिवसी साहित्य है।

3. हिंदी में आदिवासी साहित्य

हिंदी में आदिवासी साहित्य सन् 1991 के बाद ही दिखाई देता है। आदिवासी साहित्य की सशक्त वाचिक परंपरा रही है। लेकिन लेखन के धरातल पर यह साहित्य पैदा हुआ है। जंगलों में खदेड़ दिए जाने के बाद भी आदिवासी समाज में इस परंपरा को जारी रखा। आज सैकड़ों देश भाषाओं में आदिवासी साहित्य रचा जा रहा है। आज

आदिवासी कलम की धार आंचलिक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर तक पहुँच गयी है। आदिवासी साहित्य में आज कविता, कहानी, उपन्यास और संस्मरण लिखा जा रहा है।

झारखंड की संथाली कवयित्री निर्मला पुतुल आज आदिवासी कविताएँ लिख रही हैं। 'नगाड़े की तरह बजते शब्द' उनका कविता संग्रह है।

रामदयाल मुंडा के भी कविता संग्रह दिखाई देते हैं। 'नहीं और उसके संबंधीत अन्य नगीत' और 'वापसी पुनर्मिलन' और अन्य नगीत हैं।

ग्रेस कुजुर, मोतीलाल और महादेव टेप्पो की कई कविताएँ आज दिखाई दे रही हैं।

समकालीन हिंदी कविता में आदिवासी जीवन को व्यक्त करने वाले कवियों ने अपनी कविता के माध्यम से आदिवासी अस्मिता को पहचानने की कोशिश की है।

आठवें दशक में वाल्टर भेंगरा ने झारखंड आंचल और वहाँ के जीवन को केंद्र में रखकर 'सुबह की शाम' उपन्यास लिखा है जो आदिवासियों के द्वारा लिखा गया पहला हिंदी उपन्यास है। पीटर पाल एक्का के उपन्यास 'जंगल के गीत' की सबसे अधिक चर्चा । 'मौन घाटी' उनका न्यास प्रसिद्ध है। रमणिक गुप्ता के उपन्यास के 'सीता मौसी' और कैलाश चंद चौहान का उपन्यास 'भंवर' के साथ संजीव और रणेंद्र के उपन्यास महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। राजस्थान के बड़े आंदोलन के साथ जुड़े होने के कारण हरिराम मीणा के उपन्यास 'धूणी तपे तीर' की भी काफी चर्चा है। रणेंद्र का'ग्लोबल गांव के देवता' और 'गायब होता देश' काफी चर्चा में हैं।

कहानी विधा में आदिवासी कलम का कोई चर्चित कथाकार दिखाई नहीं देता। फिर भी वाल्टर, भेंगरा के कहानी संग्रह 'देने का सुख एवं लौटती रेखाएँ', आठवें दशक पीटर पाल एक्का का कहानी संग्रह 'खुला आसमान बंद दिशाएँ, परती जमीन' दिखाई देते हैं। जेम्स टेप्पो का कहानी संग्रह 'शंख नदी भरी गेल' और मंजु मोत्स्मा का 'जग गयी जमीन महत्वपूर्ण है। रमणिक गुप्ता का कहानी संग्रह 'बहू जूठाई, केदारनाथ

मीणा का कहानी संग्रह 'आदिवासी कहानियाँ और पूनम तुषाम का 'मेवे में लड़की' काफी प्रसिद्ध है।

हिंदी दलित कहानी संग्रह

क्र.सं.	पुस्तक का नाम	लेखक
1.	बहु जुठाई	रमणिका गुप्ता
2.	आदिवासी कहानियाँ	केदारनाथ मीणा
3.	लौटती रेखाएँ	वाल्टर भेंगरा
4.	देने का सुख	वाल्टर भेंगरा
5.	जंगल की ललकार	वाल्टर भेंगरा
6.	अपना अपना युद्ध	वाल्टर भेंगरा

हिंदी दलित उपन्यास

क्र.सं.	पुस्तक का नाम	लेखक
1.	समर शेष है।	कुमार विनोद
2.	छैला संदु	मंगल सिंह मुंडा
3.	सीमा मौसी	रमणिका गुप्ता
4.	धूणी तपे तीर	हरिराम मीणा
5.	मरंग गोडा नीलकंठ हुआ	महुआ मांजी
6.	ग्लोबल गाँव के देवता	रणेंद्र
7.	गायब होता देश	रणेंद्र
8.	घाट	संजीव

हिंदी दलित कविता संग्रह

क्र.सं.	पुस्तक का नाम	लेखक
1.	हाँ चाँद मेरा है	हरिराम मीणा
2.	बाघ और सुगना मुंडा कीबेटी	हरिराम मीणा

3.	पहाड़ हिलने लगा	वाहरू सोणवणे
4.	नगाड़े की तरह बजते शब्द	निर्मला पुतुल
5.	सुबह के इंतजार में	हरिराम मीणा
6.	नन्हें सपनों का सुख	सरिता बडाइक
7.	विज्ञापन बनते कवि	रमणिका गुप्ता

प्रश्न उत्तर

प्रश्न 13. आदिवासी की कौनसी विशेषताएँ हैं?

उत्तर :

आदिवासियों की परिभाषाओं के आधार पर आदिवासी समुदाय की निम्नलिखित सामान्य विशेषताएँ देखी जा सकती हैं

1. आदिवासी परिवारों का समूह है।
2. प्रत्येक आदिवासी की अपनी एक भाषा होती है।
3. प्रत्येक आदिवसी की अपनी एक संस्कृति होती है।
4. गोत्र और अंतः विवाह समूहों की विशिष्टता होती है।
5. स्वतंत्र सुरक्षात्मक संगठन होता है।
6. स्वतंत्र राजनैतिक संगठन होता है, जिसमें मुखिया सर्वोच्च होता है।
7. प्रत्येक आदिवासी का एक नाम होता है।

प्रश्न 14. हिंदी में आदिवासी साहित्य का जन्म कब हुआ? ' बताते हुए इसकी क्या विशेषताएँ हैं, बताइए।

उत्तर :

हिंदी में आदिवासी साहित्य सन् 1991 के बाद ही दिखाई देता है। आदिवासी साहित्य कि सशक्त वाचिक परंपरा रही है। लेकिन लेखन के धरातल पर यह साहित्य पैदा हुआ है। जंगलों में खदेड़ दिए जाने के बाद भी आदिवासी समाज में इस परंपरा को जारी रखा। आज सैकड़ों देश भाषाओं में आदिवासी साहित्य रचा जा रहा है। आज आदिवासी कलम की धार आंचलिक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर तक पहुँच गयी है। आदिवासी साहित्य में आज कविता, कहानी, उपन्यास और संस्मरण लिखा जा रहा है।

झारखंड की संथाली कवयित्री निर्मला पुतुल आज आदिवासी कविताएँ लिख रही हैं। 'नगाड़े की तरह बजते शब्द' उनका कविता संग्रह है।

रामदयाल मुंडा के भी कविता संग्रह दिखाई देते हैं। 'नहीं और उसके संबंधीत अन्य नगीत' और 'वापसी पुनर्मिलन' और अन्य नगीत हैं।

ग्रेस कुजुर, मोतीलाल और महादेव टेप्पो की कई कविताएँ आज दिखाई दे रही हैं।

समकालीन हिंदी कविता में आदिवासी जीवन को व्यक्त करने वाले कवियों ने अपनी कविता के माध्यम से आदिवासी अस्मिता को पहचानने की कोशिश की है।

आठवें दशक में वाल्टर भेंगरा ने झारखंड आंचल और वहाँ के जीवन को केंद्र में रखकर 'सुबह की शाम' उपन्यास लिखा है जो आदिवासियों के द्वारा लिखा गया पहला हिंदी उपन्यास है। पीटर पाल एक्का के उपन्यास 'जंगल के गीत' की सबसे अधिक चर्चा । 'मौन घाटी' उनका न्यास प्रसिद्ध है। रमणिक गुप्ता के उपन्यास के 'सीता मौसी' और कैलाश चंद चौहान का उपन्यास 'भंवर' के साथ संजीव और रणेंद्र के उपन्यास महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। राजस्थान के बड़े आंदोलन के साथ जुड़े होने के कारण हरिराम मीणा के उपन्यास 'धूणी तपे तीर' की भी काफी चर्चा है। रणेंद्र का'ग्लोबल गांव के देवता' और 'गायब होता देश' काफी चर्चा में हैं।

कहानी विधा में आदिवासी कलम का कोई चर्चित कथाकार दिखाई नहीं देता। फिर भी वाल्टर, भेंगरा के कहानी संग्रह 'देने का सुख एवं लौटती रेखाएँ', आठवें दशक पीटर पाल एक्का का कहानी संग्रह 'खुला आसमान बंद दिशाएँ, परती जमीन' दिखाई देते हैं। जेम्स टेप्पो का कहानी संग्रह 'शंख नदी भरी गेल' और मंजु मोत्स्मा का 'जग गयी जमीन महत्वपूर्ण है। रमणिक गुप्ता का कहानी संग्रह 'बहू जूठाई, केदारनाथ मीणा का कहानी संग्रह 'आदिवासी कहानियाँ और पूनम तुषाम का 'मेवे में लड़की' काफी प्रसिद्ध है।

आदिवासियों की परिभाषाओं के आधार पर आदिवासी समुदाय की निम्नलिखित सामान्य विशेषताएँ देखी जा सकती हैं

1. आदिवासी परिवारों का समूह है।
2. प्रत्येक आदिवासी की अपनी एक भाषा होती है।
3. प्रत्येक आदिवसी की अपनी एक संस्कृति होती है।
4. गोत्र और अंतः विवाह समूहों की विशिष्टता होती है।
5. स्वतंत्र सुरक्षात्मकसंगठन होता है।
6. स्वतंत्र राजनैतिक संगठन होता है, जिसमें मुखिया सर्वोच्च होता है।
7. प्रत्येक आदिवासी का एक नाम होता है।

प्रश्न 15. आदिवासी साहित्य किसे कहना चाहिए?

उत्तर :

इस संदर्भ में अनेक विद्वानों के विचार हमें दिखाई देते हैं।

1. डॉ. विनायक तुकाराम कहते हैं- “आदिवासी साहित्य वन संस्कृति का साहित्य है। खेतों में, प्रकृति में रहने वाले वंचितों का साहित्य है। जिनके प्रश्नों का भूतकाल में कभी उत्तर नहीं दिया, ऐसे नजर अंदाज किए गए लोगों का

साहित्य है। जिनके आक्रोश को यहाँ के समाज-व्यवस्था ने कभी न्याय नहीं दिया। ऐसे जंगलों में रहने वाले अन्यायग्रस्त का क्रांति साहित्य है।”

2. श्री लक्ष्मण ढबलू ढोपले कहते हैं- “आदिवासियों की व्यथा, वेदना, आनंद जिसमें प्रकट होता हो वही आदिवासी साहित्य है ।”

3. प्रा. वामन शेलमाके कहते हैं- “आदिवासी साहित्य का अर्थ है जिसमें गोंड, राजगोंड परधान, माडिया, कोलाम, महादेवकोली, मिल्ल, कोरकू, वारली, आंध पारधी, थोटी, बरडा, गामीत आदि जमाती का समावेश होता है। इनके जीवन पर आधारित साहित्य को ही आदिवासी साहित्य कहते हैं।"

4. आदिवासी रचनाकार रमणिक गुप्ता का कहना है - "मैं आदिवासी साहित्य उसी है को मानता हूँ जो आदिवासियों ने लिखा और भोगा है। उसे आदिवासी समस्याएँ, सांस्कृतिक, राजनैतिक, आर्थिक स्थितियों तथा उनकी जन्म शैली पर आधारित होना होगा। अर्थात् आदिवासियों द्वारा आदिवासियों के लिए आदिवासियों पर लिखा गया साहित्य कहलाता है। "

“आदिवासी साहित्य जनवादी साहित्य है। इस साहित्य का कहना है कि आदिम समूहों में वर्ग रहित, जाति रहित समाज व्यवस्था रची जाए जो जीवन मूल्य आदिवासियों के थे ही नहीं ये उन्हें कभी नहीं स्वीकारेंगे।” उपर्युक्त सभी परिभाषाओं के आधार पर यही कहा जा सकता है कि गाँव से बाहर अति दूर, पर्वत, दुर्गम, जंगल, पहाड़ों में प्रकृति के सान्निध्य में रहने वाले विविध जातियों के जीवन पर चित्रित साहित्य ही आदिवासी साहित्य है। सैकड़ों वर्षों के साहित्य में जिनका जीवन कभी मुख्यतया साहित्य में चित्रित नहीं हुआ, ऐसे उपेक्षित, वंचित समाज के आक्रोश का शाब्दिक आविष्कार ही आदिवसी साहित्य है।

प्रश्न 16. आदिवासी कौन हैं?

उत्तर :

मानव समाज का एक विशिष्ट आदिम वर्ग आदिवासी है। आदिवासी जंगल में और पहाड़ों में रहते थे। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में आदिवासियों का महत्वपूर्ण स्थान है। इन्हें आदिवासी इसलिए भी कहा जाता है कि यह आदिम जाति, सभ्यता की दृष्टि से प्रारंभिक अवस्था में हैं। आदिवासियों के रीति-रिवाजों, रहन-सहन, खान पान, वेश-भूषा आदि अलग ढंग से होते हैं। आदिवासी लोग भारत के प्रत्येक कोने में फैले हैं। इनकी संस्कृति के आधार पर ही इन्हें पूर्ण रूप से पहचाना जा सकता है। इनका विस्तार देश के सभी जगहों पर हुआ है। आदिवासी और वन एक-दूसरे के पूरक हैं। आज भी आदिवासियों का पोषण वनसंपदा करती है।

प्रश्न 17. आदिवासी शब्द का अर्थ एवं स्वरूप लिखिए ।

उत्तर :

आदिवासी शब्द भारत के अल्पसंख्यक वर्गों की एक बड़ी आबादी को कहा जाता है। भारत में आदिवासी लोग 'अनाविका' नाम से भी जाने जाते हैं। (अनाविका का अर्थ संस्कृत में जंगल में रहने वाले लोग हैं।) इन्हें वन्यजाति, गिरिजन भी कहा जाता है। यह लोग 'गिरि, पहाड़, जंगल में रहते हैं। इसलिए इन्हें इन नामों से पुकारा जाता है। 'आदिवासी' शब्द की भिन्न-भिन्न व्याख्याएँ देखने को मिलती हैं।

ऑक्सफोर्ड संदर्भ कोष के अनुसार परिवार का एक समूह या जाति जो - सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक या खून के रिश्ते से जुड़े हों, जो एक बोली, संस्कृति और एक मुखिया से शासित होते हों वहीं आदिवासी हैं।"

पाश्चात्य विद्वान रिवर्स ने कहा है कि- "यह एक साधारण प्रकार का सामाजिक समूह है, जिसके सदस्य एक सामान्य बोली का प्रयोग करते हैं तथा युद्ध आदि जैसे सामान्य उद्देश्यों के लिए सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं।" सहज समांतर कोष में आदिवासी शब्द का अर्थ है- "आदिमवासी, गोंड,टोडा, पुरातन जन, पुराने वासी, प्रारंभिक वासी, भील, मुंडा, शबर, संथाल / कबायली,गुहावासी, मूल आवासी, वनवासी ।"

'भारतीय संस्कृति कोष में आदिवासी शब्द का अर्थ है- "ऐसे निवासी जो किसी क्षेत्र के मूल निवासी हों और ऐसे निवासी जो प्राचीनतम निवासी हों। दूसरी कोटि के व्यक्तियों के लिए किसी क्षेत्र का मूल निवासी होना अनिवार्य नहीं है।"

नालंदा विशाल शब्दसागर में आदिवासी शब्द का अर्थ है-"मूल निवासी । किसी प्रदेश या राज्य के मूल निवासी ।"

इंपीरियल गजेटियट के अनुसार "आदिवासी जनजाति परिवारों के लिए एक ऐसे समुदाय का नाम है जिसका एक समान नाम हो, समान बोली हो, जो एक समान भूभाग पर रहता हो या उस भूभाग को अपना मानते हों और जो अपनी ही जाति के भीतर विवाह करते हों।"

जेकब्स और स्टर्न की परिभाषा "एक ऐसा ग्रामीण समुदाय या ग्रामीण - समुदायों का एक ऐसा समूह जिसकी समान भूमि हो, समान भाषा हो, समान संस्कृति हो और जिस समुदाय के व्यक्तियों का जीवन आर्थिक दृष्टि से एक-दूसरे के साथ ओत प्रोत हो - जनजाति कहलाता है।"

'आदिवासी' शब्द के उपयुक्त अर्थों के आधार पर कहा जा सकता है कि किसी देश, प्रांत के वह निवासी जो बहुत पहले से वहाँ रहते आए हों और वहाँ के मूल निवासी हों, वही 'आदिवासी' कहलाते हैं।

4. हिंदी में अल्पसंख्यक साहित्य

उद्भव

हिंदी में अल्पसंख्यक साहित्य का उद्भव सन् 1970 में दिखाई देता है। अल्पसंख्यक की संकल्पना उस समुदाय के लिए उपयुक्त होती है जिसकी संख्या कम होती है। देश को जब स्वतंत्रता मिली थी उस समय देश में हिंदुओं की तुलना में

मुस्लिम संख्या कम थी, लेकिन आज हम देखते हैं सारे देश में अल्पसंख्यक किसे कहा जाए, इस बात पर अनेक वाद-विवाद है क्योंकि एक समुदाय एक राष्ट्र में अगर जनसंख्या के हिसाब से कम है तो वही समुदाय दूसरे राष्ट्र में जनसंख्या के हिसाब से अधिक है।

कश्मीर में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों की तुलना करेंगे तो पता चलेगा कि वहाँ अल्पसंख्यक कौन है? और बहुसंख्यक कौन है? आज रोजगार, शिक्षा आदि कारणों से लोगों का लगातार पलायन हो रहा है। इससे देश में कई राज्यों में, जिलों में, कस्बों में, गाँवों आदि में बहुसंख्यक की जनसंख्या अनुपात में बड़ा बदलाव आ गया है। इसलिए उनको वहाँ पर अल्पसंख्यक कहा जा सकता है। देश के कुछ क्षेत्रों में बहुसंख्यक की जनसंख्या अनुपात घटकर अल्पसंख्यक की तुलना में कम या बराबर हो गयी है। इस तरह से स्थानीय स्तर पर अल्पसंख्यक- बहुसंख्यक समस्या पैदा हो रही है। 'मानक हिंदी कोश' में अल्पसंख्यक शब्द का अर्थ है- "जो गिनती या संख्या में कम या थोड़े हों।"

भारत देश में आज 6 धर्मों के अनुयाइयों को जिसमें मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख, जैन व फारसी को अल्पसंख्यक श्रेणी में रखा गया है। इसलिए आज इन समुदाय से संबंधित साहित्य को ही अल्पसंख्यक साहित्य' कहा जा रहा है, जिसमें इन जातियों के जीवन विषयक विचार व्यक्त हुए हैं। इनके जीवन का चित्रण इसमें विस्तृत रूप से हुआ है।

आज हिंदी साहित्य में अल्पसंख्यक साहित्य के रूप में मुस्लिम समाज का चित्रण यथार्थ के साथ हुआ है। अल्पसंख्यक साहित्य का अर्थ उस साहित्य से लिया जाता है, जिस साहित्य को मुस्लिम हिंदी लेखकों ने स्वयं अपने समाज के बारे में लिख रहे हैं।

हिंदी में अल्पसंख्यक साहित्य कि शुरुआत हम आदिकाल के सिद्ध साहित्य से ही देखते हैं, जिन्होंने बौद्ध साहित्य लिखा वहीं से अल्पसंख्यक साहित्य की शुरुआत मानी जा सकती है। बाद में 1970 से हिंदी में अल्पसंख्यक साहित्य दिखाई देने लगा है, आज भी उसका स्वर प्रस्फुटित हो रहा है। अल्पसंख्यक साहित्य आज लिखा जा रहा है, जिसमें अनेक धर्म के लोगों की आवाज मुखरित हो रही है।

अल्पसंख्यक कौन है?

संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा के अनुसार ऐसा समुदाय जिसका सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक रूप से कोई प्रभाव न हो और जिसकी आबादी नगण्य हो, उसे अल्पसंख्यक कहा जाएगा।

अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अल्पसंख्यक ऐसे समूह हैं जिनके पास विशिष्ट और स्थिर जातीय, धार्मिक और भाषाएँ विशेषताएँ हैं।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29, 30, 350 A तथा 350B में अल्पसंख्यक' शब्द का प्रयोग किया गया है लेकिन इसकी परिभाषा कहीं नहीं दी गई है। इस एक्ट के अनुसार मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसियों को अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा दिया गया है।

इस तरह हम देखते हैं कि संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया। कारण उस समय की परिस्थितियाँ वैसी थी लेकिन आज की परिस्थिति के अनुसार उसमें बदलाव कराना आवश्यक है। संविधान में भाषाई और धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यकों को सुरक्षित करने की बात की गई लेकिन 'अल्पसंख्यक' को परिभाषित नहीं किया। लेकिन आज समय आ गया है कि राज्यों में जिस समुदाय के लोग सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से तथा जनसंख्या के आधार पर अल्पसंख्यक हैं, उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए।

अल्पसंख्यक शब्द का अर्थ

अल्प+संख्यक दो शब्दों से मिलकर 'अल्पसंख्यक' शब्द बना है। अल्पका अर्थ कम और संख्यक का अर्थ है संख्या से । अर्थात् जिसकी संख्या कम हो वो 'अल्पसंख्यक' कहलाते हैं

'मानक हिंदी कोश' में अल्पसंख्यक शब्द का अर्थ है- "जो गिनती या संख्या में कम या थोड़े हों।"

अनवर सुहैल ने अल्पसंख्यक शब्द को इस तरह बताया है कि- ''अल्पसंख्यक एक अपूर्ण या भ्रमित करने वाला शब्द है... समग्र में कुछ की संख्या को अल्पसंख्यक मानना मेरे हिसाब से गलत है। जिस प्रदेश में आप बहुमत में हो और समग्रता के आधार पर की गयी गणना के अनुसार खुद को अल्पसंख्यक माने तो ये गलत प्रतीत होता है। जैसे- कश्मीर के मुसलमान खुद को अल्पसंख्यक कहें या फिर हैदराबाद के मुसलमान खुद को अल्पसंख्यक कहें तो मुझे ये स्वीकार नहीं है।'

इस तरह यहाँ पर अनवर सुहैल का दृष्टिकोण देश के आधार पर नहीं बल्किराज्य के आधार पर करने के पक्षपाती है। कारण यही है कि एक राष्ट्र का एक समाज वहाँ बहुसंख्यक है तो वहीं दूसरे राष्ट्र में अल्पसंख्यक हैं।

इसी कारण यहाँ पर 'अल्पसंख्यक' शब्द की परिभाषा देना संभव नहीं है क्योंकि अनेक वाद-विवाद है लेकिन जो भी हो 'अल्पसंख्यक' शब्द का अर्थ यहाँ पर 'संख्या में कम के अर्थ में ही दिया गया है।

हिंदी में अल्पसंख्यक साहित्य का उद्भव एवं विकास

हिंदी साहित्य में अल्पसंख्यक वर्ग की एक भूमिका है। आदिकाल से ही अल्पसंख्यक वर्ग के साहित्य को देख सकते हैं। जैसे बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, इस्लाम साहित्य, सिख साहित्य आदि। हिंदी साहित्य में अल्पसंख्यक साहित्य की शुरुआत हो चुकी है। अल्पसंख्यक की वैचारिक परंपरा की नींव आदिकाल में है।

सरहपा, शबरपा, गोरखनाथ, शालिभद्र सूरी, अमीर ख़ुसरो से होते हुए भक्ति काल में मलिक मुहम्मद जायसी, कबीर, रहीम, गुरु गोविन्द सिंह से होकर आधुनिक राही मासूम रज़ा, बदीउज्जमा, नासिरा शर्मा, मेहरुन्निसा परवेज, अनवर सुहैल, अब्दुल बिस्मिल्लाह तक फैली हुई है। आधुनिक अल्पसंख्यक लेखकों दृष्टि डालेंगे तो पता चलेगा कि आज अनेक रचनाकार लिख रहे हैं। उसी प्रकार "राही मासूम रजा का उपन्यास 'आधा गाँव' है। इसमें एक तरफ देश की विभाजन की त्रासदी का हिस्सा है तो दूसरी तरफ उस आधे गाँव का किस्सा भी हैं, जो हिन्दू मुसलमानों में बंटा है।' यही परंपरा शानी से होकर अनवर सुहैल तक पहुँची है। अल्पसंख्यक वर्ग में और भी समुदाय हैं किंतु मुस्लिम अल्पसंख्यक की तरह दयनीय हैं स्थिति में नहीं हैं । इस विमर्श की पहल तो मुस्लिम रचनाकारों ने की है पर धीरे-धीरे अल्पसंख्यक वर्ग के अन्य रचनाकार भी इस विमर्श को आगे बढ़ाने में सहयोग दे रहे हैं।

हिंदी में अल्पसंख्यक साहित्य के लेखक और उनकी रचनाएँ:-

1. बदीउज्जमाँ

कहानी संग्रह:-'अनित्य' (1970), 'पुल टूटते हुए (1973), 'चौथा ब्राह्मण' (1991)

उपन्यास:- 'एक चूहे की मौत' (1971), 'छाकों की वापसी' (1975), 'अपुरुष' (1976), 'छठा तंत्र' (1977), 'सभा पर्व' (1994)

नाटक:- 'परदेशी', 'घर', 'चौथा ब्राह्मण', 'गुमशुदा आदमी, 'टूटते रिश्ते'. 'जिंदा लाश के लिए कफन'

2. गुलशेर अहमद खाँ 'शानी'

कहानी संग्रह:-'बाबूल की छाँव', 'डाली नहीं फूलती', 'छोटे घेरे का विद्रोह', 'एक से मकानों का नगर', 'युद्ध', 'शर्त का क्या हुआ, 'बिरादरी', 'सड़क पार करते हुए

उपन्यासः- 'कस्तूरी' (1960), 'पत्थरों में बंद आवाज' (1964), 'काला जल' (1965), 'नदी और सीपियाँ' (1970), 'एक लड़की की डायरी', 'साँप सीढ़ी'

3. आबिद सुरती

कहानी संग्रहः- 'पच्चीस पत्तियोंवाला पेड़' (1986), 'तीसरी आँख' (1991), 'दूसरी बीवी' (1994), 'बरसात' (1994), 'त्रिया' (1995), 'बिजलियाँ' (1995), 'बूंदाबांदी' (1999), 'बीसवीं सदी का आखिरी दशक' (2004), 'आतंकित' (2009), 'कब्र पर खिले दो फूल' (2013)

उपन्यासः-'दाग़', 'दलदल', 'टूटे हुए फरिश्ते, 'का पुरुष', 'महापुरुष', 'काली किताब', 'लबंगी', 'आस्वाद', 'बाहत्तर साल का बच्चा', 'दौड़', 'वासफसज्जा', 'कुंडली', 'उस पार का मर्द', 'सांप काटे का मंतर', 'काले गुलाब', ' ''तितली के पंखों पर उसका नाम', 'गुलमोहर के आँसू', 'बड़े घर की बहू', 'कुंतल', 'आकाश के उस पार', 'पेशा', आदमखोर', 'एक रात', , 'दुविधा', 'मुसलमान', 'बहता पानी', 'आधी स्त्री', 'माँ', 'चमत्कारी लड़की', 'तनहा', 'धूप छांव', 'खोया हुआ चेहरा, 'दस्तूर कथावाचक', 'चरित्रहीन', 'कोख से कब्र तक', 'सती', 'मेरे पापा की शादी', 'कोना कैनवास'

नाटकः-'स्माइल प्लीज़', 'नारी परीक्षा', 'ही इज राधा', 'घोड़े वाला नुक्कड़', 'ढलती उम्र के साए', 'नवाब रंगीले'

4. काजी मुश्ताक अहमद

कहानी संग्रहः- 'सोहबत की खुश्बू', 'कतरा-कतरा', 'एक ही रास्ता', 'दर्द की जुबान', 'लक्ष्मण रेखा के पास', 'जल से बोझिल बदली '

उपन्यासः-'एक दिल अरमान भरा', 'फुटपाथ की रानी', 'शहजादा', 'आजाद'

5. सलाम बिन रजाक

कहानी संग्रह:-'शिकस्त बुतों के दरमियान'

6. मेहरुन्निसा परवेज

कहानी संग्रहः- 'आदम और हवा', 'गलत पुरुष', 'टहनियों पर धूप, 'फाल्गुनी', 'अंतिम चढ़ाई', 'एक और सैलाब', "सोने के बेसर', 'अयोध्या से वापसी', 'रिश्ते', 'ढहता कुतुबमिनार', 'अम्मा', 'समर, 'लाल गुलाब, "मेरी बिस्तरकी कहानियाँ

उपन्यास:- 'आँखों की दहलीज', 'उसका घर',' पलाश', 'समरांगन', 'पासंग' 'कोरजा', 'अकेला

7. असगर वजाहत

कहानी संग्रह:- 'अंधेरे से', 'मैं हिंदू हूँ 'डेमोक्रेसिया', 'दिल्ली पहुँचना है', 'स्विमिंग पुल, 'सब कहाँ कुछ '

उपन्यास:- 'कैसी आगी लगाई', 'मनमाटी', 'गरजता बरसत', 'बरखा चराई', 'सात आसमान', 'पहर दोपहर', 'रात में जागने वाली '

8. नफीज़ अफरीदी

कहानी संग्रहः-'अग्निकुंड', 'धूप का दरिया', 'बाबू की बगिया'

उपन्यास:-'खुले हुए दरिचे, 'फिर भी अकेले', 'वायदा खिलाफ', 'एक टका सच'

9. नासिरा शर्मा

कहानी संग्रहः- 'पत्थर गली', 'संगसार', 'इब्ने मरियम', 'शामी कागज','सबिना के चालीस चोर', 'खुदा की वापसी', 'इंसानी नस्ल', 'बुतखाना', 'दूसरा ताजमहल'

उपन्यासः-'शामिली', 'सात नदियों का समंदर', 'अक्षय वट', 'कुइयाँजन', 'जीरो रोड', 'बहिश्ते जेहरा', 'ठीकरे की मंगनी', 'जिंदा मुहावरे', 'पारिजात', 'अजनबी जजीरा', 'कागज की नाव'

10. अब्दुल बिस्मिल्लाह

कहानी संग्रहः-'टूटा हुआ पंख, 'कितने कितने सवाल', रैन बसेरा', 'अतिथि देवा भवः', 'जिमिया के फूल', 'राफ राफ मेल','शादी का जोकर', 'ताकि सनद रहे'

उपन्यासः- 'समर शेष है', 'झीनी झीनी बीनी चदरिया', 'जहर बात',

'दंत कथा', 'मुखड़ा क्या देखे', 'अपित्र आख्यान', ''रावीलिखता है'

कविता संग्रहः-'मुझे बोलने दो', 'छोटे बुतों का बयान', 'वली मोहम्मद और करीमन बी की कविताएँ', 'किसके हाथ के गुलेल

11. अनवर सुहैल

कविता संग्रहः-'और थोड़ी सी शर्म दे मौला' (2007), 'संतों काहे की बेचैनी' (2009)

कहानी संग्रहः-'ग्यारह सितंबर के बाद' (2006),'चहल्लुम' (2009), 'गहरी जड़ें' (2014)

उपन्यासः-'पहचान' (2009), 'सलीमा' (2014)

उपरोक्त साहित्यकार एवं उनकी रचनाओं में अल्पसंख्यक जीवन का यथार्थ चित्रण है। इन साहित्यकारों ने अपने साहित्य में भारतीय समाज से संबंधित सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक, शैक्षणिक तथा स्त्री जीवन पर सशक्त लेखनी चलाई। अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज दीन-हीन स्थिति में निवास करता है । भारतीय अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय में दिखाई देने वाले गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी,

पिछड़ापन को अत्यंत प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। इन साहित्यकारों की अधिकतर रचनाएँ विभाजन की त्रासदी और स्वतंत्रता के बाद की स्थिति को प्रस्तुत करती है।

प्रश्न उत्तर

प्रश्न 18. अल्पसंख्यक कौन है?

उत्तर :

संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा के अनुसार ऐसा समुदाय जिसका सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक रूप से कोई प्रभाव न हो और जिसकी आबादी नगण्य हो, उसे अल्पसंख्यक कहा जाएगा।

अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अल्पसंख्यक ऐसे समूह हैं जिनके पास विशिष्टऔर स्थिर जातीय, धार्मिक और भाषाएँ विशेषताएँ हैं।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29, 30, 350 A तथा 350B में अल्पसंख्यक' शब्द का प्रयोग किया गया है लेकिन इसकी परिभाषा कहीं नहीं दी गई है। इस एक्ट के अनुसार मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसियों को अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा दिया गया है।

इस तरह हम देखते हैं कि संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया। कारण उस समय की परिस्थितियाँ वैसी थी लेकिन आज की परिस्थिति के अनुसार उसमें बदलाव कराना आवश्यक है। संविधान में भाषाई और धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यकों को सुरक्षित करने की बात की गई लेकिन 'अल्पसंख्यक' को परिभाषित नहीं किया। लेकिन आज समय आ गया है कि राज्यों में जिस समुदाय के लोग सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से तथा जनसंख्या के आधार पर अल्पसंख्यक हैं, उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए।

प्रश्न 19. हिंदी में अल्पसंख्यक साहित्य किसे कहा जाता है? स्पष्ट कीजिए।

उत्तर :

हिंदी में अल्पसंख्यक साहित्य का उद्भव सन् 1970 में दिखाई देता है। अल्पसंख्यक की संकल्पना उस समुदाय के लिए उपयुक्त होती है जिसकी संख्या कम होती है। देश को जब स्वतंत्रता मिली थी उस समय देश में हिंदुओं की तुलना में मुस्लिम संख्या कम थी, लेकिन आज हम देखते हैं सारे देश में अल्पसंख्यक किसे कहा जाए, इस बात पर अनेक वाद-विवाद है क्योंकि एक समुदाय एक राष्ट्र में अगर जनसंख्या के हिसाब से कम है तो वही समुदाय दूसरे राष्ट्र में जनसंख्या के हिसाब से अधिक है।

कश्मीर में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों की तुलना करेंगे तो पता चलेगा कि वहाँ अल्पसंख्यक कौन है? और बहुसंख्यक कौन है? आज रोजगार, शिक्षा आदि कारणों से लोगों का लगातार पलायन हो रहा है। इससे देश में कई राज्यों में, जिलों में, कस्बों में, गाँवों आदि में बहुसंख्यक की जनसंख्या अनुपात में बड़ा बदलाव आ गया है। इसलिए उनको वहाँ पर अल्पसंख्यक कहा जा सकता है। देश के कुछ क्षेत्रों में बहुसंख्यक की जनसंख्या अनुपात घटकर अल्पसंख्यक की तुलना में कम या बराबर हो गयी है। इस तरह से स्थानीय स्तर पर अल्पसंख्यक- बहुसंख्यक समस्या पैदा हो रही है। 'मानक हिंदी कोश' में अल्पसंख्यक शब्द का अर्थ है- "जो गिनती या संख्या में कम या थोड़े हों।"

भारत देश में आज 6 धर्मों के अनुयाइयों को जिसमें मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख, जैन व फारसी को अल्पसंख्यक श्रेणी में रखा गया है। इसलिए आज इन समुदाय से संबंधित साहित्य को ही अल्पसंख्यक साहित्य' कहा जा रहा है, जिसमें इन जातियों के जीवन विषयक विचार व्यक्त हुए हैं। इनके जीवन का चित्रण इसमें विस्तृत रूप से हुआ है।

आज हिंदी साहित्य में अल्पसंख्यक साहित्य के रूप में मुस्लिम समाज का चित्रण यथार्थ के साथ हुआ है। अल्पसंख्यक साहित्य का अर्थ उस साहित्य से लिया जाता है, जिस साहित्य को मुस्लिम हिंदी लेखकों ने स्वयं अपने समाज के बारे में लिख रहे हैं।

हिंदी में अल्पसंख्यक साहित्य कि शुरुआत हम आदिकाल के सिद्ध साहित्य से ही देखते हैं, जिन्होंने बौद्ध साहित्य लिखा वहीं से अल्पसंख्यक साहित्य की शुरुआत मानी जा सकती है। बाद में 1970 से हिंदी में अल्पसंख्यक साहित्य दिखाई देने लगा है, आज भी उसका स्वर प्रस्फुटित हो रहा है। अल्पसंख्यक साहित्य आज लिखा जा रहा है, जिसमें अनेक धर्म के लोगों की आवाज मुखरित हो रही है।

प्रश्न 20. हिंदी में अल्पसंख्यक साहित्य के लेखक और उनकी रचनाओ बारे में लिखिए।

उत्तर :

इस विमर्श की पहल तो मुस्लिम रचनाकारों ने की है पर धीरे-धीरे अल्पसंख्यक वर्ग के अन्य रचनाकार भी इस विमर्श को आगे बढ़ाने में सहयोग दे रहे हैं।

1. बदीउज्जमाँ

कहानी संग्रह:- 'अनित्य' (1970), 'पुल टूटते हुए (1973), 'चौथा ब्राह्मण' (1991)

उपन्यास:- 'एक चूहे की मौत' (1971), 'छाकों की वापसी' (1975), 'अपुरुष' (1976), 'छठा तंत्र' (1977), 'सभा पर्व' (1994)

नाटक:- 'परदेशी', 'घर', 'चौथा ब्राह्मण', 'गुमशुदा आदमी, 'टूटते रिश्ते'. 'जिंदा लाश के लिए कफन'

2. गुलशेर अहमद खाँ 'शानी'

कहानी संग्रह:-'बाबूल की छाँव', 'डाली नहीं फूलती', 'छोटे घेरे का विद्रोह', 'एक से मकानों का नगर', 'युद्ध', 'शर्त का क्या हुआ, 'बिरादरी', 'सड़क पार करते हुए'

उपन्यास:- 'कस्तूरी' (1960), 'पत्थरों में बंद आवाज' (1964), 'काला जल' (1965), 'नदी और सीपियाँ' (1970), 'एक लड़की की डायरी', 'साँप सीढ़ी'

3. आबिद सुरती

कहानी संग्रहः- 'पच्चीस पत्तियोंवाला पेड़' (1986), 'तीसरी आँख' (1991), 'दूसरी बीवी' (1994), 'बरसात' (1994), 'त्रिया' (1995), 'बिजलियाँ' (1995), 'बूंदाबांदी' (1999), 'बीसवीं सदी का आखिरी दशक' (2004), 'आतंकित' (2009), 'कब्र पर खिले दो फूल' (2013)

उपन्यासः- 'दाग़', 'दलदल', 'टूटे हुए फरिश्ते, 'का पुरुष', 'महापुरुष', 'काली किताब', 'लबंगी', 'आस्वाद', 'बाहत्तर साल का बच्चा', 'दौड़', 'वासफसज्जा', 'कुंडली', 'उस पार का मर्द', 'सांप काटे का मंतर', 'काले गुलाब, ' ''तितली के पंखों पर उसका नाम', 'गुलमोहर के आँसू', 'बड़े घर की बहू', 'कुंतल', 'आकाश के उस पार', 'पेशा', आदमखोर', 'एक रात', , 'दुविधा, 'मुसलमान', 'बहता पानी', 'आधी स्त्री', 'माँ', 'चमत्कारी लड़की', 'तनहा', 'धूप छांव', 'खोया हुआ चेहरा, 'दस्तूर कथा वाचक', 'चरित्रहीन', 'कोख से कब्र तक', 'सती', 'मेरे पापा की शादी', 'कोना कैनवास'

नाटकः-'स्माइल प्लीज़', 'नारी परीक्षा', 'ही इज राधा', 'घोड़े वाला नुक्कड़', 'ढलती उम्र के साए', 'नवाब रंगीले'

4. काजी मुश्ताक अहमद

कहानी संग्रहः- 'सोहबत की खुश्बू, 'कतरा-कतरा', 'एक ही रास्ता', 'दर्द की जुबान', 'लक्ष्मण रेखा के पास', 'जल से बोझिल बदली '

उपन्यासः-'एक दिल अरमान भरा', 'फुटपाथ की रानी', 'शहजादा', 'आजाद'

5. सलाम बिन रजाक

कहानी संग्रहः-'शिकस्त बुतों के दरमियान'

6. मेहरुन्निसा परवेज

कहानी संग्रहः- 'आदम और हवा', 'गलत पुरुष', 'टहनियों पर धूप', 'फाल्गुनी', 'अंतिम चढ़ाई', 'एक और सैलाब', ''सोने के बेसर', 'अयोध्या से वापसी', 'रिश्ते', 'ढहता कुतुब मिनार', 'अम्मा', 'समर, 'लाल गुलाब, ''मेरी बिस्तर की कहानियाँ

उपन्यासः- 'आँखों की दहलीज', 'उसका घर',' पलाश', 'समरांगन', 'पासंग' 'कोरजा', 'अकेला

7. असगर वजाहत

कहानी संग्रहः- 'अंधेरे से', 'मैं हिंदू हूँ 'डेमोक्रेसिया', 'दिल्ली पहुँचना है', 'स्विमिंग पुल, 'सब कहाँ कुछ '

उपन्यासः- 'कैसी आगी लगाई', 'मनमाटी', 'गरजता बरसत', 'बरखा चराई', 'सात आसमान', 'पहर दोपहर', 'रात में जागने वाली '

8. नफीज़ अफरीदी

कहानी संग्रहः-'अग्निकुंड', 'धूप का दरिया', 'बाबू की बगिया'

उपन्यासः-'खुले हुए दरिचे, 'फिर भी अकेले', 'वायदा खिलाफ', 'एक टका सच'

9. नासिरा शर्मा

कहानी संग्रहः- 'पत्थर गली', 'संगसार', 'इब्ने मरियम', 'शामी कागज','सबिना के चालीस चोर', 'खुदा की वापसी', 'इंसानी नस्ल', 'बुतखाना', 'दूसरा ताजमहल'

उपन्यासः-'शामिली', 'सात नदियों का समंदर', 'अक्षय वट', 'कुइयाँजन', 'जीरो रोड', 'बहिश्ते जेहरा', 'ठीकरे की मंगनी', 'जिंदा मुहावरे', 'पारिजात', 'अजनबी जजीरा', 'कागज की नाव'

10. अब्दुल बिस्मिल्लाह

कहानी संग्रहः-'टूटा हुआ पंख, 'कितने कितने सवाल', रैन बसेरा', 'अतिथि देवा भवः', 'जिमिया के फूल', 'राफ राफ मेल','शादी का जोकर', 'ताकि सनद रहे'

उपन्यासः- 'समर शेष है', 'झीनी झीनी बीनी चदरिया', 'जहर बात',

'दंत कथा', 'मुखड़ा क्या देखे', 'अपित्र आख्यान', ''रावी लिखता है'

कविता संग्रह:-'मुझे बोलने दो', 'छोटे बुतों का बयान', 'वली मोहम्मद और करीमन बी की कविताएँ', 'किसके हाथ के गुलेल

11. अनवर सुहैल

कविता संग्रह:-'और थोड़ी सी शर्म दे मौला' (2007), 'संतों काहे की बेचैनी' (2009)

कहानीसंग्रह:-'ग्यारह सितंबर के बाद' (2006),'चहल्लुम' (2009), 'गहरी जड़ें' (2014)

उपन्यास:-'पहचान' (2009), 'सलीमा' (2014)

उपरोक्त साहित्यकार एवं उनकी रचनाओं में अल्पसंख्यक जीवन का यथार्थ चित्रण है। इन साहित्यकारों ने अपने साहित्य में भारतीय समाज से संबंधित सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक, शैक्षणिक तथा स्त्री जीवन पर सशक्त लेखनी चलाई। अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज दीन-हीन स्थिति में निवास करता है । भारतीय अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय में दिखाई देने वाले गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, पिछड़ापन को अत्यंत प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। इन साहित्यकारों की अधिकतर रचनाएँ विभाजन की त्रासदी और स्वतंत्रता के बाद की स्थिति को प्रस्तुत करती है।

प्रश्न 21. अल्पसंख्यक शब्द का अर्थ लिखिए ।

उत्तर :

अल्प+संख्यक दो शब्दों से मिलकर 'अल्पसंख्यक' शब्द बना है। अल्पका अर्थ कम और संख्यक का अर्थ है संख्या से । अर्थात् जिसकी संख्या कम हो वो 'अल्पसंख्यक' कहलाते हैं

'मानक हिंदी कोश में अल्पसंख्यक शब्द का अर्थ है- "जो गिनती या संख्या में कम या थोड़े हों।"

अनवर सुहैल ने अल्पसंख्यक शब्द को इस तरह बताया है कि- ‘‘अल्पसंख्यक एक अपूर्ण या भ्रमित करने वाला शब्द है... समग्र में कुछ की संख्या को अल्पसंख्यक मानना मेरे हिसाब से गलत है। जिस प्रदेश में आप बहुमत में हो और समग्रता के आधार पर की गयी गणना के अनुसार खुद को अल्पसंख्यक माने तो ये गलत प्रतीत होता है। जैसे- कश्मीर के मुसलमान खुद को अल्पसंख्यक कहें या फिर हैदराबाद के मुसलमान खुद को अल्पसंख्यक क्हें तो मुझे ये स्वीकार नहीं है।”

इस तरह यहाँ पर अनवर सुहैल का दृष्टिकोण देश के आधार पर नहीं बल्कि राज्य के आधार पर करने के पक्षपाती है। कारण यही है कि एक राष्ट्र का एक समाज वहाँ बहुसंख्यक है तो वहीं दूसरे राष्ट्र में अल्पसंख्यक हैं।

इसी कारण यहाँ पर 'अल्पसंख्यक' शब्द की परिभाषा देना संभव नहीं है क्योंकि अनेक सारा वाद-विवाद है लेकिन जो भी हो ‘अल्पसंख्यक' शब्द का अर्थ यहाँ पर 'संख्या में कम के अर्थ में ही दिया गया है।

लघु और दीर्घ प्रश्न उत्तर

प्रश्न 1. स्त्रीवाद की परिभाषा लिखिए।

प्रश्न 2. हिंदी में स्त्रीवाद क्या है? बताते हुए स्त्रीवादी आंदोलन पर प्रकाश डालिए।

प्रश्न 3. भारतीय स्त्रीवादी आंदोलन की शुरुवात कब और कैसे हुई ।

प्रश्न 4. हिंदी में स्त्रीवादी साहित्य की शुरुवात कब हुई है ।

प्रश्न 5. आखिर स्त्रीवाद क्या है?

प्रश्न 6. दलित शब्द का अर्थ एवं परिभाषाएँ क्या है?

प्रश्न 7. दलित कौन है?

प्रश्न 8. हिंदी में दलित साहित्य की शुरुवात कब हुई है ?

प्रश्न 9. दलित साहित्य की प्रेरणा के स्रोत कौन है।

प्रश्न 10. डॉ. बाबासाहब अम्बेड्कर के बारे में लिखिए ।

प्रश्न 11. महात्मा फूले के बारे में लिखिए ।

प्रश्न 12. हिंदी में दलित साहित्य का उद्भव कब हुआ? बताते हुए दलित साहित्य के प्रेरणास्रोत कौन-कौन हैं, ।

प्रश्न 13. आदिवासी की कौनसी विशेषताएँ हैं?

प्रश्न 14. हिंदी में आदिवासी साहित्य का जन्म कब हुआ? ' बताते हुए इसकी क्या विशेषताएँ हैं, लिखिए ।

प्रश्न 15. आदिवासी साहित्य किसे कहना चाहिए?

प्रश्न 16. आदिवासी कौन हैं?

प्रश्न 17. आदिवासी शब्द का अर्थ एवं स्वरूप लिखिए ।

प्रश्न 18. अल्पसंख्यक कौन है?

प्रश्न 19. हिंदी में अल्पसंख्यक साहित्य किसे कहा जाता है? स्पष्ट कीजिए।

प्रश्न 20. हिंदी में अल्पसंख्यक साहित्य के लेखक और उनकी रचनाओ के बारे में लिखिए।

प्रश्न 21. अल्पसंख्यक शब्द का अर्थ लिखिए ।

FACULTIES OF ARTS, COMMERCE, SCIENCE, SOCIAL SCIECES & MANAGEMENT

B.A., B.Com., B.B.A., B.Sc. and B.S.W

III-Year VI-Semester (CBCS) Examination

Model Paper - I

HINDI

(SECOND LANGUAGE)

Paper - VI

Time : 3 Hours] **[Max. Marks : 80**

'खण्ड क' PART - 'A'

(4 × 5 = 20 Marks)

ANSWERS

सूचनाः निम्नलिखित में से किन्ही पाँच प्रश्नों के उत्तर लिखिए ।

1. अनुवाद किसे कहते है ? **(Unit - I, Q.No. 1)**
2. आदर्श अनुवाद किसे कहते है ? **(Unit - I, Q.No. 7)**
3. स्त्रीवाद की परिभाषा लिखिए । **(Unit - III, Q.No. 1)**
4. पत्रकारिता के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए । **(Unit - II, Q.No. 4)**
5. पेज थ्री पत्रकारिता में किन लोगो के बारे में बोला जाता है । **(Unit - II, Q.No. 14)**
6. भारतीय पत्रकारिता की जननी देश के किस धरती को माना जाता है ? **(Unit - II, Q.No. 7)**
7. आखिर स्त्रीवाद क्या है ? **(Unit - III, Q.No. 5)**
8. आदिवासी कौन हैं ? **(Unit - III, Q.No. 16)**

खण्ड ख PART - 'B'

(4 × 15 = 60 Marks)

सूचनाः निम्नलिखित में से किन्ही चार प्रश्नों के उत्तर लिखिए ।

9. क) अनुवाद के विभिन्न प्रकारों के वारे में समझाइए? **(Unit - I, Q.No. 6)**

(अथवा)

ख) सफल अनुवादक के गुणों की चाचो कीजिए ? **(Unit - I, Q.No. 12)**

10. क) दक्षिण भारत के किन समाचार पात्रो ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है । **(Unit - II, Q.No. 8)**

(अथवा)

ख) दक्षिण भारत के किन समाचार पात्रो ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है । **(Unit - II, Q.No. 20)**

11. क) दलित शब्द का अर्थ एवं परिभाषा क्या है? **(Unit - III, Q.No. 6)**

(अथवा)

ख) हिंदी में आदिवासी साहित्य का जन्म कब हुआ? बताते हुए इसकी क्या विशेषताएँ हैं, बताइए । **(Unit - III, Q.No. 14)**

12. क) हिंदी के कुछ प्रमुख समाचार पत्र कौन से हैं ? किन्हीं दो के बारे में संक्षिप्त में लिखिए। **(Unit - II, Q.No. 19)**

(अथवा)

ख) हिंदी में अल्पसंख्यक साहित्य के लेखक और उनकी रचनाओ बारे में लिखिए। **(Unit - III, Q.No. 20)**

FACULTIES OF ARTS, COMMERCE, SCIENCE, SOCIAL SCIECES & MANAGEMENT

B.A., B.Com., B.B.A., B.Sc. and B.S.W

III-Year VI-Semester (CBCS) Examination

Model Paper - II

HINDI

(SECOND LANGUAGE)

Paper - VI

Time : 3 Hours] **[Max. Marks : 80**

'खण्ड क' PART - 'A'

(4 × 5 = 20 Marks)

ANSWERS

सूचनाः निम्नलिखित में से किन्ही पाँच प्रश्नों के उत्तर लिखिए।

1. अनुवाद शब्द का अर्थ क्या है लिखिए ? **(Unit - I, Q.No. 2)**
2. आशु अनुवाद किसे कहते है ? **(Unit - I, Q.No. 8)**
3. हिंदी में स्त्रीवादी साहित्य की शुरूवात कब हुई है। **(Unit - III, Q.No. 4)**
4. पत्रकारिता के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। **(Unit - II, Q.No. 3)**
5. शिक्षा पत्रकारिता से क्या तात्पर्य है। **(Unit - II, Q.No. 15)**
6. पत्रकार के कोन से दो विश्लेषण क्षमता के स्तर होते है। **(Unit - II, Q.No. 18)**
7. दलित कौन है? **(Unit - III, Q.No. 7)**
8. महात्मा फूले के बारे में लिखिए। **(Unit - III, Q.No. 11)**

खण्ड ख PART - 'B'

(4 × 15 = 60 Marks)

सूचनाः निम्नलिखित में से किन्ही चार प्रश्नों के उत्तर लिखिए।

9. क) अनुवाद के महत्व को स्पष्ट रूप से समझाइए ? **(Unit - I, Q.No. 5)**

(अथवा)

ख) व्यावहारिक अनुवाद किसे कहते हैं ? **(Unit - I, Q.No. 13)**

10. क) हिंदी पत्रकारिता का इतिहास लिखिए । **(Unit - II, Q.No. 5)**

(अथवा)

ख) एक आदर्श पत्रकार में किन गुणों की आवश्यकता होती है? विस्तार के साथ लिखिए । **(Unit - II, Q.No. 16)**

11. क) दलित साहित्य की प्रेरणा के स्रोत कौन है । **(Unit - III, Q.No. 9)**

(अथवा)

ख) आदिवासी साहित्य किसे कहना चाहिए । **(Unit - III, Q.No. 15)**

12. क) हिंदी में अल्पसंख्यक साहित्य किसे कहा जाता है? स्पष्ट कीजिए । **(Unit - III, Q.No. 19)**

(अथवा)

ख) वरिष्ठ पत्रकार राजीव ने शुद्ध विकासात्मक लेखन क्षेत्रों को कितने भागों में विभक्त किया है । **(Unit - II, Q.No. 9)**

FACULTIES OF ARTS, COMMERCE, SCIENCE, SOCIAL SCIECES & MANAGEMENT

B.A., B.Com., B.B.A., B.Sc. and B.S.W

III-Year VI-Semester (CBCS) Examination

Model Paper - III

HINDI

(SECOND LANGUAGE)

Paper - VI

Time : 3 Hours] **[Max. Marks : 80**

'खण्ड क' PART - 'A'

(4 × 5 = 20 Marks)

ANSWERS

सूचनाः निम्नलिखित में से किन्ही पाँच प्रश्नों के उत्तर लिखिए ।

1. अनुवाद की परिभाषाए लिखिए ? **(Unit - I, Q.No. 3**
2. व्याख्यानुवाद से क्या तात्पर्य है ? **(Unit - I, Q.No. 9)**
3. डॉ. बाबासाहब अम्बेड्कर के बारे में लिखिए । **(Unit - III, Q.No. 10)**
4. पत्रकारिता के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए । **(Unit - II, Q.No. 2)**
5. फिल्मी पत्र पत्रिकाएँ पाठक वर्गो में कैसे कोकप्रिय हैं । **(Unit - II, Q.No. 10)**
6. पत्रकारिता में छह ककारों का ज्ञान का गुण क्यों चाहिए । **(Unit - II, Q.No. 17)**
7. हिंदी में दलित साहित्य की शुरूवात कब हुई है ? **(Unit - III, Q.No. 8)**
8. आदिवासी की कौनसी विशेषताएँ हैं ? **(Unit - III, Q.No. 13)**

खण्ड ख PART - 'B'

(4 × 15 = 60 Marks)

सूचनाः निम्नलिखित में से किन्ही चार प्रश्नों के उत्तर लिखिए ।

9. क) अनुवाद के स्वरूप को समझाइए ? **(Unit - I, Q.No. 4)**

(अथवा)

ख) दिए गए गद्यांश का हिंदी, अंग्रेजी अथवा तेलुगु में आनुवाद कीजिए ? **(Unit - I, Q.No. 15)**

10. क) पत्रकारिता शब्द का अर्थ और परिभाषा की दृष्टि से विशलेषण कीजिए । **(Unit - II, Q.No. 1)**

(अथवा)

ख) फिल्मी पत्र पत्रिकाएँ पाठक वर्गों में कैसे लोकप्रिय हैं । **(Unit - II, Q.No. 11)**

11. क) हिंदी में दलित साहित्य का उद्भव कब हुआ? बताते हुए दलित साहित्य के प्रेरणासोत कौन-कौन हैं समझाइए । **(Unit - III, Q.No. 12)**

(अथवा)

ख) आदिवासी शब्द का अर्थ एवं स्वरूप लिखिए । **(Unit - III, Q.No. 17)**

12. क) खेल पत्रकारिता किसे कहा जाता है । **(Unit - II, Q.No. 13)**

(अथवा)

ख) अल्पसंख्यक कौन है ? **(Unit - III, Q.No. 18)**